Drishti IAS

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

फरवरी (भाग-1)

2025

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- जेंडर बजट 2025-26 5
- केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी पहल 10
- भारत में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार 12
- CSS और राजकोषीय संघवाद 14
- फ्रीबीज़ और कल्याण के बीच संतुलन 16
- स्मार्ट सिटी मिशन 18
- भारत में वैवाहिक बलात्कार 24

भारतीय अर्थव्यवस्था 27

- केंद्रीय बजट 2025-26 27
- आर्थिक समीक्षा 2024-25 33
- नियामक निकायों को मज़बूत बनाना 45
- ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा में संतुलन 48
- भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास 51
- रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ 56
- दक्षिण भारतीय राज्यों की आर्थिक गतिशीलता 59

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 62

- भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद 64
- एयरो इंडिया 2025 में भारत-ब्रिटेन समझौता 67

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 70

- पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 70
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 73

सामाजिक न्याय 77

- घरेलू कामगारों का शोषण 77
- भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध 79
- ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार में वृद्धि 87

कृषि 90

- भारत में कृषि विकास 90

भारतीय इतिहास 93

- स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 93

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स 95

- अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना 95
- MSME के लिये पारस्परिक ऋण गारंटी योजना 95
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 97
- अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तीकरण 99
- भारत का परमाणु कार्यक्रम 100
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन 102
- महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग अनिवार्य 103
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस 105
- इंडो-यूरोपीय भाषाएँ 107
- बजट 2025-26 में जनजातीय कल्याण 108
- क्षुद्रग्रह 2024 YR4 110
- कैंसर उपचार पर PM-JAY का प्रभाव 111
- US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 112
- स्वावलंबिनी 114
- प्रतिजैविक प्रतिरोध 115
- कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन 117
- खाद्य तेल आयात और SAFTA समझौता 118
- बॉम्बे ब्लड ग्रुप 119
- उच्च शिक्षा पर व्यय 122
- आइंस्टीन वलय 123
- विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 126
- इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG) 127
- एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम 128
- आर्कटिक वार्मिंग 129

रैपिड फायर 131

- भारत में कार्ड टोकनाइज़ेशन 131
- पोटोमैक नदी 132
- गुलियन-बैरे सिंड्रोम और BBE 132
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 135
- संसदीय विशेषाधिकारों का हनन 136
- हैती 137
- जल जीवन मिशन का वर्ष 2028 तक विस्तार 138
- सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली 139
- Gaia BH3 ब्लैक होल 139
- तीसरी भारत - जापान इस्पात वार्ता 141
- सेंटोरिनी द्वीप समूह 141
- अमेरिका की बेगर-दाय-नेबर नीति 141
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 142
- SARAT संस्करण 2 143
- कश्मीर घाटी में यूरेशियन ओटर 143

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता 144
- BIMSTEC युवा शिखर सम्मेलन 2025 145
- ट्रोपेक्स-25 147
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 148
- WAVES 2025 और क्रिएटिव इकोनॉमी 148
- GI-टैग चावल के निर्यात के लिये HS कोड 150
- नारी अदालत कार्यक्रम 150
- एशियाई हाथी 150
- विश्व मिर्गी दिवस 152
- विश्वामित्री नदी और कच्छ मगरमच्छ 152
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि 153
- भारत-EFTA डेस्क 154
- संत गुरु रविदास की जयंती 155
- फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तन 157
- अभ्यास साइक्लोन 157
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 158
- इंडिया एनर्जी वीक 2025 158
- भारत-म्याँमार सीमा पर FMR 159
- यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 159
- संशोधित MIS दिशानिर्देश 161

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

जेंडर बजट 2025-26

जेंडर-**रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GBS)** 2025-26 **जेंडर-रिस्पॉन्सिव बजटिंग (GRB)** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसमें आवंटनों में वृद्धि और मंत्रालयों की व्यापक भागीदारी शामिल है।

GBS 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **बजट में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 के लिये लैंगिक बजट** 4.49 लाख करोड़ रुपए (कुल केंद्रीय बजट 2025-26 का 8.86%) है, जो **वित्त वर्ष 2024-25** के लिये 3.27 लाख करोड़ रुपए **से 37.5% अधिक है**।
  - **GBS 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा लैंगिक बजट है**, जिसमें महिला कल्याण, शिक्षा और आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 49 मंत्रालयों को लैंगिक-विशिष्ट विवरण की जानकारी दी गई है।
- **GBS 2025-26 के प्रभाग:** जेंडर बजट **को तीन प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है।**

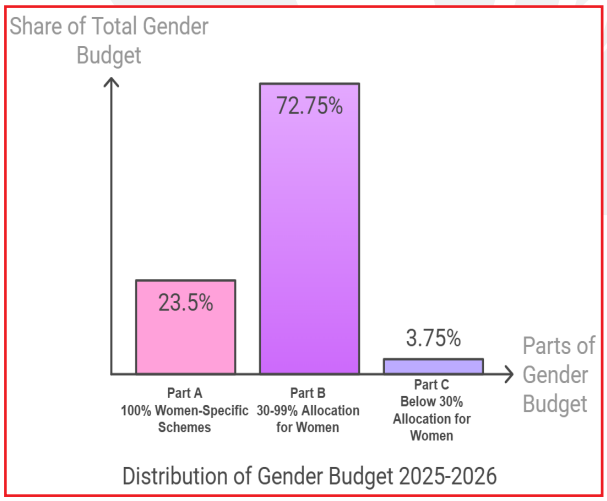

Distribution of Gender Budget 2025-2026

नोट: लैंगिकता उन विशेषताओं को दर्शाती है जो महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों से संबंधित होती हैं और सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। जबकि लैंगिक भेद (Sex) जैविक विशेषता है, जो गुणसूत्रों और प्रजनन अंगों से जुड़ी होती है।

भारत में जेंडर बजटिंग क्या है?

- **जेंडर बजट:** जेंडर बजट एक **विशिष्ट उपकरण है, जिसका** उपयोग **विभिन्न लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।**
  - यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ और संसाधनों का आवंटन लैंगिक संवेदनशील हो और मौजूदा ढाँचों के भीतर विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करे।
- **पृष्ठभूमि:** भारत की लैंगिक समता प्रतिबद्धता, **महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW), 1979 के** 1993 में अनुसमर्थन से प्रारंभ होकर वर्ष 2005-06 में प्रथम **जेंडर बजट स्टेटमेंट का कारण बनी,** और तब से इसे प्रतिवर्ष शामिल किया जाता रहा है, जो लैंगिक-संवेदनशील नीतियों पर निरंतर ध्यान को दर्शाता है।
  - जेंडर बजटिंग **मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के अंतर्गत आती है।**
- **आवश्यकता:** लैंगिक बजट केवल एक वित्तीय साधन नहीं है, बल्कि **लैंगिक असमानता के चक्र को तोड़ने के लिये एक नैतिक आवश्यकता है।**
  - **वर्ष 2024 जेंडर गैप रिपोर्ट** में भारत **146 देशों में से 129 वें स्थान** पर है, जो लैंगिक समानता में सुधार की महत्त्वपूर्ण गुंजाइश दर्शाता है।
  - सशक्त महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके भावी पीढ़ियों के लिये योगदान देती हैं, जिससे **विकास का एक सकारात्मक चक्र** बनता है।
- **कार्यान्वयन:**
  - **केंद्रीय स्तर: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **राज्य स्तर:** महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वित्त और योजना विभाग राज्य स्तर पर जेंडर बजट के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- ❖ **ज़िला स्तर: महिला सशक्तिकरण केंद्र** (HEW) ज़िला स्तर पर जेंडर बजट का समन्वय करता है, और प्रत्येक केंद्र में कम से कम एक जेंडर विशेषज्ञ होना चाहिये।

- **महत्त्व: भेदभाव** और **शोषण** को संबोधित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और **सतत् विकास लक्ष्य 5 (वैश्विक लैंगिक समानता)** प्रयासों का समर्थन करता है।
- यह **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** और **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013** जैसे महिला-विशिष्ट कानूनी ढाँचे के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

नोट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत **वर्ष 2021** में मिशन **शक्ति** पहल भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है।

- इसमें दो उप-योजनाएँ शामिल हैं: **संबल** (महिलाओं की **सुरक्षा और संरक्षा** पर केंद्रित) और **सामर्थ्य** (विभिन्न कौशल निर्माण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से **महिलाओं को सशक्त** बनाने का लक्ष्य)।

भारत में जेंडर बजटिंग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **आवंटन में अस्पष्टताएँ:** लैंगिक-संवेदनशील योजनाओं को धनराशि आवंटित करने की अस्पष्ट कार्यप्रणाली के कारण प्राय: विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)** में महिला कार्यबल की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भाग B में कम रिपोर्ट किया गया है।
  - ❖ **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G),** जो घरों में महिलाओं के स्वामित्व को प्राथमिकता देती है, के अनुसार **केवल 23% घर ही महिलाओं को आवंटित किये गए हैं,** जबकि इसे GBS के **भाग A में वर्गीकृत** किया गया है, जिसमें **महिलाओं के लिये 100% आवंटन का दावा** किया गया है।
- **निधियों का संकेंद्रण:** लगभग 90% जेंडर बजट केवल कुछ मंत्रालयों में ही केंद्रित है, जिनमें **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY),** MGNREGS और PMAY-G जैसी योजनाएँ शामिल हैं, जो अन्य क्षेत्रों में इसके प्रभाव को सीमित करती हैं।
- **दीर्घकालिक योजनाएँ: आयुष्मान भारत** और **आवास योजना** जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को जेंडर बजटिंग में शामिल करने से **मिशन शक्ति** और **महिला शिक्षा** जैसे **तत्काल प्रभाव वाले कार्यक्रमों** से धन का विचलन होता है, जिससे वास्तविक समय में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास में बाधा आती है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** अपर्याप्त ट्रैकिंग तंत्र, **जेंडर प्रभाव आकलन** की खराब गुणवत्ता और जेंडर-पृथक डेटा के अभाव से आवश्यकताओं और परिणामों का सटीक आकलन करने में बाधा उत्पन्न होती है।
  - ❖ **संयुक्त राष्ट्र** ने जेंडर बजट विवरण की अभिकल्पना और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच मज़बूत **क्षेत्रवार निगरानी और सहयोग** का आह्वान किया है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** जेंडर आधारित बजट हमेशा राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप समर्थन अपर्याप्त रह जाता है।

आगे की राह

- **एकीकरण:** बुनियादी ढाँचे और ग्रामीण विकास सहित सभी मंत्रालयों में जेंडर आधारित बजट को एकीकृत किया जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक सरकारी पहल में जेंडर-सेंसेटिव आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
  - ❖ महिलाओं की आवश्यकताओं और नीतियों के प्रभाव को बेहतर रूप से समझने के लिये **लिंग-विशिष्ट डेटा** एकत्र

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

करने और उसका विश्लेषण करने में निवेश करने की आवश्यकता है।

- **राज्य का जेंडर बजट:** राज्य सरकारों को जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना, ताकि नियोजन प्रक्रिया में **जनजातीय समूहों** सहित सुभेद्य वर्ग की महिलाओं का समावेशन सुनिश्चित किया जा सके।
- **सूचना पद्धतियों का स्पष्टीकरण: आवंटन और सूचना प्रक्रियाओं में पारदर्शिता** की आवश्यकता है।
  - धन आवंटन के लिये प्रयुक्त पद्धतियों और उनसे संबंधित तर्कों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से जवाबदेही बढ़ेगी।
  - आवंटित धनराशि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिये सभी मंत्रालयों में नियमित रूप से **जेंडर ऑडिट** आयोजित किया जाना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को जेंडर आधारित बजट पर प्रशिक्षण देने से बजट उपयोग और आकलन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोण को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिलेगी।

और पढ़ें: केंद्रीय बजट 2025-26

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में जेंडर बजटिंग का क्या महत्त्व है और इसका महिला सशक्तीकरण में किस प्रकार योगदान है?

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति (SIDE) रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा तैयार **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति (SIDE) रिपोर्ट 2024,** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति: अर्थव्यवस्था-व्यापी डिजिटलीकरण** के संदर्भ में भारत विश्व में **तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था (अमेरिका और चीन** के बाद) है।
  - **व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं के डिजिटलीकरण** के मामले में **यह G-20** देशों में **12 वें स्थान** पर है, जो **औसत उपयोगकर्त्ता डिजिटलीकरण में कमी** को दर्शाता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान:** वर्ष 2022-23 में, **डिजिटल अर्थव्यवस्था** ने **सकल घरेलू उत्पाद में 11.74%** का योगदान दिया, जिसके **वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 13.42%** होने का अनुमान है।
  - इसमें 2.55% **कार्यबल कार्यरत** है तथा उत्पादकता समग्र अर्थव्यवस्था से 5 गुना अधिक है।
- **पूर्वानुमान: वर्ष 2029-30 तक,** डिजिटल अर्थव्यवस्था कृषि और विनिर्माण को पीछे छोड़ते हुए **सकल घरेलू उत्पाद** में एक-पाँचवें (20%) का योगदान करने की उम्मीद है।
- **क्षेत्रवार विभेदन:** पारंपरिक **ICT क्षेत्र** डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जबकि **बिग टेक और प्लेटफॉर्म सहित नए डिजिटल उद्योग, GVA** का लगभग **2%** हिस्सा हैं।
- **राज्य-स्तरीय असमानताएँ:** कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा जैसे **अमीर राज्य गरीब राज्यों की तुलना में उच्च डिजिटलीकरण** स्तर प्रदर्शित करते हैं।

CHIPS (कनेक्ट-हार्नेस-इनोवेट-प्रोटेक्ट-सस्टेन):

- SIDE 2024 में प्रस्तुत CHIPS (कनेक्ट-हार्नेस-इनोवेट-प्रोटेक्ट-सस्टेन) ढाँचा, परिणामों और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डिजिटलीकरण को मापने के लिये एक व्यापक **दृष्टिकोण प्रदान** करता है।
- इंटरनेट पहुँच पर ज़ोर देने वाले पारंपरिक सूचकांकों के विपरीत, CHIPS ढाँचे में **5 स्तंभ (कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट, सस्टेन) और 50 संकेतक शामिल हैं, जो राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों** पर तुलना को सक्षम बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

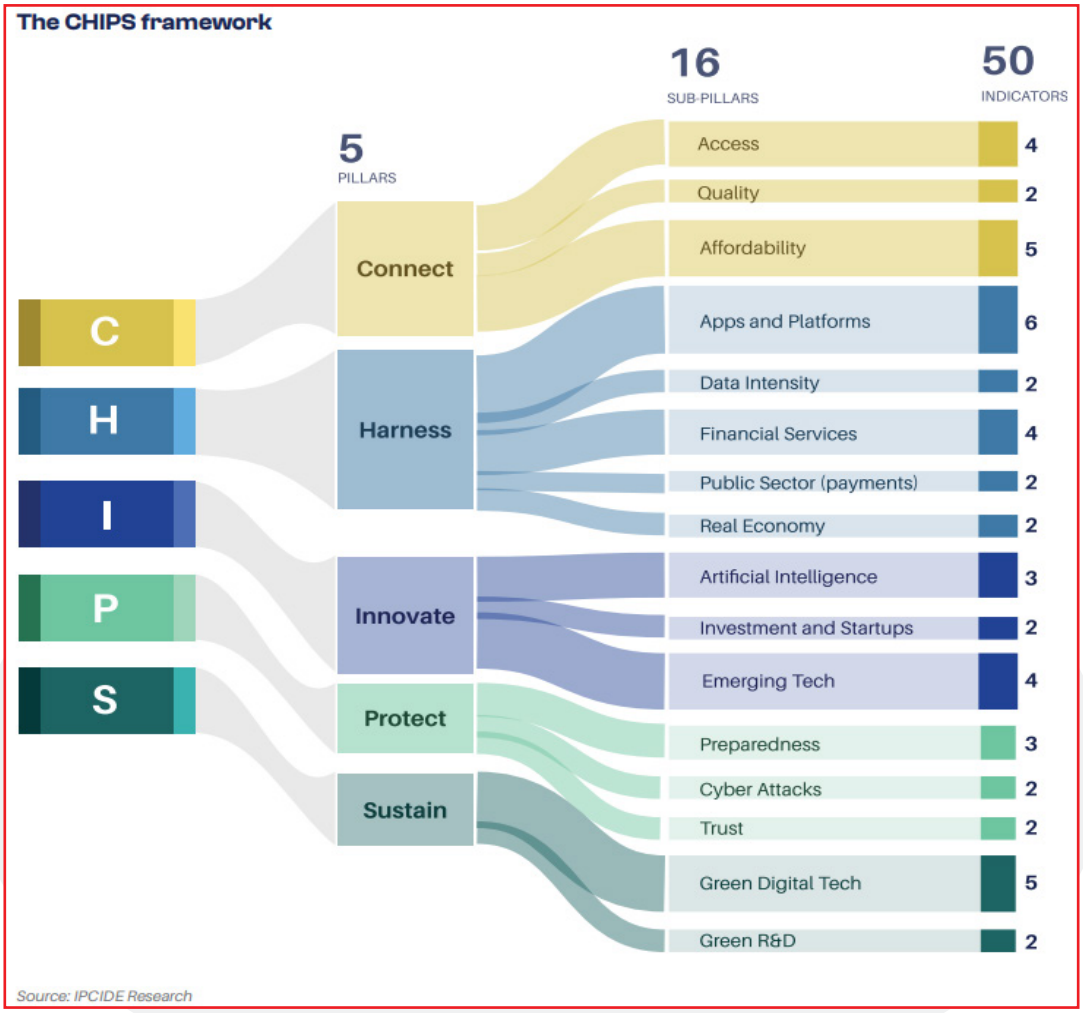

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालक कौन-से हैं?

- **डिजिटल अवसंरचना का विस्तार:** भारत की डिजिटल अवसंरचना शहरी-ग्रामीण विभाजन के अंतर को कम कर रही है तथा एक जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है।
  - ❖ **भारतनेट** जैसी पहल **ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट** प्रदान कर रही है, जबकि **5जी रोलआउट द्वारा विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स** , फिनटेक और आईटी सेवाओं को बढ़ा दिया जा रहा है।
  - ❖ **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** जैसे कार्यक्रम **छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाज़ार में प्रवेश करने में** सक्षम बना रहे हैं ।
- **स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच:** किफायती **स्मार्टफोन और कम लागत वाले डेटा** ने भारत को मोबाइल-प्रथम अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है, जिससे **ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और मनोरंजन** तक पहुँच बढ़ गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन द्वारा भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन दिया जा रहा हैं।

- **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC):** भारत में **विश्व के 55% GCC स्थित हैं, जो सूचना प्रद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास** तथा **व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन** जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और इनोवेशन:** भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजिटल इनोवेशन का एक प्रमुख चालक है। **स्टार्ट-अप इंडिया** जैसी पहल और महत्त्वपूर्ण फंडिंग से टेक स्टार्टअप्स को बाज़ार की विशेष आवश्यकताओंकी पूर्ति करने में सहायता मिली है।
  - ❖ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, **वर्ष 2024 में भारतीय स्टार्टअप्स को 30.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण** प्राप्त हुआ।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन: UPI** और **जन धन खाते** जैसे कार्यक्रमों से भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, **वित्तीय समावेशन** में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं।
  - ❖ अक्तूबर 2024 में UPI के माध्यम से 16.58 बिलियन लेनदेन के साथ कुल 23.49 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।

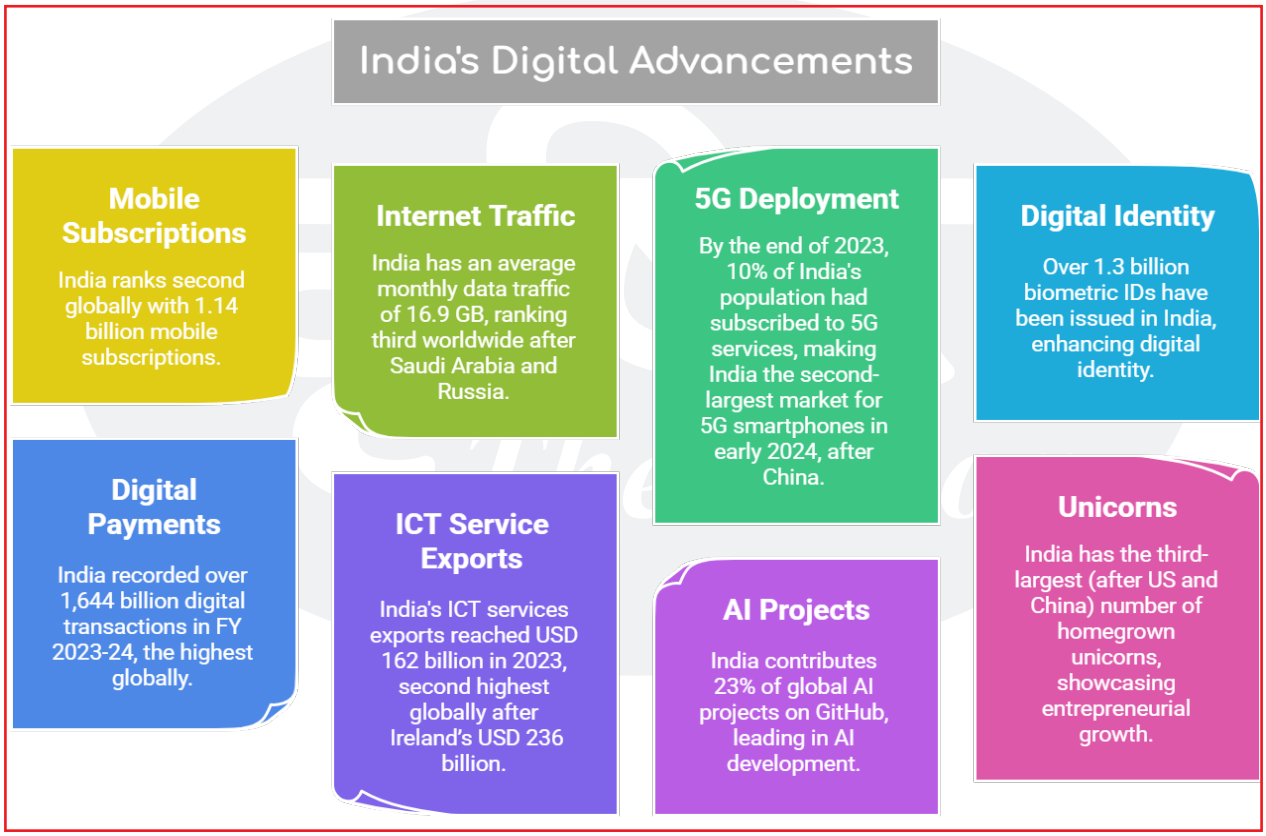

निष्कर्ष

भारत की **डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और रोज़गार** की दृष्टि से एक प्रमुख चालक है। **डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के साथ-साथ** पारंपरिक क्षेत्रों में आए डिजिटल परिवर्तनों से उद्योगों का रूपांतरण हो रहा है और रोज़गार के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। डिजिटल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

साक्षरता में वृद्धि, **उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वीकरण और रोज़गार की संभावनाओं के विस्तार** के साथ, भारत डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी देश की भूमिका निभाने हेतु उपयुक्त स्थिति में है, जिससे संधारणीय और समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी पहल

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिये लगभग **1 लाख करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं।

- वित्त वर्ष 2026 के बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा **वित्त वर्ष 2025 के 1.9%** से मामूली रूप से **बढ़कर 1.97%** हो गया, लेकिन समग्र स्वास्थ्य आवंटन बजट के 2% से कम रहा।
- **आर्थिक समीक्षा (EC) 2024-25** और **केंद्रीय बजट 2025-26** में देश में **स्वास्थ्य को बढ़ावा देने** के लिये कई उपायों की सिफारिश की गई और घोषणा की गई।
- कई घोषणाओं में से प्रमुख घोषणा **डेकेयर कैंसर सेंटर** की स्थापना है।

नोट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सिफारिश की गई है कि **स्वास्थ्य व्यय को** सकल घरेलू उत्पाद के **1.15% (2017)** से बढ़ाकर **2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% किया जाए।**

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये कौन-से उपाय सुझाए गए हैं तथा घोषित किये गए हैं?

- **UPF पर कर लगाना: आर्थिक समीक्षा 2024-25 ने मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के साथ संबंधों का हवाला देते हुए,** उनकी खपत को रोकने के लिये **अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF)** पर '**स्वास्थ्य कर**' का प्रस्ताव दिया है।
  - **UPF की अधिक खपत भारत के विश्व में मधुमेह का केंद्र** बनने का मुख्य कारण है, जहाँ **101 मिलियन से अधिक** लोग इससे प्रभावित हैं।
- **कैंसर देखभाल विस्तार:** सरकार ने **वित्त वर्ष 2026** तक प्रत्येक ज़िले में **कैंसर देखभाल केंद्र** और स्थानीय **कीमोथेरेपी और उपचार के लिये वित्त वर्ष 2025-26 तक 200 नए डेकेयर कैंसर केंद्र** स्थापित करने की योजना बनाई है।
- **जीवन रक्षक दवाओं में छूट:** बजट में **36 जीवन** रक्षक दवाओं को **सीमा शुल्क (BCD)** से छूट दी गई है, जिससे लागत कम हो जाएगी, जबकि फार्मा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे **रोगी सहायता कार्यक्रम (PAP)** शुल्क मुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना जारी रखेंगे।
  - BCD एक **अप्रत्यक्ष कर** है, जो भारत में आयातित **सभी वस्तुओं** पर लगाया जाता है।
  - PAP उन लोगों की **सहायता करते हैं जिनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है,** वे दवाइयों की पूरी **लागत को कवर** करते हैं या दवाओं पर छूट प्रदान करते हैं।
- **गिग वर्कर्स के लिये एबी पीएम-जेएवाई:** एबी पीएम-जेएवाई **का विस्तार** लगभग **1 करोड़ गिग वर्कर्स** को कवर करने के लिये किया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिये ID कार्ड के साथ **ई-श्रम पोर्टल** पर पंजीकृत किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना और जनशक्ति:** स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किये जाने और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु वार्षिक रूप से **3,00,000 स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु पाँच कौशल केंद्र** स्थापित किये जाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)** के लिये 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- **महिला एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल:** **बाल पोषण** और **टीकाकरण हेतु वित्त पोषण में वृद्धि** के साथ **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** के अंतर्गत **मातृ स्वास्थ्य** कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा।
  - अधिक **आँगनवाड़ी केंद्रों** को **डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली** से उन्नत किया जाएगा।
- **भैषजिक अनुसंधान:** सरकार ने भैषजिक अथवा फार्मास्युटिकल विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** के लिये **2,445 करोड़ रुपए** आवंटित किये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **मानसिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन:** समग्र भारत में **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं** का विस्तार किये जाने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम** हेतु निधि का आवंटन किया गया।
- **चिकित्सा पर्यटन:** सरकार भारत के चिकित्सा पर्यटन बाज़ार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिकित्सा पर्यटकों के लिये **वीज़ा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने की योजना** बना रही है। वर्ष 2024 में भारत के चिकित्सा पर्यटन बाज़ार का मूल्य **7.56-10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
  - चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये **वर्ष 2023** में "हील इन इंडिया" पहल शुरू की गई थी।

नोट:

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** की वर्ष 2023 की **रिपोर्ट** के अनुसार **भारत का UPF** व्यय वर्ष **2006 में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर** था **वर्ष 2019 में बढ़कर 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया, जिसमें खुदरा बिक्री (वर्ष 2011 से वर्ष 2021) में **13.7% की वृद्धि** हुई है।
- **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23** के अनुसार **UPF** हेतु **ग्रामीण** क्षेत्रों के घरेलू खाद्य बजट में **9.6%** और **शहरी** क्षेत्रों के घरेलू खाद्य बजट में 10.64% का व्यय किया जाता है।
- ब्राज़ील, कनाडा, चिली, फ्राँस, मैक्सिको, इज़रायल, पेरू, यूनाइटेड किंगडम और उरुग्वे जैसे देश UPF की लेबलिंग और विपणन प्रतिबंधों के लिये **न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल (NPM)** का उपयोग करते हैं।
  - NPM के अंतर्गत पोषक तत्त्वों के आधार पर **खाद्य पदार्थों** की रेटिंग की जाती है, **ताकि स्वस्थ विकल्पों** और **स्वास्थ्य हेतु हानिप्रद विकल्पों की पहचान** की जा सके।
- **डेनमार्क ने वर्ष 2011** की शुरुआत में ही **संतृप्त वसा पर कर** लागू कर दिया था, जबकि **मैक्सिको ने** शर्करा युक्त पेय और जंक फूड पर अधिभार लगाया था।

क्लिक टू रीड: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ क्या हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं ?

UPF की खपत में कमी लाने हेतु आर्थिक समीक्षा 2024-25 में क्या अनुशंसाएँ की गईं?

- **स्पष्ट विनियमन:** इसमें स्पष्ट **UPF परिभाषाओं** और लेबलिंग मानकों सहित **सख्त FSSAI विनियमनों** की अनुशंसा की गई।
- **कड़ी निगरानी: स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और भ्रामक दावों को रोकने** के लिये ब्रांडेड उत्पादों की **कड़ी निगरानी** किया जाने का सुझाव दिया गया।
- **उन्नत उपभोक्ता संरक्षण: अतिरंजित विपणन**, विशेष रूप से **बच्चों और किशोरों को लक्षित करने वाले विपणन** की रोकथाम करने हेतु कानूनों का सुदृढ़ीकरण कर्ण एकी आवश्यकता है।
- **उच्च कराधान:** उपभोग को हतोत्साहित करने और लोक स्वास्थ्य पहलों को वित्तपोषित करने के लिये **व्यापक मात्रा में विपणन किये गए UPF पर उच्च कर** अधिरोपित किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** विशेष रूप से बच्चों के लिये, UPF के स्वास्थ्य जोखिमों, जिनमें **मोटापा, मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी रोग** शामिल हैं, के बारे में **शैक्षिक अभियान** शुरू किये जाने चाहिये।

डेकेयर कैंसर सेंटर क्या है?

- **परिचय:** डेकेयर कैंसर सेंटर एक कैंसर क्लिनिक है जो ऐसे रोगियों के लिये **एक दिन में कीमोथेरेपी की सुविधा** प्रदान करता है जिन्हें **त्वरित उपचार** की आवश्यकता होती है और जिन्हें **रात भर अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है।**
  - सरकार की योजना **वर्ष 2025-26 तक भारत के 759 ज़िला अस्पतालों में 200 केंद्र** स्थापित करने की है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **ज़िला स्तर पर कैंसर देखभाल** को बढ़ाना, **महानगरीय अस्पतालों** पर **बोझ** कम करना है, और यह **उच्च उपचार लागत और लंबी यात्रा दूरी का सामना** करने वाली ग्रामीण आबादी के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **महत्त्व:** ये केंद्र कैंसर देखभाल की सुलभता में सुधार के लिये **कीमोथेरेपी, दवाएँ, बायोप्सी और जटिलता प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेंगे।
- **चिंताएँ:**
  - **सेवा स्पष्टता का अभाव: रेडियोथेरेपी** जैसे उन्नत उपचारों की अनुपस्थिति के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं , जिसके लिये **उपकरणों में उच्च निवेश की आवश्यकता** होती है।
  - **बुनियादी ढाँचे की समस्या:** कई ज़िला अस्पतालों में **बायोप्सी सेवाओं का अभाव** है, और कुछ मेडिकल कॉलेज **कैंसर का उपचार उपलब्ध नहीं कराते,** जिससे इन केंद्रों के प्रबंधन की उनकी क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है।
  - **विश्वास संबंधी मुद्दे:** मरीज़ कैंसर के उपचार के लिये **ज़िला-स्तरीय केंद्रों पर भरोसा करने में अनिच्छुक** हो सकते हैं, तथा **एम्स** जैसे स्थापित अस्पतालों को प्राथमिकता दे सकते हैं।
  - **कार्यबल की कमी:** छोटे ज़िलों में **प्रशिक्षित कैंसर विशेषज्ञों** को आकर्षित करने के बारे में चिंताएँ हैं, जिनके लिये **प्रतिस्पर्द्धी वेतन और प्रोत्साहन** की आवश्यकता हो सकती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं** और **नौ में से एक** व्यक्ति को कैंसर होने की आशंका है।
  - इन केंद्रों से **मरीजों की बढ़ती संख्या कम होगी** और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार सुलभता में सुधार होगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिये **कैंसर देखभाल विस्तार और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) पर कराधान** सहित प्रमुख स्वास्थ्य उपाय प्रस्तुत किये गए हैं। यद्यपि इन पहलों का उद्देश्य **पहुँच और सामर्थ्य** में सुधार लाना है, फिर भी **बुनियादी ढाँचे, कार्यबल और सार्वजनिक विश्वास** जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. प्रस्तावित कैंसर डे-केयर सेंटरों के महत्त्व और उनके कार्यान्वयन में शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

भारत में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों?

भारत का **डिजिटल बुनियादी ढाँचा** तेज़ी से विकसित हुआ है, जिसने **वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 11.74%** का योगदान दिया है और **वर्ष 2029-30 तक सकल घरेलू उत्पाद के 20% तक पहुँचने का अनुमान** है।

- इस वृद्धि को और तेज करने के लिये, **केंद्रीय बजट 2025-26** में AI बुनियादी ढाँचे और कौशल निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिये **इंडिया AI मिशन** के लिये **2,000 करोड़ रुपए** मंजूर किये गए हैं।

भारत के डिजिटल अवसंरचना विकास में प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** UPI को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, यह अब **वैश्विक वास्तविक समय लेनदेन के 49% को संचालित करता है** (ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024)।
  - डिजिटल लेन-देन **707.93 करोड़ रुपए (वर्ष 2016)** से बढ़कर **23.24 लाख करोड़ रुपए (वर्ष 2024)** हो गया, जिसमें भाग लेने वाले बैंकों की संख्या **35 से बढ़कर 641** हो गई। इसका विस्तार **UAE, सिंगापुर और फ्राँस** सहित **7 देशों** तक हो गया है।
- **इंटरनेट अवसंरचना:**
  - **टेलीफोन कनेक्शन** 933 मिलियन (वर्ष 2014) से बढ़कर **1,188.70 मिलियन (वर्ष 2024)** हो गए।
    - **इंटरनेट कनेक्शन** 25.15 करोड़ (वर्ष 2014) से बढ़कर **96.96 करोड़ (वर्ष 2024)** हो गए, जो **285% की वृद्धि** है।
    - **ब्रॉडबैंड की पहुँच** 1,452% बढ़कर 6.1 करोड़ (वर्ष 2014) से **94.92 करोड़ (वर्ष 2024)** हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ग्राम पंचायतों को किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2011 में शुरू की गई भारतनेट योजना के तहत वर्ष 2025 तक 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, **6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर** केबल बिछाई जाएगी तथा **1.04 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट** स्थापित किये जाएंगे।

- **आधार: वर्ष 2009** में शुरू किया गया आधार बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा को जोड़ने वाला एक डिजिटल पहचान प्रणाली है। इसने **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण**, वित्तीय समावेशन और **भ्रष्टाचार को** कम करने में मदद की है।
  - **मार्च, 2023** तक **136.65 करोड़ आधार कार्ड** जारी किये जा चुके थे। आधार **फेस ऑथेंटिकेशन ने 100 करोड़ लेनदेन (जनवरी 2025)** को पार कर लिया तथा **ई-केवाईसी लेनदेन 0.01 करोड़ (2014)** से बढ़कर **1,470.22 करोड़ (2023)** हो गया।

- **डिजिलॉकर और उमंग: वर्ष 2015** में लॉन्च किया गया डिजिलॉकर, डिजिटल दस्तावेज़ों तक सुरक्षित पहुँच प्रदान करता है, जिससे भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - **फरवरी, 2025** तक, इसके **46.52 करोड़ उपयोगकर्त्ता हैं, वार्षिक साइनअप 9.98 लाख (2015)** से बढ़कर **2025.07 लाख (2024)** हो गया है।
  - ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत करने के लिये लॉन्च की गई **उमंग ऐप के वर्ष 2024 में 7.34 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्त्ता होंगे**, जो **वर्ष 2017** में 0.25 लाख थे।

- **ONDC और GeM: ONDC** (2022 में लॉन्च) निष्पक्ष ई-कॉमर्स प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है, जिससे **MSME** को लाभ होता है। **दिसंबर, 2024** तक, इसका विस्तार **616+ शहरों** तक हो गया, जिसमें 7.64 लाख विक्रेता तथा **154.4** मिलियन ऑर्डर थे।
  - **वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया GeM, वित्त वर्ष 2024-25 में 4.09 लाख करोड़ रुपए के GMV** के साथ सरकारी खरीद को सुव्यवस्थित करता है, **1.6 लाख खरीदारों** और **22.5 लाख** विक्रेताओं को समर्थन प्रदान करता है, छोटे उद्यमों के लिये पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ावा देता है।

- **भाषिणी: भाषिणी** ने 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में डिजिटल पहुँच को बढ़ाया है, मासिक **100 मिलियन से अधिक अनुमान लगाने की सुविधा प्रदान की है** तथा **500,000 से अधिक ऐप डाउनलोड किये गए हैं**, जिससे समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा मिला है, जिससे भाषाई विभाजन के अंतर को कम किया जा रहा है।

इंडियाAI मिशन क्या है?

- **परिचय:** इंडियाAI मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य **AI में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा** देने हेतु एक **व्यापक AI इकोसिस्टम** का निर्माण करना है।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना, डेटा गुणवत्ता बढ़ाना और AI मॉडल को परिष्कृत बनाना, स्वदेशी AI प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं शासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर **एक सुदृढ़ AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण** करना है।
  - इस मिशन के अंतर्गत **AI स्टार्टअप्स की सहायता करने, प्रतिभा को आकर्षित करने और नैतिक AI प्रथाओं को सुनिश्चित करने** का भी कार्य किया जाता है।

- **बजटीय आवंटन: वर्ष 2025-26** के लिये इस मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जो योजना के कुल परिव्यय का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है।

- **प्रमुख घटक:**
  - **AI उत्कृष्टता केंद्र:** इसका उद्देश्य शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिये पाठ्यक्रम में AI प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसके लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में घोषित कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों में 3 AI केंद्रों को मिलने वाली सहायता जारी रहेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इंडियाAI इनोवेशन सेंटर
- इंडियाAI डेटासेट प्लेटफॉर्म
- इंडियाAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल
- इंडियाAI फ्यूचर स्किल्स
- इंडियाAI स्टार्टअप फाइनेंसिंग
- सुरक्षित और विश्वसनीय AI

निष्कर्ष:

भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे से आर्थिक विकास, शासन दक्षता और वित्तीय समावेशन को व्यापक बढ़ावा मिला है। इस प्रगति को बनाए रखने और **वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत'** लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, **साइबर सुरक्षा का उन्नयन** किये जाने, **5G का विस्तार करने** और **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा** देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देश की डिजिटल क्षमताओं का पूर्णतम उपयोग कर, भारत सतत् विकास को आगे बढ़ा सकता है, सेवा वितरण में सुधार कर सकता है और डिजिटल युग में नागरिकों का सशक्तीकरण कर सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. इंडियाAI मिशन के उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं? इसके अंतर्गत भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य को किस प्रकार रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

CSS और राजकोषीय संघवाद

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने पिछले हस्तांतरणों से **1.6 लाख करोड़ रुपए** की **अप्रयुक्त धनराशि** पाए जाने के बाद, **वर्ष 2025-26** के लिये राज्यों को **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)** के लिये व्यय में **91,000 करोड़ रुपए (योजनाओं के लिये बजट अनुमान का 18%) की कटौती** की है।

- कई राज्यों ने इस निर्णय को **राजकोषीय संघवाद के विपरीत** बताया है और **अनुच्छेद 282 की व्यवहार्यता** पर सवाल उठाए हैं।

अनुच्छेद 282 क्या है?

- **परिचय:** यह **संघ और राज्यों** दोनों को **किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य** के लिये अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह उद्देश्य उनके **विधायी क्षेत्राधिकार से बाहर** हो।
  - **कर हस्तांतरण (अनुच्छेद 270 और 275)** के विपरीत, **अनुच्छेद 282** के तहत अनुदान **विवेकाधीन** है और **वित्त आयोग (FC)** की सिफारिशों से बाध्य **नहीं** है।
  - प्रारंभ में **अप्रत्याशित आकस्मिकताओं** के लिये इसका उपयोग किया गया था, तथा बाद की केंद्र सरकारों ने इसका उपयोग CSS को लागू करने के लिये किया।
    - **अनुच्छेद 270 और 275** के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा।
- **न्यायिक दृष्टिकोण:** ***भीम सिंह मामले, 2010*** में, **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **FC सिफारिशों (अनुच्छेद 275)** से परे भी, **अनुच्छेद 282** के तहत विवेकाधीन अनुदान प्रदान करने की **केंद्र की शक्ति** को बरकरार रखा।
  - **संसद की विधायी क्षमता से परे विषयों** के लिये भी अनुदान दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे **सार्वजनिक उद्देश्य** की पूर्ति करते हों।
  - ***राम जवाया कपूर मामले, 1955*** का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **भारत की संचित निधि (CFI)** से व्यय को अधिकृत करने वाले **विनियोग अधिनियम, अनुच्छेद 282** के तहत अनुदान को कानूनी रूप से उचित ठहराते हैं।

CSS राजकोषीय संघवाद को कैसे चुनौती देता है?

- **विवेकाधीन CSS वित्तपोषण: अनुच्छेद 282** के तहत संघ या राज्य किसी भी **सार्वजनिक उद्देश्य** के लिये धन दे सकते हैं, भले ही उनके पास इस पर विधायी अधिकार न हो।
  - **नीति आयोग** 2015 (पूर्ववर्ती **योजना आयोग** की तरह, जो संवैधानिक दर्जा न होने के बावजूद अनुदानों का मार्गदर्शन करता था), CSS डिजाइन को प्रभावित करना जारी रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण:** CSS में **निधि उपयोग की शर्तें सख्त हैं,** जिससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अपनाने में **लचीलापन सीमित** हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **पोषण अभियान** के अंतर्गत राज्य लक्ष्य समूहों या प्रमुख पोषण संकेतकों में परिवर्तन नहीं कर सकते।
- **संसाधन-व्यय विषमता:** **15वें वित्त आयोग (2021-26)** में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि केंद्र के पास **63% संसाधन हैं लेकिन इसके द्वारा 38% व्यय किया जाता है,** जबकि **राज्यों के पास शेष 37% है लेकिन वे 62% व्यय वहन करते हैं।**
  - इससे राज्यों की **CSS निधियों पर निर्भरता बढ़ जाती है** तथा राज्य-विशिष्ट पहलें सीमित हो जाती हैं।
- **प्राथमिकता संबंधी मुद्दे:** CSS निधियों के लिये राज्यों को **समतुल्य अनुदान** उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जिससे इनके सनसाधनों का राज्य-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से इतर अन्य क्षेत्रों में व्यव हो जाता है।
- **सहकारी संघवाद के लिये खतरा:** संविधान सभा बहस के दौरान, **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने **संघ और राज्यों के बीच समान भागीदारी** पर ज़ोर दिया था लेकिन विवेकाधीन CSS अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता से **सहकारी संघवाद** का संवैधानिक अभिप्राय प्रभावित होता है।
  - उदाहरण के लिये, CSS दिशा-निर्देशों में **केंद्रीय नेतृत्व** को उजागर करने और केंद्रीय नियंत्रण को मज़बूत करने के लिये **"ब्रांडिंग"** को **अनिवार्य** किया गया हैं।
- **संघ की नीतियों का विस्तार:** राज्यों को नियंत्रित करने के लिये **राजनीतिक साधन** के रूप में CSS का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये, वित्त मंत्रालय के वर्ष **2022 के दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के इच्छुक राज्यों के लिये 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** शामिल था, जिसका कई राज्यों ने विरोध किया था।
- **CSS फंडिंग का प्रसार:** CSS फंड रिलीज़ वर्ष 2014-15 में कुल अंतरण के **7.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47% हो गया,** जिससे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण में कमी आई।
  - **संविधान की सातवीं अनुसूची** के विपरीत, कई CSS का कार्यक्षेत्र **राज्य सूची** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विस्तारित है, जिससे राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण होता है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

- **परिचय:** CSS को केंद्र और राज्यों द्वारा **संयुक्त रूप से वित्त पोषित** किया जाता है, **राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है** और इसके तहत संविधान की **राज्य और समवर्ती सूचियों** के अंतर्गत क्षेत्रों को कवर किया जाता है।
  - चूँकि **केंद्र सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन** हैं इसलिये इन योजनाओं से **राज्य सरकारों के प्रयासों को अतिरिक्त सहायता** मिलती है।
  - राज्यों को केंद्रीय सहायता योजनाओं के लिये सभी अंतरण **राज्य की समेकित निधि** के माध्यम से किये जाते हैं।
- **प्रकार: CSS को तीन मुख्य श्रेणियों** में विभाजित किया गया है :
  - **कोर ऑफ द कोर स्कीम:** ये योजनाएँ सामाजिक समावेशन और संरक्षण के लिये **सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये, मनरेगा।**
  - **कोर स्कीम:** ये योजनाएँ **कृषि, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास** जैसे **विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।**
    - उदाहरणार्थ, **मध्यान्ह भोजन योजना** (स्कूल पोषण कार्यक्रम), **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (ग्रामीण सड़कें) आदि।
  - **ऑप्शनल स्कीम:** इसके अंतर्गत राज्य अपनी इच्छानुसार योजनाओं का चयन कर सकते हैं।
    - उदाहरण: **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** आदि।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वित्तपोषण स्वरूप:** केंद्र अपने बजट का लगभग 12% CSS **को आवंटित करता है**, जिसमें **विभिन्न** केंद्र-राज्य अनुपातों में वित्तपोषण साझा किया जाता है:
  - 60:40 (अधिकांश योजनाएँ)
  - 80:20 (विशेष योजनाएँ)
  - 90:10 (पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्यों के लिये)
- **केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के बीच अंतर:**

विशेषता	केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS)	केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ
कार्यान्वयन	राज्य सरकारों द्वारा	केंद्र सरकार द्वारा
वित्तपोषण स्रोत	साझा वित्तपोषण (केंद्र एवं राज्य)	केंद्र द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित
उदाहरण	MGNREGA, PMAY, स्वच्छ भारत मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, PM-किसान

आगे की राह

- **अनुच्छेद 282 पर न्यायिक स्पष्टता:** सर्वोच्च न्यायालय को **यह मूल्यांकन करना चाहिये** कि क्या **CSS से संघीय संतुलन** पर प्रभाव पड़ता है तथा उन विशेष परिस्थितियों को स्थापित करना चाहिये जिनके अंतर्गत **विवेकाधीन अनुदानों** का उपयोग किया जा सकता है।
- **CSS का युक्तिकरण: समान CSS को प्रभावी अम्ब्रेला योजनाओं** में विलय करने के साथ अप्रभावी योजनाओं को समाप्त करने के क्रम में **नियमित प्रभाव आकलन** करना चाहिये।
- **वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा:** राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने के क्रम में **निधि-साझाकरण पैटर्न को** संशोधित (विशेष रूप से **सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये**) करना चाहिये और **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)** बंद होने के बाद पिछड़े क्षेत्रों के लिये समर्थन को बहाल करना चाहिये।
- **सहकारी संघवाद को मज़बूत करना: अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग** के माध्यम से नियमित **केंद्र-राज्य परामर्श** पर ध्यान देना चाहिये तथा **राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार CSS को अनुकूलित करने** में अधिक लचीलापन प्रदान करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में राजकोषीय संघवाद पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के प्रभाव की चर्चा कीजिये। अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

फ्रीबीज़ और कल्याण के बीच संतुलन

चर्चा में क्यों?

राजनीतिक दलों के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिये **फ्रीबीज़ या सब्सिडी** का वादा करने का प्रचलन (जैसा कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखा गया है) बढ़ रहा है।

- **फ्रीबीज़** या **"रेवड़ी संस्कृति"** पर बहस होती रहती है - कुछ लोग इन्हें **विकास के लिये हानिकारक** मानते हैं जबकि **अन्य इन्हें सामाजिक-आर्थिक प्रगति** के लिये आवश्यक मानते हैं।
- RBI द्वारा 'फ्रीबीज़' को "नि:शुल्क प्रदान किये जाने वाले सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय" के रूप में परिभाषित किया गया है।

फ्रीबीज़ सामाजिक-आर्थिक प्रगति में किस प्रकार सहायक है?

- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं को नकद हस्तांतरण से **वित्तीय स्वतंत्रता,** निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि के साथ **तत्काल आवश्यकताओं** के लिये परिवार के सदस्यों पर **निर्भरता कम** होती है।
- **मानव क्षमताओं में वृद्धि: नि:शुल्क भोजन एवं स्वास्थ्य बीमा** जैसी कल्याणकारी योजनाएँ अमर्त्य सेन के **"क्षमता दृष्टिकोण"** के अनुरूप हैं जिससे **गरिमा, प्रतिरक्षा** में वृद्धि होने के साथ स्वास्थ्य देखभाल का बोझ कम होता है।
- **उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा मिलना:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से मांग को बढ़ावा मिलता है तथा **क्रय शक्ति** में वृद्धि होती है और व्यय में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **गरीबी उन्मूलन:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मध्याह्न भोजन जैसी खाद्य सुरक्षा योजनाएँ बुनियादी जीविका सुनिश्चित करने के साथ **गरीबी को कम करने में भूमिका** निभाती हैं।
  - ❖ लक्षित कल्याणकारी उपाय **अमीर और गरीब के बीच अंतराल** को कम करने के साथ **समावेशी विकास** को बढ़ावा देते हैं।
- **दीर्घकालिक लाभ:** खराब स्वास्थ्य, व्यक्तिगत पीड़ा का कारण बनता है एवं स्वास्थ्य सेवा की मांग में वृद्धि से लोक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पोषण में शुरुआती निवेश से व्यक्तियों तथा समाज को **दीर्घकालिक लाभ** होता है।

फ्रीबीज़ विकास के लिये किस प्रकार अहितकर हो सकती हैं?

- **राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी:** फ्रीबीज़ अथवा नि:शुल्क सुविधाओं पर आधारित व्यय से राजकोषीय बोझ बढ़ता है, जिससे राज्यों के राजस्व अधिशेष में कमी आती है।
- **उदाहरण के लिये, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2024-25 की अवधि** में दिल्ली का राजस्व अधिशेष 35% कम हो गया।
- **उच्च सब्सिडी व्यय:** RBI ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित सब्सिडी के कारण बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की निधि अन्य क्षेत्रों में उपयोजित होती है **तथा नई नि:शुल्क सुविधाओं के कारण** वार्षिक लागत में **10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी** होती है।
- **कर का बढ़ता बोझ:** सरकारें **बढ़ते सरकारी व्यय को पूरा करने के लिये करों में वृद्धि कर सकती हैं,** जिससे संभावित रूप से प्रयोज्य आय कम हो सकती है और **मध्यम वर्ग की खपत प्रभावित हो सकती है।**
- **निवेश में कमी:** नि:शुल्क सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय से उपलब्ध संसाधन प्रभावित हो सकते हैं तथा राज्यों की महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के निर्माण की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **संभाव्य ऋण चूक जोखिम:** प्रभावित राजकोषीय स्थिति से राज्यों की **उधार लेने की क्षमता प्रभावित होती है** तथा **ऋण चुकौती की उच्च लागत** से ऋण चूक जोखिम बढ़ सकता है।
  - ❖ इससे **मांग में वृद्धि नहीं हो सकती,** क्योंकि लोग इस आशय के साथ वर्तमान में **अधिक बचत** करते हैं भविष्य के करों से सरकारी उधारी की लागत की भरपाई हो जाएगी **(रिकार्डियन समतुल्यता)**।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकृत होना:** कुछ व्यक्ति का यह तर्क है कि नि:शुल्क सुविधाएँ **रिश्वतखोरी के समान होती हैं** और मतदाताओं को **उचित निर्णय लेने** से हतोत्साहित करती हैं।

फ्रीबीज़ से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है?

- ***एस. सुब्रमण्यम बालाजी केस, 2013:*** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि नि:शुल्क सुविधाएँ **विधायी नीति के अंतर्गत आती हैं** और **न्यायिक जाँच से बाहर हैं।** इसमें इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि कुछ नि:शुल्क वस्तुएँ/सुविधाएँ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (DPSP) के अनुरूप हैं।
- **नि:शुल्क सुविधाओं पर विशेषज्ञ पैनल:** वर्ष 2022 में, एक लोकहित वाद में दावा किया गया कि नि:शुल्क सुविधाओं से **स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रभावित होते हैं** तथा हितधारकों की सिफारिशें एकत्र करने हेतु एक **विशेषज्ञ पैनल** का प्रस्ताव रखा गया।

नि:शुल्क सुविधाएँ कल्याणकारी योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं ?

मानदंड	नि:शुल्क सुविधाएँ	कल्याणकारी योजनाएँ
संकल्पनात्मक भेद	प्राय: **राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से** नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली वस्तुएँ या सेवाएँ।	**सामाजिक और आर्थिक उत्थान** के लिये सरकारी पहल।
मेरिट बनाम नॉन-मेरिट गुड्स	नॉन-मेरिट गुड्स जैसे **टीवी, लैपटॉप, मिक्सर ग्राइंडर** और नकद सहायता।	**शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा** और ग्रामीण रोज़गार जैसी मेरिट गुड्स।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	इससे **अल्पावधि लाभ** मिलता है, लेकिन संरचनात्मक आर्थिक सुधार का अभाव होता है।	गरीबी कम होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, और **उत्पादकता बढ़ती** है।
राजकोषीय स्थिरता	इससे **अत्यधिक उधारी** और राजस्व घाटा हो सकता है।	आर्थिक समावेशन के लिये **नीतिगत समर्थन** के साथ बजट तैयार किया गया।
राजनीतिक प्रेरणाएँ	प्राय: **मतदाताओं को प्रभावित करने** के लिये चुनाव से पहले वितरित किया जाता है।	दीर्घकालिक नीति नियोजन के साथ **संरचनात्मक विकास** पर लक्ष्य।
कार्यान्वयन चुनौतियाँ	**अविवेकपूर्ण** तरीके से वितरित किया जाता है, जिससे कभी-कभी **गैर-जरूरतमंद वर्ग को भी लाभ** पहुँचता है।	**असमानताओं को दूर करने** के लिये आवश्यक।
जवाबदेही और शासन	**पारदर्शिता का अभाव,** जिसके कारण वित्तीय कुप्रबंधन होता है।	**राजकोषीय योजना, समन्वय और निरीक्षण** के अधीन।

नोट:

- **मेरिट गुड्स** वे वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जिनके **सकारात्मक बाह्यताएँ** होती हैं, जिसका अर्थ है कि **वे न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुँचाती हैं।** जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा आदि।
- **डिमेरिट गुड्स** वे वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जिनके **उपभोग से** उपभोक्ता और समाज के अन्य लोगों पर **नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है। **उदाहरणार्थ, शराब।**

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: फ्रीबीज़ वस्तुओं पर नैतिक परिप्रेक्ष्य क्या है ?

आगे की राह

- **राजकोषीय सुधार:** अनियंत्रित राजकोषीय व्यय को रोकने के लिये **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003** को मज़बूत बनाया जाएगा।
  - ❖ स्थायी सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिये **समयबद्ध एवं लक्षित सब्सिडी** लागू करना।
- **कल्याण और फ्रीबीज़ सुविधाओं को परिभाषित करना:** सामाजिक उपयोगिता, दीर्घकालिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता को मानदंड के रूप में उपयोग करते हुए, **आवश्यक कल्याण को चुनावी फ्रीबीज़ सुविधाओं से अलग करने** के लिये नीतिगत दिशा-निर्देशों को परिभाषित करना।
- **संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना: सार्वजनिक व्यय की निगरानी** के लिये वित्तीय नियामकों को मज़बूत करना तथा **ऑफ-बजट उधारी** और **प्रच्छन्न सब्सिडी** (जैसे, विद्युत् की कम कीमत) पर नज़र रखना।
- **कल्याण और राजकोषीय विवेक में संतुलन:** आर्थिक स्थिरता के लिये **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार सृजन** पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी और सामाजिक योजनाएँ निर्भरता के बजाय क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में चुनावी फ्रीबीज़ योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर चर्चा कीजिये। वे कल्याणकारी योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

स्मार्ट सिटी मिशन

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **लॉन्च वर्ष:** 2015
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **नोडल मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)
- **लक्ष्य:** 100 स्मार्ट शहर विकसित करना
- **लक्ष्य वर्ष:** 2025 (प्रारंभ में 2020)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में

- **स्मार्ट सिटीज़ मिशन:** स्मार्ट **सिटीज़ मिशन 100 शहरों** में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।
  - **यह आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** जैसी प्रमुख शहरी आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए कुशल सेवाएं, आधुनिक बुनियादी ढांचे और टिकाऊ समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **उद्देश्य:** मिशन का उद्देश्य **बुनियादी ढांचा और जीवन की** अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना , **स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना** और **स्मार्ट समाधानों को लागू करना है** ।
  - इसका उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्रों का निर्माण करके **टिकाऊ** , समावेशी विकास करना है जो अन्य शहरों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम करेंगे।
- **वित्तपोषण तंत्र:** मिशन को मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **50:50 लागत-साझाकरण मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।**
  - केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए **₹48,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष ₹100 करोड़ मिलेंगे।** अतिरिक्त धन निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त किया जाता है:
- **अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण।**
- **नगरपालिका बांड और वित्तीय संस्थाओं से ऋण।**
- निजी निवेश आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) - स्मार्ट सिटीज़ मिशन की एक प्रमुख विशेषता, जो निजी क्षेत्र को शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देती है।
- **स्मार्ट सिटी परियोजना दृष्टिकोण:** मिशन शहरी विकास के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है:
- **क्षेत्र-आधारित विकास (एबीडी):** यह लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से शहरों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों को बदलने पर केंद्रित है। शहर निम्नलिखित मॉडलों में से एक को लागू करते हैं:
  - **रेट्रोफिटिंग:** शहरी दक्षता और जीवन-यापन क्षमता में सुधार के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं का उन्नयन।
  - **पुनर्विकास:** पुराने बुनियादी ढांचे को आधुनिक सुविधाओं और नवीन डिजाइनों से बदलना।
  - **ग्रीनफील्ड विकास:** स्मार्ट सुविधाओं के साथ पूरी तरह से नए शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना।
- **पैन-सिटी समाधान: इन समाधानों में प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों** का कार्यान्वयन शामिल है, जो **पूरे शहर में लागू होते हैं, तथा परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और शासन** जैसे क्षेत्रों में **समग्र दक्षता को बढ़ाते हैं** ।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी):** मिशन के कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक शहर ने एक **विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की है।**
  - एसपीवी को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।** राज्य / **केंद्र शासित प्रदेश और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) संयुक्त रूप से एसपीवी में 50:50 इक्विटी** रखते हैं । एसपीवी की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
    - स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की **योजना और मूल्यांकन।**
    - कार्यान्वयन के लिए **धनराशि स्वीकृत करना और जारी करना।**
    - परियोजना के निष्पादन और प्रभाव की **निगरानी और मूल्यांकन।**
- **शहरों का चयन:** मिशन के अंतर्गत शहरों का चयन **प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।**
  - विचार किए गए मानदंडों में शहरी जनसंख्या का आकार और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में **वैधानिक कस्बों की संख्या** जैसे कारक शामिल थे।
  - चयन प्रक्रिया ने देश भर में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्मार्ट शहरी समाधान विकसित करने में समान अवसर मिला।
- **एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र (ICCC): सभी 100 स्मार्ट शहरों** में ICCC की स्थापना की गई है, जो परिचालन तंत्रिका केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। ये केंद्र:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा, जल आपूर्ति और ऊर्जा उपयोग सहित **शहर के वास्तविक समय के कार्यों की निगरानी करें।**
- सूचित निर्णय लेने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डेटा एनालिटिक्स** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।
- **इसने कोविड-19 युद्ध कक्ष** के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महामारी प्रतिक्रिया और संसाधन आवंटन में सहायता की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

स्मार्ट सिटी मिशन की विशेषताएं क्या हैं?

- **स्मार्ट सिटी की विशेषताएं:**
- **कुशल कोर अवसंरचना: पर्याप्त जल आपूर्ति** और **24x7 बिजली की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
  - **स्मार्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समाधान** के साथ आधुनिक स्वच्छता प्रणालियाँ।
  - **सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए** किफायती और टिकाऊ आवास।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** भीड़भाड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए **स्मार्ट यातायात और परिवहन समाधानों** की तैनाती।
  - ई-गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **मजबूत आईटी नेटवर्क स्थापित करना।**
- **सतत शहरी विकास:** पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के लिए **हरित स्थानों, पार्कों और पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों** का विकास।
  - प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए **स्वच्छ ऊर्जा समाधान** अपनाना।
- **सामाजिक और आर्थिक समावेशन: पैदल चलने योग्य पड़ोस को** प्रोत्साहित करने के लिए मिश्रित भूमि उपयोग नीतियों को बढ़ावा देना।
  - **सीसीटीवी निगरानी** और स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से **सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा को** बढ़ाना।

नवीनतम अपडेट

- **दिसंबर 2024** तक **कुल परियोजनाओं में से 91% पूरी हो चुकी होंगी**, तथा **8,075 में से 7,380 परियोजनाएं** क्रियान्वित हो चुकी होंगी।
  - शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए **₹1.47 लाख करोड़** का निवेश किया गया है।
- **प्रमुख क्षेत्रीय उपलब्धियां:**
- **सार्वजनिक सुरक्षा:** निगरानी और अपराध रोकथाम के लिए 84,000 से अधिक **सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।**
  - **स्वचालित नंबर प्लेट पहचान** सहित स्मार्ट यातायात प्रवर्तन प्रणालियां तैनात की गई हैं।
- **जल आपूर्ति प्रबंधन:**
  - अब 17,026 किलोमीटर से अधिक **जल पाइपलाइनों की निगरानी SCADA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके की जाती है**, जिससे रिसाव का पता लगाना और जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन पहल: आरएफआईडी-सक्षम ट्रैकिंग** के माध्यम से स्मार्ट अपशिष्ट संग्रहण को **66 शहरों** में कार्यान्वित किया गया है।
  - बेहतर दक्षता के लिए अब 9,194 से अधिक **अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों की डिजिटल निगरानी की जाती है।**
- **शहरी गतिशीलता संवर्द्धन:** बुद्धिमान यातायात प्रणालियों के साथ **1,740 किमी स्मार्ट सड़कों का** विकास।
  - पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए **713 किमी साइकिल ट्रैक का** निर्माण।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** स्मार्ट शहरों में **9,433 स्मार्ट कक्षाओं** और **41 डिजिटल पुस्तकालयों** की स्थापना।
  - स्वास्थ्य सेवा की सुलभता में सुधार के लिए **152 स्वास्थ्य एटीएम** की स्थापना और **172 ई-स्वास्थ्य केंद्रों का विकास।**
- **वित्तीय और समय विस्तार:** शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन को **मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।**
  - अब तक **46,585 करोड़ रुपए** जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से **93% धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा चुका है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) राजनीति को अपराधमुक्त करने के क्रम में दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

- इन याचिकाओं में **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम, 1951)** में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु **विधिक प्रावधान** हैं।

दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ने से संबंधित विधिक प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या हैं?

विधिक प्रावधान:

- **धारा 8(3):** इसके तहत **सज़ा की अवधि के आधार** पर अयोग्यता का निर्धारण किया गया है।
  - ❖ यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और **दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सज़ा** सुनाई जाती है तो वह **कारावास की अवधि के दौरान** और **रिहाई के बाद छह वर्ष** तक चुनाव लड़ने के लिये **अयोग्य** हो जाता है।
- **धारा 8(1):** इसके तहत **विशिष्ट अपराधों हेतु अयोग्यता** का निर्धारण किया गया है, जिसके कारण **सजा की अवधि** और रिहाई के छह साल बाद भी **तत्काल अयोग्यता** हो सकती है।
  - ❖ इन अपराधों में **बलात्कार** और अन्य जघन्य अपराध, **अस्पृश्यता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार** से संबंधित अपराध शामिल हैं।
- **धारा 11: निर्वाचन आयोग (EC)** किसी दोषी व्यक्ति की **अयोग्यता अवधि** को समाप्त कर सकता है **या कम** कर सकता है।
  - ❖ उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में निर्वाचन आयोग ने विवादास्पद रूप से **प्रेम सिंह तमांग (सिक्किम के सीएम)** की अयोग्यता अवधि को **6 साल से घटाकर 13 माह** कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार के दोषी होने के बावजूद उनका चुनाव लड़ना संभव हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- ***एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला, 2002:*** इसके तहत चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिये अपने **आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक** करना अनिवार्य कर दिया गया।
- ***CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **पटना उच्च न्यायालय** के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि **कारागार में बंद व्यक्ति** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 62(5)** के तहत अपना 'निर्वाचक' दर्जा खो देते हैं, जिसके आधार पर **विचाराधीन कैदी** चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य हो गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- हालाँकि, **संसद ने वर्ष** 2013 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर इस निर्णय को पलट दिया, जिससे **विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति** मिल गई।

- ***लिली थॉमस केस, 2013:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की **धारा 8(4)** को रद्द कर दिया, जो पहले दोषी विधायकों को **अपील दायर करने** पर **पद पर बने रहने** की अनुमति देता था।
  - इस निर्णय के बाद, किसी भी **वर्तमान सांसद/विधायक** को **दोषसिद्धि होने** पर **तत्काल अयोग्य** घोषित कर दिया जाता है।

- ***पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018:*** सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने **उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड** अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

भारत में राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति

- ADR की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **वर्ष** 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ **आपराधिक मामले** हैं, और **171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण** सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की **जीत की संभावना 15.4 %** थी, जबकि **स्वच्छ पृष्ठभूमि** वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना मात्र **4.4%** थी।

दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **वोहरा समिति (वर्ष 1993) ने पृष्ठभूमि की सख्त जाँच** की सिफारिश की तथा **गंभीर आपराधिक आरोपों** वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की।	• राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर **विरोधियों को अयोग्य ठहराने के लिये झूठे मामले** दायर कर सकते हैं।
• जिस तरह **सरकारी कर्मचारियों** को **दोषी पाए जाने पर बर्खास्त** कर दिया जाता है, **उसी तरह राजनेताओं को भी अयोग्य घोषित** किया जाना चाहिये।	• सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों जैसी '**सेवा शर्तें**' नहीं मिलतीं। सजा के बाद **छह वर्ष की अयोग्यता पर्याप्त** है। • निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों से भिन्न होते हैं क्योंकि उन्हें सेवा नियमों के माध्यम से नियुक्त नहीं किया जाता बल्कि **जनता द्वारा चुना** जाता है। • नौकरशाहों के विपरीत, सांसदों और विधायकों का **कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित होता है** और उन्हें **पुनः चुनाव** लड़ना पड़ता है, जिससे वे **मतदाताओं के प्रति सीधे जवाबदेह** हो जाते हैं। • सुधार की संभावना की **अनदेखी** करता है और व्यक्तियों को सेवा का **दूसरा मौका देने से इनकार** करता है। राजनेताओं के विरुद्ध **मामलों** की **त्वरित सुनवाई** जैसे उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

आगे की राह

- **निर्हता संबंधी मानदंड का सुदृढ़ीकरण: भ्रष्टाचार, आतंकवाद और लैंगिक अपराध** जैसे गंभीर अपराधों के लिये निर्हता की अवधि को **छह वर्ष से अधिक बढ़ाया जाना चाहिये**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **चुनाव आयोग का सशक्तीकरण:** उम्मीदवारों के **आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय खुलासों को सत्यापित करने के लिये** निर्वाचन आयोग को **अधिक सुदृढ़ विनियामक शक्तियाँ** प्रदान कर इसका सशक्तीकरण करने की आवश्यकता है।
  - निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ किसी **सक्षम न्यायालय** द्वारा ऐसे अपराध के लिये आरोप तय किये गए हों, जिसके लिये **पाँच वर्ष से अधिक** की सज़ा का प्रावधान हो, उन्हें भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- **न्यायिक सुधार: समयबद्ध न्याय** सुनिश्चित करने हेतु **सांसदों/विधायकों के मामलों की विशेष अदालतों** में **त्वरित सुनवाई की जानी चाहिये** और लंबी विधिक कार्रवाई का परिवर्जन करने की आवश्यकता है जिसके कारण अपराधियों को चुनाव में भाग लेने का अवसर मिल जाता है।
- **राजनेताओं हेतु आचार संहिता का क्रियान्वन: सार्वजनिक जीवन** में **नैतिक व्यवहार, उत्तरदायित्** और **अनुशासन** सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **राजनीतिक नेताओं** के लिये एक **अनिवार्य आचार संहिता लागू करने** की आवश्यकता है।
  - नैतिक मानकों के उल्लंघन की निगरानी के लिये निर्वाचन आयोग के अधीन एक **राजनीतिक नैतिकता समिति** की स्थापना की जानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. दोषारोपित राजनेताओं की निरर्हता पर बल देते हुए भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या का समाधान करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

भारत में वैवाहिक बलात्कार

चर्चा में क्यों?

गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले, 2019 में, छत्तीसगढ़ **उच्च न्यायालय (HC)** ने निर्णय दिया कि यदि पत्नी **15 वर्ष से अधिक उम्र की है,** तो पति पर सहमति के बिना भी, उसके साथ **बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध** का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

- यह **IPC की धारा 375 के तहत अपवाद 2 पर निर्भर करता है,** जो **पति को बलात्कार के आरोप से छूट** देता है यदि पत्नी 15 वर्ष से कम नहीं है।
- एक अन्य घटनाक्रम में, **सर्वोच्च न्यायालय (SC) वैवाहिक बलात्कार** को अपराध घोषित करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसका समर्थन महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

वैवाहिक बलात्कार क्या है?

- **परिचय:** वैवाहिक बलात्कार एक प्रकार की **अंतरंग साथी हिंसा** है जिसमें पति-पत्नी के बीच **जबरन यौन संबंध** या यौन उत्पीड़न शामिल होता है। यह भारत में अपराध नहीं है।
  - हालाँकि, यदि कोई दंपत्ति **विवाहित है, लेकिन अलग-अलग रह रहे हैं,** तो यदि उसकी पत्नी यौन संबंध के लिये **सहमति नहीं** देती है, तो पति **बलात्कार का दोषी** है।
- **विधिक दृष्टिकोण:**
  - **IPC: धारा 375 (2)** में कहा गया है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी, जो **15 वर्ष से कम उम्र की नहीं** है, के बीच **यौन संबंध या यौन क्रिया** बलात्कार नहीं है।
    - **BNS** ने वैवाहिक बलात्कार के मामलों में पतियों के लिये **प्रतिरक्षा** बरकरार रखी है, लेकिन ***इंडिपेंडेंट थॉट बनाम UoI केस, 2017*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए **सहमति की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष** कर दी गई है।
  - **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:** यद्यपि वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है, फिर भी एक महिला **यौन दुर्व्यवहार,** अपमान या **गरिमा के उल्लंघन** के लिये **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005** के तहत **राहत की मांग** कर सकती है।
- **वैवाहिक बलात्कार पर न्यायिक निर्णय:**
  - ***इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूओआई केस, 2017:*** सर्वोच्च न्यायालय ने 15-18 वर्ष की आयु की पत्नियों के लिये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (BNS की धारा 63) के अपवाद 2 को खारिज कर दिया, जिसके तहत नाबालिग पत्नियों (18 वर्ष से कम) के साथ संभोग को बलात्कार माना गया था।

- इसने इस अपवाद को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया, जो **अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (गैर-भेदभाव)** और **21 (जीवन और सम्मान का अधिकार)** का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि **पोक्सो अधिनियम, 2012** भारतीय दंड संहिता से अधिक प्रभावी है, जो नाबालिग (18 वर्ष से कम) के साथ यौन संबंध को बलात्कार बनाता है, भले ही वह विवाहित हो।

❖ ***के.एस. पुट्टस्वामी केस, 2017:*** इसमें गोपनीयता के आंतरिक भाग के रूप में **व्यक्तियों के लिये यौन स्वायत्तता** के महत्त्व पर बल दिया गया।

- **अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय:**
  - ❖ वर्ष 2023 में, **बॉम्बे हाईकोर्ट** ने निर्णय दिया कि **नाबालिग पत्नी** के साथ **सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार** है, और ऐसे मामलों में सहमति के बचाव को खारिज कर दिया।
  - ❖ वर्ष 2024 में **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने** निर्णय दिया कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध **बलात्कार नहीं है** और ऐसे मामलों में **पत्नी की सहमति अप्रासंगिक** है ।
- **अप्राकृतिक यौन संबंध पर न्यायिक निर्णय:**
  - ❖ ***नवतेज सिंह जौहर केस, 2018:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **सहमति से समलैंगिकता को** अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए **आईपीसी की धारा 377** को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया।
  - ❖ **सरकार का रुख:** गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यद्यपि **पति अपनी पत्नी की सहमति का उल्लंघन नहीं** कर सकता, लेकिन इसे "बलात्कार" कहना अत्यधिक कठोर और असंगत है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

अपराधीकरण के लिये	अपराधीकरण के विरुद्ध
स्वायत्तता का उल्लंघन: हर व्यक्ति को **यौन संबंध बनाने से इंकार करने का अधिकार है,** यहाँ तक कि विवाह के बाद भी। ***नवतेज जौहर मामले, 2018*** में सर्वोच्च न्यायालय ने **यौन स्वायत्तता** को बनाए रखा और इसे विवाह के बाद तक बढ़ाया जाना चाहिये।	**विवाह को खतरा:** अपराधीकरण से **वैवाहिक संबंध अस्थिर** हो सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: इंडिपेंडेंट थॉट केस, 2017 ने नाबालिगों के लिये वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी, जिससे सहमति को बल मिला।	**मौजूदा कानून पर्याप्त : घरेलू हिंसा कानून** पहले से ही यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
कानून के समक्ष समानता : पतियों को छूट देना संवैधानिक अधिकारों का **उल्लंघन है (अनुच्छेद 14, 15, 21)।**	**संभावित दुरुपयोग:** तलाक और हिरासत के मामलों में **झूठे आरोप** लग सकते हैं।
POCSO एवं बाल संरक्षण: नाबालिगों के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध **अपराध** है; **यह विवाहित वयस्कों** पर भी लागू होना चाहिये।	**सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड: पारंपरिक रूप** से विवाह में **यौन संबंध शामिल** होते हैं, जिससे विधिक परिवर्तन जटिल हो जाता है।
कानूनी विरोधाभास: धारा 377 को हटाने के बावजूद BNS में पतियों के लिये **प्रतिरक्षा** को बनाए रखा गया है।	**विधायी क्षेत्र:** सरकार का तर्क है कि इस संबंध में **न्यायालय को नहीं, बल्कि विधायिका** को निर्णय लेना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व स्तर पर वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण

- **77 देशों में** वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है, **74 देशों** में सामान्य प्रावधानों के तहत पति-पत्नी के विरुद्ध **मामले चलाने की अनुमति** दी गई है तथा **34 देशों में इसे अपराधमुक्त** कर दिया गया है या **इसमें छूट** दी गई है।
- वैवाहिक बलात्कार 50 अमेरिकी राज्यों, 3 ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, **न्यूज़ीलैंड, कनाडा, इजरायल, फ्राँस** , स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया तथा कई अन्य देशों में अवैध है।
- ब्रिटेन (जहाँ से IPC काफी हद तक प्रेरित है) ने **वर्ष 1991** में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को **हटा दिया** था।

वैवाहिक बलात्कार को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **जया जेटली समिति की सिफारिशें:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, **मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने** और **गैर-सहमति वाले यौन संबंध (वैवाहिक बलात्कार)** के जोखिम को कम करने के लिये महिलाओं के लिये **विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष** की जाए।
- **विधायी सुधार: वैवाहिक बलात्कार से छूट** को हटाने के लिये BNS में संशोधन करना चाहिये तथा **वैवाहिक सहमति** को विधिक आवश्यकता के रूप में मान्यता देनी चाहिये।
- **वैकल्पिक कानूनी ढाँचा: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का** विस्तार करके **इसमें वैवाहिक यौन उत्पीडन को** स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिये, तथा दंडात्मक आदेश और मुआवज़े जैसे मज़बूत नागरिक उपचारों की पेशकश की जानी चाहिये।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** भारत **ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के** कानूनों का अध्ययन कर सकता है ताकि सांस्कृतिक रूप से अनुकूल वैवाहिक बलात्कार कानून विकसित किया जा सके, जो सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर विचार करते हुए **वैश्विक मानवाधिकारों के साथ संरेखित हो।**

निष्कर्ष

वैवाहिक बलात्कार पर चर्चा **व्यक्तिगत स्वायत्तता**, विधिक समानता और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के बीच भेद प्रकट करती है। विभिन्न देशों ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, भारत में **पतियों के लिये कानूनी प्रतिरक्षा बरकरार है। यहाँ** न्यायिक फैसले **सहमति और गरिमा पर ज़ोर देते हैं, लेकिन विधायी अनिच्छा बनी हुई है।** इस मुद्दे पर विधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

केंद्रीय बजट 2025-26

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा **संसद** में केंद्रीय **बजट 2025-26 पेश किया गया,** जिसमें विकास के 4 इंजनों- **कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) निवेश** और **निर्यात** को रेखांकित किया गया है।

- **'सबका विकास' लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 2025-26** का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है।
- बजट की थीम के अनुरूप, वित्त मंत्री ने **विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित** किया है।

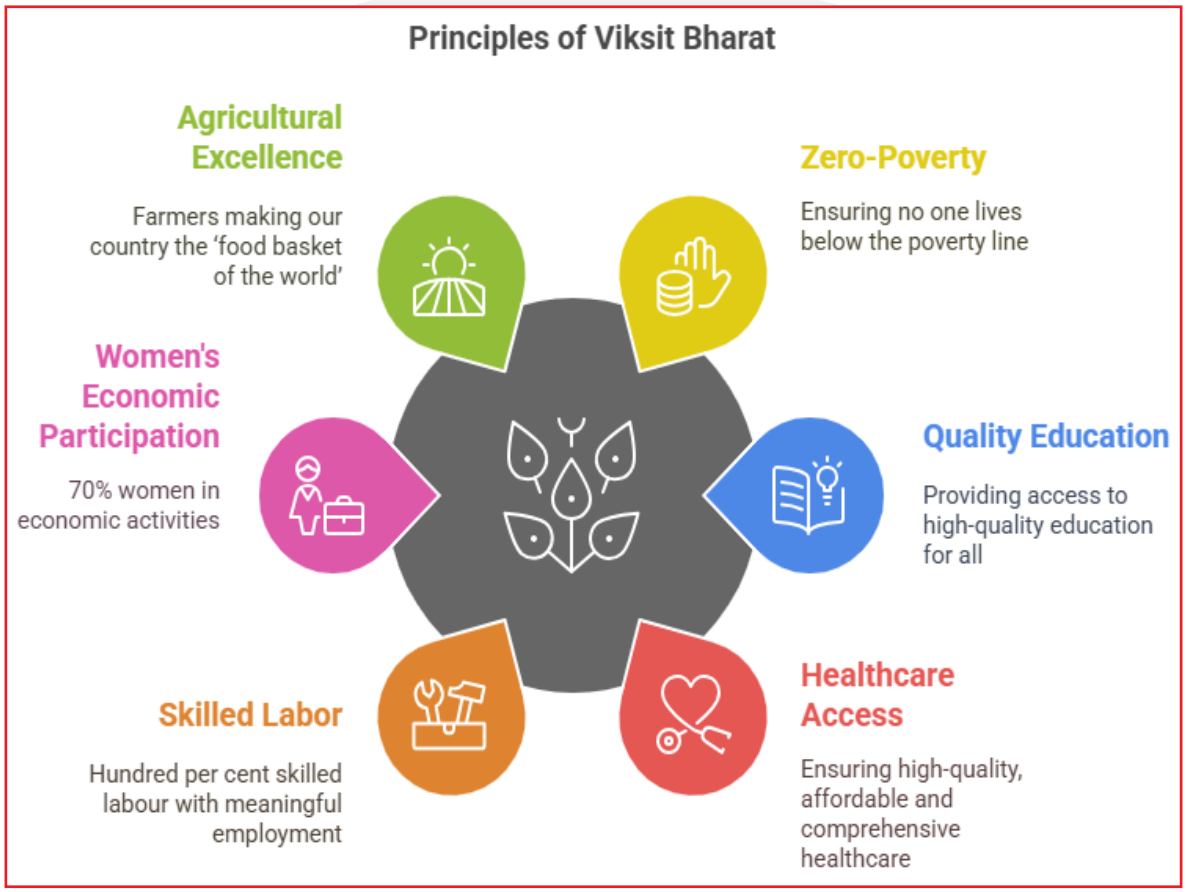

- बजट में **गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं** पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

Drishti IAS

केंद्रीय बजट

एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

अनुच्छेद 112 (भाग V)

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय (+कमी/अधिशेष)
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना

भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है?

- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
  - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
  - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
  - धन/वित्त विधेयक (कराधान को शामिल करते हुए) - केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है
  - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
  - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
    - लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/असीकृत कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन कौन से हैं?

- **पहला ईंजन: कृषि**
  - **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना**: इसके अंतर्गत **कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है**, जिससे **1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे,** फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।
    - कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिये राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय **'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम** प्रारम्भ किया जाएगा।
  - दलहनों में आत्मनिर्भरता: सरकार **तूर, उड़द और मसूर** पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिये एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। जिससे जलवायु-अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।
    - **केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ)** अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिये तैयार रहेंगे।
  - **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा**: 7.7 करोड़ किसानों के लिये ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिये इसे **3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए** कर दिया गया।
  - **उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन**: अनुसंधान को मज़बूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **कपास उत्पादकता मिशन:** सतत् कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 5 वर्ष की पहल।
  - **बिहार में मखाना बोर्ड: मखाना** के **उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन** को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी।
  - **फलों और सब्जियों के लिये व्यापक कार्यक्रम**: कुशल **आपूर्ति श्रृंखला** को बढ़ावा देना और किसानों के लिये बेहतर बाज़ार मूल्य सुनिश्चित करना।
  - **मत्स्य विकास: भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र** और उच्च सागर में **सतत् मत्स्य पालन** के लिये नई रूपरेखा, **अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप** पर ध्यान केंद्रित करना।
- **असम में यूरिया संयंत्र:** कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये **ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (BVFCL)** के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- **दूसरा इंजन: एमएसएमई**
- **संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण**: निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को **क्रमश: 2.5 और दोगुना बढ़ाया** गया है, **जिससे लघु उद्यम** के लिये ऋण के अवसर बढ़ेंगे।

₹ in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड**: **10 लाख सूक्ष्म उद्यमों** के लिये 5 लाख रुपए **की ऋण सुविधा**, **वित्तीय समावेशन** और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - **एमएसएमई के लिये ऋण कवर**: गारंटी कवर **5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया**, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ सकेगी।
  - **चमड़ा और फुटवियर के लिये फोकस प्रोडक्ट स्कीम**: 22 लाख रोज़गार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा।
  - **खिलौना क्षेत्र (TOY) का विकास**: क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण **वैश्विक बाज़ारों** में **'मेड इन इंडिया'** ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:** बिहार में **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान** की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स:** विस्तारित दायरे और **10,000 करोड़ रुपए** के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा।

- **तीसरा इंजन: निवेश**
  - **शहरी चुनौती निधि: 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास'** तथा **'जल एवं स्वच्छता'** को समर्थन देने के लिये ₹1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिये ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गए।
  - **जल जीवन मिशन:** कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष **2028 तक बढ़ा** दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिये अधिक वित्त पोषण के साथ **सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति** सुनिश्चित होगी।
    - इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी का **80% हिस्सा** हैं।
  - **समुद्री विकास निधि:** ₹25,000 करोड़ का कोष (सरकार द्वारा 49% योगदान), जहाज़ निर्माण, **बंदरगाहों** और **रसद बुनियादी ढाँचे** के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का समर्थन करता है।
  - **IIT का विस्तार: 6,500 अतिरिक्त छात्रों** के लिये अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा, भारत की **तकनीकी शिक्षा क्षमता** को बढ़ावा देगा।
    - **PM रिसर्च फेलोशिप: IIT और IISC** में उन्नत अनुसंधान के लिये **10,000** फेलोशिप।
  - **डे केयर कैंसर सेंटर:** इन्हें अगले 3 वर्षों में **सभी ज़िला अस्पतालों** में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिससे **कैंसर उपचार** की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  - **भारतीय भाषा पुस्तक योजना:** इसके तहत **स्कूल और उच्च शिक्षा** तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में **भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें** उपलब्ध कराई जाएंगी।
  - **विकसित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिये 20,000 करोड़ रुपए** के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
    - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम** और **परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम** में संशोधन के क्रम में निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिये विचार किया जाएगा।
  - **UDAN - क्षेत्रीय संपर्क योजना:** संशोधित **उड़ान योजना** के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है।
    - यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में **हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी।**
  - **बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट:** बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किये जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा (पटना) में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
  - **पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना:** मिथिलांचल, बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **रोज़गार आधारित विकास के लिये पर्यटन:** देशभर के 50 प्रमुख **पर्यटन स्थलों** को राज्यों के सहयोग से **'चैलेंज मोड'** के तहत विकसित किया जाएगा।

- **चौथा इंजन- निर्यात संवर्द्धन:**
  - **निर्यात संवर्द्धन मिशन:** क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक **निर्यात संवर्द्धन मिशन** का शुभारंभ किया जाएगा, **जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया** जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारतट्रेडनेट (BTN):** एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।
- **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढांचा:** उभरते हुए द्वितीय श्रेणी (टियर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों (Global Capability Centres) को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत प्रोत्साहन दिये जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके।
- **एयर कार्गो के लिये भंडारण सुविधा:** उच्च-मूल्य वाले नाशवंत (perishable) उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिये उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेज़ और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय बजट 2025-26 की अन्य प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **कराधान और वित्तीय सुधार:**
  - **प्रत्यक्ष कर: 12 लाख रुपए** तक की वार्षिक आय पर कोई **आयकर** नहीं, छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिये इसे बढ़ाकर **12.75 लाख रुपए** किया गया है।

आय (₹ में)	कर की दर
₹0 - ₹4 लाख	शून्य
₹4 - ₹8 लाख	5%
₹8 - ₹12 लाख	10%
₹12 - ₹16 लाख	15%
₹16 - ₹20 लाख	20%
₹20 - ₹24 लाख	25%
₹24 लाख से अधिक	30%

- **स्रोत पर कर कटौती (TDS): रेंट पर TDS** की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर **6 लाख रुपए** किया गया है, जिससे कर अनुपालन का बोझ कम होगा।
  - **कर रिटर्न: अद्यतन कर रिटर्न की समय सीमा 2 वर्ष** से बढ़ाकर **4 वर्ष** कर दी गई है, जिससे स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुविधा होगी।
  - **मूल सीमा शुल्क (BCD) छूट: कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों** से संबंधित **36 जीवन रक्षक दवाओं** को BCD से पूर्ण छूट दी गई है।
  - घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं मोबाइल उपकरणों हेतु **लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण** पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है।
  - **स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने** तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिये **वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र** से संबंधित घटकों को छूट दी गई।
- **सामाजिक कल्याण और समावेशन:**
  - **पीएम स्वनिधि योजना:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के लिये 30,000 रुपए की सीमा वाले **UPI** -लिंक्ड **क्रेडिट कार्ड** का प्रावधान किया गया है।
  - **गिग वर्कर्स के लिये पहचान पत्र: ई-श्रम पोर्टल** पर पंजीकरण, **पीएम जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा** और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला गया।
  - **50,000 अटल टिंकरिंग लैब:** नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में इन्हें अगले **पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों** में स्थापित किया जाएगा।
  - **चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: 10,000 नई चिकित्सा सीटों** के साथ पाँच वर्षों में कुल **75,000 सीटों की वृद्धि** का लक्ष्य रखा गया है।
- **वित्तीय क्षेत्र में सुधार:**
  - **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:** यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और **ग्रामीण उधारकर्त्ताओं को औपचारिक ऋण सुविधाओं** तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **जन विश्वास विधेयक 2.0:** इसके तहत **100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना**, व्यापार संचालन को सुलभ बनाना एवं नियामक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।
  - **SWAMIH फंड 2.0:** यह सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान वाला 1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने हेतु ₹15,000 करोड़ का फंड है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बीमा क्षेत्र में FDI:** बीमा क्षेत्र में FDI सीमा उन कंपनियों के लिये 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी जिनके द्वारा **अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश** किया जाता है।
- **राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक:** यह प्रतिस्पर्द्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्रम में राज्यों के लिये एक नया रैंकिंग ढाँचा है।
- **ऋण संवर्द्धन सुविधा:** NaBFID के तहत बुनियादी ढाँचे हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड का समर्थन करने के क्रम में एक **'आंशिक ऋण संवर्द्धन सुविधा'** को स्थापित किया जाएगा।
- **पेंशन क्षेत्र:** विनियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिये एक मंच स्थापित किया जाएगा।
- **विनियामक सुधारों के लिये उच्च स्तरीय समिति:** सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों, प्रमाणनों और लाइसेंसों की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

- **राजस्व के प्रमुख स्रोत और व्यय:**

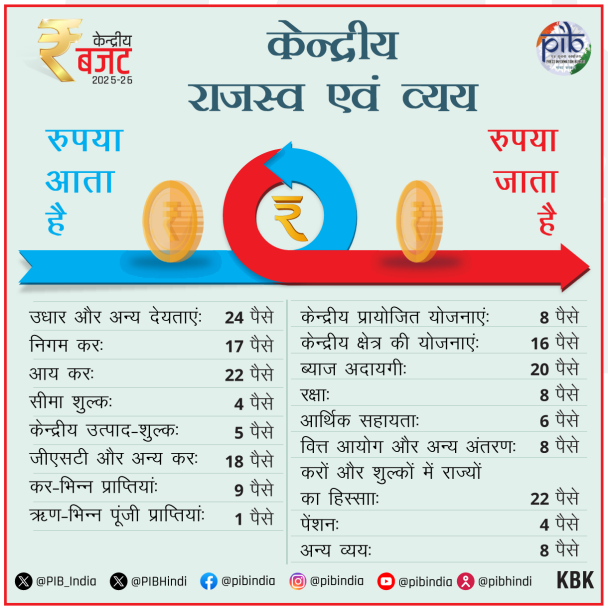

- **केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय (बजट अनुमान):**

वित्तीय प्रवृत्तियाँ और बजटीय अनुमान (2023-24 एवं 2024-25) क्या हैं ?

- **प्राप्तियाँ और व्यय:** वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹27.3 लाख करोड़ थीं, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹31.3 लाख करोड़ (BE) हो गईं।
  - **प्रभावी पूंजीगत व्यय** ₹17.1 लाख करोड़ से घटकर ₹16.3 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया। राजस्व व्यय ₹34.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹37.0 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया।
  - पूंजीगत व्यय ₹12.5 लाख करोड़ से बढ़कर ₹15.0 लाख करोड़ (BE) हो गया, किंतु बाद में इसे संशोधित कर ₹13.2 लाख करोड़ किया गया।
- **घाटे की प्रवृत्तियाँ (GDP के प्रतिशत के रूप में):** वित्तीय घाटा वर्ष 2023-24 में 3.3% था और वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में यह अपरिवर्तित रहते हुए 3.3% पर बना हुआ है।
  - **राजस्व घाटा** वित्त वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में मामूली वृद्धि के साथ 0.8% हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2023-24 में 0.3%** था, जो वर्ष 2024-25 **(संशोधित अनुमान) में बढ़कर 0.8%** पर पहुँच गया।

- **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अंतरण:** वित्त वर्ष 2023-24 **में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल ₹20.65 लाख करोड़** अंतरित किये गए।
  - यह आँकड़ा वित्त **वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर ₹22.76 लाख करोड़** हो गया तथा **वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान)** में इसके और बढ़कर ₹25.60 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- **केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियाँ:** वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित **निवल कर राजस्व ₹28.4 लाख करोड़** रहा, जबकि **गैर-कर राजस्व ₹5.8 लाख करोड़** रहा।
  - इसके अतिरिक्त **गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ (जिनमें विनिवेश से प्राप्त राजस्व और ऋणों की वसूली** शामिल है) **वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में ₹0.8 लाख करोड़** रहीं।

₹ करोड़ में	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	27,29,036	31,29,200	30,87,960	34,20,409
पूंजी प्राप्तियां	17,14,411	16,91,312	16,28,527	16,44,936
कुल प्राप्तियां	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
कुल व्यय	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
प्रभावी पूंजीगत व्यय	12,53,111	15,01,889	13,18,320	15,48,282
राजस्व घाटा	7,65,216	5,80,201	6,10,098	5,23,846
प्रभावी राजस्व घाटा	4,61,300	1,89,423	3,10,207	96,654
राजकोषीय घाटा	16,54,643	16,13,312	15,69,527	15,68,936
प्राथमिक घाटा	5,90,771	4,50,372	4,31,587	2,92,598

निष्कर्ष

"सबका विकास" थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ **विकसित भारत** के लिये एक मज़बूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। **युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग** को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ **सतत् विकास एवं निजी क्षेत्र के निवेश** को प्रोत्साहित करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये उपाय भारत को **वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त** राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं।

और पढ़ें: आर्थिक समीक्षा 2024-25

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. किस प्रकार हाल के केंद्रीय बजटों ने कराधान, लोक व्यय और घाटा प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन एवं आर्थिक प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाया है, आकलन कीजिये।

आर्थिक समीक्षा 2024-25

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने **संसद** में **आर्थिक समीक्षा 2024-25** प्रस्तुत की। **इसमें सुधारों एवं विकास के लिये रोडमैप** निर्धारित किया गया, जो **केंद्रीय बजट 2025** का आधार है

आर्थिक समीक्षा

- आर्थिक समीक्षा भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये **केंद्रीय बजट** से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है ।
- **मुख्य आर्थिक सलाहकार की** देखरेख में **वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग** द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा **संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है।**
  - समीक्षा आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

❖ आर्थिक समीक्षा को पहली बार **वर्ष 1950-51** में बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **अर्थव्यवस्था की स्थिति:**
  - ❖ **वैश्विक अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने इस वर्ष के लिये **3.2% की वृद्धि का अनुमान** लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण **विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की** मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।
    - ✸ वैश्विक स्तर पर **मुद्रास्फीति** कम रहने एवं **सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति स्थिर** रहने के कारण **केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ** अलग-अलग रहीं।
  - ❖ **भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास संघर्ष** ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है।
    - ✸ **स्वेज नहर में व्यवधान के** कारण जहाज़ों को **केप ऑफ गुड होप** के मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जिससे **माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी** का समय बढ़ जाता है।
  - ❖ **भारत की अर्थव्यवस्था:** भारत का **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 26 (2025-26)** में **6.3-6.8% तक** बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारत की **वास्तविक GVA 6.4%** रहने का अनुमान है।
- **क्षेत्रवार प्रदर्शन:**
  - ❖ **कृषि: रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन** और **मज़बूत ग्रामीण मांग** के कारण वित्त वर्ष 2025 में **3.8% की वृद्धि** देखी गई।
  - ❖ **उद्योग और विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि** के साथ **कम वैश्विक मांग** के कारण **विनिर्माण की प्रगति धीमी** रही।
  - ❖ **सेवाएँ: यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर** के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें **सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा आतिथ्य** की प्रमुख भूमिका रही।
  - ❖ **बाह्य क्षेत्र:** वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में **कुल निर्यात (माल+सेवाएँ) में 6% (वर्ष दर वर्ष) की** वृद्धि हुई। इसी अवधि में **सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई**।
    - ✸ **व्यापारिक निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई,** जबकि **आयात में 5.2% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा** बढ़ गया।
    - ✸ भारत विश्व में **धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्त्ता** बना रहा, जिससे **चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% पर बनाए रखने में** मदद मिली।
- **मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की सकल गैर-निष्पादकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) वर्ष 2024 में 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गईं, जबकि निवल NPA 0.6%** रहा।
  - ❖ **परिसंपत्तियों पर रिटर्न (RoA) बढ़कर 1.4% हो गया** जबकि **इक्विटी पर रिटर्न (RoE)** में सुधार देखने को मिला है जो बढ़कर **14.1%** (सितंबर 2024) हो गया।
  - ❖ **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 (वर्ष 2021)** से बढ़कर **64.2 (वर्ष 2024 में)** हो गया, जिसमें **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) अहम सहयोग रहा है।**
    - ✸ **RBI ने रेपो दर को 6.5% पर नियत रखा है,** जबकि CRR को घटाकर **4% कर दिया**, जिससे अर्थव्यवस्था में **₹ 1.16 लाख करोड़ का अंतर्वाह हुआ।**
    - ✸ **मुद्रा गुणक** बढ़कर **5.7 हो गया**, जो बढ़ी हुई तरलता को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

❖ **पूंजी बाज़ारों ने** प्राथमिक बाज़ारों (अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान) से **11.1 लाख करोड़ रुपए** जुटाए, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में **5% अधिक है।** **प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO)** के माध्यम से जुटाई गई धनराशि तीन गुना बढ़ाकर **1.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

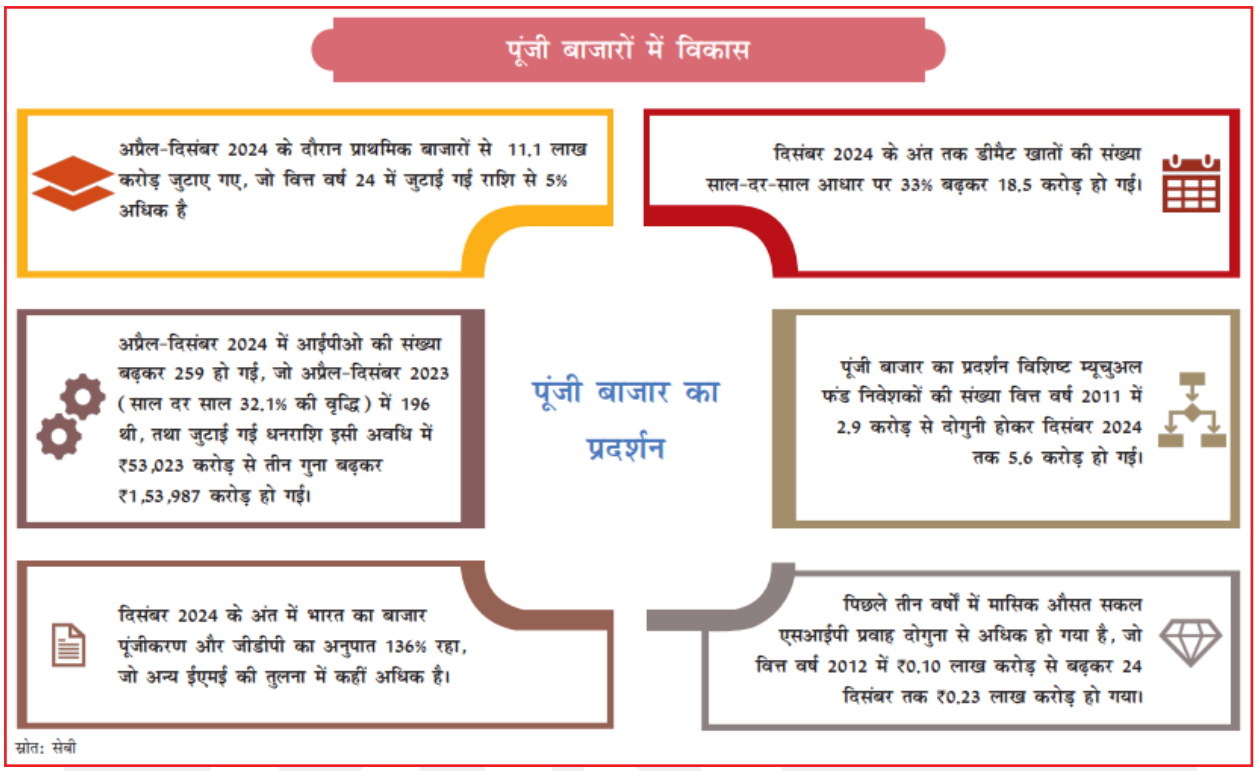

स्रोत: सेबी

- ❖ **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक (NaBFID)** और **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)** जैसे **विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई)** ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया, जिसमें एनएबीएफआईडी ने **1.3 लाख करोड़ रुपए** के ऋणों को मंजूरी प्रदान की।

- **बाह्य क्षेत्र:** आर्थिक और व्यापार संबंधी **नीतिगत अनिश्चितताओं की वैश्विक चुनौतियों** के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र ने **लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा।** वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (माल और सेवाएँ) में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, **जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (6 प्रतिशत) तक पहुँच गया है।**
  - ❖ आयात भी **6.9% बढ़कर 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया**, जो **मज़बूत घरेलू मांग को दर्शाता है।**
  - ❖ **वैश्विक व्यापार** को बढ़ती **व्यापार नीति अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान**, जैसे कि **लाल सागर** में संकट और **पनामा नहर में सूखे** के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे **लागत में वृद्धि हुई और वस्तुओं की डिलीवरी संबंधी सेवाएँ** विलंबित हुई हैं।
    - ✸ **भू-राजनीतिक गठबंधनों के भीतर व्यापार को प्राथमिकता** देने के कारण देशों में ***फ्रेंड-शोरिंग*** और ***नियर-शोरिंग*** की प्रवृत्ति में **वृद्धि** देखने को मिली है।
  - ❖ **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण FPI में उतार-चढ़ाव देखा गया, किंतु भारत की मज़बूत आर्थिक बुनियाद ने कुल प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखा।**
  - ❖ **विदेशी मुद्रा भंडार:** दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार **640.3 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा, जो सितंबर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

2024 तक के कुल 711.8 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य आर्थिक संकटों के प्रति उसकी अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।

- **कीमतें और मुद्रास्फीति:**
  - **वैश्विक मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ: आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों** के कारण मुद्रास्फीति वर्ष **2022 में 8.7% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी, किंतु मौद्रिक सख्ती** के कारण वर्ष **2024 में यह** गिरकर 5.7% हो गई।
  - **घरेलू मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्तियाँ:** खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर **वित्त वर्ष 2025 में 4.9% हो गई,** किंतु मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों के बावजूद सब्जियों (टमाटर, प्याज) और दालों के कारण **खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% से बढ़कर 8.4% हो गई।**
    - आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं और **मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अस्थिरता बनी है।**
    - **सेवा और ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति** 10 वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई।
  - RBI **ने वित्त वर्ष 2025 के लिये मुद्रास्फीति को 4.5%** से संशोधित कर 4.8% कर दिया है , तथा **वित्त वर्ष 2026 में 4.2% रहने की उम्मीद जताई है,** जबकि IMF ने स्थिर स्थितियों को मानते हुए **वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% रहने का अनुमान लगाया है।**
- **मध्यम अवधि का परिदृश्य:** IMF **का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 28 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा,** जिसमें **मौद्रिक GDP विकास दर 10.2% (वित्त वर्ष 2025 - वित्त वर्ष 2030) होगी।**
  - अपने **विकसित भारत 2047** लक्ष्य तक पहुँचने के लिये भारत को अगले दो दशकों तक **वार्षिक रूप से 8% की दर से विकास करना होगा।**
  - **हालाँकि, भू-आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंध और** विनिर्माण एवं ऊर्जा संक्रमण में **चीन का प्रभुत्व** जैसी वैश्विक चुनौतियाँ आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं निवेश प्रवाह के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।
  - IMF **ने भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% वार्षिक (वित्त वर्ष 2026-वित्त वर्ष 2030) रहने का अनुमान लगाया है** तथा ऐसा माना जा रहा है कि **CAD के वित्त वर्ष 2030 तक GDP के 2.2% तक बढ़ने की उम्मीद है।**
  - रुपए में **प्रति वर्ष 0.5% की मामूली गिरावट आने का अनुमान है,** जो पिछले दशकों की तुलना में बेहतर आर्थिक स्थिरता का संकेत है।
- **निवेश और बुनियादी ढाँचा:** पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) **38.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24)** से बढ़ रहा है।
  - सरकार ने इस दिशा में **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन** और **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** सहित कई पहल शुरू की हैं।
- **प्रमुख घटनाक्रम:**
  - **रेलवे कनेक्टिविटी: 2031 किलोमीटर** रेलवे नेटवर्क जोड़ने के साथ (अप्रैल से नवंबर 2024), **17 नई वंदे भारत ट्रेनें** शुरू की गईं।
  - **बुनियादी ढाँचा: 6,215 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण (भारतमाला)** के साथ 619 UDAN हवाई मार्ग (**क्षेत्रीय संपर्क योजना**) को हासिल किया गया।
    - **सागरमाला के अंतर्गत वधावन मेगा पोर्ट** जैसी परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ **बंदरगाह क्षमता में वृद्धि** हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ऊर्जा: कुल स्थापित विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा की 209.4 गीगावाट- 47% हिस्सेदारी) तक पहुँच गई।
- कनेक्टिविटी: 779 ज़िलों में 5G सेवाएँ शुरू की गईं, भारतनेट द्वारा 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर का विस्तार किया गया।
- ग्रामीण और शहरी विकास: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई तथा जल जीवन मिशन से 15.3 करोड़ परिवारों (79.1%) लाभान्वित हुए।
- 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 2.9 करोड़ घरों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (DDUGJY) और सौभाग्य योजना के तहत शामिल किया गया।
  - स्वच्छ भारत मिशन (द्वितीय चरण) के तहत 2024 में 1.92 लाख गाँवों को ODF+ घोषित किये गए है, जिससे वर्ष 2024 तक कुल 3.64 लाख गाँव ने ODF+ का दर्जा हासिल कर लिया है।
- अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ: भारत 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें स्पेस विज़न 2047 का लक्ष्य गगनयान और चंद्रयान-4 जैसे मिशन शामिल हैं।

- उद्योग एवं विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है (प्रथम अग्रिम अनुमान), जो विद्युत् और निर्माण में मज़बूत वृद्धि से प्रेरित है।
  - सरकार स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से अपनाने की प्रथा पर ज़ोर तथा समर्थ उद्योग केंद्रों की स्थापना में सहयोग कर रही है।
  - प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, जिसमें इस्पात उत्पादन 3.3%की वृद्धि दर्ज की गई (अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025) और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर बनाए गए, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता काफी कम हो गई है।
    - WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट आवेदनों के साथ छठे स्थान पर है, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से आधे से अधिक निवासी (रेजिडेंट) फाइलिंग (55.2 प्रतिशत) हैं। यह देश के लिये पहली बार है।
  - MSME क्षेत्र में 23.24 करोड़ लोग कार्यरत हैं, तथा 2.39 करोड़ व्यवसाय उद्यम सहायता के अंतर्गत औपचारिक हैं।
    - सरकार ने विस्तार की क्षमता वाले MSME को इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराने के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष की शुरुआत की।
- सेवाएँ: भारत का सेवा क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर कुल सकल मूल्यवर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्तवर्ष 2025 में लगभग 55 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। विनिर्माण के सेवाकरण अर्थात विनिर्माण उत्पादन में सेवाओं के उपयोग में वृद्धि और उत्पादन के बाद मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से सेवाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में योगदान करती है।
  - वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर है (4.3% हिस्सेदारी)।
  - सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएँ 12.8% CAGR (वित्त वर्ष 13-वित्त वर्ष 23) की दर से बढ़ीं, जिससे उनका जीवीए हिस्सा 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया है।
  - रेलवे यात्री यातायात में 8% तथा माल ढुलाई में 5.2% की वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2024) है।
  - पर्यटन क्षेत्र में सुधार तीव्र गति से हुआ है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2023) में 5% का योगदान दिया है, तथा अचल संपत्ति की बिक्री वित्त वर्ष 2025 में 11 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।
- वर्ष 1.18 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक मोबाइल डेटा खपत में अग्रणी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

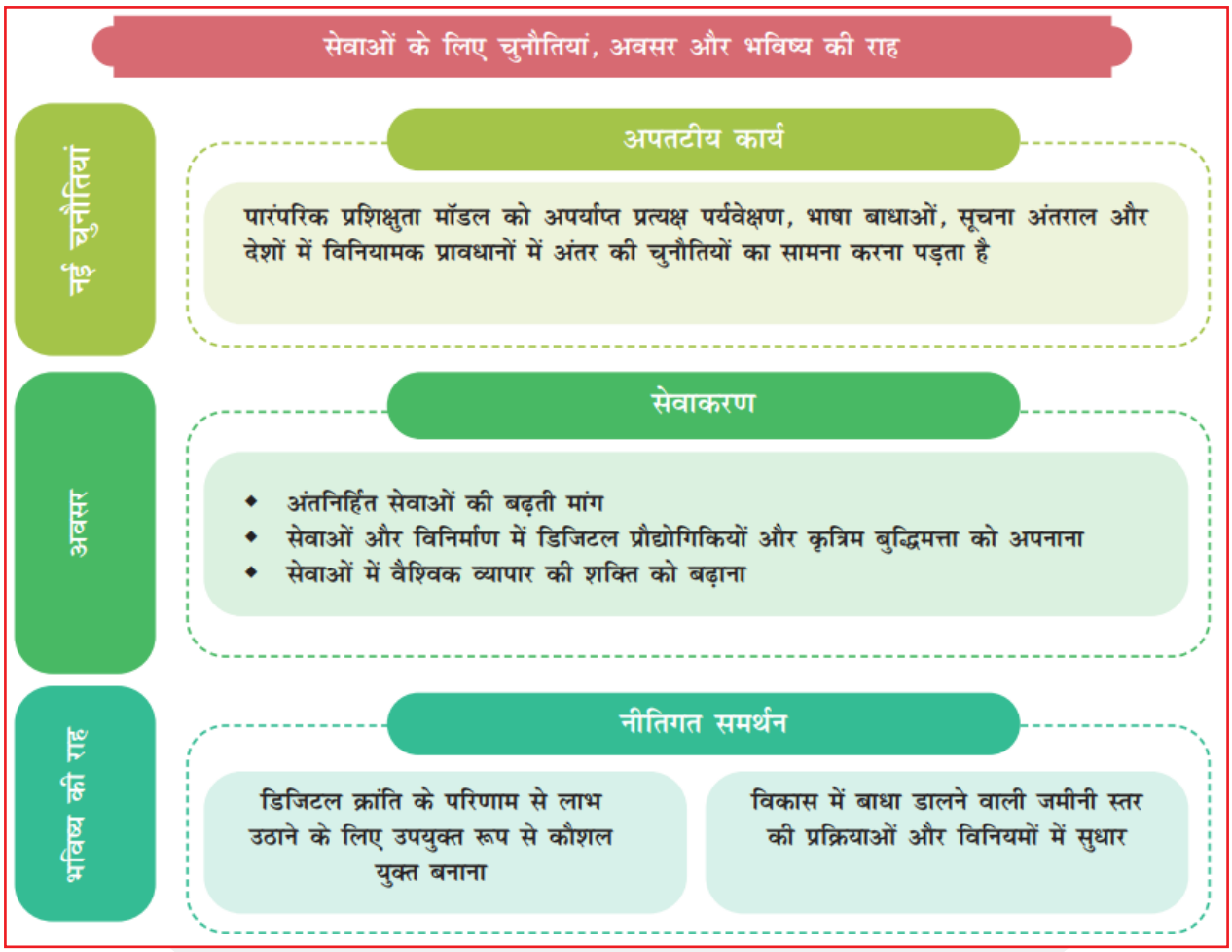

- **कृषि और खाद्य प्रबंधन:** भारत के **कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2024) में 16% का** योगदान है तथा इससे **46.1% लोगों को रोज़गार मिलता है**, जिसमें **वार्षिक वृद्धि 5% दर्ज की (वित्त वर्ष 2017-वित्त वर्ष 2023)** गई है।
  - **कुल खरीफ खाद्यान्न प्रथम अग्रिम अनुमान** के अनुसार, 2024 के लिये उत्पादन **1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT)** तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 अधिक है, जबकि **मत्स्य पालन (184 LMT) और पशुधन (CAGR 12.99%)** ने पारंपरिक खेती को पीछे छोड़ दिया।
  - किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिये **अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 59% और 77% (वित्त वर्ष 2025)** की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - **भारत का 55% शुद्ध बोया गया क्षेत्र सिंचित है, तथा दो-तिहाई कृषि भूमि** पर गंभीर रूप से सूखे का खतरा है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुँच गई है।
- **पीएम फसल बीमा योजना (फसल बीमा):** इस योजना के तहत **4 करोड़ किसानों** को नामांकित किया **गया है तथा वित्त**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वर्ष 2024 में बीमा के तहत कवर किया गया क्षेत्र 600 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है,

- बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये **ई-नाम प्लेटफॉर्म** में **1.78 करोड़ किसान, 2.62 लाख व्यापारी** (अक्तूबर, 2024) पंजीकृत हुए हैं।
- **खाद्य सुरक्षा और प्रसंस्करण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAV)** के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
  - ❖ **खाद्य प्रसंस्करण** निर्यात **46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वित्त वर्ष 24)** तक पहुँच गया, जिसमें कृषि-खाद्य निर्यात का हिस्सा **23.4% (भारत के कुल निर्यात का 11.7%)** था।
- **जलवायु और पर्यावरण:** जलवायु अनुकूलन व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **3.7% से बढ़कर 5.6%** हो गया (वित्त वर्ष 2016-वित्त वर्ष 2022)।
- **पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE)** पहल **स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे** कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से **वर्ष 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की वैश्विक बचत होने की संभावना है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन:** भारत की विद्युत **क्षमता का 46.8%** गैर-जीवाश्म ईंधन से आता है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत् उत्पादन क्षमता को **50% तक बढ़ाना** है।
  - ❖ **वन कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO_2 (2005-2023) की वृद्धि** हुई है।
- **जलवायु वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: COP 29 पर्याप्त जलवायु निधि** सुरक्षित करने में विफल रहा, जिसमें 300 बिलियन **अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लक्ष्य था, जबकि वर्ष 2030 तक 5.1 से 6.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता थी।
- भारत ने हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु **वित्त वर्ष 2024 में 20,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर** के **सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड** जारी किये है।
- **सतत् विकास: 'तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव' (MISHTI) पहल के तहत 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर मैंग्रोव** को पुनर्स्थापित किया जाएगा।
- **अमृत 2.0 के माध्यम से जल संरक्षण** (3,078 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएँ स्वीकृत)।
- **पीएम सूर्य घर** (7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित; लक्ष्य: 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है)।
- **ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन: कोयला भारत का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत** बना हुआ है, जिसमें दक्षता के लिये **65,290 मेगावाट सुपरक्रिटिकल** कोयला संयंत्र हैं।
  - ❖ संतुलित परिवर्तन के लिये **परमाणु, हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा कार्यक्रमों** का विस्तार किया जा रहा है।

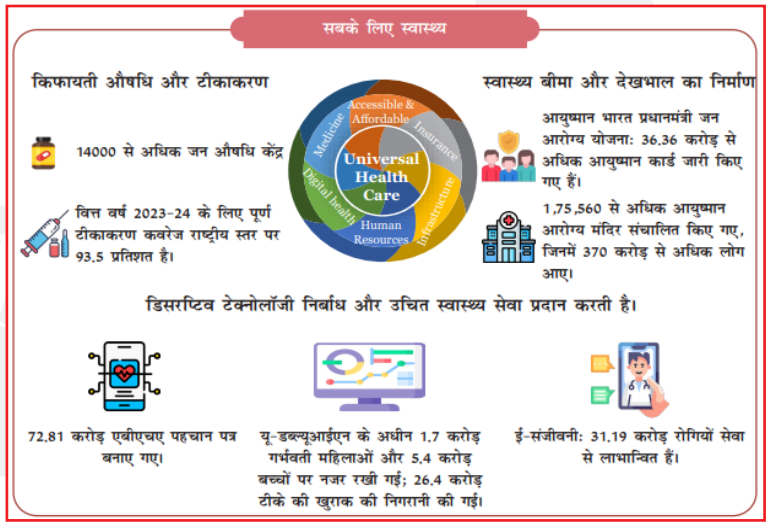

- **सामाजिक क्षेत्र:** भारत का **सामाजिक क्षेत्र व्यय 15% CAGR (वित्त वर्ष 21-वित्त वर्ष 25) से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 25.7 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया है।
  - ❖ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये **गिनी गुणांक** वर्ष 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237, तथा शहरी क्षेत्रों के लिये यह वर्ष 2022-23 में 0.314 से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.284 रह गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **शिक्षा और कौशल विकास: शिक्षा पर व्यय 12% CAGR से बढ़कर 9.2 लाख करोड़** रुपए हो गया, जिससे ड्रॉपआउट दर घटकर **1.9% (प्राथमिक) और 14.1% (माध्यमिक) हो गई है**, जबकि **उच्च शिक्षा में नामांकन 26.5% (2014-2022) बढ़ा,** जिससे **सकल नामांकन अनुपात** (GER) 28.4% हो गया है।
- **स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा:** स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 18% बढ़कर 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAR) से चिकित्सा के व्यय में 1.25 लाख करोड़ रुपए** की बचत हुई है।
- **कल्याण: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** (PMGKAY) 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, जिसमें **राशन कार्ड के माध्यम से 84% परिवार** शामिल हैं।

- **राजकोषीय नीतियों से असमानता कम करने में मदद मिली,** जिससे **निचले 5% ग्रामीण एवं शहरी उपभोग में क्रमशः 22% और 19%** की वृद्धि हुई है।
- **रोज़गार और कौशल विकास:** भारत की **बेरोज़गारी दर 6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई है,** जबकि **श्रम बल भागीदारी (LFPR) बढ़कर 60.1%** हो गई।
- **कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-59 वर्ष) 923.9 मिलियन (2026 अनुमान) तक पहुँच गई,** जो **जनसांख्यिकीय लाभांश** (10-24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का 26%) प्रदान करती है।
- ग्रामीण महिला LFPR **23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24)** हो गई है।
- **स्वरोज़गार बढ़कर 58.4%,** तथा नियमित वेतन वाला रोज़गार **21.7%** हो गया है।
- **रोज़गार के रुझान: औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि** दर्ज की गई है, **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** का शुद्ध वेतन संवर्द्धन **61 लाख (वित्त वर्ष 19) से दोगुना होकर 131 लाख** (वित्त वर्ष 24) हो गया है।
- **कौशल विकास और रोज़गार सृजन: स्टार्टअप इंडिया** के तहत महिला निदेशकों के साथ 73,151 स्टार्टअप।
  - ❖ **कौशल भारत और मुद्रा योजना** ने उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है।
- **बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र** रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो विकसित भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - ❖ सरकार AI और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक रुझानों के लिये कौशल बढ़ा रही है। **पीएम-इंटर्नशिप योजना** जैसी पहल रोज़गार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **AI युग में श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** श्रम बाज़ारों के लिये **अवसर और जोखिम दोनों** प्रस्तुत करती है, जिससे **75 मिलियन वैश्विक नौकरियाँ जोखिम में हैं (ILO 2024)** और **300 मिलियन पूर्णकालिक भूमिका उजागर हुई हैं (गोल्डमैन सॅक्स)**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारत का AI बाज़ार वर्ष 2027 तक 25-35% सीएजीआर (CAGR) से बढ़ने वाला है**, जिससे संतुलित संक्रमण के लिये कार्यबल का कौशल विकास, नियामक निरीक्षण और मानव-एआई सहयोग महत्त्वपूर्ण हो जाएगा।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वैश्विक:**
  - **भू-राजनीतिक जोखिम: रूस-यूक्रेन युद्ध और लाल सागर में व्यवधान** जैसे संघर्ष से व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव पड़ता है।
  - **वैश्विक व्यापार मंदी: संरक्षणवाद एवं आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन** से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
  - **वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता: अमेरिका और यूरोपीय संघ** में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण **पूंजी का बहिर्वाह** हो सकता है जिससे भारत के **विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता पर असर पड़ सकता है।**
- **मुद्रास्फीति:**
  - **क्रमिक खाद्य मुद्रास्फीति:** स्थिर कोर मुद्रास्फीति के बावजूद, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बना हुआ है।
    - **जलवायु प्रभाव:** अनियमित **मानसून, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं से खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आय** प्रभावित होती है।
- **निवेश और बुनियादी ढाँचे संबंधी बाधाएँ: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 38.8% CAGR (वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24)** की दर से बढ़ा है लेकिन **वैश्विक अनिश्चितताओं और नियामक चिंताओं** के कारण **निजी निवेश सीमित** बना हुआ है।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति प्रयासों के बावजूद लॉजिस्टिक्स लागत उच्च (GDP के सापेक्ष 13-14%)** रहने से औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा सीमित बनी हुई है।
  - **योजनाबद्ध शहरीकरण के अभाव** के परिणामस्वरूप प्रमुख शहरों में **यातायात भीड़ एवं अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन** के साथ **आवास की लागत में वृद्धि** बनी हुई है।
  - **स्मार्ट सिटी और शहरी परिवहन परियोजनाओं** से संबंधित विनियामक बाधाओं और वित्तपोषण अंतराल के कारण क्रियान्वयन में देरी का सामना करना पड़ता है।
- **रोज़गार एवं कौशल अंतराल:**
  - **रोज़गारविहीन संवृद्धि संबंधी चिंताएँ:** भारत के समक्ष **रोज़गारविहीन संवृद्धि** बनी हुई है जहाँ आर्थिक संवृद्धि की तुलना में रोज़गार सृजन धीमा बना हुआ है जिसका मुख्य कारण निम्न रोज़गार वाले क्षेत्रों पर ध्यान के साथ औद्योगिकीकरण में कमी तथा कौशल अंतराल का बना रहना है।
  - **कम LFPR: भारत में महिला LFPR 41.7% (वित्त वर्ष 25)** है, जो अभी भी 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है।
- **राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्र संबंधी जोखिम:** सब्सिडी की अधिकता, राजस्व की सीमित वृद्धि और केंद्रीय अंतरण पर निर्भरता के कारण **कई राज्यों के समक्ष उच्च ऋण बोझ** बना हुआ है।
  - **बढ़ते असुरक्षित ऋण जोखिम, NBFC और फिनटेक ऋणदाताओं** के लिये चुनौती बने हुए हैं जिसके लिये बेहतर विनियमन एवं निगरानी की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में **साइबर खतरे** भी बने हुए हैं।
  - **डिजिटल ऋण में वृद्धि के बावजूद, MSME की ऋण तक सीमित पहुँच** से छोटे व्यवसाय के विस्तार में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **बाह्य क्षेत्र: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह** में पिछले वर्ष की तुलना में **17.9% की वृद्धि** हुई है लेकिन **उच्च प्रत्यावर्तन (Higher Repatriation)** और **विनिवेश** चिंता के विषय बने हुए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **IT और सेवाओं पर निर्यात निर्भरता (सेवा निर्यात में 70% निर्भरता IT और व्यावसायिक सेवाओं पर है)** से वैश्विक मांग असंतुलन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है।

- **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण: ग्रिड स्थिरता संबंधी मुद्दों,** उच्च भंडारण लागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में धीमेपन के कारण भारत को ऊर्जा संक्रमण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - **कोयले** पर अभी भी अधिक निर्भरता बने रहने से स्वच्छ ऊर्जा की ओर रूपांतरण में देरी हो रही है।
  - जलवायु जोखिम, चरम मौसम और अपर्याप्त वैश्विक जलवायु वित्त, सतत् विकास में बाधक हैं।

भारत के लिए चुनौतियां और प्राथमिकताएं

चुनौतियां

- वर्ष 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक निवल शून्य बनने के लिए उच्च आर्थिक विकास।
- वित्त और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अत्यंत अपर्याप्त है। भारत अपनी आवश्यकताओं को अधिकतर अपने स्वयं के बजटीय स्रोतों से पूरा करता है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर का एक छोटा एनसीक्यूजी निर्धारित किया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की सीमा को देखते हुए सभी के लिए रोजगार सृजन और किफायती ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निम्न कार्बन वाले विकास की राह का पालन करना।

प्राथमिकताएं

- जलवायु परिवर्तन की उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए अनुकूलन को सबसे आगे लाना।
- सुपर-क्रिटिकल (एससी), अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल (यूएससी) और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से अपनी अपरिहार्य तापीय ऊर्जा की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना।
- मिशन एलआईएफई के तहत परिकल्पित उपभोग और उत्पादन के व्यवहार के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता पर भी ध्यान केंद्रित करना।

- **EoDB सुधार: ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB)** संबंधी सुधारों के बावजूद **श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण एवं कर जटिलताएँ अभी भी MSME और स्टार्टअप्स** के लिये बाधक हैं।
  - भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय **सकल घरेलू उत्पाद का 0.64%** ही है, जिससे नवाचार एवं तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित हो रही है।
- **AI का प्रभाव: AI की विश्वसनीयता अभी भी अप्रमाणित** है जिसके कारण **नियुक्ति में पूर्वाग्रह, पूर्वानुमानात्मक निगरानी एवं स्वचालन विफलताएँ** बनी हुई हैं।
- **AI डेटा केंद्रों की ऊर्जा मांग,** भारत की **कुल विद्युत खपत (1,580 टेरावाट-घंटे)** तक पहुँच सकती है (ब्लूमबर्ग, 2024)।
- **भारतीय IT, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और बैंकिंग क्षेत्रों को AI के संदर्भ में उच्च व्यवधान (विशेष रूप से लो वैल्यू सर्विस जॉब में)** का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

एआई के स्केल निर्धारण संबंधी चुनौतियाँ

व्यावहार्यता

सफलताओं को व्यावहारिक, व्यापक रूप से अपनाए गए अनुप्रयोगों में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एआई वर्तमान में

प्रयोगात्मक और असमान उपयो. गिता को दर्शाता है

विश्वसनीयता

वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वायत्त संवाहकों या स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों में विफलताएँ समस्या बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं

अवसंरचना

बड़े पैमाने पर एआई से संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें डाटा सेंटर, डाटा को क्लीन करने संबंधी पाइपला. इन और कम्प्यूटेशनल संसाधन शामिल हैं

संसाधन

बड़े मॉडल सघन संसाधन युक्त होते हैं, जिनमें उच्च ऊर्जा खपत, हार्डवेयर और वित्तपोषण के लिए दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है, जिससे संधारणीय नवाचार आवश्यक हो जाता है

आगे की राह

- **भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन:** संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये **व्यापार साझेदारों में विविधता** लाने के साथ **क्षेत्रीय समझौतों** (जैसे, **हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा**, **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर**) को मज़बूत करना चाहिये।
  - **सामरिक पेट्रोलियम भंडार** और नवीकरणीय विकल्पों में निवेश करके **घरेलू ऊर्जा सुरक्षा** को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** के माध्यम से **घरेलू विनिर्माण एवं आपूर्ति शृंखला लचीलेपन का विस्तार** करना चाहिये तथा प्रमुख क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति देनी चाहिये।
- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:** खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये बेहतर **भंडारण, रसद और वास्तविक समय मूल्य निगरानी के साथ खाद्य आपूर्ति शृंखला** को मज़बूत करना चाहिये।
  - कर प्रोत्साहन, भूमि एवं श्रम सुधार, तथा व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाकर **निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।**
- **राजकोषीय स्थिरता को मज़बूत करना:** GST कवरेज का विस्तार एवं कर प्रशासन को डिजिटल बनाकर **राज्य कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि** करनी चाहिये।
  - राजकोषीय अनुशासन के साथ कल्याण को संतुलित करने के क्रम में **सब्सिडी को तर्कसंगत** बनाना चाहिये। **राज्यों को उचित राजकोषीय ढाँचे को अपनाने** के साथ अस्थिर उधार को सीमित करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बेरोज़गारी की समस्या का समाधान:** MSME की वृद्धि के लिये विनियमन को कम करना आवश्यक है ताकि अनुपालन बोझ को कम करके नवाचार एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
  - ❖ कार्यबल को भविष्य के रोज़गार हेतु तैयार करने के क्रम में **व्यावसायिक प्रशिक्षण में AI और डिजिटल कौशल** को एकीकृत करना चाहिये।
- **ऊर्जा संक्रमण:** कोयले पर निर्भरता कम करने के क्रम में **ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं** में तेज़ी लानी चाहिये। नवीकरणीय ऊर्जा के लिये ग्रिड स्थिरता में सुधार के लिये **ऊर्जा भंडारण समाधानों** में निवेश करना चाहिये।
  - ❖ फसल बीमा, जल संरक्षण एवं धारणीय कृषि पद्धतियों का विस्तार करके **जलवायु अनुकूलन** को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत का आर्थिक आधार मज़बूत बना हुआ है फिर भी वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति, निवेश में असंतुलन, रोज़गार सृजन एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये उच्च विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप, राजकोषीय अनुशासन तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

नियामक निकायों को मज़बूत बनाना

चर्चा में क्यों?

कुछ विशेषज्ञों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करने का आह्वान किया है, ताकि निर्णय लेने में इसे शामिल किया जा सके।

- उन्होंने तर्क दिया कि नियामक निकायों को अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिये ताकि हितधारकों को न केवल वास्तविकता में बल्कि धारणा में भी संतुष्टि प्राप्त हो।

नियामक निकाय क्या हैं?

- **परिचय:** नियामक निकाय वे संगठन हैं जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी और विनियमन करने, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिये स्थापित किये जाते हैं।
  - ❖ वर्ष 1991 से (LPG सुधारों के बाद), एकाधिकार को रोकने और बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाज़ार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को विनियमित करने के लिये कई प्राधिकरणों का गठन किया गया है।
  - ❖ अधिकांश नियामक निकाय अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं।
- **प्रकार:** मुख्य रूप से दो प्रकार के नियामक निकाय हैं, अर्थात्, वैधानिक नियामक निकाय (जैसे, SEBI) और स्व-नियामक निकाय (जैसे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया)।
- **कार्य:**

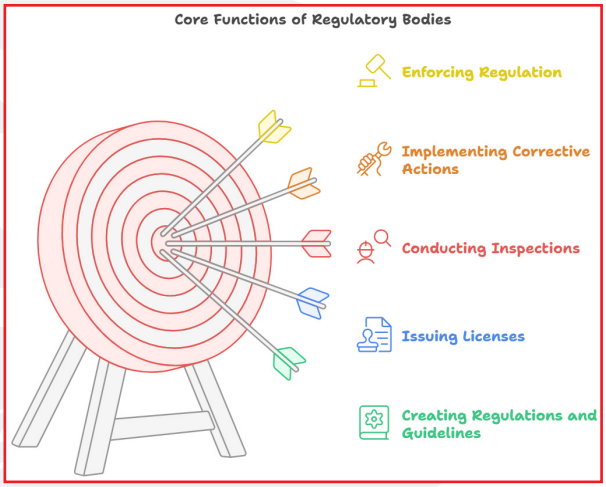

- **आवश्यकता:**
  - ❖ **उपभोक्ता हितों की रक्षा करना:** मानकों को लागू करना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना (उदाहरण के लिये, खाद्य सुरक्षा के लिये FSSAI, दूरसंचार मूल्य निर्धारण के लिये TRAI)।
    - ✸ **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक निर्धारित करना (उदाहरणार्थ, पर्यावरण के लिये CPCB)**
  - ❖ **बाज़ार स्थिरता:** धोखाधड़ी को रोकना और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये, वित्तीय बाज़ारों के लिये SEBI, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के लिये CCI)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **आर्थिक विकास:** क्षेत्रीय विकास को समर्थन देना (जैसे, वित्तीय स्वास्थ्य के लिये RBI, बीमा के लिये IRDAI) तथा निवेश आकर्षित करना।
- **विधिक अनुपालन:** कानून और पारदर्शिता को कायम रखना (उदाहरण के लिये, कानूनी अनुपालन के लिये CVC, ED)।
- **नैतिक मानक:** व्यावसायिक नैतिकता को विनियमित करना (उदाहरण के लिये, विधिक पेशेवरों के लिये बार काउंसिल ऑफ इंडिया)।

- **उदाहरण:** 30 से अधिक नियामक निकाय हैं। इनमें से कुछ प्राधिकरण इस प्रकार हैं:
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):** ऋण आपूर्ति, बैंकिंग परिचालन की देखरेख करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
  - **SEBI:** प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करता है, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है और निवेशकों की सुरक्षा करता है।
  - **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):** IRDAI बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है, तथा निष्पक्षता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।
  - **कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA):** कॉर्पोरेट प्रशासन को विनियमित करता है और हितधारकों के हितों की रक्षा करता है।
  - **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA):** PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पेंशन उद्योग विकास की देखरेख करता है।
  - **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB):** PNGRB की स्थापना PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी, जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और संबंधित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये तकनीकी और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।
  - **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग:** यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करता है और उनके अंतर-राज्यीय पारेषण की देखरेख करता है।

- **समस्याएँ:**
  - **स्वतंत्रता का अभाव:** TRAI जैसे भारतीय विनियामकों को मंत्रालयों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता तथा निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता है।
  - **वित्तीय स्वायत्तता का अभाव:** वे बजट के लिये मंत्रालय की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं तथा अधिशेष धनराशि भारत की समेकित निधि में वापस कर दी जाती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
  - **अप्रभावी नियुक्ति प्रक्रियाएँ:** शीर्ष अधिकारियों के पदों पर सामान्यत: सेवानिवृत्त सिविल सेवकों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिनमें विनियामक विशेषज्ञता का अभाव होता है, जिससे विश्वसनीयता और दक्षता प्रभावित होती है।
  - **संसदीय जवाबदेही का अभाव:** इन विनियामक निकायों पर संसद की पर्याप्त अन्वेक्षा का अभाव है, जिससे उनके निर्णयों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व का अभाव बढ़ता जा रहा है और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।
    - **उदाहरण हेतु, SEBI प्रत्यक्ष रूप से वित्त पर संसद की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है।**
  - **हितधारकों के साथ अपर्याप्त सहभागिता:** भारतीय विनियामक निकाय प्राय: हितधारकों के साथ सहभागिता करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जिनमें लोक अथवा उद्योग की आवश्यकताओं का पर्याप्त समावेशन नहीं होता है।
    - **उदाहरण हेतु, विनियामक निर्णयों के संबंध में SEBI के अस्पष्ट संचार से बाज़ार सहभागियों के बीच अनिश्चितता उत्पन्न होती है।**
  - **खंडित विनियामक ढाँचा:** विभिन्न वित्तीय खंडों (बीमा, बॉण्ड, डेरिवेटिव) की निगरानी अलग-अलग विनियामक निकायों द्वारा की जाती है, जिससे बाज़ार की दक्षता में बाधा उत्पन्न होती है।
    - **उदाहरण हेतु, बीमा और बॉण्ड के लिये अलग-अलग विनियामक निकायों से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (ऋण चूक पर बीमा) और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विनियामक निकायों में सुधार हेतु कदम

- **द्वितीय ARC की 12वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया:**
  - भ्रष्टाचार को कम करने के लिये विनियामक प्रक्रियाओं को सरल, कारगर और पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल बनाना चाहिये तथा इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ निर्धारित की जानी चाहिये।
  - विनियामक अभिकरणों के आंतरिक पर्यवेक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन में सुधार करना।
  - प्रवर्तन को सरल बनाने के लिये कराधान और लोक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्व-नियमन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **द्वितीय ARC की 13वीं रिपोर्ट की अनुशंसाएँ:**
  - मंत्रालयों को विनियामक निकायों के उद्देश्यों और भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए एक 'प्रबंधन वक्तव्य' तैयार करना चाहिये।
  - स्थिरता और स्वतंत्रता के लिये विनियामक प्राधिकारियों की नियुक्ति, पदावधि और निष्कासन में एकरूपता सुनिश्चित जानी चाहिये।
  - उत्तरदायित्व के लिये स्थायी समितियों के माध्यम से विनियामक निकायों की संसदीय निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

SEBI

- **परिचय:** SEBI एक सांविधिक निकाय (एक असांविधानिक निकाय) है जिसकी स्थापना SEBI अधिनियम, 1992 के तहत की गई है।
  - इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक असांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
  - SEBI से पहले, पूंजी निर्गम नियंत्रक, जो पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत विनियमित था, पूंजी बाज़ारों का विनियामक प्राधिकरण था।
- **उद्देश्य:** SEBI का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा इसे विनियमित करना है।
- **संरचना:** SEBI के बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
  - प्रतिभूति अपील अधिकरण (SAT) में SEBI के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई की जाती है तथा इसकी शक्तियाँ सिविल न्यायालय के समान होती हैं।
- **प्रमुख उत्तरदायित्व:** यह जारीकर्त्ताओं को वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है, निवेशकों के लिये सुरक्षा और सटीक जानकारी सुनिश्चित करता है, तथा मध्यस्थों के लिये प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **जवाबदेही:** नियामक निकायों को संसद की स्थायी समिति के प्रति जवाबदेह होना चाहिये, जो निगरानी, पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
  - नियामक के वार्षिक व्यय का लेखा-परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाना चाहिये और उसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये।
  - इसमें विशेषज्ञों, विद्वानों और विश्लेषकों से नियमित समीक्षाएँ उनके कार्यों और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
- **स्वतंत्र मूल्यांकन:** गहन शोध, बाज़ार निगरानी और सूचित निर्णय लेने के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (SEBI द्वारा वर्ष 2006 में स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट) जैसे अनुसंधान संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- **अंत:विषयक सहयोग:** SEBI, RBI, IRDAI और अन्य नियामक निकायों को एक समन्वित नियामक ढाँचा तैयार करना चाहिये, जो बाज़ार की स्थिरता को बढ़ाए और ऐसे परस्पर विरोधी नियमों को रोके जो नवाचार को बाधित करते हैं।
- **अनुसंधान क्षमता का निर्माण:** बेहतर निर्णय-निर्धारण और हस्तक्षेप के लिये इन्हें अर्थशास्त्र, वित्त और विधि क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक सलाहकार परिषद गठित करके विशेषज्ञता का व्यापक आधार विकसित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाना:** नियामक निकाय UK की रेगुलेटरी पॉलिसी कमिटी और ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्टिविटी कमीशन जैसी सफल केस स्टडीज़ (case studies) से सीख सकते हैं, जो नियामक समरसता (regulatory coherence) को प्रोत्साहित करती हैं और बाज़ार दक्षता (market efficiency) को बढ़ाती हैं।
  - ब्राज़ील का दूरसंचार नियामक स्वतंत्र है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चयनित किये जाते हैं और संसद द्वारा अनुमोदित होते हैं।
- **स्वतंत्र छत्र निकाय:** पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने एक स्वतंत्र शीर्ष निकाय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो CBI, SFIO और ED जैसी एजेंसियों को एक छत के नीचे लाए। यह निकाय एक विधेयक के तहत स्थापित हो, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियाँ, कार्य और क्षेत्राधिकार हों।
- इन नियामक निकायों के नियमन हेतु एक समान निकाय की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय नियामक निकायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और निर्णय लेने में इनकी जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।

ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा में संतुलन

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये एक विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के निरंतर महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय बजट 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ पहलों की घोषणा की गई।

ऊर्जा सुरक्षा क्या है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य एक विश्वसनीय, सतत् और सस्ती ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखने की क्षमता से है जो व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- **अवयव:**
  - **उपलब्धता:** मांग को पूरा करने के लिये विविध स्रोतों से विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति।
  - **सुगम्यता:** दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी तक ऊर्जा पहुँचाने के लिये बुनियादी ढाँचा।
  - **वहनीयता:** उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिये स्थिर, लागत प्रभावी ऊर्जा कीमतें।
  - **स्थिरता:** दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन के लिये स्वच्छ, कुशल ऊर्जा उपयोग।
- **महत्व:** यह दैनिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने तथा कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक है।
  - **आर्थिक विकास:** औद्योगिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
  - **राजनीतिक स्थिरता:** ऊर्जा की कमी से उत्पन्न अशांति को रोकती है।
  - **सतत् विकास:** भविष्य के लिये स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करता है।
  - **खाद्य सुरक्षा:** कृषि के लिये आवश्यक, खाद्य उत्पादन, वितरण और कीमतों को प्रभावित करती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक:**
  - **भौतिक कारक:** जीवाश्म समृद्ध क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा बेहतर है, जबकि अन्य क्षेत्रों को अभाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - **लागत:** गैर-नवीकरणीय संसाधनों के ह्रास से निष्कर्षण लागत और ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं।
  - **प्रौद्योगिकी:** प्रगति ने नवीकरणीय ऊर्जा को व्यवहार्य बना दिया है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राजनीतिक कारक:** भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कोयला क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **विशाल कोयला भंडार:** भारत में विश्व के कोयला भंडार का 10% हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% ही है, जिससे कोयला देश में सबसे विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत बन गया है।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** कोयला आधारित विद्युत सयंत्रों में, विशेष रूप से 2010 के दशक के दौरान, महत्त्वपूर्ण निवेश किया गया है, तथा उनके समय से पूर्व बंद हो जाने से उनका उपयोग कम हो जाएगा तथा वे अनुपयुक्त हो जाएंगे।
- **जलवायु वित्तपोषण:** बाकू, अज़रबैजान में आयोजित UNFCCC COP 29 में विकसित देशों ने वार्षिक जलवायु वित्तपोषण के लिये केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।
  - परिणामस्वरूप भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों में संशोधन करना पड़ सकता है तथा कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियाँ:** सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  - ग्रिड एकीकरण के लिये उच्च निवेश
  - रुकावट को प्रबंधित करने के लिये बैटरी भंडारण से संबंधित समस्याएँ।
  - नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिये सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित है।
  - नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ प्राय: आयातित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती हैं, जिससे भारत की बाहरी भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, तथा ऊर्जा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- **विकसित देशों से सबक:** अतीत में ऊर्जा परिवर्तन वाणिज्यिक हितों से प्रेरित थे, न कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्सर्जन को सीमित करने की इच्छा से।
  - फ्राँस ने 1970 के दशक में तेल प्रतिबंधों के कारण अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार किया , जबकि 2022 में यूरोपीय संघ ने रूसी गैस आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिये REPowerEU योजना शुरू की।
  - वर्ष 2023 में, अमेरिका ने अलास्का में अपनी सबसे बड़ी तेल-ड्रिलिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिससे यह उज़ागर हुआ कि विकसित देश भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं।
- **संकुलन लागत:** नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण से संकुलन लागत (Congestion Costs) आती है और इसके कारण कई देशों में विद्युत् की कीमतें बढ़ गई हैं।
  - संकुलन लागत (Congestion Costs) से तात्पर्य सीमित पारेषण या वितरण क्षमता से उत्पन्न अतिरिक्त लागत से है, जो विद्युत् वितरण को अकुशल बनाती है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति

- **संस्थापित क्षमता:** नवंबर 2024 तक, भारत में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 213,701 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध है, जो कुल विद्युत् क्षमता का 46.8% है।
  - भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% विद्युत् उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन से करने का है।
- **प्रगति:** वर्ष 2022-23 में, 420.8 हज़ार GWh गैर-जीवाश्म ईंधन से आया, जिसने कुल उत्पादन में 22.8% का योगदान दिया।
  - बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का योगदान 8.81% है, परमाणु ऊर्जा का योगदान 2.49% है, तथा सौर, पवन, बायोमास का योगदान 11.52% है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

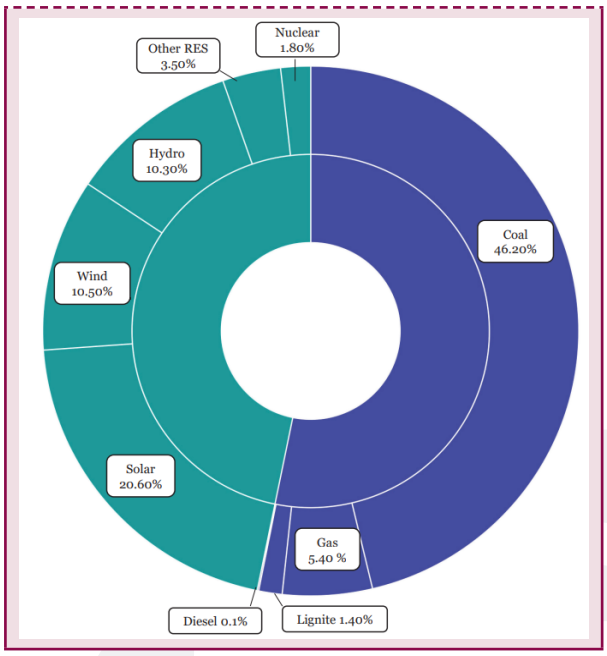

केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु कौन-सी घोषणाएँ की गई हैं?

- **सीमा शुल्क छूट:** कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य क्रांतिक खनिजों को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान दी गई है।
  - ❖ जुलाई 2024 में घरेलू स्तर पर उपलब्ध न होने वाले 25 क्रांतिक खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी गई।
- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM):** प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल सृजन और स्वच्छ ऊर्जा हेतु वित्तपोषण तंत्र के लिये NCMM को वर्ष 2025-26 के लिये 410 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
  - ❖ खान मंत्रालय के अंतर्गत NCMM का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, क्रांतिक खनिजों का पुनर्चक्रण करना और वैश्विक खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है।
- **परमाणु ऊर्जा मिशन:** परमाणु ऊर्जा मिशन के लिये 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करना है।
  - ❖ इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम से कम पाँच SMR रिएक्टरों का परिचालन करना है।
  - ❖ भारत लघु रिएक्टर (BSR) और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
    - ✸ BSR का तात्पर्य भारत के मौजूदा दाबित भारी जल रिएक्टरों (PHWR) के क्रमिक रूप से संशोधित रूपों से है, जबकि BSMR एक नई तकनीक है जिस पर विश्व स्तर पर शोध किया जा रहा है।

भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली पहलें कौन-सी हैं?

- (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और उनका विनिर्माण (FAME)
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA)
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)
- राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM)
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और SATAT
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

निष्कर्ष

भारत का ऊर्जा संक्रमण क्रमिक और रणनीतिक होना चाहिये, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना शामिल है। हालाँकि कोयला महत्त्वपूर्ण बना हुआ है किंतु नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और क्रांतिक खनिजों में निवेश किया जाना आवश्यक है। वैश्विक अनुभवों से सीख लेते हुए, भारत को वर्ष 2070 तक अपने नेट-ज़ीरो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ऊर्जा संवहनीयता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के निम्न-कार्बन ऊर्जा भविष्य की ओर बदलाव में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में बुनियादी ढाँचे का विकास

चर्चा में क्यों?

भारत ने पिछले दशक में बुनियादी ढाँचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है जो आर्थिक विकास का आधार है।

- भारत में कुल बुनियादी ढाँचा निवेश (पूंजीगत व्यय) वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

बजट 2025-26 में कौन सी बुनियादी ढाँचागत पहल की घोषणा की गई?

- **बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण:** राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत अगले 5 वर्षों (2025-30) में 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा।
  - ❖ 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा।
  - ❖ सरकार बुनियादी ढाँचे में वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के कराधान में निश्चितता प्रदान करेगी।
  - ❖ राज्यों को भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF) ऋण द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रस्ताव करना होगा।
- **रेलवे:** भारत का लक्ष्य चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेलवे बनना और स्वदेशी हाई-स्पीड 'बुलेट' ट्रेनें बनाना है।
  - ❖ भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा करने लेगा।
- **जहाज़ निर्माण:** सागरीय उद्योग को समर्थन देने, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिये 25,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा।
  - ❖ **बड़े जहाज़ों को बुनियादी ढाँचे का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वित्तीय लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी आएगी।**
    - ✸ बुनियादी ढाँचे का दर्जा बेहतर वित्तपोषण, कर लाभ, सरकारी सहायता और कम नियामक बाधाओं को सक्षम बनाता है।
  - ❖ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग (Ship Breaking) के लिये क्रेडिट नोट शुरू किये जाएंगे।
    - ✸ क्रेडिट नोट का प्रयोग प्राय: तब किया जाता है जब कोई खरीदार वस्तु लौटाता है। इससे जहाज़ तोड़ने वाली कंपनियों को टूटे हुए जहाज़ों से प्राप्त स्टील, ताँबा और एल्युमीनियम जैसी सामग्री को वापस करने या रीसाइकिल करने में मदद मिल सकती है।
- **विमानन क्षेत्र:** UDAN योजना में आगामी 10 वर्षों के लिये विस्तार किया गया है तथा संशोधित UDAN योजना में 120 नए गंतव्य शामिल किये गए हैं, जिससे 40 मिलियन और अधिक यात्रियों को सेवा मिलेगी।
  - ❖ बिहार के पटना और बिहटा (पटना में) हवाईअड्डों के विस्तार के साथ-साथ नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे भी विकसित किये जाएंगे।
- **आवासन:** सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से 1 लाख अपूर्ण आवासन इकाइयों के निर्माण में तेज़ी लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपए का SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था:** बैंकों से बेहतर ऋण और 30,000 रुपए की सीमा के साथ UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिये PM स्वनिधि में संशोधन किया जाएगा।

भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास की स्थिति क्या है?

- **राजमार्ग और सड़कें:** वर्ष 2024 तक 1,46,145 किमी. क्षेत्र में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के साथ भारत में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद)।
  - ❖ वर्ष 2024 में संक्रियात्मक हाई स्पीड कॉरिडोर में विस्तरण के साथ इनकी लंबाई बढ़कर 2,138 किमी. (2024) हो गई है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 2.8 गुना बढ़

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

गई है (वर्ष 2014-15 में 12.1 किमी./दिन से वर्ष 2023-24 में 33.8 किमी./दिन), और पूंजीगत व्यय 5.7 गुना बढ़ गया है (2013-24)।

- **रेलवे:** दिसंबर 2023 तक, ब्रॉड-गेज पटरियों (जिन्हें बड़ी लाइन कहा जाता है और दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फीट 6 इंच होती है) का 93.83% विद्युतीकरण कर लिया गया था, जो वर्ष 2014 में 21,801 किमी. था।
  - ❖ वर्ष 2014 से 2023 की अवधि में 80,478 कोचों में बायो-टॉयलेट की व्यवस्था की गई।
- **नागर विमानन:** भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है, जहाँ संक्रियात्मक हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 157 (2024) हो गई है।
  - ❖ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)- UDAN के अंतर्गत दिसंबर, 2024 तक लगभग 147 लाख यात्रियों को लाभ हुआ।

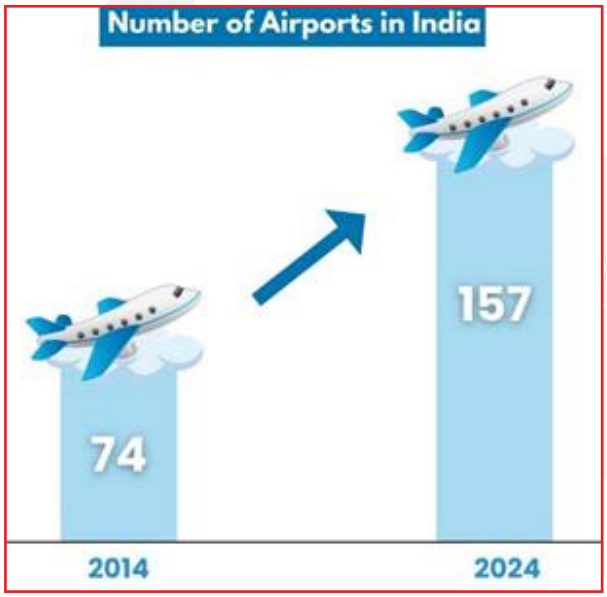

- **पत्तन और पोत परिवहन:** भारत में 12 प्रमुख पत्तन और 217 लघु/मध्यवर्ती पत्तन हैं।
  - ❖ कार्गो हैंडलिंग क्षमता 800.5 मीट्रिक टन (2014) से बढ़कर 1,630 मीट्रिक टन (2024) (87% वर्द्धन) हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की शिपिंग रैंक वर्ष 2014 के 44वें स्थान से बढ़कर 22वें स्थान पर पहुँच गई।
- **शहरी कार्य और आवासन:** स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अंतर्गत लगभग 91% परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं।
  - ❖ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत शहरी अपशिष्ट संग्रहण में 97% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक) और इसके साथ ही इसी अवधि में अपशिष्ट प्रसंस्करण 18% से बढ़कर 78% हो गया है।
  - ❖ वर्ष 2015 से वर्ष 2024 की अवधि में PMAY-U के अंतर्गत 118.64 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई।

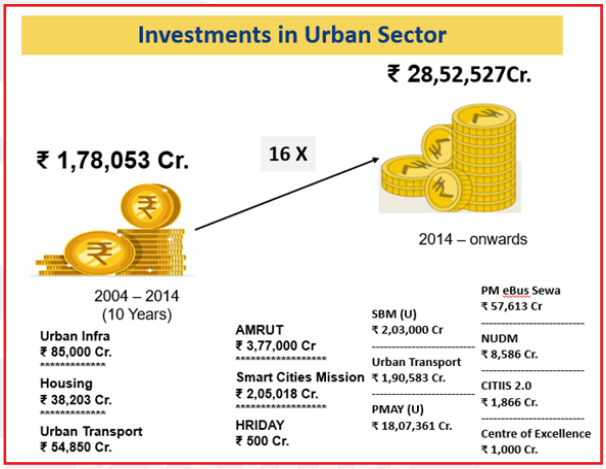

- **मेट्रो रेल:** भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किमी (2014) से बढ़कर 993 किमी (2024) हो गया है, जिसमें कमीशनिंग 0.68 किमी से बढ़कर 6 किमी/माह हो गई है तथा मेट्रो शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 23 हो गई है।
- **नल जल कनेक्शन:** जल जीवन मिशन ने फरवरी, 2025 तक ग्रामीण नल जल कवरेज को 3.23 करोड़ (17%) से बढ़ाकर 15.44 करोड़ (79.74%) घरों तक पहुँचा दिया है।
- जल जीवन मिशन ने 1 फरवरी, 2025 तक, अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन का कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक घरों तक पहुँच गया है, जो भारत में सभी ग्रामीण घरों का 79.74% है। शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आधारभूत अवसंरचना क्या है?

- **आधारभूत अवसंरचना:** आधारभूत अवसंरचना (capex) से तात्पर्य किसी व्यवसाय, क्षेत्र या राष्ट्र के कामकाज के लिये आवश्यक बुनियादी प्रणालियों से है।
  - विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, सड़क, साइबर सुरक्षा और दूरसंचार जैसे क्षेत्र बुनियादी ढाँचे का हिस्सा हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - **दीर्घकालिक निवेश:** इसमें बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक संरचनाएँ जैसे विद्युत ग्रिड और परिवहन प्रणालियाँ शामिल होती हैं।
  - **सार्वजनिक उपयोगिताएँ और कार्य:** इसमें उपयोगिताएँ (जैसे, विद्युत, पानी) और सार्वजनिक कार्य (जैसे, सड़क, रेलवे) शामिल हैं।
  - **प्राकृतिक एकाधिकार:** उच्च प्रारंभिक लागत प्रतिस्पर्द्धा आपूर्ति को अकुशल बना देती है (उदाहरण के लिये, पावर ग्रिड)।
  - **गैर-व्यापारिक सेवाएँ:** पानी और विद्युत् जैसी सेवाओं को सीमा पार नहीं बेचा जा सकता।
  - **सार्वजनिक और निजी वस्तुएँ:** समाज को लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन अक्सर उपयोग शुल्क की आवश्यकता होती है।
  - **उच्च डूबी हुई लागत (High-Sunk Costs):** एक बार निवेश कर दिए जाने के बाद, आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में संसाधनों को, सफलता या विफलता के बावजूद, वापस नहीं पाया जा सकता।
- **सार्वजनिक सेवा के रूप में आधारभूत अवसंरचना:**
  - **गैर-प्रतिद्वंद्वी प्रकृति:** एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरों के लिये उपलब्धता कम नहीं होती है।
  - **मूल्य बहिष्करण:** इन्हें शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत, भुगतान के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- **सामाजिक अवसंरचना:** अवसंरचना में अस्पताल और स्कूल जैसी सामाजिक क्षेत्र की सुविधाएँ भी शामिल हैं, हालाँकि इनमें एकाधिकार संबंधी विशेषताएँ नहीं होती हैं।

आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- **PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP):** NMP में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:** वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2018 के 44वें स्थान से 6 स्थान सुधरकर वर्ष 2023 में 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुँच गई है।
- **भारतमाला परियोजना:** नवंबर, 2024 तक परियोजना के तहत कुल 18,926 किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना:** वर्ष 2024-25 में 7,71,950 कि.मी सड़कें पूरी हुईं।
- **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़ान:** अब तक 619 RCS मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है, जो 13 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डों सहित 88 हवाई अड्डों को आपस में जोड़ता हैं।

निष्कर्ष:

भारत के आधारभूत अवसंरचना के विकास में सड़क, रेलवे, नागरिक उड्डयन और शहरी मामलों में प्रगति के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्तपोषण योजनाओं और परियोजना प्रस्तावों सहित सरकार की पहलों का उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना को और बढ़ावा देना है, जिससे यह आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण बन सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. आधारभूत अवसंरचना का विकास भारत की समग्र सामाजिक-आर्थिक भलाई में किस प्रकार योगदान दे सकता है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

केंद्रीय बजट 2025-26 में MSME को बढ़ावा देने के उपाय

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की** अहम भूमिका को मान्यता देते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण उपाय किये गए हैं।

MSME हेतु केंद्रीय बजट में कौन-से प्रमुख उपाय किये गए हैं?

- **निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि:** MSME को **वृहद स्तर पर संचालन करने** और **बेहतर संसाधनों तक पहुँच** में सहायता करने हेतु निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमश: **2.5 गुना** और **2 गुना** बढ़ा दिया गया है।
  - इससे **अधिकाधिक व्यवसाय** MSME के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकेंगे तथा सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **ऋण की अधिक उपलब्धता:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये **ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए** से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे पाँच वर्षों में **1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण** उपलब्ध हो सकेगा।
  - **स्टार्टअप्स का गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए** से दोगुना होकर **20 करोड़ रुपए** हो गया और साथ ही **27 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों** में ऋण के लिये शुल्क में 1% की कमी की गई।
  - अधिक गारंटी कवर के साथ अब **निर्यात करने वाले MSME 20 करोड़ रुपए के सावधि ऋण** हेतु पात्र होंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- **MSME क्रेडिट कार्ड:** वर्ष 2025 के बजट में **विकास को बढ़ावा देने और ऋण अभिगम को सुव्यवस्थित करने के लिये MSME क्रेडिट कार्ड** पेश किये गए हैं और साथ ही विशेषज्ञों ने नौकरशाही बाधाओं को कम करने का आह्वान किया।
  - इसके अंतर्गत पहले वर्ष में **10 लाख कार्ड** जारी किये जाने के साथ **उद्यम पोर्टल** पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिये **5 लाख रुपए की ऋण सुविधा** प्रदान की जाएगी।
- **स्टार्टअप्स हेतु सहायता:** स्टार्टअप्स को अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए का एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।
- **पहली बार व्यवसाय कर रहे उद्यमियों हेतु योजना:** यह एक नई योजना है जिसका उद्देश्य पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, **अनुसूचित जाति (SC)** और **अनुसूचित जनजाति (ST)** के उद्यमियों का सशक्तीकरण करना है।
  - इस **पहल के तहत आगामी पाँच वर्षों में 2 करोड़ रुपए** तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  - स्टैंड-अप इंडिया योजना को आधार मानते हुए, इस योजना में उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाने हेतु ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल किया जाएँगे।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM): केंद्रीय बजट 2025-26** में NMM की घोषणा की गई थी जो **सौर फोटोवोल्टिक (PV) सेल**, **इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी**, पवन टर्बाइन और ट्रांसमिशन उपकरण सहित **स्वच्छ तकनीक विनिर्माण** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **मेक इन इंडिया** के लक्ष्यों के अनुरूप है।
  - इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना और चीनी आयात पर निर्भरता कम करना है।
- **श्रम-गहन क्षेत्र समर्थन:**
  - **फोकस उत्पाद योजना: डिज़ाइन, घटक निर्माण और गैर-चमड़े के जूते के उत्पादन का समर्थन करता है, जिससे 22 लाख नौकरियाँ** सृजित होने और **4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने** की उम्मीद है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **खिलौना क्षेत्र:** खिलौना क्षेत्र के लिये एक नई योजना क्लस्टर विकास और कौशल निर्माण को बढ़ावा देगी, जिसका उद्देश्य **भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र** के रूप में स्थापित करना है।
- **खाद्य प्रसंस्करण: पूर्वी भारत के खाद्य उद्योगों** को बढ़ावा देने के लिये बिहार में **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान** की स्थापना।

- **क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग:** सरकार का लक्ष्य क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग सेवाओं को **भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 3% तक पहुँचाना है,** जो वैश्विक औसत के बराबर है।
  - इससे MSME को **एक्सपोर्ट फैक्टरिंग** के माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे नकदी प्रवाह में सुधार होगा और वित्तीय तनाव कम होगा।
    - एक्सपोर्ट फैक्टरिंग एक वित्तपोषण पद्धति है, जिसमें निर्यातक अपनी प्राप्तियों को तत्काल भुगतान के बदले में छूट पर **किसी तीसरे पक्ष (फैक्टर) को विक्रय करते हैं,** जिससे बैंक पर निर्भरता कम होती है और विकास को सहायता मिलती है।

भारत में MSME का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **रोज़गार:** MSME भारत में **25.18 करोड़** से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देते हैं एवं आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आर्थिक योगदान:** भारत के **सकल मूल्य वर्द्धन (GVA)** में MSME की हिस्सेदारी **वर्ष 2020-21 में 27.3%** से बढ़कर **वर्ष 2022-23 में 30.1%** हो गई है, जो राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में इसके बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
- **निर्यात वृद्धि: MSME से निर्यात वर्ष 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपए** से बढ़कर वर्ष **2024-25 में 12.39 लाख करोड़ रुपए** हो गया।
  - निर्यातक MSME की संख्या **वर्ष 2020-21 में 52,849 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,73,350** हो गई।
  - भारत के समग्र निर्यात में MSME का योगदान लगातार बढ़ा है। **वर्ष 2022-23** में कुल निर्यात में MSME का हिस्सा **43.59%, वर्ष 2023-24** में **45.73%** और **वर्ष 2024-25** (मई 2024 तक) में **45.79%** था।

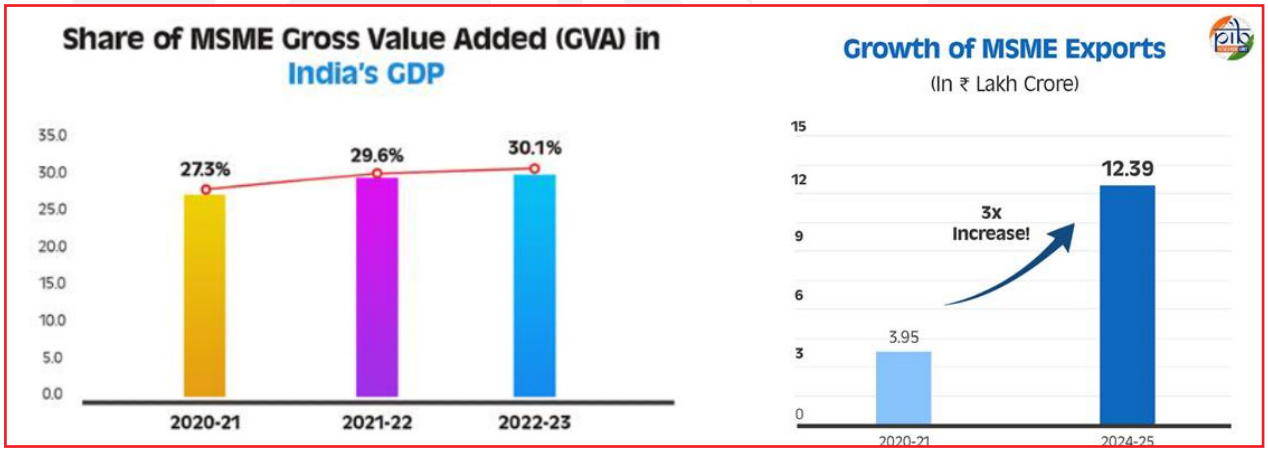

भारत में MSME के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **श्रम संबंधी मुद्दे:** श्रम संबंधी मुद्दे, जैसे कि नई नियुक्तियों के लिये **सुपरिभाषित परीक्षण अवधि का अभाव, अकुशल कार्यबल,** राज्यों में वेतन असमानताएँ और अकुशल प्रशिक्षण केंद्र, MSME की वृद्धि और उत्पादकता को बाधित करते हैं।
- **स्पष्टता का अभाव:** विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी और भ्रम की स्थिति है, साथ ही **केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी** के कारण **MSME को इन योजनाओं से पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **निर्यात संबंधी मुद्दे:** MSME अपर्याप्त निर्यात बुनियादी ढाँचे से जूझ रहे हैं और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रिपोर्टों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक बाज़ारों में उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **औपचारिकीकरण और समावेशन:** उद्यम पंजीकरण पोर्टल जैसे प्रयासों के बावजूद, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिकीकरण एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि उनमें से कई के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) या वस्तु और सेवा कर (GST) नहीं है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच सीमित है।
- **विनियामकीय भार:** MSME विभिन्न सरकारी स्तरों द्वारा लगाए गए जटिल लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन आवश्यकताओं के भार तले दबे हुए हैं, जिससे छोटे व्यवसायों के लिये विनियमों को पूरा करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

MSMEs से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहलें:

- पीएम विश्वकर्मा योजना
- उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म
- प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI)
- MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष
- MSME समाधान (MSME SAMADHAAN)
- चैंपियंस पोर्टल (CHAMPIONS Portal)
- क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)
- व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS)
- **MSMEs के लिये सार्वजनिक खरीद नीति:** केंद्रीय मंत्रालयों और CPSI द्वारा वार्षिक खरीद का 25% MSME से प्राप्त किया जाना चाहिये।
  - ❖ SC/ST स्वामित्त्व वाले MSE के लिये 4%, महिला स्वामित्व वाले MSE के लिये 3% आरक्षित।
  - ❖ वर्ष 2023-24 में MSE से 74,717 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की जाएगी, जो **कुल खरीद का 43.71%** है।

आगे की राह

- **विनियमनों को सरल बनाना: MSME उत्पादकता में सुधार के लिये विनियामक बोझ (विनियमन) में कमी** महत्त्वपूर्ण है। प्रयासों को एक **व्यवसाय-अनुकूल वातावरण** बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जो नवाचार और स्केलिंग को प्रोत्साहित करता है।
- **वित्तपोषण के लिये निरंतर समर्थन: SRI फंड** जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से **वित्तपोषण तक पहुँच बढ़ाना** और MSME-केंद्रित पहलों की पहुँच का विस्तार करना इस क्षेत्र की क्षमता को अनलॉक करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- **प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:** प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल वृद्धि के लिये चल रहे प्रयासों से MSME को वैश्विक मानकों के अनुकूल बनने तथा उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **बाजार पहुँच में सुधार:** MSME की बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये बाज़ार जागरूकता और उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना। साथ ही, व्यापार समझौतों के माध्यम से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर कार्य करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. MSME क्षेत्र को प्राय: भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इस क्षेत्र की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और उनसे निपटने के उपाय सुझाइए।

रेपो रेट में कटौती और इसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक की **मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 वर्षों में** (वर्ष 2020 से) **पहली बार रेपो रेट को 6.5%** (25 आधार अंक (BPS)) **से घटाकर 6.25%** कर दिया।

- **केंद्रीय बजट 2025-26** में उपभोग को बढ़ावा देने के लिये **वैयक्तिक आयकर** में कटौती के बाद, इस कदम का उद्देश्य मंदी के बीच **आर्थिक विकास को पुनर्जीवित** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के निर्णय के पीछे क्या कारण थे?

- **विकास को बढ़ावा देने वाला बजट:** केंद्रीय बजट 2025-26 में वैयक्तिक आयकर में कटौती और TDS सीमा में संशोधन किया गया, जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई।
  - RBI की रेपो रेट में कटौती, उधार लागत को कम करके और **मांग को बनाए रखकर सरकार की कर कटौती का समर्थन** करती है।
- **घटती मुद्रास्फीति:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गया, **जो चार महीने का निम्नतम स्तर है,** जबकि **नवंबर में यह 5.48% था,** जो **मौद्रिक सुलभता (Monetary Easing)** के लिये रिक्ति प्रदान करता है।
- **बाज़ार तरलता वृद्धि: RBI ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता सुधारने** के लिये **1.5 ट्रिलियन रुपए** की पूंजी डालकर उपाय शुरू किये हैं।
  - तरलता के प्रवाह ने **मँहगे ऋण बाज़ारों को सुलभ बना दिया,** जबकि रेपो दर में कटौती ने तरलता सुनिश्चित की और विकास को बढ़ावा देने के लिये **ब्याज दरें कम** कर दीं।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: कनाडा, मैक्सिको और चीन** पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया, जिससे **रुपया कमज़ोर होकर 87.29 प्रति डॉलर** पर आ गया और मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया।
  - **रेपो रेट में कटौती से बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने** तथा घरेलू विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है।

रेपो रेट क्या है?

- रेपो रेट **(रिपर्चेज़ एग्रीमेंट रेट)** वह ब्याज दर है, जिस पर **वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक** से ऋण लेते हैं।
- **उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली:** ऋण लेकर, यह बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
  - **बैंक प्रतिभूतियाँ** लघु-अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा बाद में उन्हें अधिक कीमत पर (ब्याज सहित) पुनर्खरीद (रिपर्चेज़) करने पर सहमत होते हैं।
- **ऋण लेने की लागत पर प्रभाव:**
  - **उच्च रेपो रेट** ⟶ बैंकों के लिये महंगे ऋण ⟶ **उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिये उच्च ब्याज दरें** ⟶ उधार लेने और व्यय करने की धीमी प्रक्रिया।
  - **कम रेपो रेट** ⟶ बैंकों के लिये सस्ता ऋण ⟶ **उधारकर्त्ताओं के लिये कम ब्याज दरें** ⟶ उधार और व्यय में वृद्धि।
- **मौद्रिक नीति में भूमिका:** इसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा **धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास** को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।

रेपो रेट में कटौती के क्या निहितार्थ हैं?

- **आर्थिक विकास:** कम ऋण लागत से **व्यवसायों के लिये विस्तार और निवेश करना** आसान हो जाता है, जिससे **उत्पादन और रोज़गार सृजन में वृद्धि** होती है।
  - रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती हैं, **ऋण सस्ते हो जाते हैं, EMI कम** हो जाती है, तथा ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है।
- **वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करना: बैंक बचत खातों और सावधि जमाओं** पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे बचत कम आकर्षक हो जाएगी तथा उपभोक्ता **स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट** की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
- **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** कम रेपो रेट से निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में कमी आ सकती है, जिससे **पूंजी का बहिर्वाह** हो सकता है। इससे **मुद्रा कमज़ोर,** आयात लागत में वृद्धि तथा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति:** ब्याज दरों में कटौती के कारण खर्च में वृद्धि से समय के साथ कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य **(+/- 2% के दायरे में 4%) में वृद्धि** हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि:

- **चक्रवर्ती समिति (1982-85):** इस समिति का गठन तत्कालीन **RBI गवर्नर मनमोहन सिंह द्वारा सुखमय चक्रवर्ती** के नेतृत्व में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिये किया गया था। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं:
- M3 = M1 (जनता द्वारा धारित मुद्रा+वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मांग जमाराशि)+वाणिज्यिक बैंकों की निवल आवधिक जमाराशि
- मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में **मूल्य स्थिरता** पर ज़ोर दिया गया।
- आर्थिक प्राथमिकताओं में संतुलन लाने के लिये **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में 4% औसत वार्षिक मुद्रास्फीति** का प्रस्ताव रखा गया।
- RBI वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिये **बाज़ार संचालित सरकारी उधारी** और **सक्रिय सरकारी प्रतिभूति बाज़ार** की सिफारिश की गई।
- मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिये **मौद्रिक लक्ष्यीकरण (M3 मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण)** किया जाने की अनुशंसा की गई।
- **उर्जित पटेल समिति (2014):** इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को **औपचारिक रूप** दिया गया जिसमें **4% लक्ष्य (± 2% बैंड) निर्धारित किया गया।** यह लक्ष्य पहली बार **40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**

- भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा, जिसे **वर्ष 2016 में अपनाया गया था**, भारत की मौद्रिक नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

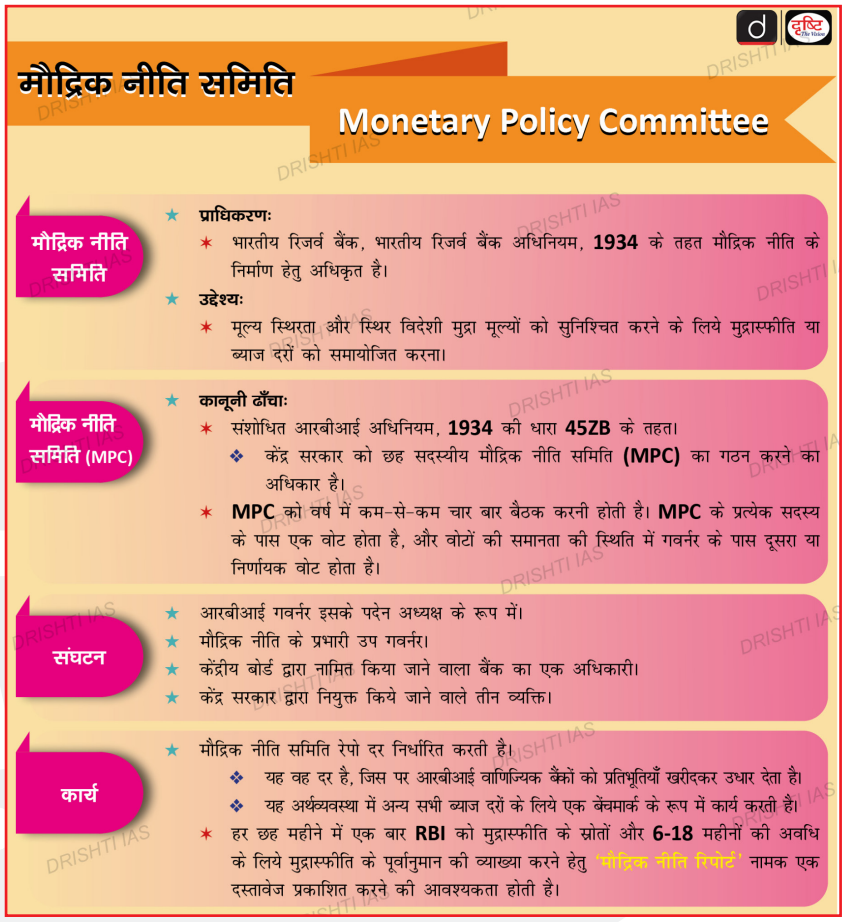

क्लिक टू रीड: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

निष्कर्ष:

RBI की रेपो रेट में कटौती का उद्देश्य उधार लेने की लागत को कम कर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना है। हालाँकि, इससे **मुद्रास्फीति का दबाव** बढ़ सकता है, जो RBI MPC द्वारा निर्धारित 4% लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं को दृष्टिगत रखते हुए **विकास और मूल्य स्थिरता** को संतुलित किया जाना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति पर रेपो रेट में कटौती के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दक्षिण भारतीय राज्यों की आर्थिक गतिशीलता

चर्चा में क्यों?

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने दक्षिण भारतीय राज्यों से अपने आर्थिक प्रदर्शन को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने का आग्रह करने के साथ उनकी मज़बूती और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। **मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)** वी. अनंथा नागेश्वरन ने इस बात पर बल दिया कि **दक्षिण भारतीय राज्यों** को अपने आर्थिक प्रदर्शन को **अन्य भारतीय राज्यों** के बजाय **वैश्विक मानकों के आधार** पर मापना चाहिये। उन्होंने इस क्षेत्र की आर्थिक मज़बूती के साथ सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।

दक्षिण भारत के राज्यों का आर्थिक योगदान क्या है?

- **आर्थिक योगदान:** दक्षिण भारत के राज्यों का **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30%** योगदान है, **वित्त वर्ष 2024-25** में महाराष्ट्र के बाद **तमिलनाडु और कर्नाटक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** वृद्धि में अग्रणी रहे।
- **उच्च संवृद्धि दर: वास्तविक अर्थों** में दक्षिण भारत के राज्यों में **6.3% वार्षिक GSDP वृद्धि दर्ज की गई,** जबकि शेष **भारत में यह 5%** है।
  - यहाँ **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद** 5% से अधिक की दर से बढ़ रहा है जबकि शेष भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 4.2% है।
- **विनिर्माण एवं निवेश: कुल कारखानों का 37.4%** और **संचालित कारखानों का 37%** दक्षिण भारत में स्थित हैं।
- **भारत के कुल स्थायी पूंजी निवेश का 25.6%** इसी क्षेत्र से संबंधित है।
- भारत का 33% विनिर्माण कार्यबल दक्षिण भारत से संबंधित है।

दक्षिणी राज्य शेष भारत से बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं?

- **ऐतिहासिक स्थिरता: उत्तर भारत के बार-बार होने वाले विदेशी आक्रमणों** के विपरीत, दक्षिण भारत की सापेक्षिक स्थिरता ने **विजयनगर, काँचीपुरम, मदुरै, महाबलीपुरम, कोच्चि** और **कोझीकोड** जैसे प्रमुख **व्यापार केंद्रों** के साथ लगातार **आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास** को सक्षम बनाया।
- **औपनिवेशिक लाभ:** 18वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण में मद्रास और बॉम्बे प्रमुख प्रेसीडेंसी शहर बन गए थे जबकि उत्तर में केवल एक (कलकत्ता) ही था।
  - दक्षिण में **पुर्तगाली और फ्राँसीसी प्रभाव** से प्रारंभिक व्यापार तथा शहरी विकास को और भी बढ़ावा मिला।
- **आर्थिक विकास:** LPG सुधारों के बाद आर्थिक विकास में दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों को पीछे छोड़ दिया, जिससे अधिक यहाँ औद्योगिक निवेश और **FDI आकर्षित** हुआ।
  - कर्नाटक और तमिलनाडु ऑटोमोबाइल, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योगों के केंद्र बन गए, जबकि तेलंगाना एक जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल केंद्र के रूप में उभरा (इसका वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 1/3 का योगदान है)।
  - महाराष्ट्र, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास के बावजूद अन्य क्षेत्रों में असमान विकास हुआ है। दक्षिणी राज्यों के विपरीत, उत्तरी राज्यों में प्रमुख शहरी केंद्रों का अभाव है।
  - पूर्वोत्तर में कई प्रमुख चुनौतियाँ (जिसमें भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा सीमित संपर्क शामिल है) बनी हुई हैं, जो व्यापार और विकास में बाधक हैं।
- **कृषि उत्पादकता: तमिलनाडु** और **कर्नाटक ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया तथा** नकदी फसलों, बागवानी और जलीय कृषि **में विविधता** लायी।
  - **उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्य गेहूँ और चावल जैसी पारंपरिक फसलों पर बहुत अधिक निर्भर थे,** जिसके कारण उत्पादकता में स्थिरता आ गई।
- **शासन: तेलंगाना और कर्नाटक ने IT और ई-गवर्नेंस सुधार** लागू किये जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
  - **हालाँकि, भूमि, श्रम और उद्योग में देरी से हुए सुधारों के कारण** मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों ने दक्षिणी शहरों की तुलना में काफी विलंब से आर्थिक विकास हासिल किया।
- **सामाजिक विकास:** स्वतंत्रता के समय दक्षिणी राज्य **अविकसित** थे। **नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि** ने बाद में विकास के लिये बेहतर संसाधन आवंटन को सक्षम किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में **साक्षरता दर उच्च** है। दक्षिण में **बेहतर स्कूली बुनियादी ढाँचे और शिक्षा पर ध्यान** केंद्रित करने के कारण **शेष भारत की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल कार्यबल** उपलब्ध हुआ।
  - तमिलनाडु ने **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम** में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे स्कूल में नामांकन बढ़ा, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने **अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षा** के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर (96.2%) के साथ केरल ने अत्यधिक कुशल कार्यबल विकसित किया है।
- उत्तरी राज्यों में खराब प्रदर्शन का कारण **शिक्षा और बुनियादी ढाँचे** में अपर्याप्त निवेश है, जो **राजनीतिक उपेक्षा से प्रेरित है।**

- **स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक:** दक्षिणी राज्य स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट हैं, **केरल में सबसे अच्छा बुनियादी ढाँचा है** और मध्य प्रदेश (46) की तुलना में **शिशु मृत्यु दर कम** (प्रति 1,000 जन्म पर 6) है।
  - दक्षिणी भारत में **मातृ मृत्यु अनुपात** राष्ट्रीय औसत (वर्ष 2020 में 103) से कम है।

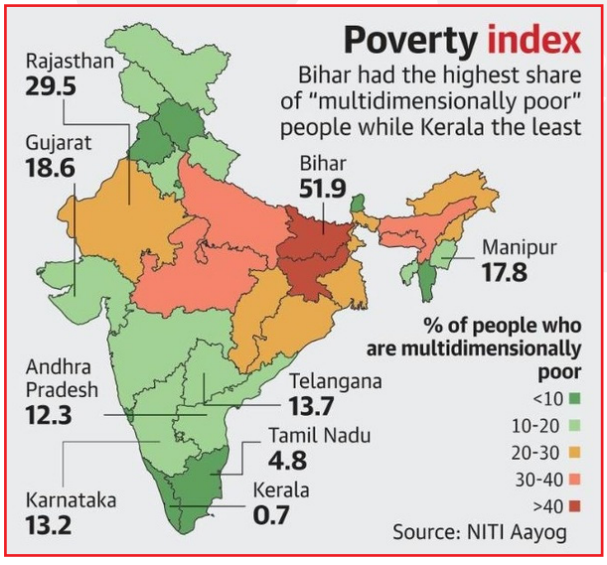

- **प्राकृतिक कारक:** बंदरगाहों की निकटता से **व्यापार, निर्यात और औद्योगिक विकास** को बढ़ावा मिलता है (चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम)।
  - मध्यम जलवायु उत्तर में चरम मौसम की तुलना में **कृषि, पर्यटन और जीवन स्थितियों** को बेहतर बनाती है।

दक्षिणी राज्यों की आर्थिक वृद्धि के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **विनिर्माण में उत्पादकता अंतर:** दक्षिणी क्षेत्र **कुल विनिर्माण उत्पादन में केवल 26% का योगदान** देता है। मज़बूत कार्यबल के बावजूद विनिर्माण में **निम्न उत्पादकता और दक्षता** को दर्शाता है।
- **कौशल विकास की कमियाँ:** इस क्षेत्र में **कौशल स्तर 2 कार्यबल** (मध्यवर्ती कौशल) **मज़बूत है,** लेकिन **कौशल स्तर 3 और 4** (AI, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक क्षेत्रों में उन्नत पेशेवर कौशल) **में पिछड़ा** हुआ है।
  - **उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अपर्याप्त निवेश** उच्च मूल्य वाले उद्योगों में नवाचार और रोज़गार सृजन को सीमित करता है।
  - दक्षिणी राज्यों में **घटती जनसांख्यिकी** (युवा) और **बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवास** के कारण स्थिति और नाजुक हो रही है, **श्रमिकों की कमी** का खतरा बढ़ रहा है, जिससे विकास को बनाए रखने के लिये **समावेशी प्रवासी नीति** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा रहा है।
- **बुनियादी ढाँचा: शहरी भीड़भाड़ और ऊर्जा संबंधी चुनौतियाँ** बनी हुई हैं। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिये **बेहतर औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढाँचे** की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य** आर्थिक विकास में अग्रणी हैं, जबकि **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों** में औद्योगिकीकरण धीमा है।
  - आर्थिक अवसरों और बुनियादी ढाँचे के मामले में ग्रामीण क्षेत्र अभी भी शहरी केंद्रों से पीछे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन: दक्षिणी भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील** है, यहाँ अक्सर **सूखा, चक्रवात**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

और चरम मौसम की घटनाएँ होती हैं। **कृषि और तटीय अर्थव्यवस्थाएँ** विशेष रूप से जोखिम में हैं।

- **नीतिगत मुद्दे:** कई राज्य **केंद्र सरकार से वित्तीय हस्तांतरण** पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता कम हो रही है तथा **राज्य ऋण अनुपात** में वृद्धि से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है।

आगे की राह:

- **वैश्विक बेंचमार्किंग:** भारत की **"सिलिकॉन वैली"** बेंगलुरू, प्रौद्योगिकी के मामले में कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकास कर रही है, इसलिये दक्षिणी राज्यों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये प्रयास करना पड़ा।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** कार्यबल की भागीदारी को आउटपुट के साथ संरेखित करने के लिये विनिर्माण उत्पादकता में सुधार करना। कौशल उन्नयन में निवेश करना, विशेष रूप से उच्च-मूल्य विनिर्माण में और **उद्योग 4.0 अपनाने** को प्रोत्साहित करना।
- **बुनियादी ढाँचे में सुधार:** वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये **भारतमाला परियोजना** के माध्यम से औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
  - संतुलित विकास के लिये **उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम आर्थिक क्षेत्रों** को जोड़ने वाले औद्योगिक गलियारों का विस्तार करना।
- **पर्यटन संभावना: दक्षिणी राज्यों की समृद्ध मंदिर विरासत का** लाभ उठाना तथा सतत् तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना।
- **राजस्व वृद्धि को मज़बूत करना:** GST के माध्यम से कर संग्रह में वृद्धि करना तथा स्थायी राजकोषीय स्थिति के लिये **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI)** को बढ़ावा देना।
- **समावेशी विकास: स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)** और **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)** के माध्यम से कम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।
  - उत्तरी राज्य **मानव विकास** को बढ़ावा देने के लिये केरल के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मॉडल को अपना सकते हैं, जिससे बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिये गंगा और यमुना जैसी **प्रमुख नदियों के किनारे अंतर्देशीय जलमार्गों** का निर्माण एवं विस्तार करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. दक्षिणी राज्यों के आर्थिक परिदृश्य पर सामाजिक विकास संकेतकों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-भूटान संबंध और उप-राष्ट्रीय कूटनीति

चर्चा में क्यों?

भूटान नरेश की **भारत** यात्रा के बाद, दोनों देशों ने **भारत और भूटान** संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये **प्रतिबद्धता** व्यक्त की, जिसमें **असम** जैसे राज्यों की **उप-राष्ट्रीय कूटनीति** से दोनों देशों के **आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों** का और अधिक सुदृढ़ीकरण हो सकता है।

इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या थे?

- **सहयोग का विस्तार: भूटान ने अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना** (2024-29) के लिये भारत के निरंतर समर्थन और **भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम** में भारत के योगदान के लिये आभार व्यक्त किया।
- **आर्थिक विकास: भारत ने माइंडफुलनेस सिटी परियोजना**, एक स्थायी **आर्थिक केंद्र**, के लिये निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है।
- **जलविद्युत सहयोग: 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना** में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है और दोनों देश **पुनात्सांगछू-I परियोजना** को शीघ्र पूरा करने पर सहमत हुए हैं।
- **सीमा पार कनेक्टिविटी:** भूटान के पूर्वी क्षेत्र और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में **पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों** को बढ़ावा देने के लिये **असम के दर्रांगा में एकीकृत चेक पोस्ट** (ICP) का उद्घाटन किया गया।

उप-राष्ट्रीय कूटनीति क्या है?

- **परिचय:** उपराष्ट्रीय कूटनीति (paradiplomacy) से तात्पर्य **उपराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे राज्य या क्षेत्र)** से है **जो अपने पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने** के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होते हैं।
  - वैश्वीकरण से **उप-राष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ावा** मिला है जिसमें क्षेत्रीय सरकारें **परस्पर संबंधित विश्व में अपने लक्ष्यों** को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं।
- **भारत में संस्थागत तंत्र:**
  - **राज्य प्रभाग: विदेश मंत्रालय** के अंतर्गत 'राज्य प्रभाग' **केंद्र-राज्य** के बीच बेहतर संपर्क को सुगम बनाता है तथा राज्यों को **व्यापार, पर्यटन, निवेश आदि क्षेत्रों** में विदेशी संबंध विकसित करने में सहायता करता है।
  - **वाणिज्य दूतावास कार्यालय एवं संघीय विदेश मामलों का कार्यालय:** यह **उप-राष्ट्रीय इकाइयों** के साथ कूटनीति को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
  - **सिटी डिप्लोमेसी: सिटी डिप्लोमेसी या टाउन ट्विनिंग** सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान पर केंद्रित है। उदाहरण के लिये, **कोबे-अहमदाबाद सिस्टर सिटीज़**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वैश्विक सिटी कूटनीति के उदाहरण: ब्राजील के साओ पाउलो शहर** की ब्राजील के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के क्रम में अपनी स्वयं की नीति है।
- **बार्सिलोना** (स्पेन), **क्यूबेक** (कनाडा), **कैलिफोर्निया** (अमेरिका), लंदन (यूके), वैंकूवर (कनाडा) भी विदेशी संबंध में भूमिका निभाते हैं।

- **भारत में उप-राष्ट्रीय कूटनीति: भारतीय राज्यों** को व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों के संदर्भ में **विदेश नीति कार्यान्वयन** में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है।
  - वर्ष 2015 में **आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले चीन** में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और **पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री** के साथ शामिल हुए।
  - गुजरात के **"वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट"** द्वारा गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई जाती है।
    - **कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार** जैसे अन्य राज्यों द्वारा FDI को आकर्षित करने से व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं।
  - **वर्ष 1992** में **महाराष्ट्र ने दाभोल विद्युत परियोजना** के वित्तपोषण के लिये **बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एनरॉन और जनरल इलेक्ट्रिक)** के साथ साझेदारी की।
  - **वर्ष 1996** का फरक्का जल-बँटवारा मुद्दा **पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की** बांग्लादेश यात्रा के बाद सुलझा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप **1996 में फरक्का जल-बंटवारा संधि हुई।**
- **लाभ:**
  - **राज्य-स्तरीय प्रभाव:** भारतीय राज्य भूमि, श्रम और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में **संघीय और राज्य नीतियों** को संरेखित करके **विदेश नीति** को आकार प्रदान करते हैं।
    - इससे **कच्चातीवु द्वीप** जैसे मुद्दों को रोका जा सकता है, जहाँ संघ के निर्णय से **स्थानीय आबादी** पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  - **पूरक शक्तियाँ: भारतीय राज्य और उनके समकक्ष राज्य IT और ऑटोमोटिव** जैसे क्षेत्रों में आपसी आवश्यकताओं के आधार पर **अनुकूलित दृष्टिकोण** अपनाते हुए सहयोग करते हैं।
  - **वैश्विक चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन** और **महामारी** से उबरने में राज्य का सहयोग वैश्विक विश्व के लिये स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।
  - **दीर्घकालिक गठबंधन:** उप-राष्ट्रीय कूटनीति **ज़मीनी स्तर पर साझेदारी को** बढ़ावा देती है, **P2P और B2B संबंधों** को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थायी संपर्क सुनिश्चित होते हैं।
- **चिंताएँ:**
  - **संवैधानिक बाधाएँ:** भारत के संविधान में विदेशी मामले **संघ सूची** के अंतर्गत हैं, जिससे राज्यों की भागीदारी सीमित तथा केंद्रीय प्राधिकार के अतिक्रमण की चिंता बढ़ जाती है।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** उप-राष्ट्रीय कूटनीति **राष्ट्रीय सुरक्षा** को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों या पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे राज्यों में।
  - **बाह्य प्रभाव:** स्थानीय सरकारें गलत सूचना का लक्ष्य बन सकती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।
    - छोटे शहर **विदेशी ताकतों द्वारा हेरफेर के प्रति संवेदनशील** हो सकते हैं।
  - **सार्वजनिक प्रतिक्रिया:** राज्यों द्वारा बनाए गए स्वतंत्र विदेशी संबंध, यदि राष्ट्रीय हितों के साथ संघर्ष उत्पन्न करते हैं, तो **सार्वजनिक विरोध और कूटनीतिक घर्षण उत्पन्न** कर सकते हैं।

असम के साथ उप-राष्ट्रीय कूटनीति भारत-भूटान संबंधों को कैसे बढ़ा सकती है?

- **व्यापार और संपर्क: दर्रांगा** जैसे अधिक **एकीकृत चेक पोस्टों** की स्थापना और **कोकराझार-गेलेफू और बनारहाट-समत्से**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जैसे रेलवे संपर्कों को विकसित करने के साथ-साथ असम के प्राकृतिक संसाधनों (**चाय, तेल, जोहा चावल, भूत जोलोकिया**) **से भूटान के साथ व्यापार** को बढ़ावा मिलेगा।

- वर्तमान में **भारत और भूटान** के बीच **70% से अधिक व्यापार पश्चिम बंगाल के जयगाँव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन** (LCS) से होकर गुज़रता है।

- **ऊर्जा सहयोग:** भूटान की जलविद्युत कंपनियों के साथ दीर्घकालिक **विद्युत क्रय समझौता (PPA) असम की ऊर्जा आवश्यकताओं** को पूरा करने में मदद कर सकता है।
  - जलविद्युत की बिक्री **भूटान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 63% है।**
- **समुद्री संपर्क: भूटान धुबरी नदी बंदरगाह** और **असम की असोम माला पहल** (सड़क अवसंरचना विकास कार्यक्रम) का उपयोग करके बांग्लादेश तक परिवहन लागत को कम कर सकता है।
- **पारिस्थितिकी सहयोग: मानस राष्ट्रीय उद्यान** (असम) और **रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान** (भूटान) पर सहयोग से **संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन** को मज़बूती मिलेगी, जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भूटान के साथ असम के सांस्कृतिक संबंध **सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से अधिक एकजुटता** को बढ़ावा दे सकते हैं।

निष्कर्ष

- **उप-राष्ट्रीय कूटनीति,** विशेष रूप से असम के माध्यम से, **व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाकर भारत-भूटान संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है। यह वैश्विक चुनौतियों के लिये नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करता है, साथ ही दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग के लिये ज़मीनी स्तर पर साझेदारी को भी बढ़ावा देता है।

भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद

चर्चा में क्यों?

श्रीलंका की नौसेना ने **पाक खाड़ी (श्रीलंकाई जलक्षेत्र)** में **मत्स्यन के कारण कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार** किया, जिससे भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद फिर से बढ़ गया।

- **वर्ष 2024** में श्रीलंका में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की संख्या एक दशक बाद पहली बार **500 से अधिक** हो गई (**वर्ष 2014: 787 गिरफ्तारियाँ**)।

भारत-श्रीलंका के बीच मत्स्यन विवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **क्रमिक गिरफ्तारियाँ: मछलियों की तलाश में भारतीय मछुआरे अक्सर** अपने **ट्रॉलरों के साथ इंजन खराब होने या अचानक मौसम परिवर्तन** के कारण श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चले जाते हैं।
  - **मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नष्ट करना,** मछुआरों की रिहाई के बाद **भी नौकाओं को जब्त करना** तथा श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा **भारी जुर्माना लगाना आदि जैसे मुद्दे** दोनों देशों के बीच बार-बार देखने को मिलते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उल्लंघन:** भारतीय मछुआरे पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)** से परे **ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के अधिकार** का दावा करते हैं जिसके कारण IMBL के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है।
  - पाक खाड़ी को IMBL द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच **समान रूप से विभाजित** किया गया है लेकिन **मछली पकड़ने के अधिकार** पर विवाद बना हुआ है।
  - IMBL (**UNCLOS के अनुसार**) एक **आधिकारिक सीमा** है जो प्रादेशिक जल को अलग करती है, **समुद्री अधिकार क्षेत्र** को परिभाषित करती है, तथा मत्स्यन, संसाधनों के उपयोग और नौसैनिक गतिविधियों को विनियमित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

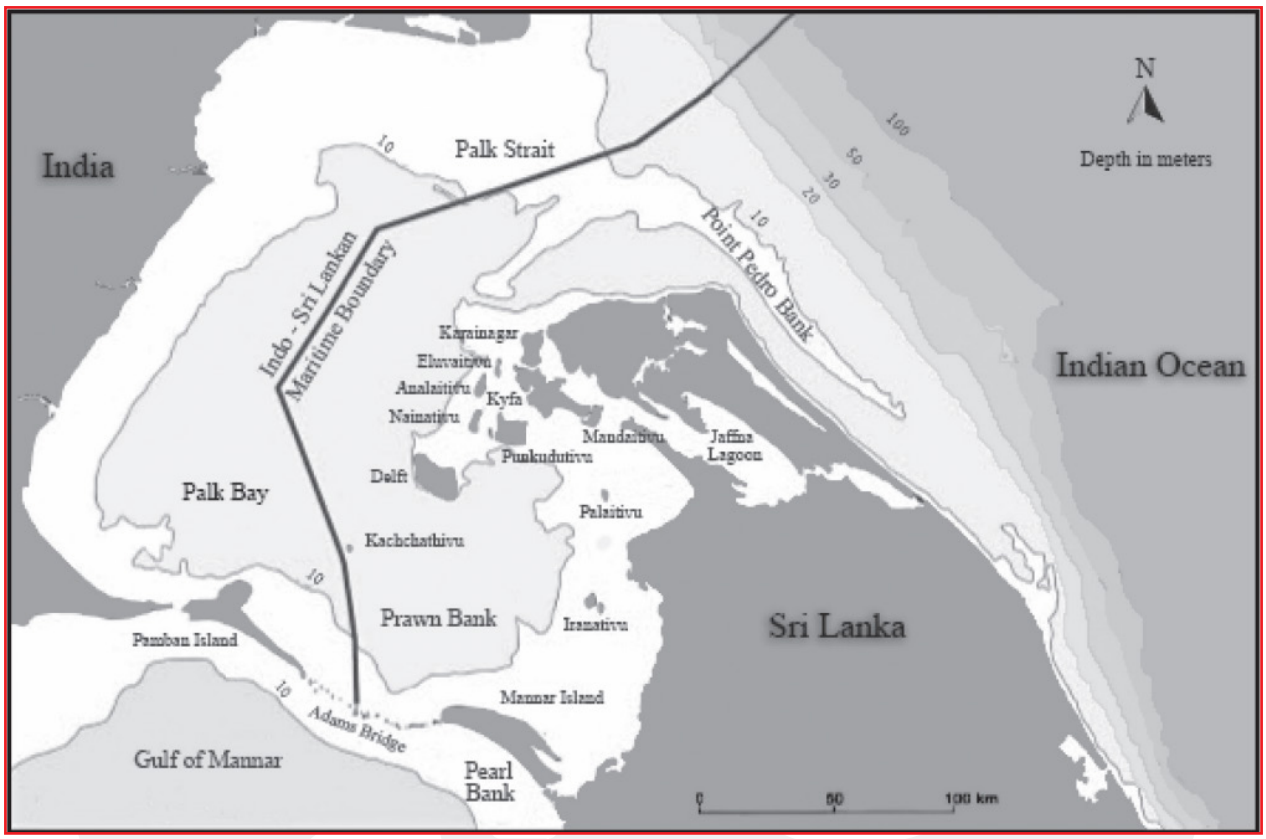

- **मछली भंडार में कमी:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के भारतीय हिस्से में अत्यधिक मत्स्यन के कारण भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चले जाते हैं, जिसे श्रीलंका **"अवैध शिकार"** मानता है, जिससे **सुरक्षा जोखिम पैदा होता है और स्थानीय आजीविका को खतरा** होता है।
- **बॉटम-ट्रॉलिंग:** श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा अपनाई जा रही पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी **बॉटम ट्रॉलिंग** का विरोध करता है, और अपने जल को अतिदोहन से बचाने के लिये एक **स्थायी समाधान** चाहता है।
  - बॉटम ट्रॉलिंग में **भारी जालों को समुद्र तल पर खींचा जाता है,** जिससे प्रवाल भित्तियों और स्पंज जैसे समुद्री आवासों को नुकसान पहुँचता है।
- **श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ:** श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय जहाज़ नियमित रूप से **समन्वित तरीकों** से घुसपैठ करते हैं और उन्हें **तमिल उग्रवादी समूह** मत्स्यन वाले जहाज़ों का उपयोग करके फिर से उभर सकते हैं।
- **कच्चातीवु द्वीप विवाद:** पाक जलडमरूमध्य में 285 एकड़ का एक टापू **कच्चातीवु वर्ष 1974 में श्रीलंका** को सौंप दिया गया था।
  - भारतीय मछुआरे **कच्चातीवु का उपयोग केवल जाल सुखाने और आराम करने** के लिये कर सकते हैं, तथा तमिलनाडु के राजनेता समय-समय पर इसे भारत को **वापस करने की मांग** करते रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट: भारतीय और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में **मत्स्य स्टॉक की कमी** के कारण भारतीय मछुआरे **हाई सी** में जा रहे हैं। अब उन्हें **मालदीव के जलक्षेत्र** में तथा **ब्रिटिश नौसेना** द्वारा **डिएगो गार्सिया** के निकट समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है।

मत्स्यन की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हैं?

- **संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (UNFSA 1995):** राज्यों को **या तो सदस्य बनना चाहिये,** या उन्हें मत्स्य संसाधनों तक पहुँचने के लिये **क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMO)** द्वारा स्थापित **संरक्षण और प्रबंधन उपायों** को लागू करने पर **सहमत** होना चाहिये।
  - ❖ RFMO अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं जो विशिष्ट महासागरीय क्षेत्रों में **मत्स्य भंडार के प्रबंधन और संरक्षण** के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **UNCLOS, 1982:** UNCLOS का अनुच्छेद 87 **हाई सी में मत्स्यन की स्वतंत्रता को सीमित करता है,** तथा इसकी शर्तों को पूरा न करने वाले देशों के जहाज़ों के लिये मत्स्यन को अवैध बना देता है।
  - ❖ उदाहरणार्थ, उच्च समुद्र की स्वतंत्रता के प्रयोग में अन्य राज्यों के हितों पर ध्यान रखना।

पाक खाड़ी

- **पाक खाड़ी: पाक खाड़ी दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका** के बीच एक **संकीर्ण जल निकाय** है, और मानसून से प्रेरित पोषक तत्त्वों के प्रवाह के कारण जैवविविधता से समृद्ध है।

- **सीमाएँ:** दक्षिणी **सीमा पंबन जलडमरूमध्य, रामेश्वरम द्वीप और एडम ब्रिज (राम सेतु)** द्वारा चिह्नित है।
  - ❖ पूर्वोत्तर **सीमा पाक जलडमरूमध्य** है जो **पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती** है।
- **पाक खाड़ी मत्स्य संग्रहण का विवाद:** वर्ष 2009 में **श्रीलंकाई गृह युद्ध की समाप्ति** के बाद, मत्स्य संग्रहण के विवाद बढ़ गए, **जो वर्ष 2013 में भारतीय मछुआरों द्वारा अत्यधिक मत्स्य संग्रहण तथा समुद्र में मत्स्य संग्रहण** के कारण अपने चरम पर पहुँच गए।

और पढ़ें... भारत और श्रीलंका संबंध

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद के निहितार्थ क्या हैं?

- **आजीविका संबंधी मुद्दे:** श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से **उनके परिवार चिंतित हैं,** जबकि समुद्री संघर्षों के कारण **कई** मछुआरों की **मृत्यु तथा कई लापता हो गई हैं,** जिससे मछुआरा समुदायों के लिये जोखिम बढ़ गया है।
- **प्रवर्तन चुनौतियाँ:** IMBL पर **गश्त की प्रवर्तन लागत** बढ़ गई है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
- **तस्करी की चिंता:** भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंकाई नौसेना को **वास्तविक मछुआरों और तस्करों** के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है, जिससे IMBL तस्करी के लिये असुरक्षित हो जाता है।
- **राजनीतिक परिणाम: पाक खाड़ी में श्रीलंका नौसेना की कार्रवाई** के विरुद्ध आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।
  - ❖ उदाहरण के लिये, राजनीतिक तनाव ने **श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति** भारत के समर्थन को प्रभावित किया है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** समुद्र तल पर मत्स्य संग्रहण से **मत्स्य प्रजनन और समुद्र तल को नुकसान पहुँचाता है, तथा स्टॉक में कमी आती है,** जिससे उबरने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं।
- **आर्थिक परिणाम:** अत्यधिक मत्स्य संग्रहण से **मत्स्य संसाधन और मछुआरों की आय में कमी** आई है, भारतीयों द्वारा अवैध

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

शिकार के कारण श्रीलंका को **प्रतिवर्ष अनुमानत: 730 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान हो रहा है।

आगे की राह

- **समुद्री विनियमों का प्रवर्तन:** IMBL पर **गश्त और निगरानी** बढ़ाने से **अवैध मत्स्यन की गतिविधियों** को रोकने में मदद मिल सकती है।
  - निरंतर संवाद और **समस्या समाधान तंत्र** सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** की स्थापना की जानी चाहिये।
- **वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम:** तमिलनाडु को प्रतिबंधों का सामना कर रहे मछुआरों के लिये **समुद्री पर्यटन**, **समुद्री शैवाल कृषि** और **अंतर्देशीय जलीय कृषि** जैसी वैकल्पिक आजीविका की पेशकश करनी चाहिये।
- **संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन:** मत्स्यन की गतिविधियों को विनियमित करने और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के अतिदोहन की रोकथाम करने हेतु एक **क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन प्राधिकरण** की स्थापना की जानी चाहिये।
  - मत्स्यन की संधारणीय विधियों जैसे **मछली पकड़ने की सीमा और कोटा** से मत्स्य समष्टि में पुन: वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है तथा नवजात मछलियों को छोड़ने से घटते संसाधनों की भरपाई हो सकती है।
- **गभीर समुद्र में मत्स्यन:** अधिक भारतीय मछुआरों को **गभीर समुद्र में मत्स्यन** के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार को वित्तपोषण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिये।

एयरो इंडिया 2025 में भारत-ब्रिटेन समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिये **एयरो इंडिया 2025** में कई **रक्षा समझौतों** पर हस्ताक्षर किये।

- एक अन्य घटनाक्रम में **चौथी भारत-ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता** आयोजित हुई जिसमें धारणीय, लचीले और समावेशी ऊर्जा भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत-ब्रिटेन संबंधों से संबंधित हाल की घटनाएँ क्या हैं?

- **रक्षा:**
  - **रक्षा साझेदारी-भारत (DP-I):** इसका उद्देश्य **द्विपक्षीय रक्षा** सहयोग को मज़बूत और सुव्यवस्थित करना है।
  - **रक्षा विनिर्माण: दोनों देशों ने लेज़र बीम राइडिंग MANPADs (LBRM)** की आपूर्ति के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसकी शुरुआत **हाई वेलोसिटी मिसाइलों (STARStreak)** एवं **लांचरों** की प्रारंभिक डिलीवरी से हुई।
    - दोनों देशों की कंपनियों द्वारा **हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलों (LMMs)** का उत्पादन करने से भारतीय उद्योग ब्रिटेन की **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला** में शामिल हो जाएंगे।
    - दोनों देश लड़ाकू विमानों को सुसज्जित करने एवं वैश्विक निर्यात को समर्थन देने के लिये हैदराबाद में भारत की पहली **एडवांस्ड शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM)** असेंबली एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करेंगे।
  - **विद्युत प्रणोदन प्रणाली: दोनों देशों** ने भारत के अगली पीढ़ी के **लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) बेड़े के लिये** एक **एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन (IFEP) प्रणाली** विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक LPD वितरण करना है।
- **ऊर्जा:**
  - **ASPIRE चरण-2:** भारत-ब्रिटेन **एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया (ASPIRE) कार्यक्रम** का दूसरा चरण शुरू हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ASPIRE प्रोग्राम, एक **UK-भारत पहल, 24/7 विद्युत् आपूर्ति** का समर्थन करता है, तथा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और **डीकार्बोनाइजेशन** को बढ़ावा देता है।

❖ **विंड टास्कफोर्स:** दोनों ने **पारिस्थितिकी तंत्र, आपूर्ति शृंखला और वित्तपोषण** को बढ़ाने के लिये अपतटीय पवन ऊर्जा को मज़बूत करने हेतु **UK-भारत अपतटीय विंड टास्कफोर्स** का गठन किया।

- दोनों ने **त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिये UK भागीदारी (UKPACT)** के अंतर्गत **विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम** को जारी रखने की घोषणा की।

❖ UK PACT भारत जैसी **उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निम्न-कार्बन**, सतत् विकास की ओर बढ़ने में सहायता करता है।

ब्रिटेन भारत की रक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है?

- **नई रक्षा प्रौद्योगिकियाँ: भारत-UK 2030 रोडमैप** के तहत, UK जेट इंजन विकास और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सहित महत्त्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है।
- **आत्मनिर्भरता:** अगली पीढ़ी की रक्षा सेनाओं का सह-विकास करके '**मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड**' का समर्थन करता है।
- **सामरिक सैन्य उपस्थिति:** संयुक्त प्रशिक्षण के लिये हिंद महासागर में एक **तटीय प्रतिक्रिया समूह** की स्थापना करना, जिसके अड्डे **ओमान, नेपाल, ब्रुनेई, डिएगो गार्सिया और सिंगापुर** में होंगे।

ब्रिटेन भारत के हरित परिवर्तन का समर्थन कैसे कर सकता है?

- **निवेश:** ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल के माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिये **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तथा विश्व बैंक की **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की गारंटी।
- **अपतटीय पवन:** ब्रिटेन की विशेषज्ञता भारत के **वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा** लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
- **सामुदायिक ऊर्जा:** भारतीय सौर, जल और जलवायु परियोजनाओं में **67 मिलियन यूरो** का निवेश किया गया, जिससे **413 मेगावाट** नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ी और **1.14 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी** आई।
- **स्वच्छ ऊर्जा पहल:** ब्रिटेन का **स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम भारत के 1.8 ट्रिलियन पाउंड के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र** में व्यापार विस्तार का समर्थन करता है।
- **वैश्विक सहयोग:** भारत-ब्रिटेन ने COP26 में **हरित ग्रिड पहल** की शुरुआत की, जिसमें भारत ग्लासगो ब्रेकथ्रू और ज़ीरो EV घोषणा में शामिल हुआ।

भारत-ब्रिटेन संबंधों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **व्यापारिक संबंध: भारत वर्ष 2024 में ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** था और द्विपक्षीय व्यापार **42 बिलियन पाउंड** का था।

❖ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये **वर्ष 2005 में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO)** की स्थापना की गई थी।

- **निवेश:** भारत वर्ष 2022-23 में UK का **दूसरा सबसे बड़ा FDI स्रोत** था।

❖ UK भारत का **छठा सबसे बड़ा निवेशक** है, जिसका FDI (अप्रैल 2000 - मार्च 2023) में **33.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है, जो **कुल प्रवाह में 5.34%** का योगदान देता है।

- **रक्षा सहयोग: कोंकण शक्ति** पहला भारत-ब्रिटेन **त्रि-सेवा अभ्यास** था, जिसने रक्षा संबंधों को मज़बूत किया। भारत **अभ्यास कोबरा वारियर** (वायु अभ्यास) में शामिल हुआ, जबकि **अजय वारियर** ने सेना के सहयोग को बढ़ावा दिया।
- **शिक्षा:** शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किये गए, जिससे **शैक्षणिक सहयोग** को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2022-23 में ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का नामांकन 185,000 तक पहुँच गया है।

- **लोगों के बीच संबंध: प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (MMP) पर मई 2021** में हस्ताक्षर किये गए, जिससे भारत और UK के बीच **पेशेवरों की आवाजाही** सुगम हो सकेगी।
  - **G-20 बाली शिखर सम्मेलन** में घोषित **यंग प्रोफेशनल्स स्कीम (YPS)** दोनों देशों के स्नातकों (18-30) को दो वर्ष तक रहने और कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है।

निष्कर्ष

भारत और यूके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से **रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा** में अपनी रणनीतिक साझेदारी को **गति प्रदान** कर रहे हैं। **अपतटीय पवन, विद्युत गतिशीलता और रक्षा विनिर्माण** में उनके संयुक्त प्रयास भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो **वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा** उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए **पारस्परिक आर्थिक लाभ** सुनिश्चित करते हैं।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के **प्रधानमंत्री (PM)** ने **पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट 2025** की सह-अध्यक्षता करने के लिये फ्राँस का दौरा किया।

- इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन के दौरान **द्वितीय भारत-फ्राँस AI नीति गोलमेज़ सम्मेलन** भी आयोजित किया गया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट:

- **AI एक्शन समिट** एक वैश्विक मंच है जिसमें **विश्व के विभिन्न नेता, नीति निर्माता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ** और उद्योग प्रतिनिधि **AI विनियमन, नैतिकता** और समाज में इसकी भूमिका पर चर्चा करने हेतु शामिल होते हैं।
- पेरिस में AI **एक्शन शिखर सम्मेलन, ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन (UK 2023)** और **सियोल शिखर सम्मेलन** (दक्षिण कोरिया 2024) के बाद **तीसरा शिखर सम्मेलन** है।
  - **ब्लेचली पार्क घोषणा** (28 देश): इसमें **सुरक्षित, मानव-केंद्रित और उत्तरदायित्वपूर्ण AI** की वकालत की गई।
  - **सियोल शिखर सम्मेलन** (27 राष्ट्र): **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुष्टि की गई और AI सुरक्षा संस्थानों के एक नेटवर्क का प्रस्ताव रखा गया।**

पेरिस AI एक्शन समिट 2025 के मुख्य विषय:

- **लोक हित AI:** सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिये खुले AI बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
- **कार्य का भविष्य:** निरंतर सामाजिक संवाद के माध्यम से AI का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना।
- **नवाचार एवं संस्कृति:** विशेष रूप से रचनात्मक उद्योगों के लिये सतत् AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- **AI में विश्वास:** AI सुरक्षा और संरक्षा पर वैज्ञानिक सहमति स्थापित करना।
- **वैश्विक AI विनियमन:** एक समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय AI शासन ढाँचे को आकार देना।

AI शिखर सम्मेलन 2025 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **समावेशी और सतत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त घोषणा: अमेरिका और ब्रिटेन के** (AI पर अत्यधिक विनियमन से संबंधित चिंताओं को व्यक्त करते हुए) अतिरिक्त **'लोगों और ग्रह के लिये समावेशी और सतत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता'** पर संयुक्त वक्तव्य पर भारत, चीन, यूरोपीय संघ सहित **58 देशों** द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- **पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म और इनक्यूबेटर: पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म और इनक्यूबेटर को सार्वजनिक-निजी AI प्रयासों** को एक साथ लाने और डेटा, पारदर्शिता और वित्तपोषण **में क्षमता निर्माण** के माध्यम से **एक विश्वासनीय AI पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था।
- **मानव-केंद्रित AI और वैश्विक प्राथमिकताएँ:** शिखर सम्मेलन में **नैतिक, सुरक्षित और समावेशी AI** की आवश्यकता पर बल दिया गया, तथा **AI-चालित असमानताओं** को संबोधित करते हुए **मानवाधिकारों की सुरक्षा** सुनिश्चित की गई।
  - AI से संबंधित वैश्विक प्राथमिकताओं में **AI पहुँच, पारदर्शिता, रोज़गार सृजन, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय शासन** शामिल हैं।
  - इसमें **डिजिटल विभाजन को कम करने, AI सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रीन AI को बढ़ावा देने** और **वैश्विक सहयोग** को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।
- **मौजूदा बहुपक्षीय AI पहलों के साथ संरेखण:** शिखर सम्मेलन में वैश्विक AI पहलों के साथ संरेखण पर ज़ोर दिया गया, जिसमें **संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव, वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट, यूनेस्को AI नैतिकता सिफारिशें,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अफ्रीकी संघ AI रणनीति और OECD, G-7 और G-20 की रूपरेखाएँ शामिल हैं।

- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत ने **ओपन-सोर्स और सतत् AI** की वकालत की, **स्वच्छ ऊर्जा** और **कार्यबल के कौशल विकास** पर ज़ोर दिया।
  - **AI पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) के वर्ष 2024** के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, इसका उद्देश्य GPAI को ज़िम्मेदार AI विकास के लिये केंद्रीय मंच के रूप में स्थापित करना है।

द्वितीय भारत-फ्राँस AI नीति गोलमेज सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- **परिचय:**
  - **द्वितीय भारत-फ्राँस AI नीति गोलमेज सम्मेलन पेरिस** में **AI एक्शन समिट 2025** के साथ आयोजित किया गया।
  - इसका आयोजन भारत के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, IISc बंगलूरू, इंडियाAI मिशन और साइंसेज पो पेरिस द्वारा किया गया था।**
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **AI शासन और नैतिकता: ज़िम्मेदार AI, समान लाभ-साझाकरण,** तकनीकी-कानूनी ढाँचे और AI सुरक्षा पर ज़ोर।
    - चर्चा में **AI के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), AI फाउंडेशन मॉडल, वैश्विक AI शासन** और **वैश्विक चुनौतियों से निपटने में AI** की भूमिका को शामिल किया गया।
  - **सीमा-पार AI सहयोग: डेटा संप्रभुता, अंतर-संचालनीय AI अवसंरचना** और **संप्रभु AI मॉडल** पर ध्यान केंद्रित करना, सीमा-पार डेटा प्रवाह के लिये **मध्यस्थता तंत्र की कमी** को दूर करना।
  - **वैश्विक चुनौतियों के लिये AI: बहुभाषी मॉडल, फेडरेटेड कंप्यूटिंग** और **वैश्विक मुद्दों** के समाधान में AI का एकीकरण।
  - **सतत् AI:** AI के **उच्च ऊर्जा पदचिह्न को कम करने के लिये ऊर्जा-कुशल AI मॉडल** और **कंप्यूटिंग प्रथाओं** को बढ़ावा देना।

अधिक पढ़ें: भारत और फ्राँस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
और पढ़ें: कुछ प्रमुख AI उपकरण

प्रधानमंत्री ने सावरकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ मार्सिले कनेक्शन को याद किया:

- वर्ष 1910 में, भारत लाते समय **वीर सावरकर ने मार्सिले में भागने का प्रयास किया** लेकिन उन्हें फिर से पकड़ लिया गया।
- उनके प्रत्यर्पण से **फ्रेंको-ब्रिटिश कानूनी विवाद** उत्पन्न हुआ, जिसे **स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (1911)** द्वारा ब्रिटेन के पक्ष में सुलझाया गया।
- उन्हें **दो आजीवन कारावास** की सजा सुनाई गई और **अंडमान की सेलुलर जेल** में कैद कर दिया गया।

AI के विकास से संबंधित कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- **उच्च ऊर्जा उपभोग: AI की बढ़ती ऊर्जा मांग से वर्ष 2030** तक डेटा केंद्रों का विद्युत उपभोग **1-2% से 3-4%** तक बढ़ सकता है और यह संभवत: **वैश्विक ऊर्जा खपत का 21%** तक पहुँच सकता है।
  - ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन** में अपेक्षित वृद्धि **के परिणामस्वरूप 125-140 बिलियन अमेरिकी डॉलर की "सामाजिक लागत"** का अनुमान है।
  - **IEA** के अनुसार **ChatGPT क्वेरी** में **गूगल सर्च** की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा का उपभोग होता है।
  - **AI डेटा सेंटर भारत की कुल वर्तमान खपत (1,580 टेरावाट-घंटे: आर्थिक समीक्षा 2024-25)** जितना विद्युत उपभोग कर सकते हैं।
- **जन-केंद्रित AI बनाम AI-केंद्रित विकास का मुद्दा: जन-केंद्रित AI** (नैतिक, समावेशी और मानव-केंद्रित) को **AI-केंद्रित विकास (स्वचालन-संचालित)** के साथ संतुलित करना एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि AI पर अत्यधिक निर्भरता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

से **नौकरी खोने** के साथ **डेटा गोपनीयता के मुद्दे** और **डिजिटल विभाजन** का खतरा रहता है।

- **असुरक्षित और कम लागत वाले AI मॉडल: DeepSeek जैसे** असुरक्षित और कम लागत वाले AI मॉडल से डेटा उल्लंघन, **फेक न्यूज़, डीपफेक और साइबर सुरक्षा खतरों** का जोखिम पैदा होता है।
  - कमज़ोर नियामक निगरानी एवं नैतिक सुरक्षा उपायों के कारण पूर्वाग्रह एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जिसके कारण मज़बूत AI शासन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

भारत के समक्ष जनरेटिव AI से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?
और पढ़ें: AI व्यवधान संबंधी चुनौतियाँ

आगे की राह

- **धारणीय AI अवसंरचना:** AI संबंधी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये **ऊर्जा-कुशल AI मॉडल, नवीकरणीय ऊर्जा संचालित डेटा केंद्र एवं अनुकूलित एल्गोरिदम** को बढ़ावा देना चाहिये।
  - स्थिरता के लिये **ग्रीन कंप्यूटिंग और AI-संचालित स्मार्ट ग्रिड** को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **नैतिक और समावेशी AI नीतियाँ:** AI में **समानता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा** देना चाहिये।
  - जन-केंद्रित और AI-केंद्रित के बीच संतुलन बनाने के क्रम में **डेटा गोपनीयता, पूर्वाग्रह शमन और एल्गोरिदम संबंधी निष्पक्षता** को मज़बूत करना चाहिये।
- **AI विनियमन और सुरक्षा को मज़बूत करना: साइबर खतरों, फेक न्यूज़ और डीपफेक** का मुकाबला करने के क्रम में AI मॉडल (विशेष रूप से **DeepSeek** जैसे असुरक्षित मॉडलों) पर **सख्त निगरानी** रखनी चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और कार्यबल तत्परता:** कुशल कार्यबल का निर्माण करने और रोज़गार विस्थापन को कम करने के लिये **AI शिक्षा, कौशल कार्यक्रमों एवं अनुसंधान संस्थानों को मज़बूत** करना चाहिये।
- **सार्वजनिक कल्याण के लिये AI:** जोखिम को न्यूनतम करते हुए **आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति** को बढ़ावा देने के क्रम में **स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और आपदा प्रबंधन** में AI का उपयोग करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत में AI के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उन्हें दूर करने हेतु नीतिगत उपाय बताइये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु कार्रवाई में शमन से अनुकूलन की ओर भारत का रुख

चर्चा में क्यों?

भारत ने **उत्सर्जन कटौती (शमन)** की तुलना में अनुकूलन को प्राथमिकता देकर अपने जलवायु रुख में बदलाव का संकेत दिया है।

- **वर्ष 2035** के **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** को प्रस्तुत करने में इसकी संभावित देरी, वैश्विक निष्क्रियता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 29वें सम्मेलन (COP29) में अपर्याप्त वित्तीय प्रतिज्ञाओं के बारे में चिंताओं को उजागर करती है।

भारत शमन की अपेक्षा अनुकूलन को प्राथमिकता क्यों दे रहा है?

- **वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन:** विश्व वर्ष 2030 या 2035 तक अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सही दिशा पर नहीं है (राष्ट्रों को **वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42% और 2035 तक 57%** की कटौती करनी होगी)।
  - **विकसित राष्ट्र** अपने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं, COP 29 को विकासशील देशों द्वारा मांगे गए **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** के स्थान पर **प्रति वर्ष केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2035 से शुरू)** ही प्राप्त हो पाए हैं।
  - **वर्ष 2025 में** पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की गति और कमज़ोर हो गई है।
  - भारत ऊर्जा परिवर्तन घरेलू प्राथमिकताओं से प्रेरित **निम्न-कार्बन विकास** का लक्ष्य रखता है।
- **त्वरित एवं स्थानीय लाभ:** भारत का तर्क है कि वैश्विक **जलवायु लक्ष्य विकासशील देशों** की त्वरित आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं।
  - शमन के विपरीत, जिसके लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसे अनुकूलन से **प्रत्यक्ष, तत्काल लाभ** और स्थानीय लाभ प्राप्त होते हैं।
  - **आर्थिक विकास** अनुकूलन को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में समृद्धि एक प्रमुख कारक बन जाती है।
- **आर्थिक विकास:** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का सुझाव यह है कि **वर्ष 2047 तक "विकसित देश" का दर्जा** हासिल करना प्राथमिकता होनी चाहिये, ताकि **उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा के लिये अधिक मजबूत और सतत्** परिवर्तन हो सके।
  - भारत का तर्क है कि चीन में देखा गया **तीव्र औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास, भविष्य में कार्बन-मुक्ति** के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है।
- **अनुकूलता:** भारत बाहरी पक्षों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बजाय अपनी ऊर्जा परिवर्तन गति चुनने के लिये अधिक स्वायत्तता चाहता है।
  - यद्यपि **डीकार्बोनाइज़ेशन एक दीर्घकालिक** लक्ष्य बना हुआ है, फिर भी भारत जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर आर्थिक विकास से समझौता के लिये तैयार नहीं है।
  - **ज़मीनी स्तर पर पहल के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण** को ऊपर से नीचे की ओर के अधिदेशों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अनुकूलन, शमन और लचीलापन		
अवधि	**परिभाषा**	**कार्यों के उदाहरण**
शमन	**ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना।	• निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण • कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का उपयोग • कार्बन सिंक के रूप में वनों और महासागरों की रक्षा करना • संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना (जैसे, यात्रा उत्सर्जन को कम करना)
अनुकूलन	**क्षति में कमी लाने अथवा लाभ के अतिचार हेतु** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समायोजित करना।	• **समुद्र स्तर में वृद्धि से बचाव हेतु सुरक्षा उपाय करना** • चरम मौसम से बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा • **बदलती जलवायु** के लिये फसलों का विविधीकरण करना • भोजन की बर्बादी कम करना
लचीलापन	जलवायु-संबंधी प्रभावों का **पूर्वानुमान लगाने, उनके प्रति तत्परता विकसित करने और अनुक्रिया करने की क्षमता का वर्द्धन** करना।	• पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना • बाढ़ अवशोषण के लिये शहरी परीवश में हरित स्थानों में विस्तार करना • शहरी क्षेत्रो में ऊष्मा के प्रभाव को कम करने हेतु वृक्षारोपण करना

भारत विकास और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण करने में किस प्रकार संतुलन स्थापित कर रहा है?

- **निम्न-कार्बन विकास:** **कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने** की सुदृढ़ प्रतिबद्धताओं का विरोध किये जाने के बावजूद, भारत अपने **नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार** कर रहा है।
  - ❖ भारत अपने वर्ष 2030 NDC लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। भारत ने वर्ष 2030 तक **गैर-जीवाश्म स्रोतों** से **50% संस्थापित विद्युत क्षमता** प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो नवंबर 2024 तक **46.8%** तक पहुँच गया था।
  - ❖ भारत का लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर के आधार पर वर्ष 2030 तक वन विस्तार के माध्यम से अतिरिक्त **2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) सिंक** तैयार करना है।
    - ✸ **भारतीय वन सर्वेक्षण (2024)** के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन था, जो वर्ष 2005 के 28.14 बिलियन टन से **2.29 बिलियन टन** अधिक है।
    - ✸ **अनुमानत:** वर्ष 2030 तक यह 31.71 बिलियन टन हो जाएगा, जो NDC लक्ष्य से अधिक होगा।
  - ❖ भारत ने वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2019 तक, भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से 33% की कमी कर ली थी।
  - ❖ सौर और पवन ऊर्जा में निवेश प्राथमिकता बनी हुई है, तथा हाइड्रोजन ऊर्जा विकास के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
    - ✸ संस्थापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता इस प्रकार है: सौर से 20.6%, पवन से 10.5%, जलविद्युत से 10.3%), और नाभिकीय से 1.8%।
- **घरेलू स्वच्छ ऊर्जा:** भारत का लक्ष्य एक नए **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन** (केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित) के माध्यम से **सौर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटरी** जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये **विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करना** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सौर सेल, पवन टर्बाइन और बैटरी भंडारण समाधानों के स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देने के लिये नीतियाँ तैयार की जा रही हैं।

- **SMR का विकास: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मंद प्रगति को देखते हुए, भारत वर्तमान में** ऊर्जा सुरक्षा का वर्द्धन करने के उद्देश्य से देशज रूप से **लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (SMR)** के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **2035 NDC प्रस्तुत करने में विलंब:** भारत ने वर्ष 2035 की जलवायु प्रतिबद्धताओं को वर्ष 2025 तक के लिये स्थगित कर दिया है, ताकि ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 में बेहतर वित्तीय शर्तों पर वार्ता की जा सके।
  - समय लेकर कार्य करने से भारत को घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक जलवायु वित्त विकास के आधार पर अपने लक्ष्यों को समायोजित करने की सुविधा मिलेगी।

नोट: NDC, पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कटौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये देश-विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं, जिनका **प्रत्येक पाँच वर्ष में अद्यतन** किया जाता है।

- वर्ष 2020 में प्रस्तुत मौजूदा NDC, वर्ष 2030 की अवधि से संबंधित हैं, जिसमें 10 फरवरी 2025 तक 2035 प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। **वर्ष 2035 के NDC को वर्ष 2030 के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये,** लेकिन देश संसाधनों के आधार पर अपनी प्रगति स्वयं निर्धारित करते हैं।

वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है?

और पढ़ें: वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका

भारत की प्रमुख जलवायु अनुकूलन पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** के साथ संरेखित करने के लिये विकसित किया गया है।
  - कृषि, जल प्रबंधन और शहरी नियोजन सहित **विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **कृषि में अनुकूलन: गर्मी और जल तनाव खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा है,** अनुकूलन उपायों में शामिल हैं:
  - **जलवायु-अनुकूल बीज** और उन्नत **मृदा स्वास्थ्य पद्धतियाँ।**
  - **भूजल संरक्षण** और **संशोधित फसल तकनीकें।**
- **शहरी जलवायु लचीलापन: राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन (NMSH)** अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन तथा हरित भवनों को बढ़ावा देता है।
  - **अमृत 2.0 (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)** का उद्देश्य **शहरी बाढ़** से निपटना है।
- **तटीय अनुकूलन उपाय: तटीय आवास और मूर्त आय के लिये मैंग्रोव पहल (MISHTI)** का लक्ष्य नौ तटीय राज्यों में **540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित** करना है।
  - इससे **4.5 मिलियन टन कार्बन संग्रहित** होने तथा **22.8 मिलियन नौकरियाँ** सृजित होने की उम्मीद है।
  - तटीय कटाव और बढ़ते समुद्री स्तर से निपटने के लिये **सी वॉल, आर्टिफिशियल रीफ और टिब्बा रोपण (Dune Planting)।**
- **जल संसाधन प्रबंधन: जल शक्ति अभियान** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और वनीकरण पर केंद्रित है।
- **मिशन LiFE: मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)** एक भारत-नेतृत्व वाली वैश्विक पहल है, यह जलवायु कार्यवाही में सतत् जीवन और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती है, जो **"यूज़ एंड डिस्पोज़"** मानसिकता से एक **सर्कुलर इकोनॉमी** में स्थानांतरित होती है।

आगे की राह

- **स्थिरता के साथ आर्थिक विकास:** कम कार्बन विकास सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

प्राथमिकता दिया जाना चाहिये। इस्पात, सीमेंट और भारी उद्योगों में क्षेत्रीय डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं को लागू करना।

- **स्मार्ट सिटी मिशन** और स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से **सतत् शहरों के लिये हरित शहरी नियोजन** को प्रोत्साहित करना।
- **जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का** विकास करना, **आपदा प्रबंधन** को मज़बूत करना, तथा प्राकृतिक कार्बन सिंक के लिये **वनरोपण** का विस्तार करना।

- **स्वच्छ ऊर्जा विस्तार: सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन** निवेश का विस्तार करना, बैटरी भंडारण और **ग्रिड बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना, और विविध स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण** के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव ईंधन को बढ़ावा देना।
- **न्यायोचित एवं समावेशी परिवर्तन: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** तथा जीवाश्म ईंधन श्रमिकों को **हरित नौकरियों** में परिवर्तन करने में सहायता करना, साथ ही ग्रामीण एवं वंचित समुदायों के लिये किफायती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

❑❑❑

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामाजिक न्याय

घरेलू कामगारों का शोषण

चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** (SC) ने सुरक्षात्मक कानूनी ढाँचे के अभाव के कारण **भारत में घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार** पर चिंता जताई है।

- इसने केंद्र को सुरक्षात्मक कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिये एक **अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित** करने का निर्देश दिया है।

घरेलू कामगार कौन हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, घरेलू कामगार वे कामगार हैं जो **किसी निजी घर या घरों में या** उनके लिये कार्य करते हैं।
  - वे **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएँ** प्रदान करते हैं, तथा इस प्रकार वे **देखभाल अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।**
- **भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति: वर्ष 2019** के सरकारी अनुमान के अनुसार, भारत में घरेलू कामगारों में अधिकांश हिस्सा महिलाओं का है अर्थात् कुल **39 लाख श्रमिकों में से 26 लाख महिलाएँ** हैं।
  - **12.6 मिलियन नाबालिग** घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत हैं (**86% लड़कियाँ हैं**, तथा **25% 14 वर्ष से कम उम्र के हैं**)।
- **घरेलू कामगारों की विशेषताएँ:**
  - **अनौपचारिक और अनियमित:** अधिकांश घरेलू कामगारों के **पास रोज़गार अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण** का अभाव है।
  - **लिव-इन और अंशकालिक कार्य:** कुछ श्रमिक अपने नियोक्ता के साथ रहते हैं (लिव-इन श्रमिक), जबकि अन्य कई घरों में काम करते हैं (अंशकालिक श्रमिक)।
- **प्रवासन:** घरेलू कामगार अक्सर अत्यधिक गरीबी और रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण **झारखंड, बिहार और ओडिशा** जैसे गरीबी से ग्रस्त राज्यों से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के साथ-साथ **अरब राज्यों की ओर पलायन** करते हैं।
  - **हाशिये पर पड़े समुदाय:** कार्यबल मुख्य रूप से **अनुसूचित जाति** (SC), **अन्य पिछड़ा वर्ग** (OBC) और **अनुसूचित जनजाति** (ST) के हाशिये पर पड़े समुदायों से बना है।

भारत में घरेलू कामगारों की चिंताएँ क्या हैं?

- **कम वेतन:** बहुत से लोग **न्यूनतम वेतन** से कम कमाते हैं, उनके पास **कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होता।** वे अक्सर बिना ब्रेक या **ओवरटाइम वेतन के अत्यधिक घंटे कार्य करते हैं।**
- **दुर्व्यवहार:** श्रमिकों को **शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है,** जिसमें विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के नाबालिगों में, मारपीट, कठोर परिस्थितियाँ, **यौन उत्पीड़न, जबरन श्रम और मानव तस्करी** शामिल है।
  - अंतर्राष्ट्रीय **श्रम संगठन ने** घरेलू कार्य को एक **"आधुनिक दासता"** प्रथा बताया है जहाँ नाबालिगों के साथ ही श्रमिक दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **यौन उत्पीड़न:** महिला कर्मचारी यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। प्रतिशोध के डर या कानूनी उपाय की कमी **के कारण दुर्व्यवहार के कई मामले दर्ज नहीं** किए जाते हैं।
- **एजेंसियों द्वारा शोषण:** प्लेसमेंट एजेंसियाँ उचित मजदूरी या सुरक्षित स्थिति की गारंटी दिये बिना **रोज़गार के लिये उच्च शुल्क** वसूल कर घरेलू श्रमिकों का शोषण करती हैं।
  - श्रमिकों को अक्सर उनके रोज़गार की शर्तों (जिनमें वेतन या नौकरी की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं) के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **महामारी: कोविड-19** से स्थिति और भी खराब हुई। वर्ष 2020 के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोच्चि, दिल्ली और मुंबई में 57% घरेलू कामगारों को भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि 40% ने सुरक्षा उपायों के बिना कार्य किया।

भारत में घरेलू कार्य कौन से कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं?

- **कोई समर्पित केन्द्रीय कानून नहीं:** घरेलू कामगारों को मुख्यधारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है क्योंकि **"कर्मचारी" और "कार्यस्थल"** की परिभाषाएँ घरेलू कार्य को कवर नहीं करती हैं, जिसे अक्सर **"अनुत्पादक" महिला श्रम** के रूप में देखा जाता है।
  - घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिये केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें **घरेलू कामगार (रोजगार की शर्तें) विधेयक 1959** और **घरेलू कामगार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक 2017** शामिल हैं।
    - वर्ष 2019 की **राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति** का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मज़दूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था जिसमें **मज़दूरी**, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल हैं। हालाँकि, इनमें से **कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं** किया गया।
- **कमज़ोर विधिक सुरक्षा:**
  - **असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008:** इसके तहत **कुछ लाभ प्रदान किए गए** लेकिन बाद में इसे **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे **लागू नहीं** किया गया है।
  - **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:** इसके तहत घरेलू कार्य को मान्यता दी गई है लेकिन **केवल 10 राज्यों** ने घरेलू श्रमिकों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की है।
  - **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013:** इसके तहत घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है लेकिन **इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव** है।
- **बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** वर्ष 2006 में भारत ने 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के घरेलू कार्य नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसे **"परिसंकटमय बालक श्रम"** माना गया था, लेकिन **बालक श्रम अधिनियम, 1986**, के तहत 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को घरों में काम करने की अनुमति है, क्योंकि इसे **"सुरक्षित"** स्थान माना जाता है।
- **राज्य कानून: तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल** ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के हेतु कानून लागू किये हैं।
  - इन राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व देखभाल, शिक्षा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यूनतम पारिश्रमिक की देखरेख के लिये **विशेष निकाय** स्थापित किये हैं।
- **वैश्विक सुरक्षा: वर्ष 2011 में, भारत ने ILO अभिसमय 189** के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य **घरेलू कार्य को विधिसंगत कार्य के रूप** में मान्यता देकर घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार करना है, ताकि घरेलू कामगारों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हों। **हालाँकि, भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।**

Core Conventions of the ILO: - The eight Core Conventions of the ILO (also called fundamental/ human rights conventions) are:

- Forced Labour Convention (No. 29)
- Abolition of Forced Labour Convention (No.105)
- Equal Remuneration Convention (No.100)
- Discrimination (Employment Occupation) Convention (No.111)
- Minimum Age Convention (No.138)
- Worst forms of Child Labour Convention (No.182)

(The above Six have been ratified by India)

- Freedom of Association and Protection of Right to Organised Convention (No.87)
- Right to Organise and Collective Bargaining Convention (No.98)

(The above two conventions have not been ratified by India)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आगे की राह

- **नीतिगत परिवर्तन:** नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने, उचित वेतन और लाभ के साथ अनिवार्य अनुबंध सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं में घरेलू श्रमिकों को शामिल करने के लिये **मसौदा राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति, 2019** का क्रियान्वन किया जाना चाहिये।
  - ❖ **ILO अभिसमय 189** का अनुसमर्थन करने, घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिये विधि निर्माण करने, उनके **कार्य को विधिसंगत मानने** एवं विधिक संरक्षण व नीति प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **तस्करी विरोधी नीतियाँ: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये नियोजन एजेंसियों** का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त, **भारतीय न्याय संहिता, 2023** के तहत तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें घरेलू कामगारों से जुड़े अपराधों सहित तस्करी के अपराधों के लिये **आजीवन कारावास** के दंड का प्रावधान किया गया है।
- **श्रमिकों का सशक्तीकरण:** घरेलू श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विधिक सहायता और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने तथा **शिकायतों के समाधान के लिये एक वैधानिक निकाय की स्थापना** की जानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में घरेलू कामगारों के शोषण का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उनकी कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के उपायों का सुझाव दीजिये।

भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

इस समस्या से निपटने और विस्थापित भिखारियों के लिये वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के प्रयासों के तहत, **उदाहरण के रूप में इंदौर** का अनुसरण करते हुए, भोपाल, मध्य प्रदेश ने **सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति** पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- **भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध का कारण: यातायात सिग्नल, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भिक्षावृत्ति** की खबरों के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे **यातायात में बाधा उत्पन्न होती है** और **दुर्घटनाएँ होती हैं** ।
- अधिकारियों ने यह भी बताया कि **कई भिखारी अन्य राज्यों से आते हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड** है या वे अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे के खतरों को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **कानूनी कार्रवाई:**
  - ❖ **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163** (उपद्रव या आशंका वाले खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत पूरे भोपाल ज़िले में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
    - ✸ इसके अतिरिक्त, BNSS की धारा 223 उन लोगों को दंडित करती है जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक रूप से दिये गए आदेशों की अवहेलना करते हैं।
  - ❖ यह प्रतिबंध इंदौर के कदम के बाद लगाया गया है, जहाँ **इस वर्ष के प्रारंभ में इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज करना भी शामिल था।

भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान कौन-से है?

- **औपनिवेशिक कानून: वर्ष 1871** के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया **तथा उन्हें भिक्षावृत्ति से** जोड़ दिया।
- **वर्तमान विधिक ढाँचा: भारतीय संविधान** के अनुसार **संघ** और **राज्य सरकारों** दोनों को **समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15)** के तहत **आहिंडन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित), घुमंतू** और **प्रवासी जनजातियों** पर विधि का निर्माण करने की अनुमति है।
  - ❖ **भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई केंद्रीय विधि नहीं** है। इसके स्थान पर, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने **बॉम्बे**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को आधार बनाकर विधि का निर्माण किया है।

- इस अधिनियम में **भिक्षुक** को न केवल भिक्षा माँगने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, बल्कि इसके अंतर्गत ऐसी व्यक्ति भी शामिल हैं जो **सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वस्तुओं का विक्रय करते हैं** अथवा निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन के आभाव में निराश्रित होते हैं।
- **आहिंडन में भिक्षा माँगना भी शामिल** है और अधिनियम के अनुसार इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियाँ **सामाजिक उपद्रवी** होते हैं।

- **विधिशास्त्र: दिल्ली उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2018 में निर्णय सुनाया कि **बॉम्बे अधिनियम की प्रवृत्ति मनमाना** है और यह सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन है और निर्धनता को अपराध घोषित किये बिना इसका समाधान किये जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
  - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 2021 में सार्वजनिक स्थानों से भिक्षुकों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग वाले एक **लोकहित मुकदमे** को खारिज़ कर दिया और निर्णय सुनाया कि **भिक्षावृत्ति एक आपराधिक मुद्दा** नहीं अपितु **सामाजिक-आर्थिक समस्या** है।
- **SMILE: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई **आजीविका और उद्यम हेतु हाशिए पर स्थित व्यक्तियों की सहायता (SMILE)** योजना का उद्देश्य वर्ष **2026 तक "भिक्षावृत्ति मुक्त" भारत** की दिशा में कार्य करते हुए चिकित्सा देखभाल, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर **भिक्षुकों का पुनर्वास** करना है।
  - वर्ष 2024 तक, SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया, जिनमें बालकों की संख्या 352 थी।

नोट: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिक्षुकों और आहिंडकों (Vagrants) की संख्या लगभग 413670 थी। भिक्षुकों की सर्वाधिक संख्या **पश्चिम बंगाल** में है, उसके बाद **उत्तर प्रदेश** और **बिहार** का स्थान है।

भारत में भिक्षावृत्ति के प्रचलन के क्या कारण है?

- **आर्थिक कठिनाइयाँ: गरीबी, बेरोज़गारी** और **अल्परोज़गार** भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण हैं।
  - हाशिए पर स्थित व्यक्तियों का **गाँवों से शहरों की ओर पलायन** करने से प्राय: निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वे भिक्षावृत्ति के लिये विवश हो जाते हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक: जाति व्यवस्था** के कारण ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों का हाशियाकरण जारी है, जिससे उनके अवसर सीमित हो गए हैं।
  - कुछ संस्कृतियों के लिये भिक्षावृत्ति एक **वंशानुगत व्यवसाय** है (जैसे, नट, बाज़ीगर और सैन्स)।
- **शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता:** स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के अभाव के कारण **दिव्यांग व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति के लिये विवश होना पड़ता है।**
  - प्राय: **मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों** को छोड़ दिया जाता है और वे जीवन निर्वाह के लिये भिक्षावृत्ति के लिये विवश हो जाते हैं।
- **प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा और भूकंप** से लोगों को विस्थापन होता है, जिससे उनके लिये अत्यधिक निर्धनता और भिक्षावृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **संगठित भिक्षावृत्ति का गिरोह:** मानव तस्कर और आपराधिक गिरोह महिलाओं और बच्चों का जबरन भिक्षावृत्ति के लिये शोषण करते हैं, जो अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी, गुलामी या शोषण पर रोक) का उल्लंघन है।
  - शिशुओं को प्राय: रुग्ण दिखाने के लिये तथा सहानुभूति-प्रेरित दान बढ़ाने के लिये मादक दवाएँ दी जाती हैं।

भिक्षावृत्ति का समाज पर क्या परिणाम होता है?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम:** भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर प्राय: **स्वच्छता की कमी** होती है, जिससे **बीमारियाँ फैलती** हैं।
  - कुपोषित भिखारियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली** पर बोझ पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अपराध और शोषण:** संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह **बाल तस्करी और जबरन श्रम** में संलिप्त हैं। भिखारियों में **नशीली दवाओं की लत और मादक द्रव्यों के सेवन** का जोखिम अधिक है।
- **पर्यटन और शहरी क्षेत्र:** शहरों में अनियंत्रित भिक्षावृत्ति से **पर्यटन प्रभावित** होता है और **भारत की वैश्विक छवि को नुकसान** पहुँचता है।
  - ❖ **सड़कों पर भिक्षावृत्ति की बढ़ती प्रवृत्ति** के कारण **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** और सार्वजनिक उपद्रव की शिकायतें बढ़ रही हैं।
- **मानवाधिकार उल्लंघन:** कई भिखारियों को **वैकल्पिक पुनर्वास के बिना भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों** के तहत गिरफ्तार किया जाता है।
  - ❖ **भिखारी की परिभाषा** में औपनिवेशिक युग के पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंबन जारी है, जिसमें प्राय: **खानाबदोश जनजातियों और गरीबों** को कानूनी कार्यवाही का लक्ष्य बनाया जाता है।
  - ❖ **ये कानून कभी-कभी अधिकारियों को गरीबों या शहरी सौंदर्य के साथ असंगत समझे जाने वाले लोगों** को गिरफ्तार करने की शक्ति देते हैं।

आगे की राह

- **भिक्षावृत्ति वाले गिरोहों से निपटना:** पुलिस, **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)** और बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** के तहत **भिक्षावृत्ति वाले गिरोहों** को खत्म करने के लिये तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन।
  - ❖ **शोषणकारी भिक्षावृत्ति सिंडिकेट को दंडित** करना। कारावास के बजाय पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **सामुदायिक संवेदनशीलता:** भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और **विश्वसनीय धर्मार्थ संस्थाओं** और सामुदायिक परियोजनाओं के लिये **दान को बढ़ावा देना,** तथा यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वास प्रयासों के लिये धन उपलब्ध हो।
- **शहरी नियोजन और निराश्रयों के लिये सहायता:** बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा संचालित रात्रि आश्रयों (Run Night Shelters) की संख्या में वृद्धि करना।
  - ❖ भिखारियों को समाज में एकीकृत करने में सहायता के लिये कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर प्रदान करना।
- **नीतिगत ढाँचा: बेरोज़गारी और सामाजिक बहिष्कार** जैसे अंतर्निहित मुद्दों को लक्षित करते हुए नीतियों का निर्माण करना, रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ❖ भिक्षावृत्ति की जटिल प्रकृति को संबोधित करने वाले समग्र समाधान तैयार करने के लिये **सामाजिक न्याय, शहरी मामलों और श्रम** जैसे मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
- **स्थानीय साझेदारियाँ:** पुनर्वासित व्यक्तियों के लिये **स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिये स्थानीय व्यवसायों और उद्योगों के साथ सहयोग करना,** जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत में भिक्षावृत्ति एक व्यक्तिगत पसंद के बजाय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और नीतिगत विफलताओं का प्रतिबिंब है।" भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान के लिये संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये।

कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता

चर्चा में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में कार्यस्थल संस्कृति, कार्य घंटों और जीवनशैली का मानसिक स्वास्थ्य और श्रमिक उत्पादकता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

- इसमें **कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा** देने के लिये कार्यस्थल की बेहतर स्थितियों और स्वस्थ जीवनशैली की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **कार्यस्थल संस्कृति:** सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि **प्रबंधकों और सहकर्मियों** के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य स्तर 33% अधिक होते हैं।
  - काम में उद्देश्य की भावना से कल्याण में और वृद्धि होती है।
- **कार्यभार प्रबंधन:** अत्यधिक कार्यभार मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रबंधनीय कार्यभार वाले कर्मचारी काम से अभिभूत कर्मचारियों की तुलना में **27% अधिक मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट करते हैं।**
  - लंबी कार्य अवधि (प्रति सप्ताह 55-60 घंटे) तनाव और चिंता बढ़ाते हैं।
- **दूरस्थ कार्य का प्रभाव:** जबकि दूरस्थ कार्य अनुकूलता प्रदान करता है, पूर्णत: दूरस्थ कर्मचारी कार्यालय में या हाइब्रिड मॉडल में कार्य करने वालों की तुलना में **17%** कम मानसिक कल्याण स्तर दर्ज करते हैं।
  - कार्यस्थल पर सामाजिक संपर्क मानसिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **जीवनशैली विकल्प और मानसिक स्वास्थ्य:**
  - **आहार संबंधी विकल्प:** जो व्यक्ति **अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से परहेज** करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
  - **शारीरिक गतिविधि: व्यायाम की कमी से तनाव में वृद्धि होती** है तथा उत्पादकता में कमी होती है।
  - **सोशल मीडिया का उपयोग:** अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग **मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का कारण है।**
  - **पारिवारिक संबंध:** परिवार के साथ सुदृढ़ संबंधों का मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्व-नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

- **स्वरोज़गार में वृद्धि:** स्वरोज़गार श्रमिकों का अनुपात **52.2% (2017-18) से बढ़कर 58.4% (2023-24) हो गया।**
- **क्षेत्रवार प्रवृत्ति:** रोज़गार में कृषि क्षेत्र प्रमुख बना हुआ है, जो उक्त अवधि के दौरान **44.1% से बढ़कर 46.1%** हो गया।
- **नियमित रोज़गार में गिरावट:** वेतनभोगी रोज़गार की हिस्सेदारी **वर्ष 2017-18 में 22.8% थी जो वर्ष 2023-24 में घटकर 21.7% हो गई।**
  - **अनियत रोज़गार** भी **24.9% से घटकर 19.8% हो गया,** जो संरचित स्वरोज़गार की ओर बदलाव का संकेत है।
- **बेरोज़गारी में कमी:** बेरोज़गारी दर (15+ आयु वर्ग) **6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई।**
- **औपचारिक क्षेत्र में वृद्धि:** EPFO अंशदान में निवल वृद्धि **दोगुनी से अधिक** हुई, जो **61 लाख (2018-19) से बढ़कर 1.31 करोड़ (2023-24) हो गई,** जिसमें 61% नए वेतन-सूची में युवा (<29 वर्ष) शामिल हैं।

खराब मानसिक स्वास्थ्य के अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव क्या हैं?

- **उत्पादकता में कमी: अवसाद और दुश्चिंता** जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकार से **कार्य कुशलता में कमी,** अनुपस्थिता और प्रस्तुतिवाद (अस्वस्थ रहते हुए कार्य करना) जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के अनुसार, **वैश्विक स्तर पर अवसाद और दुश्चिंता के कारण प्रतिवर्ष 12 बिलियन कार्य दिवसों** का नुकसान होता है, जिसकी आर्थिक लागत लगभग **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
    - भारत में इसका अर्थ है कि **प्रति प्रभावित श्रमिक को प्रतिदिन लगभग 7,000 रुपए का नुकसान** हो रहा है।
- **अनुपस्थिता और टर्नओवर:** खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण **बीमार रहने के दिनों की संख्या बढ़ सकती है,** समय से पहले कार्यस्थल छोड़ने की प्रवृत्ति हो सकती है, और नौकरी छूटने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यप्रवाह बाधित हो सकता है तथा **भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रतिस्थापन से जुड़ी लागत बढ़ सकती है।**
  - **आर्थिक समीक्षा 2024-25** के अनुसार खराब मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का **प्रति माह लगभग 15 कार्य दिवस का ह्रास होता है,** जबकि **स्वस्थ व्यक्तियों के लिये यह 2 से 3 दिन है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि:** खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण **बार-बार चिकित्सक से मिलना, अस्पताल में भर्ती होने और दीर्घकालिक उपचार** के कारण **स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ जाती है**, जिससे लोक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे पर बोझ बढ़ जाता है तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रभावित होते हैं।
- **नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता में गिरावट:** खराब मानसिक स्वास्थ्य **रचनात्मकता, जोखिम लेने और निर्णय लेने की क्षमता को बाधित** करता है, जिससे **तकनीकी और व्यावसायिक प्रगति धीमी** हो जाती है, विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जो तनाव और थकान का सामना कर रहे हैं।

माइंड हेल्थ कोशेंट (Mind Health Quotient- MHQ)

- MHQ **मानसिक स्वास्थ्य** और **संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली** का आकलन करने वाला एक **मानकीकृत उपाय** है।
- यह **मूल्यांकन एक मानकीकृत प्रश्नावली पर स्वयं-रिपोर्ट की गई प्रतिक्रियाओं** पर आधारित है, **जो भावनात्मक लचीलापन, संज्ञानात्मक कार्य, सामाजिक कल्याण और जोखिम कारकों** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मानसिक कल्याण का आकलन करता है।
- **MHQ स्कोर -100 से +200** तक होता है, जो समग्र मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करता है। उच्च स्कोर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं।

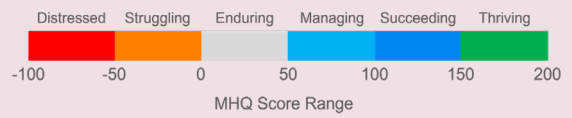

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा क्या सुझाव दिये गए हैं?

- **कार्यस्थल सुधार:** पारस्परिक संबंधों में सुधार, कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देकर एक **सहायक कार्य संस्कृति** को बढ़ावा देना।
  - बर्नआउट को रोकने और उत्पादकता बढ़ाने के लिये **कार्य-घंटों के विनियमन** को लागू करना।
- **लचीले कार्य मॉडल:** लचीलेपन और सामाजिक संपर्क को संतुलित करने के लिये **हाइब्रिड कार्य नीतियों** को प्रोत्साहित करना, जिससे पूर्ण दूरस्थ कार्य के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- **स्वास्थ्य और जीवनशैली में हस्तक्षेप:** नियोक्ताओं और सरकार को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये **स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि** और डिजिटल डिटॉक्स को बढ़ावा देना चाहिये।
- **जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** कार्यस्थल पर बेहतर स्वास्थ्य के लिये बड़े पैमाने पर **मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पहल, परामर्श सेवाएँ और कर्मचारी सहायता कार्यक्रम** लागू करना।
- **नीति और विधायी उपाय:** श्रम कानूनों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विचारों को एकीकृत करके **व्यावसायिक स्वास्थ्य नीतियों** को मज़बूत बनाना, तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया जाए।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। स्वस्थ कार्यबल उत्पादकता, लचीलापन और आर्थिक विकास की कुंजी है। सहायक नीतियों के माध्यम से कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से भारत की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह मज़बूत होगी।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2025 में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (जो प्रतिवर्ष **11 फरवरी** को मनाया जाता है) की **10वीं वर्षगाँठ** है।

- **यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं और लड़कियों की** पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

STEM में महिलाओं की स्थिति क्या है?

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - **वर्ष 1901 से 2024** के बीच, **भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं फिजियोलॉजी या चिकित्सा** में **650 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से** केवल 26 महिलाएँ हैं।
  - **STEM में महिलाएँ: संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों** के अनुसार, वैश्विक स्तर पर **STEM शिक्षा और कॅरियर** में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो STEM स्नातकों का केवल **35% है।**

Facts & figures

Only 1 in 3 scientists worldwide is a woman	Less than 2/5 STEM graduates are women	Only 12% of national academies of science members are women	Not all countries have reliable data on gender and science
Despite some progress in recent years, gender equality in science remains elusive	The gender gap varies across scientific disciplines. Some fields, such as physics, tend to attract more men than women	At the upper levels of scientific hierarchies, the proportion of women scientists declines	98 countries have not supplied data for 2018-2021 (dataset of the UNESCO Institute of Statistics)

- **भारतीय परिदृश्य:**
  - **अनुसंधान में महिलाएँ: लोकसभा** में प्रस्तुत सरकारी डेटा (2024) से पता चलता है कि **वैज्ञानिक कार्यबल** में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18.6% है।
  - **STEM नामांकन:** उच्च शिक्षा में **STEM छात्रों में 43%** महिलाएँ हैं।
  - **भागीदारी में कमी आना:** वैज्ञानिक संस्थानों में **उच्च शोध स्तरों** और **नेतृत्व पदों** पर इनकी भागीदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

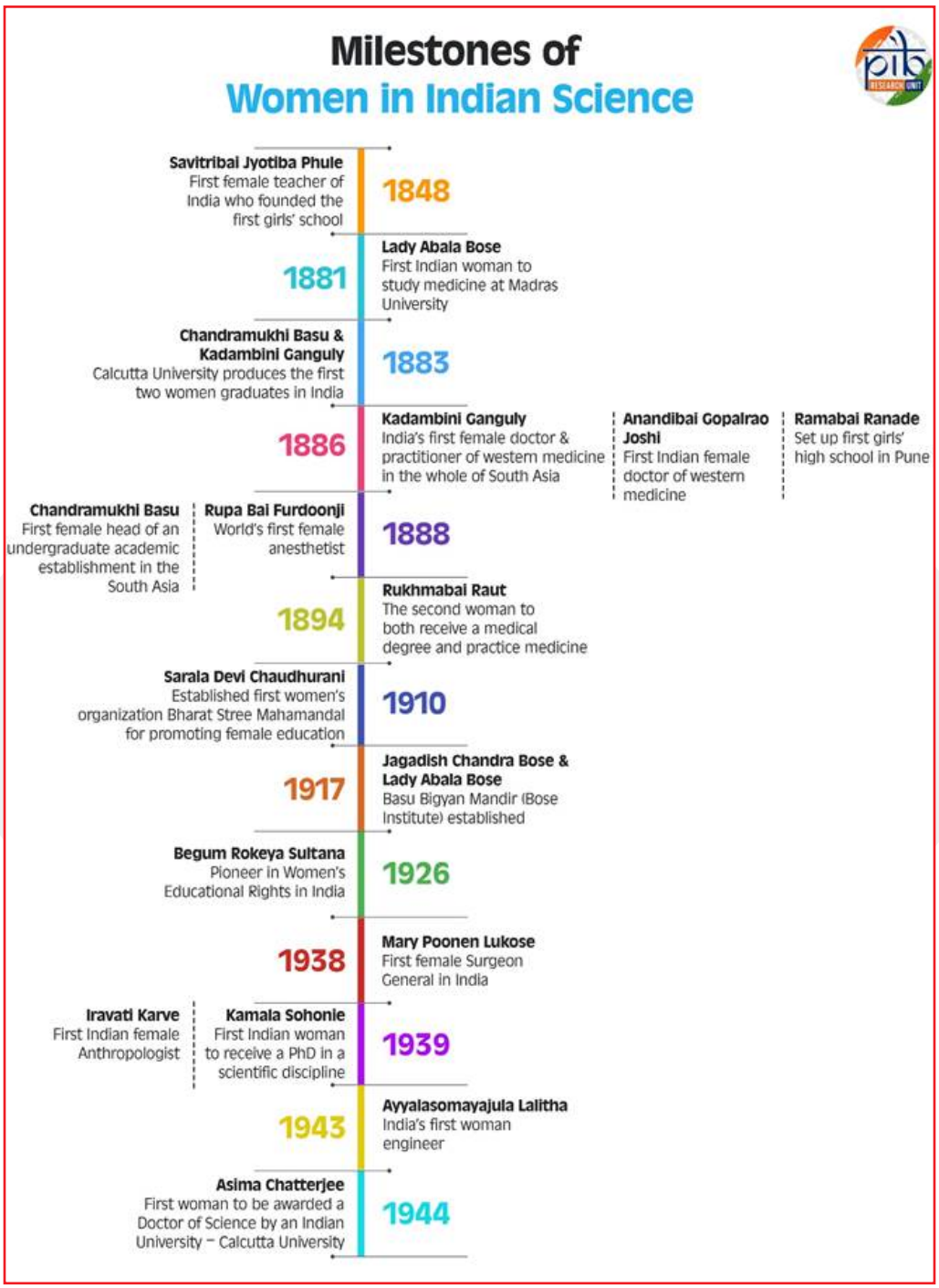

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

STEM से संबंधित भारत की पहलें कौन-सी हैं?

- नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल
- विज्ञान ज्योति
- परिवर्तनकारी संस्थानों के लिये लैंगिक उन्नति (GATI)
- WISE-KIRAN योजना

- **BioCARe फेलोशिप:**
  - यह **जैवप्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों** को सफल अनुसंधान कॅरियर बनाने में सहायता करता है।
- **महिला विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI)**
  - उद्यमिता में **महिला-नेतृत्व वाले नवाचार और लैंगिक समावेशिता को** बढ़ावा देने के लिये **IGDTUW (दिल्ली), SPMVV (तिरुपति) और DTU में iTBI** की स्थापना की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

STEM में महिलाओं से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कार्यबल ड्रॉपआउट और सामाजिक बाधाएँ:** STEM में महिलाओं को **देखभाल की ज़िम्मेदारियों, कठोर कार्य नीतियों और पुन: प्रवेश चुनौतियों** के कारण **कॅरियर में बाधा का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता** उनकी भागीदारी को और हतोत्साहित करती है, जिससे विज्ञान में लैंगिक अंतराल बढ़ता है।
- **कार्यस्थल की बाधाएँ: लैंगिक पूर्वाग्रह,** मार्गदर्शन की कमी, और **निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व** के कारण कॅरियर की वृद्धि बाधित होती है। महिलाओं के समक्ष **अनुसंधान निधि और नेतृत्व पदों के अल्प अवसर** जैसी समस्याएँ होती हैं।
- **संस्थागत बाधाएँ: जेंडर-सेंसिटिव नीतियों जैसे मातृत्व लाभ, लचीली कार्य व्यवस्था के अभाव** और **जेंडर संबंधी डेटा तक सीमित पहुँच** से STEM में महिलाओं की उपस्थिति और समानता सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **जेंडर-इंक्लूसिव नीतियाँ:** महिला वैज्ञानिकों के लिये **जेंडर-सेंसिटिव भर्ती, नेतृत्व कोटा और अनुसंधान अनुदान** की व्यवस्था की जानी चाहिये। वैज्ञानिक संस्थानों में **लचीली कार्य नीतियों** और **परिवार सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।
- **नेतृत्व एवं मार्गदर्शन:** मार्गदर्शन नेटवर्क स्थापित किये जाने चाहिये तथा शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण में **नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।**
- **कार्यस्थल समानता:** महिलाओं के लिये समान वेतन और मान्यता सुनिश्चित करने के लिये **पारदर्शी मूल्यांकन और पदोन्नति प्रणाली** लागू करना।
- **महिला उद्यमिता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में **महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को** समर्थन देने के लिये **निधि, बायोकेयर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (TBI)** को मज़बूत करना।
- **वैश्विक सहयोग: STEM में महिलाओं के उच्च प्रतिनिधित्व** वाले देशों के सफल मॉडलों को अपनाना, महिला शोधककर्त्ताओं के लिये **वैश्विक साझेदारी और विनिमय कार्यक्रम** सुनिश्चित करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले कारकों का परीक्षण करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लिंग-समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव दीजिये।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

विभिन्न क्षेत्रों के **123 अध्ययनों** के व्यापक विश्लेषण के आधार पर **द लैंसेट** में प्रकाशित एक अध्ययन में विश्व भर में बच्चों के समक्ष **ऑनलाइन यौन शोषण** की बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला गया है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार से संबंधित अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **दुर्व्यवहार की व्यापकता:** इसमें बताया गया है कि पिछले दशक में **वैश्विक स्तर पर 12 में से एक बच्चे (लगभग 8.3%) को ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार** का सामना करना पड़ा है।
- **शोषण के प्रकार:** इस अध्ययन में ऑनलाइन यौन शोषण के कई उपप्रकारों की पहचान की गई है, जिनमें यौन संबंधी पूछताछ/बातचीत से संबंधित **ऑनलाइन प्रलोभन (12.5%), बिना सहमति के छवि साझा करना** (12.6%),**ऑनलाइन यौन शोषण** (4.7%) और **सेक्सुअल एक्सटॉर्शन** (3.5%) शामिल हैं।
- **लैंगिक गतिशीलता: बालक और बालिकाओं के बीच ऑनलाइन दुर्व्यवहार की दरों में कोई प्रमुख अंतर नहीं** है, जिससे इस पूर्वधारणा को चुनौती मिलती है कि लड़कियाँ अधिक असुरक्षित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इससे **ऑनलाइन वातावरण और व्यवहार में बदलाव** का संकेत मिलता है, जिससे **लड़कों के लिये जोखिम बढ़** रहा है।

- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इस रिपोर्ट में ऑनलाइन यौन शोषण को **गंभीर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों** से जोड़ा गया है, जिसमें **जीवन प्रत्याशा** और रोज़गार की संभावनाओं में कमी शामिल है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार बढ़ने के क्या कारण हैं?

- **इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि: व्यापक इंटरनेट पहुँच ने बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति (इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का 1/3) में** उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे ये शोषण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं, विशेष रूप से अनियंत्रित सोशल मीडिया और गेमिंग में।
- **महामारी से संबंधित कारक: कोविड-19 महामारी** के दौरान ऑनलाइन गतिविधि में वृद्धि ने **अपराधियों को बच्चों का शोषण करने में** सक्षम बनाया, जिससे दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई, जिसमें मार्च 2020 से **अब तक सेक्टॉर्शन के मामलों में तीन गुना वृद्धि देखी** गई।
- **प्रौद्योगिकी में उन्नति:** बड़ी संख्या में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** उपकरणों और **डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रयोग ने अपराधियों के लिये बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)** बनाना और वितरित करना आसान बना दिया है, जिसका **पता लगाना** मुश्किल है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव: ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सीमित जागरूकता** उपयोगकर्त्ताओं को असुरक्षित बनाती है; केवल **38% भारतीय परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।**
- **अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन:** विधिक प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी कंपनियों को **तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ तालमेल बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,** जिससे **निगरानी और प्रवर्तन में अंतराल रह जाता है।**

ऑनलाइन बाल शोषण से संबंधित भारत की पहल

- **विधायी एवं नीतिगत उपाय:**
  - **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 ऑनलाइन शोषण** समेत बाल यौन शोषण से निपटने के लिये **विधिक ढाँचा** प्रदान करता है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 में बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध** से संबंधित प्रावधान हैं।
  - **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ऑनलाइन दुर्व्यवहार सहित बाल संरक्षण मुद्दों को** संबोधित करता है।
- **संस्थागत तंत्र:**
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: बाल दुर्व्यवहार मामलों** की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) बाल शोषण समेत साइबर अपराधों के** खिलाफ विधिक प्रवर्तन प्रयासों को मज़बूत करता है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **सशक्त कानून और प्रवर्तन:**
  - **सशक्त कानून:** अपराधियों के लिये अधिक दंड के साथ **कठोर कानूनी ढाँचे को लागू करना।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार दुर्व्यवहार नेटवर्क को** नष्ट करने के लिये **इंटरपोल और FBI** जैसी **एजेंसियों के साथ सहयोग को मज़बूत करना।**
  - **रिपोर्टिंग प्रणाली की सुदृढ़ता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये **वास्तविक समय रिपोर्टिंग और निगरानी उपकरणों में सुधार करना, गोपनीय हेल्पलाइन स्थापित करना** साथ ही दुर्व्यवहार सामग्री को साझा करने के उभरते तरीकों की रिपोर्ट करने के लिये सोशल नेटवर्क को प्रोत्साहित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जन जागरूकता और शिक्षा:** बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिये **जागरूकता अभियानों** के माध्यम से **डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना।**
  - **बच्चों के लिये समर्पित अनुभाग,** सोशल मीडिया और ब्राउज़िंग प्लेटफॉर्म पर **"सुरक्षित खोज", कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित** सामग्री फिल्टरिंग और **अभिभावकीय नियंत्रण** जैसी सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी उद्योग के साथ सहयोग:** तकनीकी कंपनियों को **सामग्री का कठोरता से मॉडरेशन करने, आयु-सत्यापन की बेहतर विधि अपनाने** और डार्क वेब प्लेटफार्मों पर CSAM के निर्माण की रोकथाम करने हेतु **एथिकल AI साधन विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता** है।
- **अनुसंधान की आवश्यकता: साक्ष्य-आधारित नीतियाँ तैयार करने** और **बाल संरक्षण ढाँचे को सुदृढ़ करने** के लिये, विशेष रूप से विश्व के अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में **व्यापक अनुसंधान और डेटा संग्रह** में निवेश करने की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में साइबर अपराध की स्थिति और बालकों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिये। इन खतरों का समाधान करने के उपायों का सुझाव दीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कृषि

भारत में कृषि विकास

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए भारत की विकास यात्रा के लिये **'कृषि को प्रथम इंजन'** की संज्ञा देते हुए अन्नदाताओं के लाभ के लिये **कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों** की घोषणा की गई।

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25** के अनुसार कृषि क्षेत्र ने **मज़बूत वृद्धि** देखी गई है, जो वर्ष 2016-17 से वर्ष **2022-23** तक सालाना औसतन **5%** रही है।
- **हालाँकि, उच्च उपज वाले बीजों** पर घोषित राष्ट्रीय मिशन ने **एकल कृषि** और **फसल विविधता** की हानि पर चिंता जताई है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित किन पहलों की घोषणा की गई?

- **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** इसका उद्देश्य **उच्च उपज वाले बीजों** का विकास करके **कृषि उत्पादकता** में सुधार करना है, जो **कीटों और जलवायु** के प्रति अधिक अनुकूल हैं ।
  - **फोकस क्षेत्र :**
    - बेहतर उत्पादकता और प्रतिरोध क्षमता वाली **नई बीज किस्मों का** विकास करना।
    - **कीटों और जलवायु के प्रति अनुकूल** बीज तैयार करना।
    - **किसानों** के लिये उच्च **उपज वाले बीजों तक आसान पहुँच सुनिश्चित** करना।
  - **बीज किस्में:** इसका **लक्ष्य 100** से अधिक नई बीज किस्मों की उपलब्धता बढ़ाना है, जिनमें **23 अनाज, 11 दालें, 7 तिलहन** आदि शामिल हैं।
- **बिहार में मखाना बोर्ड: उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन** को बढ़ावा देने और FPO और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को समर्थन देने के लिये एक **मखाना बोर्ड** की स्थापना की जाएगी।
- **खाद्य प्रसंस्करण:** केंद्र सरकार पूर्वी भारत में **खाद्य प्रसंस्करण** गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये बिहार में **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान** की स्थापना करेगी।
- **जीन बैंक: भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिये 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ** दूसरा **जीन बैंक** (पहला 1996 में) स्थापित किया जाएगा।
  - **जीन बैंक** एक ऐसी सुविधा है जहाँ पौधों, जानवरों या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त **आनुवंशिक सामग्री** को भविष्य में उपयोग के लिये **संग्रहीत एवं संरक्षित** किया जाता है।
- **कपास उत्पादकता मिशन:** यह कपास की कृषि की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिये एक **5-वर्षीय मिशन** है, और **अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों** को बढ़ावा देता है।
  - यह वस्त्र मंत्रालय के **5F सिद्धांत अर्थात फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन** अनुरूप है।
- **सतत् मत्स्य पालन:** सरकार **अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह** पर ध्यान केंद्रित करते हुए, **EEZ तथा हाई सी** के लिये एक **सतत् मत्स्य पालन ढाँचा** तैयार करेगी।
  - **मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि** में भारत विश्व में **दूसरे स्थान** पर है।
- **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** इसका **उद्देश्य फसल विविधीकरण, सतत् प्रथाओं, बेहतर भंडारण, सिंचाई और ऋण उपलब्धता** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों** में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **दलहन में आत्मनिर्भरता के लिये मिशन:** दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें **तुअर, उड़द और मसूर** जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम:** यह **कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण सशक्तीकरण** के माध्यम से कृषि में **अल्प-रोज़गार** की समस्या को दूर करने के लिये एक बहु-क्षेत्रीय पहल है।
  - इसमें **ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और छोटे किसानों** को प्राथमिकता दी गई है, तथा इसका लक्ष्य रोज़गार सृजन, महिलाओं के लिये वित्तीय स्वतंत्रता और कृषि आधुनिकीकरण है।
- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक **स्वयं सहायता समूह के सदस्यों** और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढाँचा विकसित करेंगे।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): संशोधित ब्याज अनुदान योजना** के तहत KCC धारकों के लिये ऋण सीमा **3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए** कर दी गई, जिससे लगभग **7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों** को लाभ मिलेगा।

मखाना

- मखाना, जिसे **फॉक्स नट** के नाम से भी जाना जाता है, **काँटेदार वॉटर लिली (*Euryale Ferox*) का सूखा हुआ बीज** है।
- **बिहार** भारत के **मखाना उत्पादन में 90%** योगदान देता है। इसे **पोषक तत्त्वों से भरपूर, कम वसा वाले स्वस्थ नाश्ते** के रूप में मान्यता प्राप्त है
- वर्ष 2022 में **'मिथिला मखाना' को GI टैग** मिला।
- वैश्विक मखाना बाज़ार का मूल्य वर्ष 2023 में **43.56 मिलियन अमरीकी डॉलर** था।

उच्च उपज वाले बीज

- **परिचय:** उच्च उपज वाले बीजों को चयनात्मक प्रजनन, आनुवंशिक संशोधन या उन्नत तकनीकों का उपयोग करके **भूमि की प्रति इकाई फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये** डिज़ाइन किया गया है।
- **लाभ:** वे **तेज़ी से विकास**, बेहतर **रोग प्रतिरोध** के साथ **अधिक उत्पादन** देते हैं, और **कम संसाधनों की आवश्यकता** होती है।
- **उदाहरण:** संकर धान (**PRH 10 और पूसा बासमती 1121**), संकर गेहूँ (**HD 3086 और PBW 725**), **बीटी कपास**, आदि।
- **चिंताएँ:** इससे **एकल-फसल को बढ़ावा मिलने, जैवविविधता कम होने**, देशी बीजों को खतरा होने तथा **कॉर्पोरेट बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ने का खतरा** है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कृषि संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

- **कृषि विकास:** कृषि क्षेत्र में **वार्षिक वृद्धि दर 5% रही (2016-23)**, जिसमें GVA का हिस्सा 24.38% (2014-15) से बढ़कर **30.23% (2022-23)** हो गया।
  - पिछले दशक में **कृषि आय में वार्षिक 5.23%** की वृद्धि हुई है।
- **क्षेत्रवार निष्पादन:** वर्ष 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच **मत्स्योद्योग** में सर्वाधिक वृद्धि दर **(13.67%)** रही, इसके बाद **पशुधन (12.99%)** का स्थान रहा, जबकि **तिलहन** में **1.9%** की नगण्य वृद्धि हुई।
- **सिंचाई: सकल फसल क्षेत्र (GCA)** में सिंचाई कवरेज **49.3% (2015-16)** से **बढ़कर 55% (2020-21)** हो गई, जबकि सिंचाई तीव्रता **144.2% से बढ़कर 154.5%** हो गई।
  - **पंजाब (98%), हरियाणा (94%), उत्तर प्रदेश (84%),** और तेलंगाना (86%) में सिंचाई कवरेज सर्वाधिक है, जबकि **झारखंड और असम में** यह **20% से कम** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- GCA का तात्पर्य एक कृषि वर्ष में **खेती की गई कुल भूमि** से है, जिसमें **एक ही भूमि पर अनेक फसल चक्र** शामिल होते हैं।

आगे की राह

- **जैवविविधता को बढ़ावा देना:** उच्च उपज देने वाले बीजों के साथ-साथ **बीज की परंपरागत किस्मों की** सुरक्षा करना, **दोनों के संयोजन को प्रोत्साहित करना**, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ जैवविविधता को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।
- **पारिस्थितिकीय संधारणीयता:** **फसल चक्र** और **बहु-कृषि** (**एक ही समय** में **एक ही स्थान** पर **विभिन्न फसलें**) **को बढ़ावा देकर** एकल-कृषि खेती को रोकने, तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कीट जोखिम को कम करने हेतु **विविध फसल प्रणालियों** के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास:** पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियों से **जलाभाव**, **बाढ़** और **कीट-रोधी फसलें** विकसित की जानी चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग:** फसल स्वास्थ्य, **कीट प्रकोप और प्रारंभिक चेतावनियों** के लिये **GIS** और **रिमोट सेंसिंग** का उपयोग कर उच्च उपज वाले बीजों की निगरानी और संधारणीय प्रथाओं के लिये प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. केंद्रीय बजट 2025-26 की पहलें भारतीय कृषि की दीर्घकालिक संधारणीयता में किस प्रकार सहायता कर सकती हैं?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय इतिहास

स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती

प्रधानमंत्री **ने 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) की 201 वीं जयंती** पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे एक **महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी** और **आर्य समाज के संस्थापक थे।**

महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे?

- **परिचय:**
  - महर्षि दयानंद सरस्वती, **19 वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक, दार्शनिक** और **धार्मिक नेता** थे।
- **जन्म एवं प्रारंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को **गुजरात के टंकारा** में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम **मूल शंकर तिवारी** था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी समर्पित हिंदू थे।
  - छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और **उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।**
  - 19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों (1845-1860) तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे।
  - उन्होंने **मथुरा में स्वामी विरजानंद** से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा **वेदों के सच्चे अर्थ** को पुनर्स्थापित करने के लिये काम करने का आग्रह किया।
- **दर्शन और सामाजिक सुधार:**
  - उन्होंने **मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता,** जाति-आधारित भेदभाव, बहुविवा, **बाल विवाह** और लैंगिक असमानता का विरोध किया।
  - वह एक **वर्गविहीन और जातिविहीन समाज** में विश्वास करते थे जहाँ जाति जन्म के बजाय योग्यता पर आधारित होती थी।
  - उन्होंने **महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह,** दलित वर्गों के उत्थान, पुन: धर्म परिवर्तन के लिये शुद्धि आंदोलन तथा **सती प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन की पुरज़ोर वकालत की।**
  - उन्होंने **"वेदों की ओर लौटो"** पर ज़ोर देते हुए तर्क दिया कि सच्चा हिंदू धर्म वेदों में निहित है, जो तर्कसंगतता, समानता और सामाजिक न्याय को कायम रखते हैं।
  - उनके विचार **उनकी मौलिक कृति *सत्यार्थ प्रकाश*** में संकलित हैं, जिसमें उन्होंने **भ्रूण हत्या और दहेज** जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना की तथा वैदिक ज्ञान की वकालत की।
- **शैक्षिक योगदान:**
  - उन्होंने **ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए** आधुनिक, **वैज्ञानिक तथा वैदिक शिक्षा** की वकालत की।
  - **वर्ष 1886 में इन्होने गुरुकुलों, बालिका गुरुकुलों** और **दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूलों और कॉलेजों** की स्थापना को प्रेरित किया, जिसमें **महात्मा हंसराज** के नेतृत्व में **लाहौर में पहला DAV स्कूल** स्थापित किया गया।
- **राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका:**
  - वह **वर्ष 1876 में "स्वराज" का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति** थे, जिसका प्रभाव बाद के नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी पर पड़ा।
  - उन्होंने **स्वदेशी (आर्थिक आत्मनिर्भरता) अपनाने एवं गौरक्षा** के साथ **हिन्दी** को राष्ट्र भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विरासत:**
  - स्वामी दयानंद सरस्वती को **सामाजिक-धार्मिक सुधार** के प्रयासों के कारण **समाज के रूढ़िवादी वर्गों से प्रतिरोध** का सामना करना पड़ा। **हालाँकि, उन्होंने आर्य समाज** और **DAV स्कूलों जैसी** संस्थाओं के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

आर्य समाज क्या है?

- **परिचय:**
  - **आर्य समाज** (कुलीनों का समाज) एक **हिंदू सुधार आंदोलन** है जिसके तहत **वेदों को ज्ञान एवं सत्य के अंतिम स्रोत** के रूप में बढ़ावा दिया गया।
  - इसकी स्थापना **स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875** में की थी।
- **मूल मान्यता और सिद्धांत:**
  - वेदों की प्रधानता पर ज़ोर दिया गया है तथा **मूर्ति पूजा,** पुरोहिती अनुष्ठान, पशु बलि, सामाजिक कुरीतियों और **अंधविश्वासों** को अस्वीकार किया गया।
  - **कर्म (कर्मों का नियम), संसार (पुनर्जन्म का चक्र)** और **गाय की पवित्रता** पर बल दिया गया।
  - **वैदिक अग्नि अनुष्ठान (हवन/यज्ञ) और संस्कारों** को बढ़ावा दिया गया।
- **सामाजिक सुधार और योगदान:**
  - **महिला शिक्षा,** अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
  - **स्कूल, अनाथालय और विधवा आश्रम** स्थापित किये गये।
  - **अकाल राहत और चिकित्सा सहायता** में महत्त्वपूर्ण निभाई।
  - अन्य धर्मों को अपनाने वाले लोगों को पुन: धर्मांतरित करने के लिये **शुद्धि आंदोलन** का नेतृत्व किया।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन-से थे?

पढ़ें: सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन: भाग-I

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

प्रिलिम्स फैक्ट्स

अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था में **नकदी प्रवाह** बढ़ाने के लिये **1.5 लाख करोड़ रुपए** से अधिक की पूंजी शामिल करने के उपायों की घोषणा की है।

RBI के तरलता उपायों के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **मुद्रा तरलता:** अर्थव्यवस्था में **नकदी** और आसानी से उपलब्ध वित्त की उपलब्धता, जो निवेश और व्यय को प्रभावित करती है, उसे मुद्रा तरलता कहा जाता है।
  - वह **सरलता और गति** जिससे किसी परिसंपत्ति को उसके **मूल्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किये बिना नकदी में बदला** जा सकता है, उसे तरलता के रूप में जाना जाता है।
- **तरलता की कमी का कारण:** विदेशी संस्थागत निवेशकों (FDI) **के बहिर्गमन** के बीच रुपए को स्थिर करने के लिये RBI द्वारा **विदेशी मुद्रा** की बिक्री के कारण तरलता में कमी आई है।
  - RBI रुपए के बदले अमेरिकी डॉलर की बिक्री करता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में **रुपए की आपूर्ति** कम हो जाती है।
  - इसके परिणामस्वरूप **अल्पावधि ब्याज दरें** अधिक हो गई है तथा ऋण लेने की लागत में वृद्धि हो गई है।
- **RBI द्वारा उठाए गए कदम:** RBI की तरलता निवेश योजना में **तीन उपाय शामिल हैं:**
  - **गवर्नमेंट बॉण्ड बायबैक:** इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक या सरकार **परिपक्वता से पहले** बाजार से **बॉण्ड पुनर्खरीद करती है।**
    - यह **बॉण्डधारकों** (बैंकों, वित्तीय संस्थानों या निवेशकों) **को भुगतान करके तरलता** प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में निधि की उपलब्धता बढ़ जाती है।
  - **रेपो नीलामी:** रेपो नीलामी RBI द्वारा प्रयुक्त एक **तरलता समायोजन उपकरण** है, जिसमें बैंक वांछित उधार दरों पर निधियों के लिये बोली लगाते हैं, तथा **RBI न्यूनतम बोलियों को तब तक स्वीकार करता है,** जब तक आवश्यक राशि आवंटित नहीं हो जाती।
  - **अमेरिकी डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी:** स्वैप नीलामी मुद्राओं या वित्तीय साधनों के **अस्थायी विनिमय** की सुविधा प्रदान करके बाज़ार में तरलता बढ़ाती है।
    - विदेशी मुद्रा बाज़ार में रुपए की बिक्री से बचकर तरलता के बहिर्वाह को रोका जाता है, तथा **डॉलर ऋण लेकर घरेलू** मुद्रा को स्थिर किया जाता है।
- **संभावित रेपो दर में कटौती:** आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में **तरलता घाटे** को संबोधित करना **संभावित** रेपो दर **में कटौती का पूर्व संकेत** हो सकता है।
  - **पर्याप्त तरलता** यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में **रेपो दर में की जाने वाली कटौती का लाभ** कम ब्याज दरों के माध्यम से उधारकर्त्ताओं तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सके।

MSME के लिये पारस्परिक ऋण गारंटी योजना

भारत सरकार ने **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों** (MSME) के लिये **म्यूचुअल क्रेडिट अथवा पारस्परिक ऋण गारंटी योजना** (MCGS-MSME) की शुरूआत को स्वीकृति दे दी है।

MCGS-MSME क्या है?

- **परिचय:** यह एक ऐसी पहल जिसके अंतर्गत **ऋणदाताओं द्वारा अनुभव किये जाने वाले जोखिम को कम कर** MSME को दिये जाने वाले ऋण के लिये **गारंटी** प्रदान करते हुए उनके लिये (MSME) **ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक** बनाया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **लक्ष्यित उधारकर्ता:** वैध **उद्यम पंजीकरण संख्या** वाले MSME।
  - **ऋण सीमा: उपकरण/मशीनरी** की खरीद के लिये अधिकतम **100 करोड़ रुपए का ऋण।**
  - **ऋण गारंटी: राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा **सदस्य ऋण संस्थानों (MLI) को ऋण का 60% गारंटी** कवरेज प्रदान किया जाएगा।
  - **परियोजना लागत:** उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% है।
  - **योजना अवधि:** 4 वर्ष की अवधि के लिये अथवा **7 लाख करोड़ रुपए की संचयी गारंटी** जारी होने तक, जो भी पहले हो।
- **महत्त्व:**
  - **विनिर्माण को बढ़ावा:** इससे **MSME के लिये ऋण उपलब्धता बढ़ेगी**, जिनका **भारत के सकल घरेलू उत्पाद** में 17% का योगदान है।
  - **मेक इन इंडिया के लिये समर्थन: यह GDP में विनिर्माण क्षेत्र** की हिस्सेदारी को **25% तक** बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - **ऋण प्राप्ति:** इस पहल के अंतर्गत MSME के विस्तार के लिये **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - **रोज़गार वृद्धि: 27 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार के साथ** इससे विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के महत्त्वपूर्ण अवसर सर्जित होंगे।

नोट: MLI का तात्पर्य उन सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI)** से है, जिन्होंने योजना के तहत NCGTC के साथ पंजीकरण कराया है।

राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) क्या है?

- **परिचय:** NCGTC एक **उभयनिष्ठ न्यासी कंपनी** है जो **विभिन्न ऋण गारंटी न्यास निधियों** का प्रबंधन और संचालन करती है, ताकि उधारकर्त्ताओं को उधारदाताओं के साथ **उधार जोखिम साझा** कर वित्त प्राप्ति में सहायता प्रदान की जा सके।
  - यह **MSME, स्टार्टअप और सुभेद्य समूहों** जैसे वंचित क्षेत्रों में **ऋण विस्तार को प्रोत्साहित** करते हुए ऋणदाताओं (जैसे **बैंक और वित्तीय संस्थान**) **को ऋण गारंटी प्रदान करता है।**
- **स्थापना:** इसकी स्थापना **मार्च 2014** में **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत **10 करोड़ रुपए** की चुकता पूंजी के साथ की गई थी।
  - यह एक **निजी लिमिटेड कंपनी** है जिस पर **पूर्णतः भारत सरकार का स्वामित्व है** तथा यह **वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन संचालन करती है।**
- **कवरेज:** NCGTC वर्तमान में **MCGS-MSME, माइक्रो यूनिट्स हेतु क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU), इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)** सहित **14 समर्पित ऋण गारंटी ट्रस्ट योजनाओं का प्रबंधन करती है।**

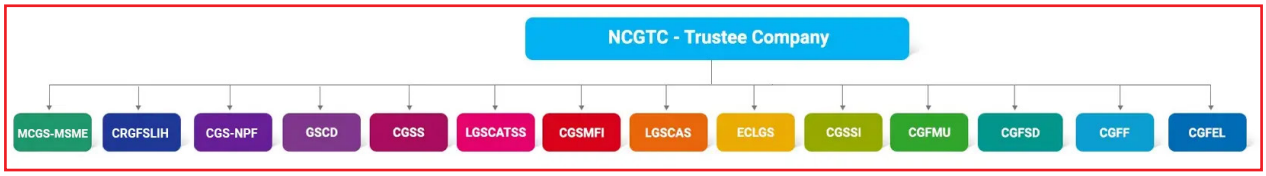

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **2 फरवरी 2025 को पार्वती अरगा रामसर साइट**, गोंडा, उत्तर प्रदेश (UP) में **विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025** समारोह का आयोजन किया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्त्व** के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में **आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने को विस्मृत कराता है।**
- **वर्ष 2025 का विषय:** हमारे साझा भविष्य के लिये आर्द्रभूमि की रक्षा।
- **नवीन रामसर स्थल: झारखंड में उधवा झील,** तमिलनाडु में **तीरतंगल और सक्कराकोट्टई और सिक्किम में खेचियोपलरी को** रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
  - ये **सिक्किम और झारखंड के पहले** रामसर स्थल हैं।
  - इसके साथ ही **भारत में रामसर स्थलों (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आद्रभूमि) की संख्या बढ़कर 89 हो गई।**
  - **तमिलनाडु में सबसे अधिक संख्या** में रामसर स्थल (20 स्थल) हैं, जिसके बाद **उत्तर प्रदेश (10 स्थल) का स्थान है।**
- **नवीन कॉरिडोर:** सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में **अयोध्या और देवी पाटन के बीच एक नया प्रकृति-संस्कृति पर्यटन कॉरिडोर** विकसित किया जाएगा।
- **अमृत धरोहर पहल: अमृत धरोहर** को **जून 2023** में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिये लॉन्च किया गया था, जो **चार प्रमुख घटकों** अर्थात **प्रजाति और आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर केंद्रित है।**
- **खतरा:** आर्द्रभूमि के लिये सबसे बड़ा खतरा **औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से जनित प्रदूषण है,** जिससे इन पारिस्थितिक तंत्रों का नाश होता है।

पार्वती अरगा रामसर साइट से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** यह **चिरस्थाई** रूप से **अलवणीय जल क्षेत्र** है, जिसमें **दो गोखुर झीलें यानि पार्वती और अरगा शामिल हैं,** जो **वर्षा आश्रित हैं** और **तराई क्षेत्र** (गंगा के मैदान) में स्थित हैं।
  - इसके निकटवर्ती **टिकरी वन** को भी **इको-पर्यटन स्थल** के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  - **गोखुर अथवा ऑक्सबो झीलें U आकार की झीलें** होती हैं, जिनका निर्माण किसी **नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर** होता है, जिससे एक **अलग जल क्षेत्र** का निर्माण होता है।

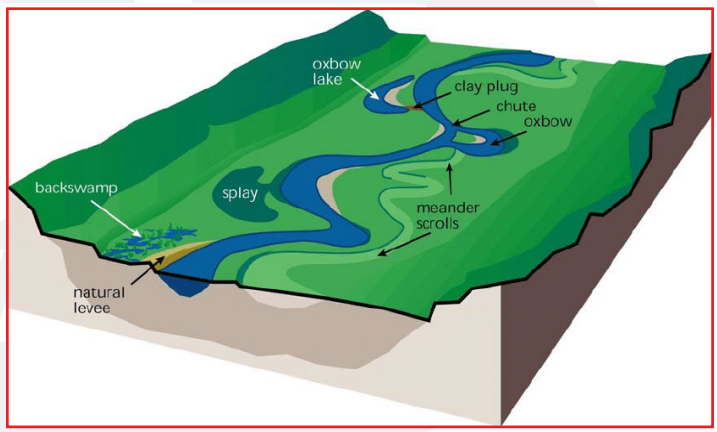

- **पारिस्थितिक महत्त्व:** यह गंभीर रूप से **संकटापन्न व्हाइट टेल्ड गिद्ध, भारतीय गिद्ध** और **संकटापन्न मिस्र के गिद्ध** पाए जाते हैं।
  - **यूरेशियन कूट्स, मैलार्ड्स, ग्रेलैग गीज़, नॉर्दर्न पिनटेल्स** और **रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड्स** जैसे प्रवासी पक्षी शीत ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** इसे **आक्रामक प्रजातियों,** विशेष रूप से **सामान्य जलकुंभी** (Water Hyacinth) से खतरा है।
- **सांस्कृतिक स्थल:** यह क्षेत्र **महर्षि पतंजलि और गोस्वामी तुलसीदास** की जन्मस्थली है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रामसर अभिसमय (RAMSAR CONVENTION)

Drishti IAS

परिचय:

- इसे आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष **1971** में रामसर, ईरान में अपनाया गया।
- वर्ष **1975** में इसे लागू किया गया।
- ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व रखती हों।
- **विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल:** पैंटानल, दक्षिण अमेरिका।

मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:

- वर्ष **1990** में मोंट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में इसे अपनाया गया।
- यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्द्रभूमियाँ:

- आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल (खारा या मीठा/ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति) से ढकी होती है।
- यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग (नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो), लैगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकती है।
- **विश्व आर्द्रभूमि दिवस:** 2 फरवरी

भारत और रामसर अभिसमय:

- भारत में रामसर अभिसमय वर्ष **1982** में लागू हुआ।
- **रामसर स्थलों की कुल संख्या: 75**
- चिल्का झील (ओडिशा), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), हरिके झील (पंजाब), लोकटक झील (मणिपुर), वुलर झील (जम्मू और कश्मीर) आदि।
- **भारत में संबंधित फ्रेमवर्क**
  - आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986** के प्रावधानों के तहत 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, **2017**' को अधिसूचित किया है।
  - ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।

प्रमुख तथ्य

- **भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल:** सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
- **भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल:** वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु
- **सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य:** तमिलनाडु (14)
- **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियाँ:**
  - केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान
  - लोकटक झील, मणिपुर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तीकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने **अल्पसंख्यक समुदायों** को **सशक्त बनाने** के लिये भारत में जारी प्रयासों पर प्रकाश डाला।

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2007):** इस योजना के अंतर्गत **अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों** के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा और रोज़गार क्षमता वर्द्धन हेतु **छात्रवृत्ति** प्रदान की जाती है।
  - इस योजना के तहत धन का आवंटन वर्ष 2008-09 में 70.63 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 बढ़कर 1000 करोड़ रुपए हो गया।
- **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2008): इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिये** प्रोत्साहित किया जाता है तथा स्कूली शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - वर्ष 2008-09 में इस योजना हेतु 62.21 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे जिसे वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) (1994):** यह अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये **स्वरोज़गार और आय-सृजन गतिविधियों** के लिये रियायती ऋण प्रदान करता है।
  - वर्ष 2014-15 इसका आवंटन 2 करोड़ रुपए था जो वर्ष **2023-24 में बढ़कर 3 करोड़ रुपए** कर दिया गया।
- **हज तीर्थयात्रा सहायता (2016):** इसके अंतर्गत **निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिये हज तीर्थयात्रा** (सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का तक) की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - इसका व्यय वर्ष 2014-15 में 9.75 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 83.51 करोड़ रुपए हो गया।
- **जियो पारसी योजना (2013):** इसका उद्देश्य वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से **पारसी** समुदाय के लोगों की संख्या में होने वाली निरंतर कमी की रोकथाम करना है।
  - मार्च 2024 तक, इस योजना के तहत 400 से अधिक पारसी बच्चों के जन्म को सक्षम बनाया गया है, जिसके लिये वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- **प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (PM VIKAS):** **PM VIKAS** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पाँच मौजूदा योजनाओं जैसे **USTTAD (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण), नई मंजिल, नई रोशनी और हमारी धरोहर** को मिलाकर कौशल विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यकों को सशक्त बना रहा है।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK):** **PMJVK अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढाँचे** के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला परियोजनाएँ, जलापूर्ति, स्वच्छता और खेल शामिल हैं।

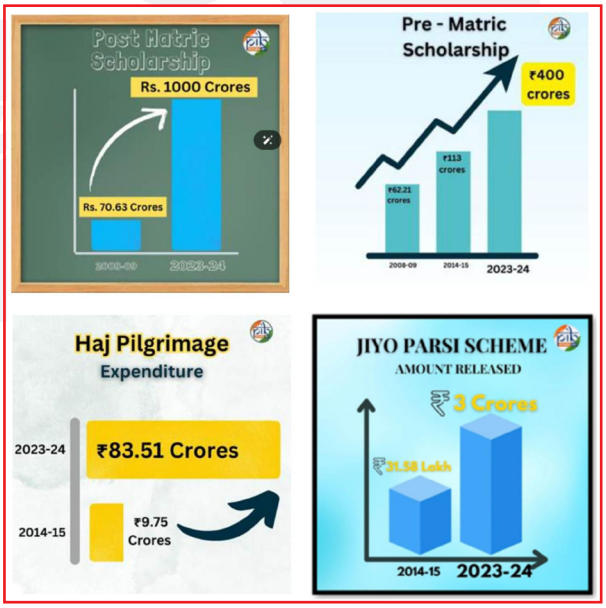

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय

- **अल्पसंख्यक समुदाय: केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCMA), 1992** के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करती है, जिसके तहत **मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों (वर्ष 2014 में जोड़े गए) और जोरास्ट्रियन (पारसी)** को आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता दी जाती है।
  - कुल मिलाकर वे **भारत की कुल जनसंख्या का** लगभग 19.3% हिस्सा हैं (**जनगणना 2011**)।
  - जबकि अधिकांश राज्य केंद्रीय सूची का पालन करते हैं, **महाराष्ट्र** जैसे कुछ राज्यों की अपनी सूची हो सकती है (उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में यहूदी एक अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं)।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 29** अल्पसंख्यकों के अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकारों की रक्षा करता है तथा धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
  - **अनुच्छेद 30** अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिये संस्थाएँ:**
  - **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय:** वर्ष 2006 में स्थापित, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** से अलग होकर, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों का समन्वय करता है।
  - **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM):** NCMA 1992 के तहत निर्मित **NCM** संविधान और संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुरूप अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करता है।
  - **वक्फ अधिनियम, 1995: वक्फ संपत्तियों** के प्रबंधन और विकास को नियंत्रित करता है।
  - **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों को सहयोग देते हुए वक्फ संपत्तियों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिये योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक, **परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)** के पूर्व अध्यक्ष और **भारत के परमाणु कार्यक्रम** के प्रमुख योगदानकर्त्ता **डॉ. राजगोपाल चिदंबरम** का हाल ही में निधन हो गया।

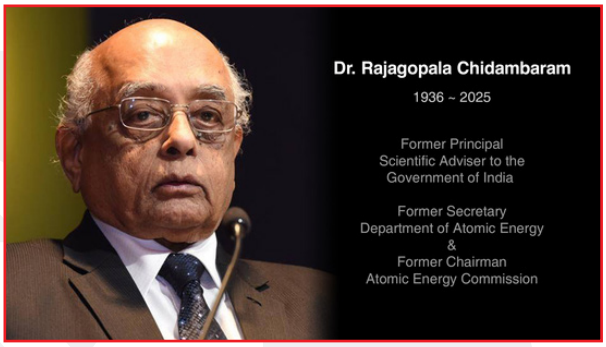

डॉ. राजगोपाल चिदंबरम का प्रमुख योगदान

- **वैज्ञानिक उपलब्धियाँ:** नाभिकीय विखंडन और **पदार्थ विज्ञान** को उन्नत बनाते हुए प्लूटोनियम का **"अवस्था समीकरण"** हल किया (1967)।
  - भारत में देशज रूप से **सुपरकंप्यूटर** के विकास में प्रमुख योगदान।
- **परमाणु परीक्षणों में नेतृत्व: स्माइलिंग बुद्धा (1974)** और **ऑपरेशन शक्ति (1998)**।
- **प्रमुख पद: BARC** के निदेशक, **परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)** के अध्यक्ष, **IAEA** बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष।
  - प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (2002-2018) रहते हुए **RuTAG** और **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)** जैसी पहलों का निरीक्षण किया।
- **पुरस्कार:** विज्ञान में योगदान के लिये **पद्म श्री (1975)** और **पद्म विभूषण (1999)**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

भारत का त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय:** भारत का **त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित** करते हुए सतत् ऊर्जा उत्पादन के लिये देश के परमाणु संसाधनों का दोहन करने के लिये तैयार किया गया है। इसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी **डॉ. होमी भाभा** ने तैयार किया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना** तथा **थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना** है, जो देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

3 चरण:

चरण	उद्देश्य	ईंधन/शीतलक/मंदक	नाभिकीय रिएक्टर	वर्तमान स्थिति
चरण 1	इसका उद्देश्य विद्युत् उत्पन्न करना है तथा उपोत्पाद के रूप में **प्लूटोनियम-239 (Pu-239) का उत्पादन** करना है। प्लूटोनियम कार्यक्रम के अगले चरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।	ईंधन: **यूरेनियम (U-238)** मंदक: **भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)**	दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)	भारत ने पहले ही अपने परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की नींव के रूप में 18 PHWR का निर्माण कर लिया है।
चरण 2	यह **फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR)** पर केंद्रित है, जो पहले चरण से ही **Pu-239** का उपयोग करते हैं और अपनी खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करते हैं। ये रिएक्टर **समृद्ध यूरेनियम-238** को **Pu-239** में परिवर्तित करते हैं, जिससे परमाणु ईंधन चक्र की दक्षता बढ़ती है और एक सतत् ईंधन स्रोत उपलब्ध होता है।	**प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238** का मिश्रित ऑक्साइड	फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)	**तमिलनाडु के कलपक्कम** में प्रोटोटाइप **FBR** इस चरण में एक महत्त्वपूर्ण विकास है।
चरण 3	यह **थोरियम आधारित रिएक्टर** पर केंद्रित है, जो विखंडनीय पदार्थ **यूरेनियम-233 का उत्पादन करने के लिये थोरियम-232 का उपयोग करते हैं।** भारत के प्रचुर थोरियम भंडार का लाभ उपयोग करते हुए, यह चरण परमाणु ईंधन आवश्यकताओं के लिये दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है, साथ ही स्थायी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।	**थोरियम-232** (यूरेनियम-233 में परिवर्तित)	थोरियम आधारित रिएक्टर (थोरियम चक्र)	थोरियम आधारित रिएक्टरों पर अनुसंधान जारी है, तथा इस चरण के एक भाग के रूप में **उन्नत 'हैवी वाटर रिएक्टर' (AHWR) का विकास किया जा रहा है।**

भारत परमाणु हथियार कार्यक्रम

- **स्माइलिंग बुद्धा (1974):** **स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण** का कोडनाम था, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसने भारत को **अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस और चीन** के बाद **छठा परमाणु-सक्षम राष्ट्र** बना दिया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ऑपरेशन शक्ति (1998):** **ऑपरेशन शक्ति (पोखरण-II) ऑपरेशन शक्ति** के तहत **पाँच परमाणु परीक्षणों** की एक शृंखला थी, जिसमें एक **थर्मोन्यूक्लियर** बम भी शामिल था।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को **संरक्षित करने और बढ़ावा देने** के लिये **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM)** की स्थापना की है।

NMCM क्या है?

- **परिचय: संस्कृति मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भारत का सांस्कृतिक मानचित्र** बनाना, इसकी **विविधता** को उजागर करना और **कलाकार समुदाय** का समर्थन करना है।
  - सांस्कृतिक मानचित्रण किसी क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक तत्त्वों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें **कहानियाँ, अनुष्ठान, कला, भाषाएँ, विरासत और व्यंजन** शामिल हैं, तथा **मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों** का दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - **भारत की सांस्कृतिक संपदा** का दस्तावेज़ीकरण।
  - **गाँवों में आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक क्षमता का उपयोग करना।
  - **विरासत, विकास और पहचान** के बीच संबंध पर प्रकाश डालना।
- **कवरेज़:** मिशन का उद्देश्य भारत के **6.5 लाख गाँवों** की **भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक पूंजी** का मानचित्रण करना है, जिसमें **4.5 लाख** गाँव पहले से ही **शामिल** हैं।
- **मिशन घटक:**
  - **सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम:** **हमारी संस्कृति हमारी पहचान** की तरह।
  - **कलाकारों का वर्गीकरण : कलाकारों के लिये विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान (UCID)** की शुरूआत।
  - **सांस्कृतिक अवसंरचना : सांस्कृतिक केंद्रों (कला ग्राम) का विकास** और ज्ञान केंद्रों का एकीकरण।
  - **कलाकार कल्याण : कलाकारों**, विशेषकर वरिष्ठ कलाकारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और **अनुदान लागू करना।**
- **कार्यान्वयन:** NMCM का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसका कार्यान्वयन **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)** के तहत किया जाता है।
- **मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD):** **MGMD** को भारत के **6.5 लाख गाँवों** की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये शुरू किया गया था।
  - MGMD के अंतर्गत **सात व्यापक श्रेणियों** जैसे **कला एवं शिल्प गाँव, पारिस्थितिकी उन्मुख गाँव आदि** में जानकारी एकत्र की जाती है।

सांस्कृतिक संरक्षण हेतु अन्य पहलें

- **गुरु-शिष्य परंपरा योजना:** संस्कृति मंत्रालय **'गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता (रिपर्टरी अनुदान)' योजना** का संचालन करती है, जिसके तहत गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला आदि में **कलाकारों को प्रशिक्षण देने** के लिये सांस्कृतिक संगठनों को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- **सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (CPA):** जुलाई 2024 में अमेरिका के साथ एक CPA पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे चोरी की गई **प्राचीन वस्तुओं की पुन: प्राप्ति सरल** हो जाएगी।
- **अडॉप्ट हेरिटेज 2.0:** संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत **CSR फंड का उपयोग कर संरक्षित स्मारकों** में सुविधाएँ विकसित करने हेतु **निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग** की सुविधा प्रदान की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सुविधाओं को **चार व्यापक श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है:
  - स्वच्छता (शौचालय, पेयजल, आदि)
  - सुगम्यता (बैटरी चालित वाहन, साइनेज, आदि)
  - सुरक्षा (सी.सी.टी.वी., प्रकाश व्यवस्था आदि)
  - ज्ञान (सांस्कृतिक/लाइट और साउंड शो, AR/VR उपकरण, आदि)।

महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग अनिवार्य

महाराष्ट्र ने सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, स्थानीय स्व-शासी निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में **सभी आधिकारिक संचार में मराठी भाषा का उपयोग किया जाना अनिवार्य** कर दिया है।

- **वर्ष 2024** में स्वीकृत **मराठी भाषा नीति** में **सभी लोक कार्यों में मराठी भाषा के उपयोग** की अनुशंसा की गई।

नोट:

- **वर्ष 1960** में **मराठी को महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा** घोषित किया गया।
- वर्ष 2024 में **मराठी को शास्त्रीय भाषा** का दर्जा प्राप्त हुआ।
- भारत में **दो आधिकारिक भाषाएँ (हिंदी और अंग्रेज़ी)** हैं तथा संविधान की **आठवीं अनुसूची** में भारत की **22 अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख** है।
  - इसमें **असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू** शामिल हैं।
  - भारतीय संविधान के **भाग XVII** में **अनुच्छेद 343 से 351** तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है।

भारत के अन्य राज्यों में अनिवार्य क्षेत्रीय भाषाएँ

- **तमिलनाडु:** यहाँ **सरकारी संचार के लिये तमिल भाषा का प्रयोग अनिवार्य है** और सरकारी नौकरियों हेतु कक्षा 10 की तमिल परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
- **कर्नाटक:** साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा का उपयोग अनिवार्य किये जाने के साथ यहाँ **सरकारी कार्यालयों और व्यवसायों** के साइनबोर्डों में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
- **झारखंड: झारखंड** में सरकारी नौकरियों के लिये **क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं** का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को **मुंडारी, संथाली, हो या कुरुख जैसी भाषाओं में कम से कम 30% अंक** लाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- **पश्चिम बंगाल:** सरकारी नौकरियों के लिये **बंगाली भाषा में पारंगत** उम्मीदवारों को नियुक्त करने को प्रोत्साहित करता है।

राजभाषा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 345: संविधान** के **अनुच्छेद 345** में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये **एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन** कर सकता है।
  - इसमें राज्य में **पहले से ही बोली जाने वाली भाषा या भाषाएँ, अथवा हिंदी** शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 347: संविधान का अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को मान्यता देने** से संबंधित है।
  - यह **राष्ट्रपति** को ऐसी **भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार** देता है, यदि **राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा अनुरोध** करता है।
  - यह प्रावधान **राज्य के आधिकारिक ढाँचे में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की अनुमति** देता है, जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित होती है।
- **अनुच्छेद 350A:** संविधान के **अनुच्छेद 350A** के अनुसार राज्यों को **भाषाई अल्पसंख्यक समूहों** के **बच्चों के लिये मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ** प्रदान करनी होंगी। यह **प्राथमिक शिक्षा** पर लागू होता है।
- **अनुच्छेद 351:** संविधान का **अनुच्छेद 351** राज्यों के अपनी आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देने के भाषाई अधिकारों का हनन किये **बिना संपर्क भाषा** के रूप में **हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का प्रावधान** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

संघ की भाषाओं से संबंधित समितियाँ और आयोग

- **राजभाषा आयोग (1955):** इसकी स्थापना **बी.जी. खेर** की अध्यक्षता में की गई थी, जिसने **संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रयोग के मुद्दे की जाँच की** और हिंदी में परिवर्तन के लिये सिफारिशें कीं।
- **संसदीय राजभाषा समिति (1976): संसदीय राजभाषा समिति (1976) ने संस्थाओं और केंद्रीय सेवा परीक्षाओं में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को शामिल करने** की सिफारिश की।

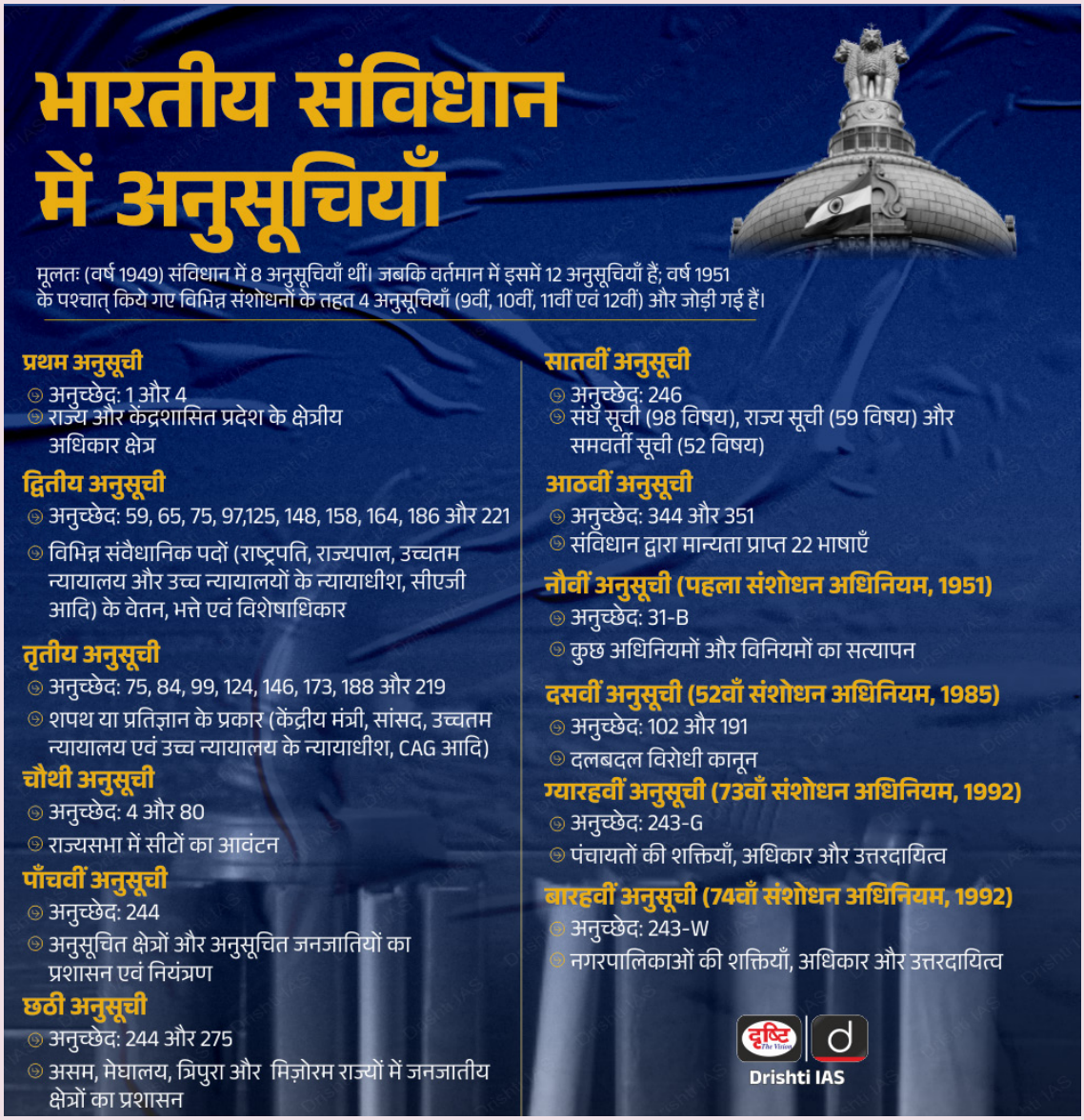

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को भारत में मुख्यालय के साथ एक **संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विधिक इकाई** बन गया।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) क्या है?

- **परिचय:** IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में **प्रोजेक्ट टाइगर** की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था और फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका औपचारिक अनुमोदन किया गया था।
- **कार्यान्वयन:** IBCA की स्थापना **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** के तहत **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के माध्यम से की गई थी।
  - यह **संरक्षण विशेषज्ञता का साझाकरण** करने, **संरक्षण पहलों को वित्तपोषित करने** तथा **प्राविधिक ज्ञान का संग्रह** बनाने के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** इस पहल का मुख्य उद्देश्य **बिग कैट की सात प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना** है जिनमें **बाघ**, **शेर**, **तेंदुआ**, **हिम तेंदुआ**, **चीता**, **जगुआर** और **प्यूमा** शामिल हैं।
- **सदस्यता:** निकारागुआ गणराज्य, एस्वातिनी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और लाइबेरिया गणराज्य ने **IBCA रूपरेखा करार का अनुसमर्थन किया** है।
  - **संयुक्त राष्ट्र** के सभी सदस्य देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें वे रेंज देश भी शामिल हैं जहाँ ये प्रजातियाँ मूल रूप से पाई जाती हैं तथा वे नॉन-रेंज देश भी शामिल हैं जो बिग कैट के संरक्षण में सहयोग करने में रुचि रखते हैं।
- **IBCA की आवश्यकता: आवास की क्षति, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और मानव-वन्यजीव संघर्ष** के कारण बिग कैट खतरे में हैं।
  - **जनसंख्या में गिरावट को रोकने और नकारात्मक प्रवृत्तियों को उलटने के लिये वैश्विक स्तर** पर संरक्षण की आवश्यकता है।
- **वित्तपोषण:** भारत ने IBCA को 150 करोड़ रुपए (2023-2028) की सहायता देने का संकल्प लिया है तथा वह द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और दाता संगठनों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण की संभावना तलाश रहा है।

संरक्षण प्रयासों में भूमिका:

- **सहयोगात्मक संरक्षण मंच: IBCA** संरक्षणवादियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं और सरकारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाता है।
  - आवास प्रबंधन, अवैध शिकार विरोधी रणनीतियों और पारिस्थितिकी बहाली में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता:** विश्व भर में संरक्षण परियोजनाओं के लिये एक **साझा वित्त पोषण पूल** के रूप में कार्य करता है।
  - कम संसाधन वाले देशों को **तकनीकी जानकारी और वैज्ञानिक अनुसंधान** प्रदान करता है।
- **मौजूदा समझौतों एवं पहलों को सुदृढ़ बनाना: CITES (लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय), CMS (प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय)** और अन्य वन्यजीव संरक्षण संधियों के साथ काम करना।
  - इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बिग कैट संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी सुरक्षा:** बिग कैट जैसे शीर्ष शिकारियों का संरक्षण **स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र, जैवविविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन** सुनिश्चित करता है।
  - ❖ IBCA पहल के माध्यम से वनों और घास के मैदानों की बहाली से **कार्बन पृथक्करण और जलवायु अनुकूलन** में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- NTCA, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक **वैधानिक निकाय** है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में **टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों** के बाद की गई थी और इसे **वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 38L के तहत कानूनी दर्जा** प्राप्त हुआ।
- **उद्देश्य:** प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकार प्रदान करना, बाघ रिज़र्व प्रबंधन में संघीय जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा बाघ रिज़र्वों के आसपास स्थानीय आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करना।

भारत में बिग कैट के संरक्षण के प्रयास

- एशियाई प्रोजेक्ट लायन
- प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ
- प्रोजेक्ट चीता
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)
- प्रोजेक्ट टाइगर

Habitat and Gestation Period of Big Cats

Big Cats	Habitat	Gestation Period (Days)
Tiger	Temperate, tropical and evergreen forests, mangrove and grasslands	95-110
Cheetah	Shrublands, grasslands, savannas and temperate to hot deserts	90-95
Leopard	Forests, subtropical and tropical regions, Savannas, deserts and rocky and mountainous regions	90-105
Lion	Open plains, dry thorn forests and grasslands	100-110
Snow Leopard	Northern and central Asia mountains.	90-105

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

इंडो-यूरोपीय भाषाएँ

चर्चा में क्यों?

नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में **काकेशस लोअर वोल्गा लोगों को इंडो-यूरोपीय भाषाओं** के संभावित प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया है, जो पूर्व के **यमनाया सिद्धांत** को चुनौती देता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

आनुवंशिक उत्पत्ति: काकेशस **लोअर वोल्गा लोग,** जो 6,500 वर्ष पूर्व **वोल्गा नदी** से **काकेशस पर्वत** तक फैले **यूरेशियन मैदानों** पर रहते थे, उन्हें **इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार के आनुवंशिक पूर्वज** के रूप में पहचाना जाता है।

- **यमनाया लोगों की भूमिका: काकेशस लोअर वोल्गा** के वंशज **यमनाया लोगों (5,700-5,300 वर्ष पूर्व) ने यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन** में प्रोटो-इंडो-यूरोपीय भाषाओं को फैलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - विशिष्ट **यमनाया DNA** का निर्माण इन प्राचीन लोगों द्वारा पश्चिम की ओर पलायन करने और आसपास की आबादी के साथ घुलमिल जाने के कारण हुआ था।
  - **प्रारंभिक शोधों से पता चला है कि स्टेपी** के प्राचीन यमनाया लोग **प्रोटो-इंडो-यूरोपीय भाषा** के प्रवर्तक थे, जो आधुनिक इंडो-यूरोपीय भाषाओं का अग्रदूत था।
- **आर्थिक परिवर्तन: यमनाया लोगों** की नई आर्थिक प्रथाओं, जैसे **पशुपालन और बैलगाड़ियों** के उपयोग ने उनके प्रवास और विस्तार को सक्षम बनाया।
  - यमनया **में जनसांख्यिकीय विस्फोट** हुआ, तथा कुछ ही शताब्दियों में इसकी जनसंख्या कुछ हज़ार से बढ़कर अधिक हो गई।

इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार

- इंडो-यूरोपीय भाषा विश्व का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, जिसमें **400 से अधिक भाषाएँ शामिल हैं**। ये भाषाएँ कई उप-भाषाओं में विभाजित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

इंडो-यूरोपीय भाषा उप-परिवार	बोली	क्षेत्र
केल्टिक	ब्रेटन, कोर्निश, मैनक्स, आयरिश, स्कॉटिश गेलिक, वेल्श	पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीप समूह
युरोपीय	अंग्रेज़ी, जर्मन, डच, स्वीडिश, डेनिश, नॉर्वेजियन	उत्तरी और पश्चिमी यूरोप
रोमांस	लैटिन (शास्त्रीय), फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रोमानियाई	दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप
यूनानी	ग्रीक (आधुनिक और प्राचीन)	ग्रीस, साइप्रस
अल्बानियन	अल्बानियन	अल्बानिया, कोसोवो, मैसेडोनिया के कुछ हिस्से, मोंटेनेग्रो
अर्मेनियाई	अर्मेनियाई	आर्मीनिया
बाल्टो-स्लाविक	लातवियाई, लिथुआनियाई, रूसी, पोलिश, चेक, स्लोवाक, यूक्रेनी, बेलारूसी	पूर्वी यूरोप, बाल्टिक क्षेत्र
भारतीय और ईरानी	फ़ारसी (फ़ारसी), कुर्दिश, पश्तो, बलूच, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, गुजराती, उर्दू, हिंदी, मराठी, मैथिली, नेपाली, बांग्ला, असमिया, उड़िया, सिंहली, धिवेही	भारतीय उपमहाद्वीप, ईरान, मध्य एशिया

नोट: दक्षिण एशिया में भाषाएँ चार प्रमुख भाषा परिवारों से संबंधित हैं: **भारोपीय (भारतीय आर्य) भाषा, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक और चीनी-तिब्बती।**

- **भारोपीय भाषाएँ:** सबसे बड़ा भाषा समूह, जिसमें 73.30% जनसंख्या द्वारा 574 भाषाएँ बोली जाती हैं।
- **द्रविड़ भाषाएँ:** 153 भाषाएँ, जो 24.47% जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं।
- **चीनी-तिब्बती भाषाएँ:** 226 भाषाएँ, जिन्हें बोलने वाली जनसंख्या का 1% से भी कम हिस्सा इनमें शामिल है, जिसमें सियामी-चीनी उपपरिवार की खाम्पती भी शामिल है।
- **ऑस्ट्रो-एशियाई भाषाएँ:** 65 भाषाएँ जो 6.19 मिलियन व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं।

बजट 2025-26 में जनजातीय कल्याण

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिये बजटीय आबंटन में वर्ष 2024 की तुलना में 45.79% की वृद्धि की गई है, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ज़ोर दिया गया है।

जनजातीय कल्याण के लिये केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **बजटीय आवंटन में वृद्धि: जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA)** को बजट 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2024-25 से **45.79%** अधिक है।
  - **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को** 13,611 **करोड़ रुपए** (35.75% वृद्धि) प्राप्त हुए।
  - **जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजातियों (ST)** के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) **SCs, STs, OBCs, PwDs, बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण** के लिये कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का विस्तार:** बजट 2025-26 में EMRS के लिये **7,088.60 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं, जिसका उद्देश्य मार्च 2026 तक 728 विद्यालयों का संचालन करना है, जिससे जनजातीय समुदायों के **3.5 लाख छात्रों** को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आवासीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- **DA-JGUA: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA),** जिसका नाम मूलत: **पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA)** था, को जनजातीय क्षेत्रों में **बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और आजीविका में सुधार** लाने हेतु **2,000 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए, जो **500 करोड़ रुपए** से **चार गुना अधिक** है।
- **PM-जनमन का सुनिष्पादन: विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTG)** की स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने केक उद्देश्य से **बजट 2025-26** में प्रधानमंत्री **जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-जनमन)** के लिये आवंटन दोगुना कर **300 करोड़ रुपए** कर दिया गया है।
  - **PM-जनमन आवास योजना** में तेज़ी लाने के लिये, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **पीएम-आवास घरों के अनुमोदन प्रक्रिया को संशोधित किया**, जिसका लक्ष्य **PVTG** के लिये **4.90 लाख घर** निर्मित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जनजातियों से संबंधित विभिन्न सरकारी पहल क्या हैं ?

- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- जनजातीय गौरव दिवस
- विकसित भारत संकल्प यात्रा
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने पृथ्वी के निकट स्थित एक **क्षुद्रग्रह 2024 YR4** की पहचान की है, जिसके वर्ष 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से थोड़ी अधिक है।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: दिसंबर 2024** में खोजा गया क्षुद्रग्रह, **पृथ्वी से 800,000 किमी** (चंद्रमा की दूरी से दोगुनी) से गुजरा और **अप्रैल 2025** तक अवलोकनीय रहेगा, और इसके **वर्ष 2028** में पुन: दिखाई देने की उम्मीद है।
- **संभावित जोखिम:** NASA ने इसे **टोरिनो स्केल पर स्तर 3** के रूप में वर्गीकृत किया है, जो दर्शाता है कि यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो **स्थानीय विनाश (Localized Destruction)** की संभावना है।
  - **वर्ष 1999 में IAU (अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ)** द्वारा अपनाए गए **टोरिनो स्केल** में क्षुद्रग्रहों के प्रभाव के जोखिमों को संभावना और गंभीरता के आधार पर **0 से 10** के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है।
  - यह **टकराने पर 8-10 मेगाटन ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है, जो 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क के उल्कापिंड (जिसमें 500 किलोटन ऊर्जा उत्सर्जित हुई-** हिरोशिमा परमाणु बम से लगभग 30 गुना अधिक) से अधिक है।

क्षुद्रग्रह क्या हैं?

- **परिचय: क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण (4.6 अरब वर्ष पूर्व)** से उत्पन्न **शैलमय, अवात अवशेष** हैं।
  - वे मुख्य रूप से **क्षुद्रग्रह बेल्ट** में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हालाँकि कुछ **पृथ्वी को पार करने वाले पथ का अनुसरण करते हैं**।
  - इनका आकार **कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर** तक होता है।
- **वर्गीकरण:**
  - **मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट: मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित** इस क्षेत्र में **अधिकांश ज्ञात क्षुद्रग्रह विद्यमान हैं**।
  - **ट्रोजन:** ये क्षुद्रग्रह **एक बृहत्तर ग्रह के साथ एक कक्षा साझा करते हैं** और **लैग्रेंजियन बिंदुओं (L4 और L5) के समीप अवस्थित होते हैं**, जहाँ सूर्य और ग्रह के गुरूत्वीय बल संतुलित होते हैं, जिससे टकराव को रोका जा सकता है।
  - **पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह (NEA):** इन क्षुद्रग्रहों की **कक्षाएँ इन्हें पृथ्वी के निकट लाती हैं**। जो क्षुद्रग्रह पृथ्वी की कक्षा से हो कर संचलन करते हैं उन्हें विशेष रूप से **पृथ्वी-क्रॉसर** कहा जाता है।
- **क्षुद्रग्रह संघट्टन आवृत्ति:** छोटे क्षुद्रग्रह **प्राय: वायुमंडल में दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं**।
  - बड़े क्षुद्रग्रह यदा-कदा सतह तक पहुँचते हैं लेकिन **इनसे नुकसान होने की संभावना** बहुत **कम** रहती है। वैश्विक स्तरीय प्रभाव, जैसे **मेक्सिको में चिक्सुलब घटना** जिसके कारण **डायनासोर और पृथ्वी की 75% प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं**, लगभग **हर 260 मिलियन वर्ष** में एक बार होता है।
- **क्षुद्रग्रहों के विरुद्ध ग्रहीय रक्षा: नासा** और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियाँ **क्षुद्रग्रहों** के टकराव को रोकने के लिये ग्रहीय रक्षा तंत्र विकसित कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नासा के DART मिशन (2022) ने क्षुद्रग्रह डिमॉर्फस (Dimorphous) के प्रक्षेप पथ को सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि भविष्य में खतरों को कम करने के लिये **विक्षेपण रणनीति** का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं की निगरानी से संबंधित पहल:

- डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) मिशन
- ESA का हेरा मिशन
- NETRA परियोजना एवं अंतरिक्ष कचरा

कैंसर उपचार पर PM-JAY का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में **भारत भर में कैंसर के उपचार की शुरुआत में होने वाली देरी में** पर्याप्त कमी पर प्रकाश डाला गया है, तथा **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** के **लाभार्थियों में** उल्लेखनीय 90% वृद्धि हुई है।

कैंसर पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **समय पर उपचार शुरू करने में सुधार:** समय पर कैंसर उपचार शुरु करने में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथा **वर्ष 2018 के बाद AB PM-JAY लाभार्थियों में 90%** की वृद्धि दर्ज की गई है।
  - उपचार में होने वाली देरी में काफी कमी आई, विशेष रूप से **प्रजनन, जननांग, स्तन और रक्त कैंसर** के मामलों में।
- **जनसांख्यिकीय अंतर्दृष्टि: युवा रोगियों (<30 वर्ष: 77%)** और उच्च शिक्षा वाले (70.2%) को समय पर उपचार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हुई है।
  - **बीमा कवरेज (69%)** से पहुँच में सुधार हुआ, जबकि उच्च आय वर्ग को कम देरी का सामना करना पड़ा।
- **चुनौतियाँ:**
  - **विलंबित निदान और उपचार:** अध्ययन से पता चला है कि **उपचार में देरी**, विशेष रूप से **रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी में,** जीवित रहने की दर को कम करती है।
  - **सीमित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** भारत में केवल **779 रेडियोथेरेपी** मशीनें हैं, जो **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित** 1,350-5,000 से बहुत कम है। **ऑन्कोलॉजिस्ट और डायग्नोस्टिक सेंटर** की नही कमी है।
  - **उच्च वित्तीय बोझ:** चूँकि निदान और अनुवर्ती उपचार AB-PMJAY द्वारा कवर नहीं किये जाते हैं, इसलिये उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट (OOP) लागतें बनी रहती हैं। जब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय **सकल घरेलू उत्पाद** के 2% से कम हो जाता है, तो वहनीयता और भी बढ़ जाती है।

कैंसर:

- **कैंसर: कैंसर** रोगों के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसमें शरीर में **असामान्य कोशिकाओं** की अनियंत्रित वृद्धि और विस्तार होता है, जो स्वस्थ ऊतकों और अंगों में घुसपैठ कर उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है।
- **भारत में कैंसर की स्थिति:** **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद** के अनुसार, देश में कैंसर के मामले **वर्ष 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर वर्ष 2025 में 15.7 लाख** हो जाने का अनुमान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **स्तन कैंसर** सबसे अधिक प्रचलित है, जो सभी मामलों का **13.6%** तथा महिलाओं में यह **26%** से अधिक देखा गया है।

- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में, अनुमानत: 20 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आए हैं और 9.7 मिलियन मृत्यु हुई है।

US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) की विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगा दी गई है, जिससे विश्व भर में इसके कार्यक्रम प्रभावित होंगे।

- इसके अतिरिक्त अमेरिका ने घोषणा की है कि वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में **वर्ष 2025 में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों** की बैठक में भाग नहीं लेगा।

US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है?

- **परिचय: USAID वैश्विक मानवीय और विकास सहायता** के लिये प्राथमिक अमेरिकी एजेंसी है।
- **समर्थन: वर्ष 2024 में USAID को 44.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** आवंटित किये गए जो कुल **अमेरिकी संघीय बजट का केवल 0.4%** है लेकिन **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा ट्रैक की गई सभी मानवीय सहायता का **42% हिस्सा** है।
  - ❖ USAID द्वारा विश्व भर में **स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता एवं आपदा राहत** को वित्तपोषित किया जाता है।
  - ❖ इसके तहत शीर्ष प्राप्तकर्त्ताओं में **यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया और अफगानिस्तान** शामिल हैं।
- **USAID और भारत:** USAID के साथ भारत का सहयोग वर्ष 1951 में **भारत आपातकालीन खाद्य सहायता अधिनियम** के साथ शुरू हुआ, जो खाद्य सहायता से लेकर बुनियादी ढाँचे, क्षमता निर्माण एवं आर्थिक सुधारों के रूप में कई दशकों तक विकसित हुआ।
  - ❖ यह एजेंसी **शिक्षा, टीकाकरण, पोलियो उन्मूलन और HIV (ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस)/क्षय रोग (टीबी)** की रोकथाम में सहयोग कर रही है।
  - ❖ ऐसा कहा जाता है कि पिछले दशक में भारत को USAID से लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं (जो USAID के कुल वैश्विक वित्तपोषण का लगभग 0.2% से 0.4% है)।

भारत के लिये इसके क्या निहितार्थ हैं?

- **ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका:** भारत ने स्वयं को **ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ** के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया है **तथा यह G20 में** अपनी बढ़ती स्थिति से लाभान्वित हो रहा है।
- **चीन और रूस:** यदि अमेरिका G20 में अपनी भूमिका कम कर देता है तो **चीन और रूस** अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, **जिससे वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में संभावित रूप से बदलाव** आने के साथ **चीन की बढ़ती शक्ति** के बीच इसमें भारत की स्थिति कमज़ोर हो सकती है।
- **स्वास्थ्य सेवा:** यद्यपि भारत को दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता में कमी आई है फिर भी USAID का योगदान वर्ष 2024 में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।
  - ❖ स्थायी वित्तपोषण कटौती से भारत के टीकाकरण कार्यक्रम, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं चिकित्सा बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - ❖ भारत को स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं शासन परियोजनाओं को बनाए रखने के क्रम में घरेलू निधियों को पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जी–20

- एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये **वर्ष 1999 में स्थापित**
- **स्थायी सचिवालय नहीं**
- **सदस्य:** 19 देश और यूरोपीय संघ (EU)
- **स्थायी अतिथि देश:** स्पेन
- **G20 शिखर सम्मेलन:** प्रतिवर्ष आयोजित होता है
- **2023 की अध्यक्षता:** भारत (**थीम** – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य)
- **शेरपा:** ये G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं
- **ट्रोइका:** अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है (ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में किया जाता है)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

स्वावलंबिनी

चर्चा में क्यों?

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने **नीति आयोग** के सहयोग से असम, मेघालय और मिज़ोरम में **"स्वावलंबिनी" योजना** की शुरूआत की।

स्वावलंबिनी क्या है?

- **परिचय:** स्वावलंबिनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs)** में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- **कार्यक्रम संरचना: MSDE ने भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE),** गुवाहाटी और नीति आयोग के सहयोग से **उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (EAP), महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP), फैकल्टी विकास कार्यक्रम (FDP)** एवं वित्तपोषण सहित एक **चरण-वार उद्यमशीलता प्रक्रिया** की शुरूआत की।
- इसके तहत सफल उद्यमों को **मान्यता देना एवं पुरस्कृत** करना शामिल है जिससे अन्य को प्रेरणा मिलने के साथ भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिये एक स्पष्ट ढाँचा स्थापित होगा।
- **अपेक्षित परिणाम: 10% EDP प्रशिक्षुओं** द्वारा सफल व्यवसाय प्रारंभ करने की उम्मीद है।
  - उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमशीलता की संस्कृति को मज़बूत करना, महिलाओं के लिये व्यवसाय सृजन को एक व्यवहार्य कॅरियर मार्ग बनाना। भारत के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देना।

स्वावलंबिनी राष्ट्रीय नीतियों के साथ किस प्रकार संरेखित है?

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 : कौशल एकीकरण, उद्योग** सहयोग और उद्यमिता-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देती है।
  - स्वावलंबिनी महिला उद्यमियों के लिये **वित्तीय और परामर्श सहायता** सुनिश्चित करके इस पर काम करती है।
- **महिला उद्यमिता योजनाएँ:** स्वावलंबिनी **स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, PM मुद्रा योजना** और **महिला उद्यमिता मंच** जैसी पहलों को मज़बूत करती है।
  - स्वावलंबिनी **केंद्रीय बजट 2025** के अनुरूप है, जिसमें **10,000 करोड़ रुपए के स्टार्ट-अप फंड** की शुरुआत की गई है और **पहले पाँच वर्षों के लिये स्टार्ट-अप लाभांश पर 100% कर छूट** दी गई है, जिससे उभरते महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

भारत में महिला उद्यमिता परिदृश्य

- **भारत में कुल MSME:** 63 मिलियन से अधिक, **महिला स्वामित्व वाले MSME** 20% (12.39 मिलियन)।
- **रोजगार योगदान:** महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME 22-27 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
- **महिला उद्यमिता में भारत का स्थान: महिला उद्यमिता पर मास्टरकार्ड सूचकांक (MIWE) 2021** में भारत वर्तमान में 65 देशों में से 57 वें स्थान पर है।
  - वैश्विक उद्यमिता एवं विकास संस्थान के अनुसार, **वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक (FEI)** में भारत का स्थान **77 देशों में 70वाँ** है।
- **महिला-नेतृत्व वाले MSME में सर्वाधिक भागीदारी वाले शीर्ष राज्य: पश्चिम बंगाल** (23.42%), **तमिलनाडु** (10.37%), **तेलंगाना** (7.85%), **कर्नाटक** (7.56%), और **आंध्र प्रदेश** (6.76%)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

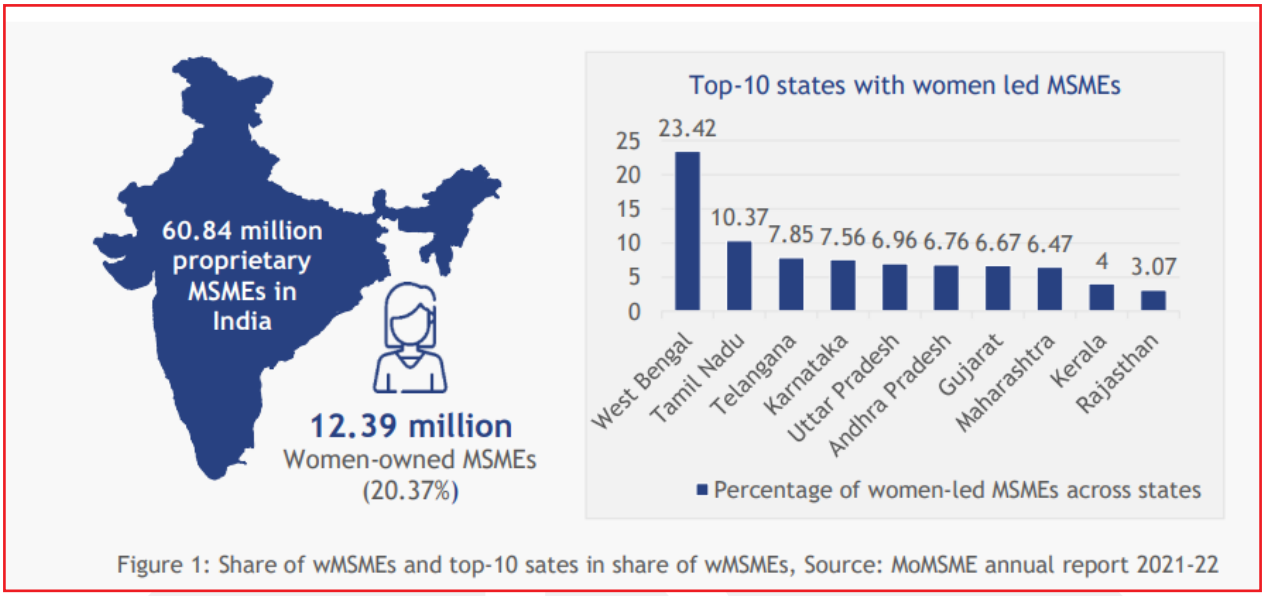

Figure 1: Share of wMSMEs and top-10 sates in share of wMSMEs, Source: MoMSME annual report 2021-22

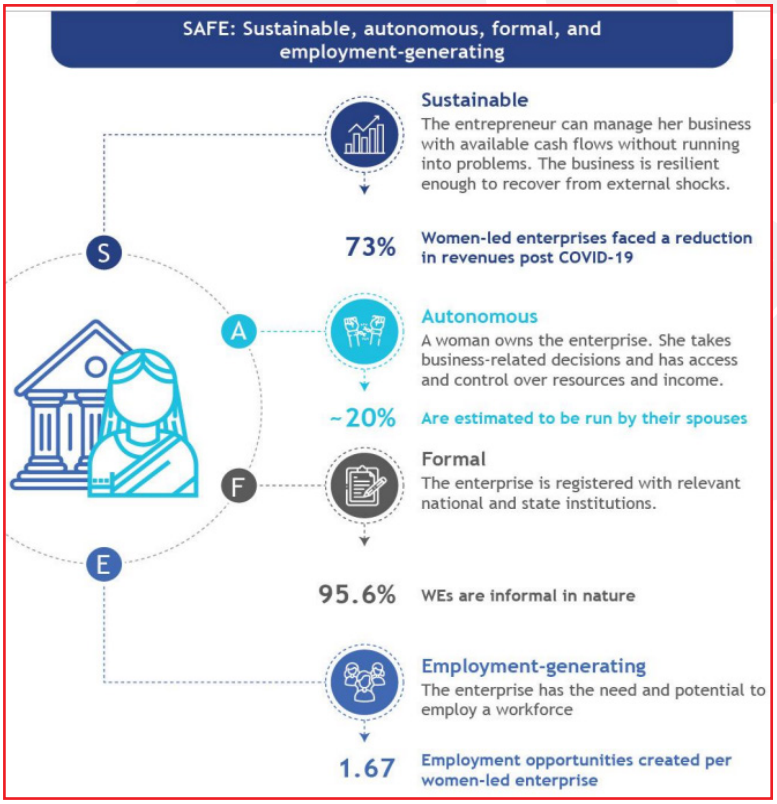

प्रतिजैविक प्रतिरोध

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य सेवा में **व्यापक रूप से प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) उपयोग ने ड्रग रिज़िस्टन्स बैक्टीरिया** को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण वर्ष 2021 के दौरान में वैश्विक स्तर पर **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)** के **कारण लगभग 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु** हुई है।

- भारतीय अस्पतालों के अनुसार **ड्रग रिज़िस्टन्स बैक्टीरिया (औषधि प्रतिरोधी जीवाणु)** के कारण होने वाले संक्रमण में **मृत्यु दर 13%** है।

प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स) प्रतिरोध क्या है?

- **प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक्स): प्रतिजैविक जीवाणु (एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया) को मारकर** या उनकी वृद्धि और गुणन को रोककर मनुष्यों एवं जानवरों में **जीवाणु संक्रमण का निदान** किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वे जीवाणु **संरचनाओं या प्रक्रियाओं को लक्ष्य बनाते हैं**, जिससे मानव कोशिकाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

- **प्रतिजैविक का कार्य:** बैक्टीरिया कोशिकाओं में **पेप्टिडोग्लाइकन** से बनी एक **सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति** होती है। इसके दो प्रमुख घटक **ग्लाइकेन और पेप्टाइड्स** हैं।
  - **पेनिसिलिन** जैसे एंटीबायोटिक्स **पेप्टाइड क्रॉसलिंक्स को बाधित** करके बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है।

- **प्रतिजैविक प्रतिरोध का विकास:** जब जीवाणु प्रतिरोधी जीन प्राप्त कर लेते हैं या उनमें उत्परिवर्तन हो जाता है, तो **प्रतिजैविक प्रतिरोध विकसित** हो जाता है, जिससे संक्रमण का निदान अधिक कठिन हो जाता है।
  - बैक्टीरिया (जीवाणु) विभिन्न **प्रक्रियाओं के माध्यम** से प्रतिरोध विकसित करते हैं जैसे:
    - **पेनिसिलिन के विरुद्ध पेनिसिलिनेस** जैसे एंज़ाइम का उत्पादन करना, जो एंटीबायोटिक अणुओं को तोड़ता है।
    - **एंटीबायोटिक के प्रभाव से बचने** के लिये अपनी संरचना में संशोधन करना।

- **नई रणनीति:** एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बैक्टीरिया **अधूरे कार्यों को कर सकते हैं, नुकूलता में वृद्धि कर सकते हैं** तथा **प्रतिजैविक प्रतिरोध के साथ प्रतिस्पर्द्धा** को कठिन बना सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **तीन प्रमुख योजनाओं**- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)**, **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS)** और **जन शिक्षण संस्थान (JSS)** योजना को मार्च 2026 तक एक समग्र केंद्रीय क्षेत्रक योजना में एकीकृत कर **कौशल भारत कार्यक्रम (SIP)** को जारी रखने और इसका पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति दी।

कौशल भारत कार्यक्रम क्या है?

परिचय:

- **कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** के तहत वर्ष **2015** में शुरू की गई एक **कौशल विकास** पहल है।
- इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या वर्तमान में 2.27 करोड़ से अधिक है जिनमें **ग्रामीण परिवेश के युवा, महिलाएँ और हाशिए पर स्थित समुदाय** शामिल हैं।
- **कौशल भारत कार्यक्रम** के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम और प्रमाणन **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुरूप हैं और **डिजीलॉकर एवं राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के साथ एकीकृत हैं**, जिससे औपचारिक मान्यता और रोज़गार एवं उच्च शिक्षा में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहलों के माध्यम से **वर्ष 2022 तक** विभिन्न कौशल क्षेत्रों में **40 करोड़ व्यक्तियों** को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें शामिल हैं:
  - **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)**
  - **कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति (2015)**
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**
  - **कौशल ऋण योजना**

पुनर्गठित SIP के प्रमुख घटक:

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0:**
  - यह अल्पकालिक **प्रशिक्षण, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करती है।**
  - **AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन,** ड्रोन तकनीक पर **400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू** किये गए हैं, जो उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - पूर्व शिक्षा को मान्यता प्रदान करके तथा भारतीय श्रमिकों को **विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल से सुसज्जित करके अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता** और **कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (OJT)** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - यह **पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनएएल जल मित्र** के साथ संरेखित है, जो **क्रॉस-सेक्टर** प्रभाव सुनिश्चित करता है।
  - **लक्षित लाभार्थी: 15-59 वर्ष** की आयु के व्यक्ति।
- **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS):**
  - **PM-NAPS** का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण** को बढ़ावा देना है।
  - प्रशिक्षुओं के लिये **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से **25% वजीफा (प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 1,500 रुपए तक)** प्रदान किया जाता है।
  - **AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा, उद्योग 4.0** में प्रशिक्षुता के अवसरों का विस्तार।
  - **छोटे प्रतिष्ठानों, MSME, आकाँक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - **लक्षित लाभार्थी: 14 से 35 वर्ष की** आयु के व्यक्ति।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:**
  - **JSS योजना** एक **समुदाय संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य कम लागत वाले, अनुकूल कौशल कार्यक्रमों** के माध्यम से **15-45 आयु वर्ग** की महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाना है।
  - यह समावेशी कौशल के लिये **पीएम जनमन** और **समाज में सभी के लिये आजीवन शिक्षा की समझ (ULLAS)** जैसी पहलों से जुड़ा हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कौशल विकास से संबंधित सरकारी पहल:

- संकल्प योजना
- तेजस कौशल परियोजना
- मॉडल कौशल ऋण योजना

खाद्य तेल आयात और SAFTA समझौता

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) समझौते** के शुल्क मुक्त आयात प्रावधानों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए नेपाल से भारत में **परिष्कृत खाद्य तेल (सोयाबीन और पाम)** के बृहद स्तर के आयात पर चिंता व्यक्त की है।

नोट: 1963 में स्थापित, SEA **भारत के विलायक निष्कर्षण उद्योग** का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रोसेसर, निर्यातक, रिफाइनर और व्यापारी शामिल हैं। यह एक निजी निकाय के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

- विलायक निष्कर्षण दो भिन्न अमिश्रणीय द्रवों में उनकी सापेक्ष विलेयता के आधार पर यौगिकों को पृथक करने की एक विधि है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य तेल की स्थिति क्या है ?

- **खाद्य तेल और तिलहन:** भारत, **सबसे बड़े तिलहन उत्पादकों में से एक, वैश्विक उत्पादन में 5-6% का योगदान देता है, जो 2023-24** में अनुमानित रूप से 39.66 मिलियन टन था।
  - प्रमुख तिलहनों में **मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, तिल, नाइजर और कुसुम** शामिल हैं।
  - भारत की **वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था** अमेरिका, चीन और ब्राज़ील के बाद **विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है।
  - खाद्य तेल उद्योग **कृषि और व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है,** वर्ष 2023-24 में **तिलहन और तेल खली का निर्यात 29,587 करोड़ रुपए** का होगा।
  - वर्ष 2022-23 में, भारत ने **16.5 मिलियन टन (MT)** खाद्य तेलों का आयात किया, जिसमें घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल **40-45%** पूरा करता है, 57% खपत के लिये आयात पर निर्भर है।
- **भारत में प्रमुख खाद्य तेल:**
  - **पारंपरिक तेल:** मूंगफली, सरसों/रेपसीड, तिल, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी।
  - **बागान आधारित तेल:** नारियल, पाम तेल (**आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार में उगाया जाता है**)।
  - **गैर-परंपरागत तेल:** चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल।
  - **वन-आधारित तेल: मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों** में पेड़ों और वन स्रोतों से एकत्र किये जाते हैं।
  - **सरकारी पहल:** देश का लक्ष्य **राष्ट्रीय तिलहन और तेल पाम मिशन (NMOOP)** जैसी पहलों के माध्यम से **आयात निर्भरता** को कम करना है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को **39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन** करना है, **जिससे खाद्य तेल की 72% मांग** पूरी हो सके।
- **चिंताएँ:** SEA नेपाल से परिष्कृत खाद्य तेल के बढ़ते आयात को लेकर चिंतित है, **भारत द्वारा वर्ष 2024 में खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद,** नेपाली **रिफाइनर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने लगे हैं तथा SAFTA के माध्यम से कम कीमतों पर भारत** को परिष्कृत तेल का निर्यात कर रहे हैं, जिससे भारतीय रिफाइनर और तिलहन किसान प्रभावित हो रहे हैं।
- **SEA की सिफारिशें:** भारत को उन SAFTA देशों से शुल्क मुक्त खाद्य तेल आयात को प्रतिबंधित करना चाहिये जो **तिलहन का उत्पादन नहीं** करते हैं तथा **कृषि-वस्तुओं की डंपिंग को रोकने के लिये SAFTA में संशोधन** करना चाहिये।
  - तिलहनों के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर आधारित न्यूनतम आयात मूल्य (MIP)** लागू करना (अत्यधिक आयात के सापेक्ष किसानों की सुरक्षा के लिये) चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)

- **परिचय:** SAFTA, **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** की **मुक्त व्यापार व्यवस्था** है।
- **यह समझौता वर्ष 1993 के SAARC अधिमान्य व्यापार समझौते** के स्थान पर वर्ष 2006 में लागू हुआ।
- **सदस्य:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- **SAFTA संबंधी प्रावधान:** SAFTA की **व्यापार उदारीकरण** नीति के तहत व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर **टैरिफ को क्रमिक रूप से घटाकर 0-5%** तक लाना शामिल है।
  - इसके तहत LDC (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल) को **विशेष सुविधाएँ प्राप्त** हैं, जैसे टैरिफ कटौती के लिये **लंबी कार्यान्वयन अवधि** और व्यापार प्रतिबंधों से **अधिक छूट।**
- इसके तहत शामिल सुरक्षा उपाय, **घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिये नियमों के अस्थायी निलंबन** की अनुमति देते हैं।

SOUTH ASIAN FREE TRADE AREA (SAFTA)

बॉम्बे ब्लड ग्रुप

चर्चा में क्यों?

भारत में दुर्लभ **'बॉम्बे' (hh) ब्लड ग्रुप** वाली एक महिला का सफल किडनी प्रत्यारोपण किया गया।

बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है?

- **बॉम्बे ब्लड ग्रुप या रक्त समूह:** इसकी पहचान **वर्ष 1952 में** मुंबई में की गई थी, जिसे **एच एंटीजन की अनुपस्थिति** के कारण **hh रक्त समूह** भी कहा जाता है।
  - एंटीजन रक्त कोशिकाओं (**RBC, WBC और प्लेटलेट्स**) पर मौजूद **प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रक्त के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिये AB रक्त समूह में A और B** दोनों **एंटीजन** होते हैं, A में A एंटीजन होते हैं, B में B एंटीजन होते हैं तथा O में कोई भी नहीं होता है।
  - बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, **उत्परिवर्तित या अनुपस्थित h एंटीजन** जीन **A, B, या O एंटीजन गठन को** रोकता है।
- **दुर्लभता:** यह **अत्यंत दुर्लभ** है, जो लगभग **10,000 भारतीयों में से 1** तथा **विश्वभर में दस लाख लोगों में से 1 में पाया जाता है।**
- **रक्त आधान में समस्याएँ: hh रक्त समूह** वाले व्यक्तियों को A, B, या O रक्त **(O-नेगेटिव सहित) नहीं** दिया जा सकता, क्योंकि उनमें **h एंटीजन** होता है।
  - प्राप्तकर्त्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली **दाता प्रतिजनों को विदेशी (एंटीबॉडी)** के रूप में पहचानती है, और एक गंभीर **प्रतिरक्षा** प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है।
- **ब्लड ग्रुप या रक्त समूह: ABO रक्त समूह प्रणाली** के तहत, रक्त समूहों को चार सामान्य रक्त समूहों यानी **A, B, AB और O** में वर्गीकृत किया जाता है।
  - इसकी पहचान सर्वप्रथम ऑस्ट्रियाई प्रतिरक्षा विज्ञानी **कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष** 1901 में की थी।
- **क्रॉस-ब्लड ट्रांसप्लांट्स: क्रॉस-ब्लड ट्रांसप्लांट्स** (दाता और प्राप्तकर्त्ता के **रक्त समूह अलग-अलग होते हैं**) में रक्त आधान के लिये **डबल फिल्ट्रेशन प्लास्मफेरेसिस (DFPP)** प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
  - DFPP में, **सुरक्षित आधान** (प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबाने) के लिये विशेष फिल्टर का उपयोग करके, **प्राप्तकर्त्ता (रोगी) के रक्त** से **एंटीबॉडी** को हटा दिया जाता है।
  - यदि प्राप्तकर्त्ता के **एंटीबॉडी** को हटाया नहीं जाता है, तो वे रक्ताधान के बाद **हेमोलिसिस (दाता RBC का विनाश)** का कारण बन सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

Blood Type Compatibility

Blood Type	Gives	Receives
A+	A+, AB+	A+, A-, O+, O-
O+	O+, A+, B+, AB+	O+, O-
B+	B+, AB+	B+, B-, O+, O-
AB+	AB+	Everyone
A-	A+, A-, AB+, AB-	A-, O-
O-	Everyone	O-
B-	B+, B-, AB+, AB-	B-, O-
AB-	AB+, AB-	AB-, A-, B-, O-

पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि **पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन** हो रहे हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **कार्यप्रणाली:** शोधकर्त्ताओं ने वर्ष 1991 से वर्ष 2024 तक अंटार्कटिका के दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास **भूकंपीय तरंगों** का विश्लेषण किया। बार-बार आने वाले भूकंपों से भूकंपीय तरंगों में सूक्ष्म परिवर्तन सामने आए, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिली।
- **आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन: पृथ्वी के आंतरिक कोर की सतह पर संरचनात्मक परिवर्तन** हो रहे हैं, जो पहले की धारणा को चुनौती दे रहा है कि **यह कठोर और स्थिर** है।
  - ऐसा प्रतीत होता है कि **आंतरिक कोर का घूर्णन धीमा** हो रहा है, जिससे **पृथ्वी पर दिन की लंबाई में सूक्ष्म परिवर्तन** हो सकता है।
  - शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि, जिस प्रकार तनाव के तहत **मैग्मा** प्रवाहित होता है, उसी प्रकार **ठोस आंतरिक कोर और अस्थिर, पिघले हुए बाहरी कोर के बीच गतिशील अंत:क्रियाएँ आंतरिक कोर में चिपचिपा विरूपण (Viscous Deformation)** उत्पन्न करती हैं।

पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **संरचना:** आंतरिक **कोर गर्म, सघन** है जो मुख्य रूप से **लोहे और निकल** से बनी है। **तरल बाह्य कोर** के विपरीत, आंतरिक कोर पृथ्वी की ऊपरी परतों से पड़ने वाले **अत्यधिक दबाव के कारण ठोस** रहती है।
- **गहराई और आकार:** यह पृथ्वी की सतह से **5,150 किमी नीचे,** पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसकी **त्रिज्या लगभग 1,220 किमी** है।
  - आंतरिक और बाह्य कोर के बीच की सीमा को **लेहमैन असंबद्धता** कहते है।
- **चुंबकत्व:** आंतरिक कोर **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र** को प्रभावित करती है, जबकि बाह्य कोर का घूर्णन करता तरल लौह पदार्थ इसे **जियोडायनेमो प्रभाव** (चुंबकीय क्षेत्र निर्माण) के माध्यम से उत्पन्न करता है।
  - आंतरिक कोर में **उच्च तापीय और विद्युत चालकता** होती है।
- **घूर्णन:** आंतरिक कोर **पृथ्वी की सतह की तुलना में पूर्व की ओर थोड़ा तेज़ी से घूमती है,** प्रति 1,000 वर्ष में एक अतिरिक्त घूर्णन पूरा करती है।
- **वृद्धि:** तरल बाह्य कोर के ठोस होने के कारण आंतरिक कोर **प्रति वर्ष लगभग 1 मिमी** बढ़ती है।
  - वृद्धि असमान है, यह प्रविष्ठन क्षेत्र के आसपास अधिक तथा सुपरप्लूम्स के पास कम होती है।
  - धीमी गति से क्रिस्टलीकरण और निरंतर रेडियोधर्मी क्षय के कारण कोर कभी भी पूरी तरह से ठोस नहीं हो पाएगा।

पृथ्वी का आंतरिक भाग

- पृथ्वी का आंतरिक भाग प्याज के समान संकेंद्रित परतों में संरचित है। ये परतें हैं:
  - **भूपर्पटी (सबसे बाह्य परत): सबसे पतली परत,** मोटाई में भिन्न:
    - **महाद्वीपीय क्रस्ट:** ~35 किमी मोटी, मुख्य रूप से **सिलिका (Si) और एल्यूमिना (Al)** की प्रधानता, जिसे महाद्वीपीय क्रस्ट के लिये **"सियाल"** कहा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **महासागरीय क्रस्ट:** ~5 किमी मोटी, महासागरीय क्रस्ट में **सिलिका (Si) और मैग्नीशियम (Mg)** होती है, जिसे **"सीमा"** कहा जाता है।

❖ **मेंटल (सबसे मोटी परत):** यह परत भूपर्पटी के नीचे **2900 किमी** तक फैली हुई है। यह **लौह और मैग्नीशियम** से भरपूर सिलिकेट खनिजों से बनी है।

- ऊपरी भाग में **एस्थेनोस्फीयर** है जो **प्लेटों की गति** के लिये ज़िम्मेदार एक अर्द्ध-पिघली परत है।

❖ **कोर (अंतरतम परत):** **3500 किमी** की त्रिज्या तक फैली हुई है। **निकेल (Ni) और लोहे (Fe)** से बनी है, जिसे **"नीफे"** कहा जाता है।

- बाह्य कोर (तरल अवस्था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है) और **आंतरिक कोर में विभाजित** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

उच्च शिक्षा पर व्यय

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने **'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज़ है जो विशेष रूप से **राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPUs)** पर केंद्रित है।

उच्च शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **शिक्षा व्यय:**
  - **समग्र व्यय:** शिक्षा पर व्यय में **जम्मू और कश्मीर (8.11%)** सबसे आगे हैं। इसके बाद **मणिपुर (7.25%)** का स्थान है, जबकि **दिल्ली** इसमें काफी कम **(1.67%)** आबंटित करता है।
  - **उच्च शिक्षा पर व्यय: इसमें बिहार 1.56%** के साथ **सबसे ऊपर** है। इसके बाद **जम्मू और कश्मीर (1.53%) तथा मणिपुर (1.45%)** का स्थान है जबकि **तेलंगाना (0.18%)** का प्रतिशत सबसे कम है।
  - **प्रति युवा शिक्षा पर व्यय: केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्यों में शामिल हैं जबकि **राजस्थान, पंजाब** और **छत्तीसगढ़** इसमें पीछे हैं।
- **विश्वविद्यालय घनत्व:** राष्ट्रीय स्तर पर औसत **विश्वविद्यालय घनत्व** (किसी राज्य में **प्रति 1 लाख पात्र जनसंख्या** (18-23 वर्ष आयु) पर विश्वविद्यालय) **0.8** है।
  - **सिक्किम** में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक **(10.3)** है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्थान है, जबकि **बिहार** में यह सबसे कम **(0.2)** है।

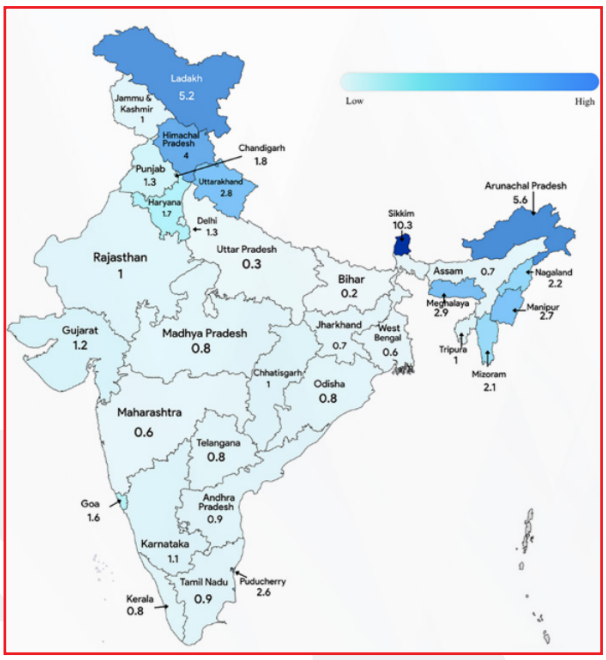

- **लैंगिक समानता: केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में महिला नामांकन** अधिक है जबकि चंडीगढ़, मिज़ोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नामांकन संतुलित है।

नोट:

- **आर्थिक समीक्षा 2024-25** के अनुसार, **वार्षिक शिक्षा व्यय 12%** बढ़कर वित्त वर्ष 25 में **9.2 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया।
  - **ड्रॉपआउट दरें 1.9% (प्राथमिक) और 14.1% (माध्यमिक)** तक कम हुईं, जबकि उच्च शिक्षा नामांकन में **26.5%** (वर्ष 2014-2022) की वृद्धि होने से **सकल नामांकन अनुपात (GER) 28.4%** हो गया।
    - उच्च शिक्षा में **वर्ष 2035 तक GER 50%** तक पहुँचना चाहिये।
- **डिजिटल विभाजन** बना हुआ है और **शहरी क्षेत्रों (69%)** की तुलना में **ग्रामीण क्षेत्रों (55%)** में इंटरनेट की पहुँच सीमित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आइंस्टीन वलय

यूरोपीय **अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने** पृथ्वी से लगभग **590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर** आकाशगंगा **NGC 6505 के चारों ओर** एक दुर्लभ **आइंस्टीन वलय/रिंग की खोज की है।**

नोट: एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है।

आइंस्टीन वलय/रिंग क्या है?

- **आइंस्टीन** वलय प्रकाश का वह **वलय है,** जो किसी खगोलीय पिंड, जैसे कि **डार्क मैटर**, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह **के चारों ओर दिखाई देती है।**
  - ❖ पूर्ण आइंस्टीन वलय केवल तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक (यूक्लिड टेलीस्कोप), गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और बैकग्राउंड गैलेक्सी लगभग पूर्ण रूप से एक सीध में होते हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग: यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग** के कारण होने वाली एक घटना है, जहाँ एक विशाल आकाशीय पिंड (जैसे एक आकाशगंगा) एक **गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है** जो अपने पीछे अधिक दूर की वस्तु से आने वाले **प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है**, जिससे फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक पूर्ण वलय बनता है, जिसे **आइंस्टीन वलय के रूप में जाना जाता है।**
  - ❖ वह वस्तु जिसके कारण प्रकाश का बंकन होता है, उसे गुरुत्वाकर्षी लेंस कहते हैं।
- **खोज:** वर्ष 1987 में पहली बार खोजे गए आइंस्टीन वलय अत्यंत दुर्लभ हैं, जो 1% से भी कम आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं।
  - ❖ NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन वलय का निर्माण 4.42 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अनाम आकाशगंगा से उत्सर्जित प्रकाश से हुआ है, जो **NGC 6505 के गुरूत्वीय कर्षण के कारण विकृत हो गया है,** जिसके कारण इसके चारों ओर एक आकर्षक **वलय जैसी बाह्याकृति दिखाई देती है।**
- **नामकरण: अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत** के अनुसार प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विशाल वस्तुओं के चारों ओर **बंकन हो सकता है और यह चमकीला हो सकता है** (दिक्काल को विकृत कर सकता है और प्रकाश के मार्ग को मोड़ सकता है), इसलिये इसका नाम **"आइंस्टीन रिंग"** रखा गया।
- **प्रेक्षण:** सामान्य रूप से इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता और केवल **यूक्लिड** जैसे **शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों** के माध्यम से इसका प्रेक्षण किया जा सकता है।
- **वैज्ञानिक महत्त्व:** ये ब्रह्मांड का अध्ययन करने की एक अद्वितीय विधि प्रदान करते हैं क्योंकि वे एक **नैसर्गिक आवर्धिक लेंस** के रूप में कार्य करते हैं, जिनसे सुदूरवर्ती आकाशगंगाओं का प्रेक्षण किया जा सकता होता है जो अन्यथा अदृश्य होते।
  - ❖ **आइंस्टीन रिंग्स खगोल भौतिकी** में मूल्यवान उपकरण हैं क्योंकि ये वैज्ञानिकों के लिये **डार्क मैटर का परीक्षण** करने एवं **डार्क एनर्जी (ब्रह्मांड के एकाएक विस्तार हेतु उत्तरदायी)** का अध्ययन करने में सहायक हैं।

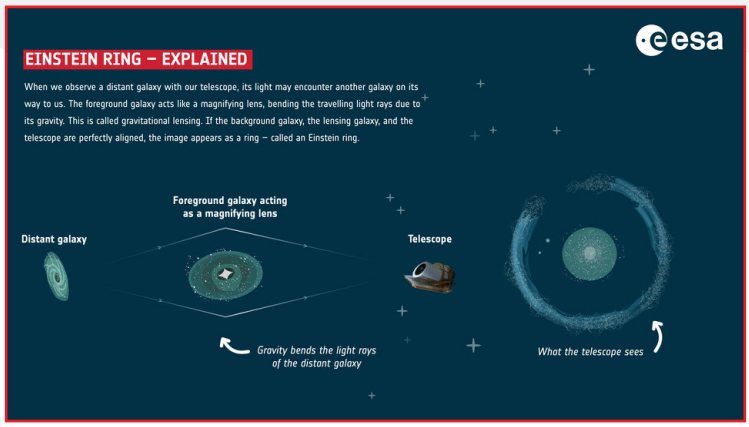

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आइंस्टीन रिंग्स के सामान घटनाएँ

- **आइंस्टीन क्रॉस:** आइंस्टीन क्रॉस एक दुर्लभ **गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग** घटना है जिसमें दूर स्थित आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को एक विशाल फोरग्राउंड आकाशगंगा द्वारा मोड़ दिया जाता है, जिससे इसके चारो ओर क्रॉस जैसे पैटर्न में चार अलग-अलग इमेज बन जाती हैं।

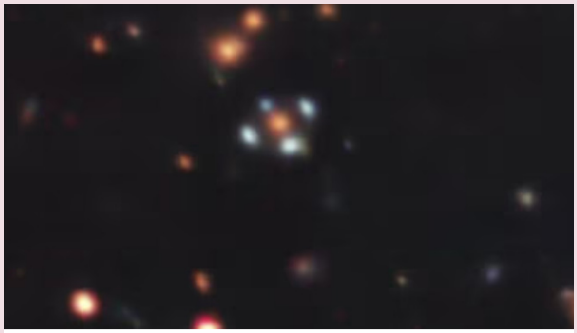

orange blob of light surrounded by four blue dots That is the Einstein cross.

फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

विश्व स्तर पर **फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन (FGM) के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (6 फरवरी)** ***"स्टेप अप द पेस"*** थीम के अंतर्गत मनाया गया, जिसमें FGM को समाप्त करने के क्रम में मज़बूत गठबंधन एवं इस पहल के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नोट: FGM के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जागरूकता बढ़ाने एवं FGM को समाप्त करने के क्रम में वैश्विक प्रयासों को संगठित करने हेतु स्थापित किया गया था।

फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन क्या है?

- **परिभाषा:** FGM में गैर-चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या चोट पहुँचाना शामिल है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **मानवाधिकारों**, **स्वास्थ्य और बालिकाओं एवं महिलाओं** की निजता का उल्लंघन माना जाता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - **तत्काल:** इसमें गंभीर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण एवं सदमा के साथ मृत्यु भी हो सकती है।
  - **दीर्घकालिक:** दर्द, संक्रमण के साथ मासिक धर्म एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ विकसित होती हैं।
- **वैश्विक प्रसार: विश्व भर में 230 मिलियन** से अधिक बालिकाएँ और महिलाएँ FGM से गुजर चुकी हैं, जिनमें से अधिकतर **अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं एशिया के 30 देशों** से संबंधित हैं।
  - प्राय: **शिशु अवस्था से 15 वर्ष की आयु के बीच की छोटी कन्याओं का FGM किया जाता है।** अनुमानत: प्रत्येक वर्ष **4 मिलियन कन्याओं को** FGM का खतरा होता है, जो **प्रति दिन** औसतन **12,000 मामले** होते हैं।
- **FGM के अभ्यास के कारण: कई समुदायों में, FGM** को **कन्या की परवरिश** करने, उसे वयस्कता अथवा प्रौढ़ता और विवाह के लिये तैयार करने की दृष्टि से एक आवश्यक भाग के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे **स्त्री कामुकता** नियंत्रित होती है और विवाहपूर्व कौमार्य तथा वैवाहिक विश्वस्तता सुनिश्चित होती है।
  - कुछ लोग भूलवश यह मान लेते हैं कि FGM का अभ्यास करना धार्मिकता है, हालाँकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस प्रथा का निर्देश नहीं दिया गया है।
  - **लैंगिक असमानता पर आधारित,** FGM **जेंडर आधारित हिंसा** है जिससे कन्याओं के शरीर को नुकसान पहुँचता है और उनके जीवन को खतरे होता है।
- **उन्मूलन:** संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य **सतत् विकास लक्ष्य 5.3 के तहत वर्ष 2030 तक FGM का उन्मूलन** करना है, जिसका लक्ष्य बाल विवाह और FGM जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है।
- **चुनौतियाँ:** कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया, जैसे कि **गाम्बिया** द्वारा FGM प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया गया जो दर्शाता है कि इसके उन्मूलन की प्रगति में भिन्नता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- लगभग 7 मिलियन कन्याएँ और महिलाएँ निवारण सेवाओं से लाभान्वित हुईं, लेकिन वर्ष 2030 तक FGM के उन्मूलन की दृष्टि से विश्व में इसका गिरावट स्तर **27 गुना तेज़** होना चाहिये।
- जिन 31 देशों से FGM की व्यापकता पर डेटा एकत्र किया गया है, उनमें से केवल **7 देश** ही इस प्रथा को समाप्त करने के लिये वर्ष **2030 के संयुक्त राष्ट्र SDG लक्ष्य** को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा FGM करने की **प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है**, जो इस गलत धारणा पर आधारित है कि यह प्रथा **इसे सुरक्षित बना सकती है**।

- **सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान: केन्या** और **युगांडा** जैसे देशों में समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों और सुदृढ़ नीतियों के कारण प्रचलन दर में गिरावट देखी गई है।
  - संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने FGM को समाप्त करने के लिये सरकारों, नागरिक समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और ज़मीनी स्तर के संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है।

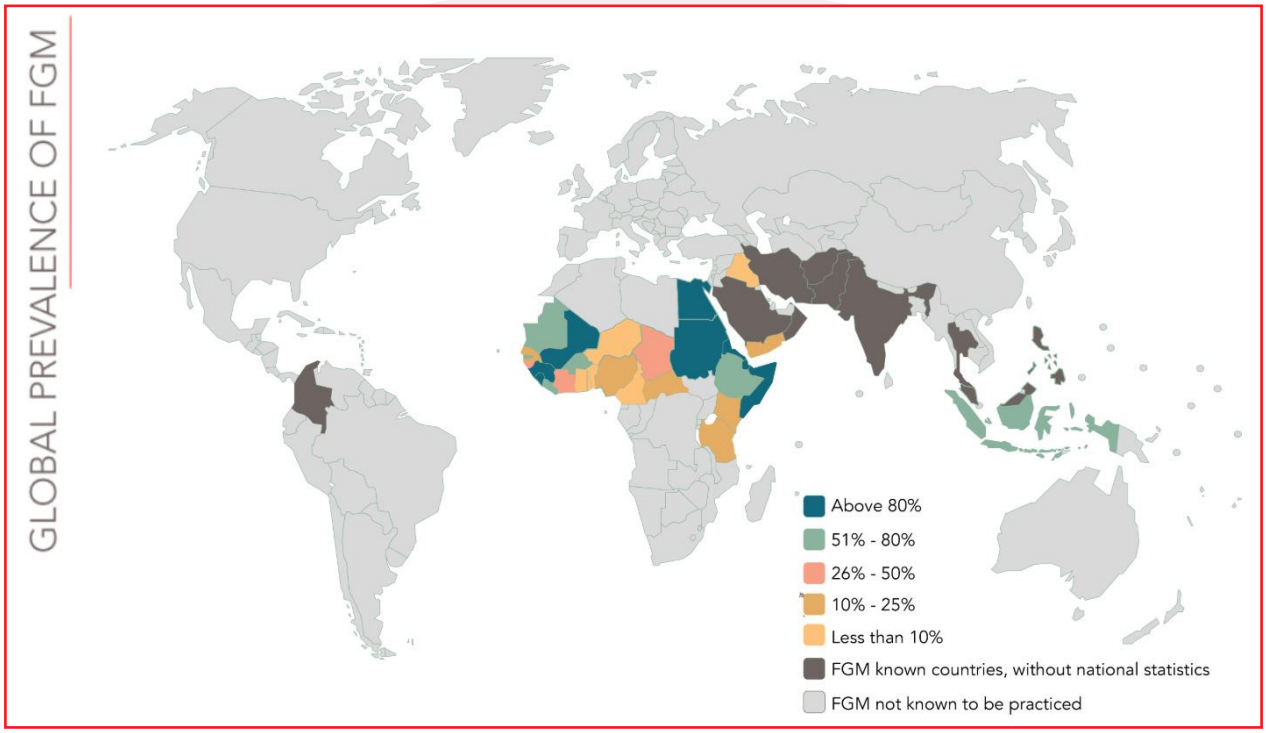

भारत में FGM

- भारत में FGM को **"खफ्द (Khafd)" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका कारण** परंपरा को कायम रखना, धार्मिक आदेशों का पालन करना और महिलाओं की यौन स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है।
  - भारत में यह प्रथा मुख्य रूप से **बोहरा मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रचलित है, इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विशेष कानून नहीं है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2018 में **महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन** का हवाला देते हुए FGM पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक **जनहित याचिका** दायर की गई थी; लेकिन समुदाय ने इसे **अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताते हुए इसका बचाव किया था।**
  - सुप्रीम **कोर्ट (SC) ने** कहा कि FGM **अनुच्छेद 21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और **अनुच्छेद 15** (लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं) का उल्लंघन करता है। **हालाँकि** जनहित याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन (FGM) प्रथा के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों पर चर्चा कीजिये, इसका महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रभाव को बताइये।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025

चर्चा में क्यों?

विश्व **आर्थिक मंच (WEF)** की **वर्ष 2025 की वार्षिक** बैठक **स्विट्ज़रलैंड के दावोस** में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ***"कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलीजेंट एज"*** विषय के अंतर्गत प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के क्रम में एक साथ आए।

WEF,2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **स्थिरता:** इस बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि स्थिरता **व्यवसाय के अनुकूलन हेतु महत्त्वपूर्ण** है तथा कंपनियों से लाभप्रदता एवं सामाजिक प्रभाव के क्रम में वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ विकास को संरेखित करने का आग्रह किया गया।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ:** विश्व आर्थिक मंच,2025 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **हरित प्रौद्योगिकी** से अवसर और चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न होते हैं।
  - ज़िम्मेदार AI ढाँचे और प्रगति के साथ **नैतिक संतुलन आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार, उत्सर्जन को कम करने** तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **साझेदारी:** इस बात पर ज़ोर दिया गया कि वैश्विक चुनौतियों के लिये प्रभावी समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय साझेदारी की आवश्यकता है। प्रभावी सहयोग से **वर्ष 2030 तक 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार अवसर** सर्जित किये जा सकते हैं।
- **जलवायु कार्रवाई: तत्काल जलवायु कार्रवाई** की आवश्यकता पर बल दिया गया, तथा यह सुनिश्चित किया गया कि **डीकार्बोनाइज़ेशन** में श्रमिकों और समुदायों के लिये उचित परिवर्तन शामिल हो।
- **2025 WEF में भारत:**
  - **निवेश प्रतिबद्धताएँ:** भारत ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त कीं, जिसमें से महाराष्ट्र को कुल का लगभग 80% प्राप्त हुआ।
  - **राज्यों का योगदान:** तेलंगाना ने 1.79 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया, केरल ने अपने **औद्योगिक परिवर्तन पर ज़ोर दिया** और उत्तर प्रदेश ने 2029 तक **पूर्ण रूप से निर्धनता मुक्त (Zero Poverty)** के साथ **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने के अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

विश्व आर्थिक मंच

- **स्थापना:** जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री **क्लाउस श्वाब** ने वर्ष 1971 में यूरोपीय प्रबंधन फोरम की स्थापना की, जो 1987 में WEF बना।
  - वर्ष 2015 में, WEF को आधिकारिक तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई, जिसका मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिये व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल करना।
  - **हितधारक पूंजीवाद** अवधारणा की शुरुआत की गई, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कंपनियों को सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाते हुए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वार्षिक बैठक:** विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित की गई, जिसमें विश्व के नेताओं, व्यापारिक अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों सहित 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **फोकस:** आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और भूराजनीतिक अनिश्चितताएँ जैसे वैश्विक मुद्दे।
- **वित्तपोषण:** मुख्यत: 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले वैश्विक निगमों द्वारा वित्त पोषित।
- **रिपोर्टें:** **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट**, **वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट**, **फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट**, **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट** और **वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट।**
- **सूचकांक:** यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI)।
- **प्रभाव:** G-20 के निर्माण जैसी प्रमुख कूटनीतिक सफलताओं में भूमिका निभाई है।

इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG)

चर्चा में क्यों?

शोधकर्त्ताओं ने **इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG) विकसित किया है** जो **स्टेम कोशिकाओं** से **प्रयोगशाला आधारित प्रजनन** को संभव बनाता है, तथा इसमें **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)** की तुलना में अधिक लाभ हैं।

इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG) क्या है?

- **IVG परिचय:** IVG, एक नई प्रजनन तकनीक है जो **त्वचा, बाल या रक्त** से एकत्रित स्टेम कोशिकाओं से अंडे और शुक्राणु बनाती है ।
  - ❖ प्रयोगशाला में विकसित इन **युग्मकों को निषेचित करके भ्रूण** निर्मित किया जा सकता है, जिसे **गर्भधारण** के लिये **सरोगेट में प्रत्यारोपित** किया जाता है।
- **वैज्ञानिक सफलता:** जापान में वैज्ञानिकों ने IVG का उपयोग करके सफलतापूर्वक **चूहों पर किया,** जबकि ब्रिटेन के शोधकर्त्ताओं को **तीन वर्ष के भीतर मानव परीक्षण** की आशा है।
  - ❖ IVF के विपरीत, बांझ महिलाओं, समान लिंग वाले जोड़े और बुज़ुर्ग महिलाओं, दाता की आवश्यकता के बिना, स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में सक्षम हो सकते हैं।
- **भारत के लिये महत्त्व:** कई सामाजिक-जैविक कारकों के कारण IVG भारत के मामले में सहायक हो सकता है जैसे:
  - ❖ भारतीय महिलाओं की प्रजनन आयु विदेशी महिलाओं की तुलना में छह वर्ष पहले घट रही है।
  - ❖ पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या में पिछले **50 वर्षों** में गिरावट आई है और अगले चार दशकों में यह न्यूनतम स्तर पर पहुँच सकती है ।
  - ❖ भारत की जनसंख्या **2.1 प्रतिस्थापन स्तर** से नीचे आ गई है, जिससे वृद्धावस्था संकट का खतरा उत्पन्न हो गया है।

इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG) और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के बीच अंतर:

पहलू	इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (IVG)	इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)
युग्मक स्रोत	स्टेम कोशिकाओं को इच्छित दम्पति के अण्डाणु या शुक्राणु में परिवर्तित करता है।	इसके लिये इच्छित दम्पति या दाताओं से प्राकृतिक अण्डे और शुक्राणु की आवश्यकता होती है।
आनुवंशिक संपादन	निषेचन (**डिज़ाइनर बेबी**) से पहले हानिकारक लक्षणों को हटाने की अनुमति देता है।	आनुवंशिक विकारों के लिये भ्रूण की जाँच तक सीमित।
प्रजनन आयु	नए युग्मक का निर्माण करके किसी भी उम्र में पितृत्व प्राप्त किया जा सकता है।	प्रजनन क्षमता आयु-संबंधी कारकों से सीमित होती है, क्योंकि उम्र के साथ अण्डे और शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कानूनी स्थिति	अधिकांश देशों में अभी तक विनियमित नहीं है।	विश्व भर में विनियमित एवं व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
नैतिक चिंताएँ	डिज़ाइनर बेबी और आनुवंशिक चयन (जैसे, शारीरिक लक्षणों, बुद्धि आदि का चयन) के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।	यह कम विवादास्पद है, लेकिन इसमें भ्रूण का चयन शामिल है।

स्टेम कोशिकाएँ

- स्टेम कोशिकाएँ, अद्वितीय कोशिकाएँ होती हैं जो रक्त, हड्डी और मांसपेशियों जैसी विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तथा ऊतकों की मरम्मत और शारीरिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रकार:

- **भ्रूणीय (बहुशक्तिशाली) स्टेम कोशिकाएँ** : किसी भी प्रकार की कोशिका बन सकती हैं, जो **भ्रूण या गर्भनाल रक्त** से प्राप्त होती हैं।
- **ऊतक-विशिष्ट (बहुशक्तिशाली/एकशक्तिशाली) स्टेम कोशिकाएँ** : केवल अपने **ऊतकों के लिये कोशिकाएँ** उत्पन्न करती हैं, उदाहरण के लिये, **रक्त स्टेम कोशिकाएँ**।
- **प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएँ (iPSCs) : अनुसंधान और दवा परीक्षण** के लिये भ्रूण स्टेम कोशिकाओं की नकल करने वाली प्रयोगशाला निर्मित कोशिकाएँ।

एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री ने नई दिल्ली में **14वें एशियाई मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि फोरम (AFAF)** का उद्घाटन किया।

एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम (AFAF) क्या है?

- **परिचय:**
  - AFAF एक **वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन है** जो **एशियाई मत्स्य पालन सोसायटी (AFS)** द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है।
    - AFS, एक **गैर-लाभकारी वैज्ञानिक निकाय**, की स्थापना **वर्ष 1984 में कुआलालंपुर, मलेशिया** में हुई थी।
  - इसमें संबद्ध क्षेत्र की चुनौतियों, प्रवृत्तियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिये विभिन्न **वैज्ञानिक, शोधकर्त्ता और उद्योग विशेषज्ञ** शामिल होते हैं।
  - यह फोरम **मत्स्य पालन और जलीय कृषि के भविष्य** के लिये बेहतर पद्धतियों को विकसित करने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को प्रोत्साहित करता है।
- **मुख्यालय:** कुआलालंपुर, मलेशिया.
- **मेज़बान के रूप में भारत: भारत ने दूसरी बार AFAF की** मेज़बानी की (**प्रथमत: वर्ष 2007 में कोच्चि में आयोजित 8वीं AFAF**)।
- **आयोजक:**
  - AFS ने ICAR, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार और एशियाई मत्स्य सोसायटी भारतीय शाखा (AFSIB), मैंगलोर के सहयोग से इसका आयोजन किया।
- **14वें AFAF का विषय: "ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया-पैसिफिक"।**

भारत के मत्स्यपालन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- **भारत,** चीन के बाद विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक** और **दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि** देश है।
- भारत मत्स्य निर्यात में **विश्व स्तर पर चौथे स्थान** पर है, जिसका **वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 7.7% का योगदान है।**
- **शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** का कुल उत्पादन में **75% से अधिक** हिस्सा है।
- **सरकार की पहलें:**
  - **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना**
  - **मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)**
  - **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)**
  - **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**

आर्कटिक वार्मिंग

उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक क्षेत्र) के तापमान में औसत तापमान से **20 डिग्री सेल्सियस** अधिक वृद्धि हुई, जिससे संबद्ध क्षेत्र के **तीव्रता से तापन होने** और इसके **वैश्विक प्रभाव** से संबंधित चिंताएँ बढ़ गईं।

आर्कटिक वार्मिंग से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** यह आर्कटिक क्षेत्र (**66.5° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित क्षेत्र**) में **तापमान में तेज़ी से वृद्धि** को संदर्भित करता है, जिसे **आर्कटिक प्रवर्द्धन** भी कहते हैं।
  - **वर्ष 1979** के बाद से आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से **चार गुना तेज़ी** से गर्म हुआ है।
- **कारण:** आइसलैंड के ऊपर एक गहरे **निम्न दाब प्रणाली** के कारण **निम्न अक्षांशों से उष्ण वायु का अभिसरण हुआ,** जिससे आर्कटिक की **सर्दियों** में तापमान में असामान्य वृद्धि हुई।
  - **उत्तर-पूर्व अटलांटिक महासागर** के असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण वार्मिंग बढ़ गई, तथा **विंड पैटर्न** (वायु प्रतिरूप) के कारण आर्कटिक में अतिरिक्त ऊष्मा आ गई।
  - **एल्बिडो प्रभाव** कम होने से अधिक ऊष्मा का अवशोषण होता है और तापमान बढ़ता है।
  - आर्कटिक की कमज़ोर **संवहन धाराएँ** सतह के पास **ग्रीनहाउस गैसों** से उत्पन्न ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।
- **संभावित परिणाम:** अधिक बर्फ पिघलने से **तटीय बाढ़** आ सकती है और भूमि की हानि हो सकती है।
  - आर्कटिक के तापमान में परिवर्तन से **जेट स्ट्रीम** (ऊपरी वायुमंडल में **तीव्र गति से चलने वाली, पवनों की संकरी पट्टी**) बाधित हो सकती है, जिससे वैश्विक वर्षा, तूफान और चरम मौसम पर असर पड़ सकता है।
  - **पोलर बियर और सील** जैसी प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए बर्फ पर निर्भर रहती हैं, जिससे उनके आवास नष्ट होने का खतरा बना रहता है।

नोट: आर्कटिक सर्कल लगभग **66.5° उत्तरी अक्षांश पर स्थित** एक काल्पनिक रेखा है, जिससे **आर्कटिक क्षेत्र** की दक्षिणी सीमा चिह्नित होती है।

- इसमें **कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का)** के भाग शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आर्कटिक क्षेत्र में भारत

- **भारत ने वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि** पर हस्ताक्षर कर आर्कटिक क्षेत्र से जुड़ाव स्थापित किया और **वर्ष 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम** शुरू किया।
- इसने **स्वालबार्ड (2008, नॉर्वे) में हिमाद्री अनुसंधान बेस** की स्थापना की तथा वर्ष 2013 में **आर्कटिक परिषद** पर्यवेक्षक का दर्ज़ा प्राप्त किया।
- **वर्ष 2022** में भारत ने अपनी **आर्कटिक नीति की** घोषणा की, जिसमें **राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र** को नोडल एजेंसी बनाया गया।

❑❑❑

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

रैपिड फायर

भारत में कार्ड टोकनाइज़ेशन

कार्ड टोकनाइज़ेशन भारत में एक **महत्त्वपूर्ण तकनीकी प्रगति** बन गया है, जो **डिजिटल भुगतान** में **सुरक्षा और ग्राहक सुविधा** को बढ़ाता है।

- दिसंबर 2024 तक **91 करोड़ से अधिक टोकन जारी** किये गए और **लगभग 98%** **ई-कॉमर्स लेनदेन** को वास्तविक कार्ड डेटा के बिना संसाधित करने में सक्षम बनाया गया, जिससे **डेटा उल्लंघनों का जोखिम कम** हो गया।
- **टोकनाइज़ेशन:** यह वास्तविक कार्ड विवरण के स्थान पर एक **अद्वितीय कोड या "टोकन"** देता है, जो लेनदेन के दौरान एक **सुरक्षित पहचानकर्त्ता** के रूप में कार्य करता है।
  - **प्रकार: डिवाइस टोकेनाइज़ेशन** (प्रत्येक **डिवाइस** के लिये विशिष्ट) और **कार्ड-ऑन-फाइल टोकेनाइज़ेशन** (प्रत्येक **व्यापारी** के लिये विशिष्ट)।
  - **सुरक्षा लाभ:** टोकन व्यापारियों को **संवेदनशील कार्ड विवरण** संग्रहीत करने से **रोकते हैं,** तथा सुरक्षा भंग होने की स्थिति में ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखते हैं।
  - **भावी विस्तार:** टोकनाइज़ेशन के **ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर** संपर्क रहित भुगतान, आवर्ती लेनदेन और संभावित रूप से **UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भुगतान** तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - **साइबर सुरक्षा विनियम: अक्तूबर 2022** में, RBI ने आदेश दिया कि **व्यापारी और भुगतान प्रोसेसर** अब ग्राहक कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं करेंगे, पूरी तरह से टोकनाइज़ेशन पर निर्भर रहेंगे।

एक्सिओम मिशन का संचालन करने वाले प्रथम भारतीय

भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में **निजी मिशन** पर **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** की यात्रा करने वाले **पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री** बनेंगे।

- इसका नेतृत्व नासा की अंतरिक्ष यात्री **पैगी व्हिटसन करेंगी** और **शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट** के रूप में कार्य करेंगे।
  - वह भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, **गगनयान के अंतरिक्ष यात्री** भी हैं।
- वह **NASA** और **ISRO** के संयुक्त उद्यम **Axiom मिशन 4 (Ax-4)** के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के **कैनेडी स्पेस सेंटर** से **स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे।**
- **Axiom मिशन 4 (Ax-4) में भारत, पोलैंड** और **हंगरी** के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे और यह **40 वर्षों में इस प्रकार का पहला सहयोग है।**
- **अंतरिक्ष यात्री ISS पर 14 दिन** बिताएंगे तथा **NASA और ISRO के साथ वैज्ञानिक प्रयोग,** शैक्षिक प्रसार और वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे।
- **राकेश शर्मा 1984 में इंटरकोस्मोस कार्यक्रम** के तहत **सोवियत सोयूज टी-11 मिशन** में शामिल होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले **पहले भारतीय** थे।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अंतर-राज्यीय समितियाँ

केंद्र और राज्य सरकारों के **श्रम मंत्रियों और सचिवों ने श्रम सुधारों और श्रमिक कल्याण** पर प्रमुख चर्चा की।

- इसमें **नई श्रम संहिताओं** के कार्यान्वयन एवं **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
- **पाँच-पाँच राज्यों** की **तीन समितियों द्वारा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु एक स्थायी मॉडल** विकसित किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट **मार्च 2025** तक आना प्रस्तावित है।
- एक प्रमुख श्रम सुधार में अनुपालन बोझ को कम करने और **व्यापार करने में सुगमता** को बढ़ाने के लिये **श्रम निरीक्षक मॉडल** से **निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता मॉडल** को **स्थानांतरित** करने का प्रस्ताव किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसने **निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा** और **पेंशन योजनाओं** के लिये **उपकर निधियों** का उपयोग करने के लिये **सतत् मॉडल** की आवश्यकता पर बल दिया।
  - **निर्माण श्रमिकों** के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, तथा **70,744.16 करोड़ रुपए** की **अप्रयुक्त उपकर निधि** पर चिंता व्यक्त की गई।
- सरकार **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** के लिये एक **समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजना** पर भी काम कर रही है, जिसमें **वित्त पोषण, डेटा संग्रह** और **ई-श्रम पोर्टल** पर **पंजीकरण** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

पोटोमैक नदी

वाशिंगटन के ऊपर हवा में एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान के टकराने के बाद **पोटोमैक नदी** में गिर जाने के बाद किसी के भी जीवित बचने की पुष्टि नहीं हुई है।

- पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया, अमेरिका के **पोटोमैक रिवर हाइलैंड्स** से उद्गमित होती है और **वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी** से प्रवाहित होते हुए **चेसापीक बे** में गिरती है।
  - चेसापीक बे अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी **ज्वारनदमुख (Estuary)** है।
  - ज्वारनदमुख (Estuary) एक **अर्द्ध-संलग्न तटीय क्षेत्र** है, जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्र के खारे जल से मिलता है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
- पोटोमैक नदी, जिसे प्राय: **"अमेरिका की नदी"** के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

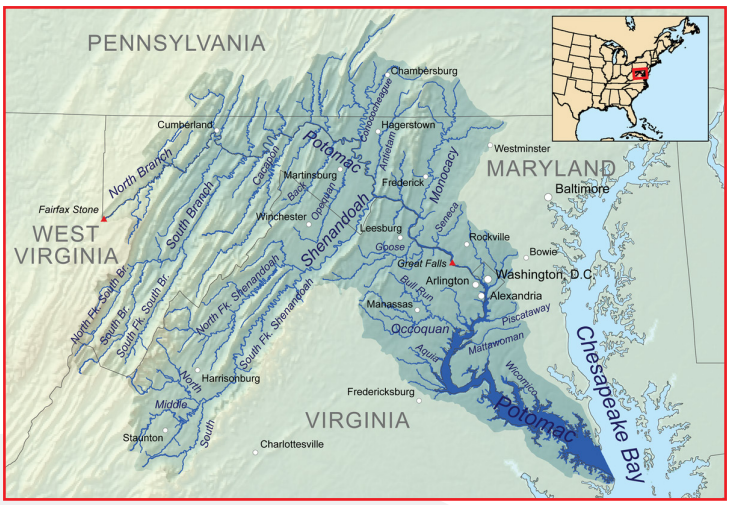

गुलियन-बैरे सिंड्रोम और BBE

पुणे में **बिकरस्टाफ ब्रेनस्टेम एन्सेफलाइटिस (BBE)** का मामला सामने आया, जो **गुलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS)** का एक दुर्लभ प्रकार है।

- **GBS:** यह **तंत्रिका संबंधी** दुर्लभ **विकार है**, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली **परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS)** (माँसपेशियों की गति और संवेदी कार्यों को नियंत्रित करती है) पर हमला करती है।
  - **लक्षण:** शरीर में हल्की कमज़ोरी से लेकर गंभीर पक्षाघात तक, जिसमें श्वसन में कठिनाई भी शामिल है।
  - **उपचार:** GBS का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। स्वस्थ रक्तदान से प्राप्त **अंत:शिरा इम्युनोग्लोबुलिन (IVIG)** से इस विकार से रिकवरी में सहायता मिल सकती है।
- **BBE:** यह एक दुर्लभ, तेज़ी से बढ़ने वाला, **संक्रमण के बाद होने वाला तंत्रिका संबंधी विकार** है, जिसके कारण **मस्तिष्क स्तंभ में सूजन** आ जाती है।
  - **लक्षण: श्वास संबंधी संक्रमण** अथवा **अतिसार,** गतिभ्रंश (Ataxia) (माँसपेशियों पर नियंत्रण करने में अक्षमता), नेत्र पक्षाघात (नेत्र की माँसपेशियों का पक्षाघात), और अंगों में कमज़ोरी।
  - **उपचार:** इस स्थिति के उपचार के लिये प्राय: IVIG का उपयोग किया जाता है।
- **BBE और GBS:** BBE **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS)** को प्रभावित करता है, जबकि GBS PNS को प्रभावित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- BBE संक्रमण के बाद **स्वप्रतिरक्षी अनुक्रिया** (शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वयं से ही ऊतकों पर आक्रमण) के कारण होता है, जबकि GBS संक्रमण, टीकाकरण या सर्जरी के कारण होता है।

- **पूर्वोपाय:** BBE और GBS के पूर्वोपायों में फ्लू का टीका लगवाना, स्वच्छता का ध्यान रखना तथा कमज़ोरी अथवा संवेदनशून्यता जैसे तंत्रिका संबंधी लक्षणों के लिये तत्काल चिकित्सा सहायता लेना शामिल है।

कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंज़ूरी दी

कर्नाटक ने **सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों** को स्वीकार करने के लिये अस्पतालों में **मेडिकल बोर्ड** स्थापित करने की अनुमति दी।

- *यह **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2018*** में **सर्वोच्च न्यायालय** के निर्णय के अनुसार किया गया है, जिसमें **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया था।
  - निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन-रक्षक उपचारों को रोकना या बंद कर देना शामिल है, जिससे व्यक्ति को अपनी स्थिति से स्वाभाविक रूप से मरने दिया जाता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय** का 2023 का आदेश **अनुच्छेद 21** के तहत सम्मान के साथ मरण के अधिकार की पुष्टि करता है और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के मानदंडों को सरल बनाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय दिशा-निर्देश 2023:
  - **WLST का प्रत्याहरण: प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड**, लिविंग विल के आधार पर **जीवन-रक्षक चिकित्सा (WLST) का प्रत्याहरण** किये जाने के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे।
  - **लिविंग विल:** लिविंग विल (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव) से रोगियों को अपने **उपचार संबंधी इच्छाओं** को दस्तावेज़ित करने की सुविधा मिलती है, जिससे जीवन के अंतिम निर्णयों में गरिमा सुनिश्चित होती है।
  - **अनुमोदन:** प्रक्रिया के लिये **उपचार करने वाले डॉक्टर, दो मेडिकल बोर्ड** (प्रत्येक में तीन चिकित्सक) तथा **ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी** द्वारा नामित चिकित्सक से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  - **सहमति: मेडिकल बोर्ड के निर्णय के लिये निकटतम रिश्तेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।**
  - **उन्नत चिकित्सा निर्देश (AMD):** AMD के अनुसार यदि रोगी की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने के लिये कम-से-कम दो व्यक्तियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है।
    - AMD को स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्कों द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, डिजिटल रूप में या दस्तावेज़ पर दर्ज किया जा सकता है, तथा स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बनाए रखा जा सकता है।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में CSIR-IICT की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) के शोधकर्त्ताओं ने **खाद्य अपशिष्ट** से **बायोहाइड्रोजन ($bioH_2$)** का उत्पादन किया है।

- **$bioH_2$ उत्पादन:** उत्पादन प्रक्रिया में **खाद्य अपशिष्ट** एक **स्वत: नियामक बफरिंग प्रणाली** के साथ **अपफ्लो रिएक्टर** में सूक्ष्मजीवी किण्वन से होकर गुज़रता है, जिससे **$bioH_2$**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

उत्पादन का अनुकूलन होता है और परंपरागत **बायोगैस विधियों की तुलना में** इस विधि में **मीथेन** और **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** का **उत्सर्जन न्यूनतम** हो जाता है।

- किण्वन **सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया अथवा यीस्ट)** द्वारा यौगिकों का **अवायवीय (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में) विघटन है,** जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।
- यह सफलता **नेट-ज़ीरो लक्ष्यों** के अनुरूप है और साथ ही इससे **अपशिष्ट प्रबंधन** का समाधान होगा और **स्वच्छ ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं** की पूर्ति होगी।

- IICT के मुख्य वैज्ञानिक की अध्यक्षता में किये गए एक अन्य अध्ययन में CO_2 को **इथेनॉल और एसिटिक एसिड में परिवर्तित** करने की एक कुशल विधि का प्रदर्शन किया गया, जिससे **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** में कमी आएगी।
- **CO_2 रूपांतरण:** परंपरागत रूप से, CO_2 को मीथेन, इथेनॉल या एसिटिक एसिड जैसे उत्पादों में परिवर्तित करने के लिये H_2 की आवश्यकता होती है।
  - अध्ययन में **उच्च दाब गैस किण्वन (HPGF) रिएक्टर** का उपयोग किया गया, जिससे H_2 की आवश्यकता समाप्त हो गई , जिससे प्रक्रिया अधिक संधारणीय, ऊर्जा-कुशल और लागत प्रभावी हो गई और इसके परिणामस्वरूप **अधिक इथेनॉल और एसिटिक एसिड** प्राप्त हुआ।
- **CSIR-IICT:** वर्ष 1944 में स्थापित, हैदराबाद स्थित **CSIR-IICT प्राचीनतम राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं** में से एक है, जिसे **रासायनिक प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान** और **वाणिज्यीकरण** में विशेषज्ञता के लिये मान्यता प्राप्त है।

ज्ञान भारतम मिशन और राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन

केंद्रीय बजट 2025-26 में **'ज्ञान भारतम मिशन'** की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य **भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण** करना है।

- **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में रखी **एक करोड़ से अधिक पाण्डुलिपियों** को संरक्षित करना है।
- **बजट आवंटन:** इस नई पहल को समायोजित करने के लिये, **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)** के लिये बजट आवंटन 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर **60 करोड़** रुपए कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (NMM):

- NMM को **वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)** के अंतर्गत **संस्कृति मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य **भारत की विशाल पाण्डुलिपि विरासत** को संरक्षित करना और उसे सुलभ बनाना है।
  - IGNCA की स्थापना वर्ष 1987 में अनुसंधान, शैक्षणिक अनुसंधान और कला के प्रसार के लिये एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।

पांडुलिपि:

- पांडुलिपि **कागज, छाल, कपड़े, धातु या ताड़ के पत्ते** जैसी सामग्री पर बनाई गई **हस्तलिखित** रचना, जो **कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी** हो।
- भारत में अनुमानत: **5 मिलियन पाण्डुलिपियाँ हैं**, जो संभवत: विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।

SC/ST अधिनियम में बौद्धिक संपदा को शामिल करना

***प्रमुख सचिव महाराष्ट्र सरकार बनाम क्षिप्रा कमलेश उके मामला, 2024* में**, **सर्वोच्च न्यायालय** ने **बॉम्बे उच्च न्यायालय** के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** में **"संपत्ति"** की परिभाषा का विस्तार करते हुए **बौद्धिक संपदा** को भी शामिल किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- पीड़ितों ने **SC/ST अधिनियम, 1989 के प्रावधानों** के तहत अपने **शोध डेटा, लैपटॉप और बौद्धिक संपदा** की चोरी के लिये मुआवज़े की मांग की।
- **बॉम्बे उच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि "संपत्ति" शब्द की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिये, जिसमें **बौद्धिक संपदा** जैसे **डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और बौद्धिक अधिकार**, चाहे वे **मूर्त हों या अमूर्त**, शामिल हों।
- **पेटेंट, कॉपीराइट** और **डिज़ाइन**, संपत्ति हैं, भले ही उनका भौतिक अस्तित्व न हो, और **SC/ST अधिनियम, 1989 के तहत मुआवज़े** के लिये उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।
- SC/ST अधिनियम, 1989 SC/ST सदस्यों के खिलाफ **विशिष्ट अपराधों** को परिभाषित करता है, जिसमें **शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव** शामिल हैं।
  - SC/ST अधिनियम, 1989, **अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं देता,** जब तक कि आरोपी के खिलाफ **प्रथम दृष्टया मामला** न बन जाए।
  - इसमें **त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों** और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये **वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों** के नेतृत्व में राज्य स्तर पर **SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों** की स्थापना का प्रावधान है।

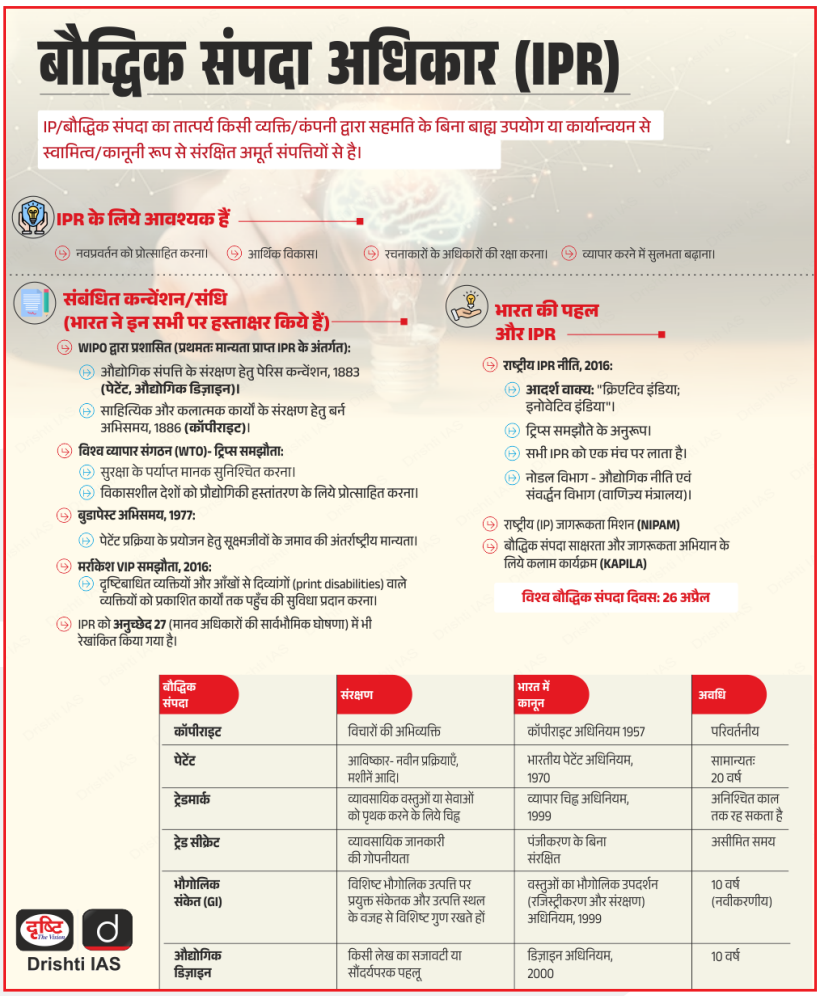

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

केंद्रीय बजट 2025-26 में **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (GCS) फ्रेमवर्क** प्रस्तुत किया गया।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:

- **परिचय:** इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा **ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने** तथा ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में **उधारकर्त्ताओं (ऋण प्राप्तकर्त्ता) का अधिक सटीक मूल्यांकन** प्रदान कर **ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना** तथा **धोखाधड़ी** को कम करना है।

- **प्रभाव:** यह **माइक्रोफाइनेंस को मज़बूत करेगा**, **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देगा तथा कृषि, ग्रामीण विकास और MSME जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा।
  - GCS मौजूदा **माइक्रोफाइनेंस मॉडलों** का पूरक होगा तथा ऋणों के मूल्यांकन के लिये CIBIL और CRIF **हाईमार्क जैसे क्रेडिट स्कोर** के साथ मिलकर कार्य करेगा।
  - इस **स्कोर को स्वामित्व योजना** के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अन्य पहल:

- **भारतीय डाक का रूपांतरण:** केंद्रीय बजट 2025 में **भारतीय डाक को 1.5 लाख डाकघरों** और **2.4 लाख डाक सेवकों** के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक प्रमुख **सार्वजनिक रसद संगठन** में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिये सहायता: सहकारी क्षेत्र** को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिये सहकारी चीनी मिलों को मज़बूत करने के लिये 500 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया।

संसदीय विशेषाधिकारों का हनन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी किये जाने के पश्चात् कुछ **सांसदों** के खिलाफ **संसदीय विशेषाधिकार हनन** का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- **विशेषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी **सदस्य** या **सदन** के विशेषाधिकारों, **अधिकारों या उन्मुक्तियों की अवहेलना** करता है या उन पर **आक्षेप** करता है।
- **परिचय: संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सांसदों** और **विधायकों** को **बाहरी हस्तक्षेप के बिना** उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त **विशेष अधिकार** हैं।
- **स्रोत:**
  - **संविधान** का **अनुच्छेद 105**, **122**, **194** और **212**।
  - **संसदीय परंपराएँ** (वर्ष 1947 की **ब्रिटिश संसदीय परिपाटी** पर आधारित)।
  - **प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम** (**लोकसभा** और **राज्यसभा**)
  - न्यायिक निर्वाचन (**सर्वोच्च न्यायालय** और **उच्च न्यायालय** के निर्णय)
  - **सांविधिक विधियाँ** (**संसद** द्वारा अधिनियमित विधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला संसद का कोई अधिनियम नहीं है)।
- **संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:**
  - **वैयक्तिक विशेषाधिकार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक कार्यवाही** से उन्मुक्ति, **गिरफ्तारी** से उन्मुक्ति आदि।
  - **सामूहिक विशेषाधिकार: गुप्त बैठकें**, अन्वेषण शक्तियाँ, न्यायिक उन्मुक्ति आदि।
- **अनुच्छेद 87** के तहत, राष्ट्रपति, लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत **संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण** करेगा।

भारत ने ICC अंडर-19 महिला T-20 विश्व कप 2025 जीता

भारत ने मलेशिया में दक्षिण अफ्रीका को हराकर **अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अंडर-19 महिला T-20 विश्व कप 2025** जीत लिया।

- इसका आयोजन ICC द्वारा किया जाता है, इसमें राष्ट्रीय महिला अंडर-19 टीमें **T-20 प्रारूप** में प्रतिस्पर्द्धा करती हैं।
- **पहला संस्करण:** पहला ICC अंडर-19 महिला T-20 विश्व कप **वर्ष 2023** में आयोजित किया गया, जिसकी मेज़बानी **दक्षिण अफ्रीका** ने की थी। भारत ने **इंग्लैंड** को हराकर पहला खिताब जीता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **ICC:** यह **क्रिकेट के लिये वैश्विक नियामक संस्था** है, जो **108 सदस्यों (भारत सहित)** की देखरेख और विश्व भर में खेल के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - **ICC आचार संहिता** और खेल की शर्तों को लागू करना, तथा अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिये मैच अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  - ICC अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के माध्यम से **भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से निपटने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा खेल की अखंडता सुनिश्चित करता है।
- **क्रिकेट के प्रारूप:** ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के तीन मुख्य प्रारूपों को मान्यता देता है **(टेस्ट मैच , एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI)** और **ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय (T-20 I)**।
  - **टेस्ट क्रिकेट:** यह सबसे पुराना प्रारूप है (वर्ष 1877 से), जो पाँच दिनों तक चलता है तथा प्रत्येक टीम को दो पारियाँ खेलनी होती हैं।
  - **एकदिवसीय मैच:** वर्ष 1971 में शुरू किये गए इन 50 ओवर के मैचों में तकनीक, गति और कौशल का मिश्रण होता है।
  - **T-20I: वर्ष** 2005 में शुरू किया गया **T-20I** क्रिकेट का सबसे नया, सबसे छोटा (आमतौर पर तीन घंटे में खेला जाने वाला) और सबसे तेज प्रारूप है, जिसमें प्रत्येक टीम 20 ओवर खेलती है।

हैती

हैती में **आपराधिक गुटों की हिंसा** में वृद्धि होने की आशंका है, जिसके कारण 2024 में कम-से-कम **5,600 से अधिक लोगों की मृत्यु** की संभावना है।

- **संयुक्त राष्ट्र (UN)** ने इस संकट को बढ़ाने वाले **मानवाधिकारों के उल्लंघन** और **भ्रष्टाचार** पर प्रकाश डाला है।
- **यह राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार,** कमज़ोर शासन, **आर्थिक कठिनाई, दंडमुक्ति की भावना** और **अवैध हथियारों के प्रवाह** से प्रेरित है, जो **व्यापक विस्थापन** से और भी जटिल हो गया है।

हैती:

- **स्थान:** कैरेबियन सागर और **उत्तरी अटलांटिक महासागर** के बीच अवस्थित है।
  - **यह हिस्पानियोला द्वीप** के पश्चिमी तिहाई भाग पर स्थित है , जिसकी सीमा पूर्व में **डोमिनिकन गणराज्य ,** पश्चिम में **जमैका** तथा उत्तर-पश्चिम में **क्यूबा** से लगती है।
- **आधिकारिक भाषाएँ: फ्रेंच** और **हैतियन क्रियोल**
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** 200 से अधिक वर्षों के स्पेनिश शासन और 100 से अधिक वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद, विश्व का **पहला स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाला गणराज्य।**

भारत-हैती संबंध:

- भारत और हैती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा वर्ष **1996 में दोनों देशों** के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
- **वर्ष 1995 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र** शांति मिशन पर 140 सदस्यीय **CRPF** की टुकड़ी हैती भेजी थी।
- भारत-ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत हैती को सहायता प्रदान कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जल जीवन मिशन का वर्ष 2028 तक विस्तार

केंद्रीय बजट 2025-26 में शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से **जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि** को **वर्ष 2028** तक बढ़ा दिया गया है।

जल जीवन मिशन (JJM):

- **जल जीवन मिशन:** JJM को **वर्ष 2019 में लॉन्च किया** गया था, जिसका उद्देश्य **वर्ष 2024** तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर** पेयजल उपलब्ध कराना है।
- **प्रगति:** वर्ष 2019 में केवल **3.23 करोड़ (17%)** ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे।
  - वर्ष 2024 तक, इसमें **15 करोड़ परिवार** (ग्रामीण भारत का **80%**) शामिल किये गए।
- **फोकस:** मिशन के विस्तार में **बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार लाने** और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के **संचालन और रखरखाव** को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- **समझौता ज्ञापन (MOU):** **स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नए समझौता ज्ञापनों** पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

JJM का प्रभाव:

- **समय की बचत:** **विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि JJM से प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे** की बचत होगी, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिये पानी इकट्ठा करने में खर्च होता है।
- **स्वास्थ्य लाभ:** JJM से डायरिया रोगों से होने वाली लगभग **400,000 मौतों** को रोका जा सकता है तथा **14 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (Disability-Adjusted Life Years-DALYs)** को बचाया जा सकता हैं।
- **शिशु मृत्यु दर में कमी:** शोध से पता चलता है कि सुरक्षित जल से शिशु मृत्यु दर में **30%** की कमी आ सकती है, जिससे प्रतिवर्ष 136,000 लोगों की जान बच सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सबसे कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट से सबसे कम दूरी **की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS)** के लगातार तीन उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- **VSHORADS:** यह एक **मानव-पोर्टेबल प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र** द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
  - इसका वजन हल्का, **अधिकतम सीमा 8 किमी** तथा यह **4.5 किमी तक की ऊँचाई पर स्थित लक्ष्यों** पर निशाना लगा सकता है।
  - इस प्रणाली में बहुत कम ऊँचाई और उच्च गति पर उड़ने वाले ड्रोन सहित हवाई खतरों को ध्वस्त करने की क्षमता है।
  - इसे भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं**: सेना, नौसेना और वायु सेना** की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - VSHORADS मिसाइल में उन्नत प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जैसे **लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली (miniaturized Reaction Control System-RCS)** और **इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स** (मिसाइल नियंत्रण और नेविगेशन), जिनका कम ऊँचाई वाले हवाई खतरों को ध्वस्त करने के लिये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
- **महत्व:** VSHORADS प्रणाली एक **महत्वपूर्ण वायु रक्षा उपकरण है**, जो युद्ध के परिदृश्यों में हवाई खतरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
  - यह **ड्रोन** और अन्य **घूमने वाले हथियारों के उभरते खतरे से निपटने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है**, जिनका आधुनिक युद्ध में तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

Gaia BH3 ब्लैक होल

खगोलविदों ने आकाशगंगा में सर्वाधिक **बड़े ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल**, **Gaia BH3** की खोज की है, जो **एक्विला तारामंडल** में स्थित है।

- यह **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** के **Gaia टेलीस्कोप** का उपयोग कर खोजा गया **तीसरा ब्लैक होल** है। (पिछली खोजें: वर्ष **2022 में Gaia BH1** और वर्ष **2023 में Gaia BH2**)
- **Gaia BH3** का द्रव्यमान **सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना अधिक** है, जो इसे आकाशगंगा में विशालतम तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बनाता है।
  - **तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल** एक प्रकार का ब्लैक होल है जिसका निर्माण **सूर्य से 5 से 10 गुना अधिक** वज़न वाले **विशाल तारों के निपात** होने से होता है।
- **Gaia BH3 में सक्रिय रूप से पदार्थ अथवा द्रव्य का अभिकर्षण नहीं** होता है तथा इससे **एक्स-रे भी उत्सर्जित नहीं होते,** जिससे यह प्रमाणित हिता है कि ऐसे भी ब्लैक होल अस्तित्व में हैं जिनमें **एक्स-रे उत्सर्जन नहीं होता**।
  - ब्लैक होल के चारों ओर विद्यमान **गैस और धूल के वलय से एक्स-रे सहित प्रकाश उत्सर्जित होता है**, जिससे यह संसूचनीय (पता लगाने योग्य) बन जाता है।
- **वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** आपेक्षिकता के व्यापक सिद्धांत के एक प्रमुख पूर्वानुमान के रूप में **ब्लैक होल के निर्माण** की पुष्टि करने और **आकाशगंगा मिल्की वे** के केंद्र में एक **विशालकाय सुसंहत पिंड की खोज** के लिये दिया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ब्लैक होल

ब्लैक होल

- अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण को आकर्षित करने वाला अंतरिक्ष में एक स्थान, जहाँ प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता (इसलिए, अदृश्य)
- सशक्त गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक छोटे से स्थान में इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण यह घटना देखी जाती है

'ब्लैक होल' शब्द 1960 के दशक के मध्य में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था

आविष्कार

- यह देखकर कि कैसे ब्लैक होल के बहुत समीप के तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं
- अप्रैल 2019 में, इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप सहयोग के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल (छाया, अधिक सटीक) की पहली छवि जारी की

अल्बर्ट आइंस्टीन और ब्लैक होल

- सबसे पहले सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई
- इसने दिखाया कि जब एक विशाल तारा नष्ट होता है, तो वह अपने पीछे एक छोटा, सघन अवशेष छोड़ जाता है

भारत के पहले समर्पित उपग्रह, एस्ट्रोसैट ने पहली बार एक ब्लैक होल प्रणाली से उच्च ऊर्जा एक्स-रे उत्सर्जन की तीव्र परिवर्तनशीलता का अवलोकन किया

प्रकार

- लघु (काल्पनिक):
  - सबसे छोटा; सिर्फ 1 परमाणु के आकार के बराबर
  - द्रव्यमान: एक मिलीग्राम के 1/100वें भाग से लेकर एक बड़े पर्वत के द्रव्यमान तक भिन्न होता है
  - माना जाता है कि ब्रह्मांड के शुरू होने पर बना था
- स्टेलर :
  - द्रव्यमान : सूर्य के द्रव्यमान का 20 गुना
  - सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनने का अनुमान है

सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है जो अपने जीवन के अंत तक पहुँच चुका होता है

- सुपरमैसिव :
  - सबसे वृहद
  - द्रव्यमान:> सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक
  - हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है
  - माना जाता है कि जिस आकाशगंगा के यह भाग हैं उसी आकाशगंगा के निर्माण के समय इनका भी निर्माण हो जाता है

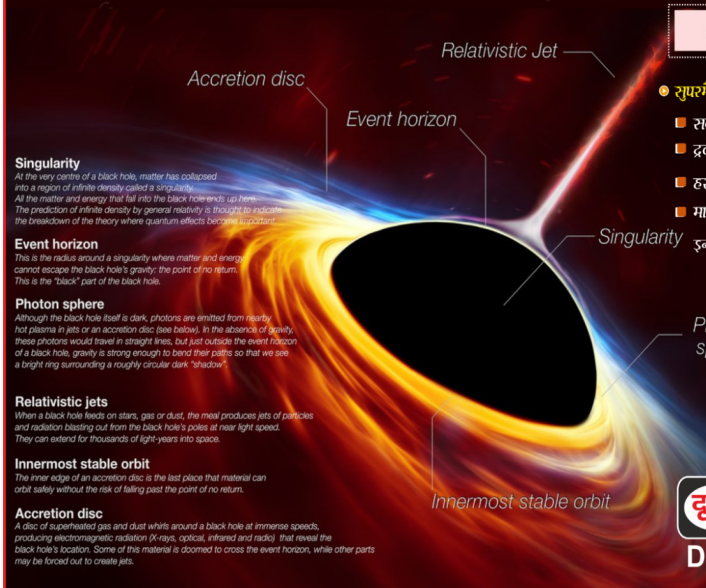

मिल्की वे के केंद्र में सैगेटेरियस A* सुपरमैसिव ब्लैक होल है (द्रव्यमान: ~ सूर्य का लगभग 4 मिलियन गुना)

सूर्य कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि वह एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो सके

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

तीसरी भारत - जापान इस्पात वार्ता

नई दिल्ली में आयोजित तीसरी **भारत-जापान इस्पात वार्ता** में दोनों देशों ने आर्थिक विकास, इस्पात व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की।

- **संस्थागत तंत्र:** यह वार्ता इस्पात क्षेत्र पर **सहयोग ज्ञापन (MoC)** का हिस्सा है, जिस पर वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किये गए थे, जिसका उद्देश्य सतत् विकास, नवाचार और कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- **परिणाम:** भारत ने **जापानी कंपनियों के लिये व्यापार में सुगमता** का आश्वासन दिया, जबकि जापान ने नई इस्पात प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की।
  - दोनों पक्षों ने **यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (EU CBAM)** और इस्पात व्यापार पर इसके प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण साझा किये।
- **EU CBAM:** यह आयातित वस्तुओं पर **कार्बन उत्सर्जन** का मूल्य निर्धारण करने और वैश्विक स्तर पर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये EU की प्रणाली है।
  - **CBAM के संक्रमणकालीन चरण (2023-2025)** में रिपोर्टिंग दायित्व शामिल हैं, जिसका **पूर्ण वित्तीय कार्यान्वयन वर्ष 2026 से होगा,** जिसमें लोहा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, विद्युत् और हाइड्रोजन शामिल होंगे।

सेंटोरिनी द्वीप समूह

ग्रीस के ज्वालामुखी द्वीप स्थित लोकप्रिय **पर्यटन स्थल सेंटोरिनी** में लगातार **भूकंप** देखने को मिल रहे हैं।

- ज्वालामुखीय गतिविधि के बजाय, इन भूकंपों का कारण **अफ्रीकी-यूरेशियन प्लेट संपर्क** से उत्पन्न **टेक्टोनिक प्लेटों** की हलचलों को माना गया है।
- **सेंटोरिनी:** यह **मुख्य भूमि से 200 कि.मी. दक्षिण पूर्व** में दक्षिणी एजियन सागर में स्थित है। **इसकी राजधानी फिरा (Fira)** है।
  - यह **दक्षिणी साइक्लेड्स (दक्षिणी एजियन सागर** में लगभग 2200 यूनानी द्वीपों का समूह) का एक हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग **73 km2 है और यह हेलेनिक ज्वालामुखीय आर्क** पर स्थित है, **जो ज्वालामुखीय सक्रियता** से निर्मित द्वीपों की एक शृंखला है।
- **अन्य अनूठी विशेषताएँ: सेंटोरिनी** इसके **समुद्र तटों, मदिरा, अक्रोटिरी भग्नावशेषों** और वर्ष भर **भूमध्यसागरीय जलवायु** के लिये भी प्रसिद्ध है।

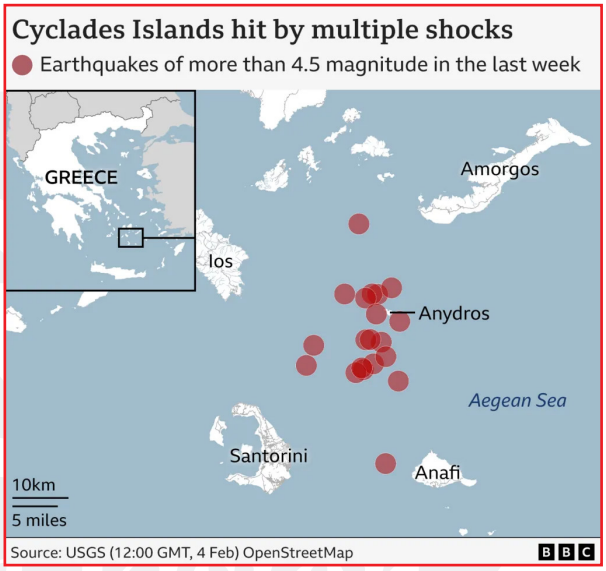

अमेरिका की बेगर-दाय-नेबर नीति

अमेरिका ने **बेगर-दाय-नेबर (Beggar-thy-Neighbour) नीति** के तहत **चीन, कनाडा और मैक्सिको** से होने वाले आयात पर **प्रशुल्क** लगाया।

- **'बेगर-दाय-नेबर' नीति:** यह एक **संरक्षणवादी रणनीति** है जिसमें **अन्य देशों को प्रभावित करते हुए** अपनी **आर्थिक स्थिति में सुधार लाने** हेतु **व्यापार अवरोधों, मुद्रा अवमूल्यन और सब्सिडी** जैसे उपाय करना शामिल है।
- **उत्पत्ति:** यह पद सर्वप्रथम **एडम स्मिथ** द्वारा **द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776)** पुस्तक में सृष्ट किया गया था। **इस रचना में स्मिथ ने ऐसे वाणिज्यवाद की आलोचना की** जिससे **अन्य**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वर्ग निर्धन हो जाता है और सभी देशों के लाभ के लिये **मुक्त व्यापार** किये जाने पर ज़ोर दिया।

- **समर्थकों के तर्क:** इसके समर्थकों के अनुसार यह नीति **महत्त्वपूर्ण उद्योगों** और **नौकरियों** की रक्षा कर **घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने** में सहायक है।
  - मुद्रा अवमूल्यन से **निर्यात लागत कम हो सकती है और आयात कीमतें बढ़ सकती हैं**, जिसके परिणामस्वरूप संभवत: **व्यापार अधिशेष** हो सकता है।
- **आलोचकों के तर्क:** ऐसी नीतियाँ लागू करने वाले देशों को अक्सर **रीटैल्यटॉरी टैरिफ का सामना करना पड़ता है**, जिससे **वैश्विक व्यापार और निवेश** में गिरावट आती है। उदाहरण के लिये, **महामंदी (1929-39)**।
  - इससे घरेलू उत्पादकों को लाभ होगा, लेकिन **विदेशी प्रतिस्पर्द्धा कम होने** से कीमतें बढ़ने के कारण **उपभोक्ताओं** को नुकसान होगा।
- **वैकल्पिक दृष्टिकोण:** देशों को **जवाबी कार्रवाई से बचना चाहिये** तथा इसकी जगह **एकतरफा मुक्त व्यापार** अपनाना चाहिये।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिये 22 विजेताओं की घोषणा की गई है, **बंगाली और उर्दू पुरस्कारों** की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिससे कुल विजेताओं की संख्या 24 हो गई है।

- **परिचय:** साहित्य अकादमी पुरस्कार **उपन्यास, कविता, निबंध** और **नाटक** जैसी श्रेणियों में असाधारण **साहित्यिक योगदान** को सम्मानित करते है।
  - यह **ज्ञानपीठ पुरस्कार** के बाद भारत का **दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान** है।
  - इसकी स्थापना **वर्ष 1954 में संस्कृति मंत्रालय** के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- **पात्रता: पुरस्कार श्रेणियों** में **आठवीं अनुसूची** की **22 भाषाओं** के साथ-साथ **अंग्रेज़ी** और **राजस्थानी (कुल: 24 भाषाएँ)** तथा भारतीय साहित्यिक कृतियों के **अनुवाद** शामिल हैं।
  - लेखक **भारतीय नागरिक** होना चाहिये।

प्राप्तकर्त्ता

साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2024

भाषा	पुस्तक एवं विधा	लेखक
असमिया	फरिंगबोर बटोर कथा जने (कविता)	समीर तांती
बोडो	सोराने थखाय (उपन्यास)	अरन राजा
अंग्रेजी	स्पिरिट नाइट्स (उपन्यास)	ईस्टरिन किरे
गुजराती	भगवान–नी वातो (कविता)	दिलीप झावेरी
हिंदी	मैं जब तक आयी बाहर (कविता)	गगन गिल
कन्नड	नुडिगाला अलिवु (आलोचना)	के.वी. नारायण
कश्मीरी	साइकेट्रिक वार्ड (उपन्यास)	सोहन कौल
कोंकणी	रंगतरंग (निबंध)	मुकेश थली
मैथिली	प्रबन्ध संग्रह (निबंध)	महेन्द्र मलंगिया
मलयाळम्	पिंगलकेशिनी (कविता)	के. जयकुमार
मणिपुरी	मैनू बोरा नुंग्शी शिरोल (कविता)	हाओबम सत्यबती देवी
मराठी	विंदांचे गद्यरूप (आलोचना)	सुधीर रसाल
नेपाली	छिमिरिसा (कहानी)	युवा बराल
ओड़िआ	भूति भक्ति बिभूति (निबंध)	बैष्णब चरण सामल
पंजाबी	सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता : इतिहासनामा पंजाब (कविता)	पॉल कौर
राजस्थानी	गांव अर अम्मा (कविता)	मुकुट मणिराज
संस्कृत	भास्करचरितम् (कविता)	दीपक कुमार शर्मा
संताली	सेचड सावंता रेन अंधा मनमी (नाटक)	महेश्वर सोरेन
सिंधी	पूर्जो (कहानी)	हूंदराज बलवाणी
तमिळ	तिरुनेलवेली एजुकियम वा. वू. सी. यम 1908 (शोध)	ए. आर. वेंकटचलपति
तेलुगु	दीपिका (साहित्यिक आलोचना)	पेनुगोंडा लक्ष्मीनारायण

- **अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार:** बाल साहित्य पुरस्कार (बच्चों के साहित्य के लिये) और **युवा पुरस्कार (35** वर्ष से कम आयु के लेखकों की कृतियों के लिये)।
- **अन्य पहल:** अकादमी **ग्रामलोक** (दूरस्थ लेखकों के लिये) और **दलित चेतना** (दलित लेखकों के लिये) जैसे कार्यक्रम भी चलाती है।

पोलर बियर सीबम फॉरएवर केमिकल्स का स्थायी विकल्प

साइंस एडवांसेज़ में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि **ध्रुवीय भालू (पोलर बियर) के फर में सीबम** नामक एक तैलीय पदार्थ होता है, जिसमें **एंटी-आइसिंग (बर्फ को जमने से रोकना) के गुण होते हैं, जो 'पर- एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल' सबस्टेंस (PFAS) और अन्य यौगिकों जैसे हानिकारक 'फॉरएवर केमिकल्स (Forever Chemicals)'** का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अध्ययन का फोकस: जब ध्रुवीय भालू के फर और मानव बाल की बर्फ प्रतिरोधिता का परीक्षण किया गया,** तो शोधकर्त्ताओं ने पाया कि फर के सीबम में विशेष गुण होते हैं, जिसमें मानव सीबम में पाए जाने वाले स्क्वैलीन (कार्बनिक यौगिक) की कमी होती है।
- **सीबम का गुण:** ध्रुवीय भालू के फर का **सीबम** उन्हें सूखा रखने, **बर्फ पर फिसलने और पानी में गोता लगाने** में सक्षम बनाता है, जो हानिकारक PFAs के बिना **बर्फ प्रतिरोध** के लिये उपयोग किये जाने वाले **फ्लोरिनेटेड स्की खाल** के समान होता है।
- **PFAs:** स्थायी रसायनों का समूह जो जल, तेल, ग्रीस और ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** PFAs का व्यापक रूप से खाना पकाने के बर्तन, खाद्य पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है, लेकिन पर्यावरण में इनका विघटन नहीं होता है तथा ये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **संभावित अनुप्रयोग:** अध्ययन से पता चलता है कि **सीबम के गुणों का उपयोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोटिंग्स** बनाने के लिये किया जा सकता है, जिससे PFAs पर निर्भरता कम हो जाएगी तथा अधिक **पर्यावरण अनुकूल** समाधान उपलब्ध होगा।

SARAT संस्करण 2

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में **खोज एवं बचाव दक्षता** बढ़ाने के लिये **SARAT (खोज एवं बचाव सहायता उपकरण) संस्करण 2** लॉन्च किया।

- **प्रमुख संवर्द्धन:** अधिक सटीक खोज क्षेत्र, **निर्यात योग्य खोज डेटा और उन्नत विज़ुअलाइज़ेशन,** और **भविष्य के उन्नयन** (जैसे, **सतही धारा** और **वायु पूर्वानुमान** की सटीकता)।
- **SARAT:** यह एक **उपग्रह-आधारित चेतावनी प्रणाली है जो समुद्र** में दूरस्थ या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में **जहाज़ों, विमानों और व्यक्तियों** की सहायता करती है।
  - इसे **मेक इन इंडिया** पहल के एक भाग के रूप में **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के अंतर्गत **ESSO-INCOIS** द्वारा विकसित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **अनुकूलन योग्य ट्रैकिंग: 60 प्रकार की वस्तुओं** को ट्रैक करता है, जिनमें लोग, राफ्ट, नाव और विमान शामिल हैं।
- **सटीक पूर्वानुमान:** वायु, धाराओं और उच्च-आवृत्ति (HF) रडार माप का उपयोग करके **10 दिनों** तक के खोज क्षेत्रों का पूर्वानुमान।
- **उपयोगकर्त्ता-अनुकूल इंटरफेस:** इंटरैक्टिव **मानचित्र, SMS/ईमेल अलर्ट** और मछुआरों के लिये स्थानीय भाषा समर्थन।
- **यूनेस्को** द्वारा मान्यता प्राप्त **शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता INCOIS , समुद्री आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी** में विशेषज्ञता रखता है।
- **INCOIS** को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिये **सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025** (संस्थागत श्रेणी) से सम्मानित किया गया है।

कश्मीर घाटी में यूरेशियन ओटर

यूरेशियन ओटर को 25 वर्षों में पहली बार लाइव डॉक्यूमेंटेशन के साथ **गुरेज़ घाटी (कश्मीर)** में देखा गया है।

- इसे **किशनगंगा नदी (कृष्णसर झील**, गांदरबल ज़िला (जम्मू-कश्मीर) से निकलने वाली) में मछलियाँ खाते हुए देखा गया।
  - यह नदी PoK में प्रवेश करने से पहले कश्मीर की **तुलैल और गुरेज घाटियों** से होकर उत्तर की ओर बहती है।

यूरेशियन ओटर के बारे में:

- **परिचय: ओटर *मस्टेलिडे*** नामक **स्तनधारी परिवार** के सदस्य हैं और **खारे तथा मीठे जल** दोनों में रहते हैं।
  - जम्मू-कश्मीर में, उन्हें स्थानीय रूप से **वोदुर** के नाम से जाना जाता है और **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद** करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ओटर मुख्य रूप से **सुबह और शाम** (Crepuscular) **के समय सक्रिय** होते हैं।

- **प्राकृतिक वास:** हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
- **माँसाहारी आहार:** मछली, क्रस्टेशियन, उभयचर और कभी-कभी **सरीसृप, पक्षी, अंडे, कीड़े और कृमि** खाते हैं।
- **संरक्षण स्थिति: निकट संकटग्रस्त (IUCN), अनुसूची I (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972), परिशिष्ट I (CITES)।**
- **भारत में अन्य ओटर प्रजातियाँ:** स्मूथ-कोटेड ओटर (संपूर्ण भारत में), और स्माल-क्लावेड ओटर (हिमालय और दक्षिणी भारत में)।

तारानाकी मौंगा माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हुआ

न्यूज़ीलैंड के **दूसरे सबसे ऊँचे माउंटेन तारानाकी मौंगा** को **कानूनी व्यक्तित्व** प्रदान किया गया, जो यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल (वर्ष 2014 में **ते उरेवेरा पार्क** और वर्ष 2017 में **वांगानुई नदी** के बाद) बन गया।

- अब इसे औपनिवेशिक नाम **माउंट एग्मोंट** की जगह आधिकारिक तौर पर इसके **माओरी नाम** से जाना जाएगा।
  - माओरी **न्यूज़ीलैंड की मूल जनजातियाँ (इवी)** हैं।

माउंट तरानाकी के बारे में:

- **प्रकार:** सममित आकार वाला स्ट्रैटोवोलकानो **(संयुक्त शंकु)।**
- **गठन: प्रशांत प्लेट के ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे क्षेपण (Subducting)** का परिणाम।
- **स्थिति: बर्फ से ढका हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी।**
- **दक्षिणी आल्प्स** में स्थित **एओराकी/माउंट कुक (3724 मीटर) न्यूज़ीलैंड का सबसे ऊँचा पर्वत** है, जबकि **माउंट तस्मान (3,497 मीटर) दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत** है।

भारत में प्राकृतिक संस्थाओं के कानूनी अधिकार:

- **उत्तराखंड उच्च न्यायालय (वर्ष 2017 और वर्ष 2018): गंगा और यमुना नदियों, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों को कानूनी व्यक्तित्व** प्रदान किया गया, तथा बाद में **सभी जानवरों को समान अधिकार** प्रदान किये गये। **सर्वोच्च न्यायालय** ने नदी संबंधी निर्णय पर रोक लगा दी।
- **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (वर्ष 2020):** पर्यावरण संरक्षण के लिये **सुखना झील, चंडीगढ़** को एक **जीवित इकाई** घोषित किया गया।
- *पैरेंस पैट्रिया का सिद्धांत* **राज्य (न्यायपालिका)** को उन लोगों के लिये संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, जिनमें **नदियाँ, वन और वन्यजीव जैसी प्राकृतिक संस्थाएँ** शामिल हैं।

100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता

भारत ने **100 गीगावाट की संस्थापित** सौर क्षमता की **ऐतिहासिक उपलब्धि** प्राप्त की, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **सौर क्षमता में वृद्धि: विगत दशक** में इसमें 35 गुना वृद्धि हुई है, **जो वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट** से बढ़कर वर्ष 2025 में 100 गीगावाट हो गई है।
  - सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल **क्षमता 296.59 गीगावाट है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना** के अंतर्गत आवासों की छतों पर **9 लाख** रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किये गए।

- **जलवायु लक्ष्यों में सौर ऊर्जा का योगदान:** सौर ऊर्जा का **भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा** क्षमता में **47%** का योगदान है।
- **रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन वाले शीर्ष राज्य: राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु,** महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
- **विनिर्माण में वृद्धि: सौर मॉड्यूल** उत्पादन क्षमता वर्ष **2014 में 2 गीगावाट** थी जो **वर्ष 2024 में बढ़कर 60 गीगावाट** हो गई।

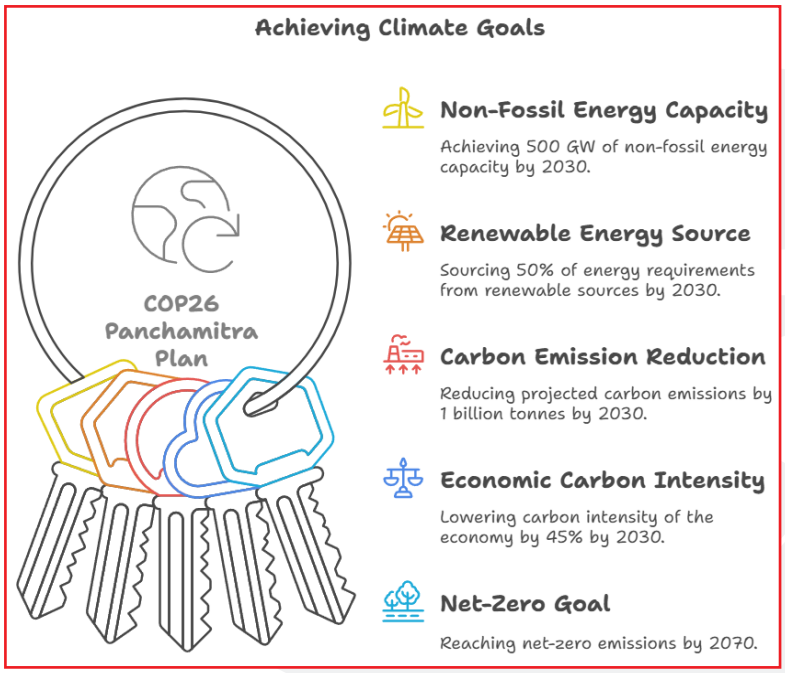

BIMSTEC युवा शिखर सम्मेलन 2025

गुजरात के गांधीनगर में पहली बार **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) युवा शिखर सम्मेलन 2025** का उद्घाटन किया गया, इस कार्यक्रम में **कौशल विकास, उद्यमिता और क्षेत्रीय सहयोग** पर बल दिया गया।

शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें:

- **विषय:** *"अंतर-बिम्सटेक आदान-प्रदान के लिये युवा एक सेतु के रूप में।"*
- **युवा-केंद्रित फोकस:** इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि **BIMSTEC की 1.8 बिलियन जनसंख्या में 60%** से अधिक युवा हैं, जो **क्षेत्रीय विकास** में इनकी भूमिका को रेखांकित करता है।
  - ❖ उन्होंने **वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र** बनाने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला तथा युवाओं की भागीदारी पर बल दिया।
- **स्टार्टअप नेटवर्क:** भारत ने **नवाचार और उद्यमिता** को बढ़ावा देने के लिये **BIMSTEC-व्यापी स्टार्टअप नेटवर्क** का प्रस्ताव रखा।
- **BIMSTEC:** BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें **भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान** शामिल हैं।
  - ❖ यह **बंगाल की खाड़ी क्षेत्र** में सहयोग को मज़बूत करते हुए जलवायु परिवर्तन, **गरीबी** और स्थिरता से निपटता है।
- **युवा सशक्तीकरण के लिये भारत की प्रतिबद्धता:** भारत के **कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और PM इंटर्नशिप योजना ने 15 मिलियन युवाओं** को AI, रोबोटिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया है।
  - ❖ भारत का **स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है,** जिसमें **157,000 स्टार्टअप** हैं, जिनमें से लगभग **आधे महिलाओं के नेतृत्व** में हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

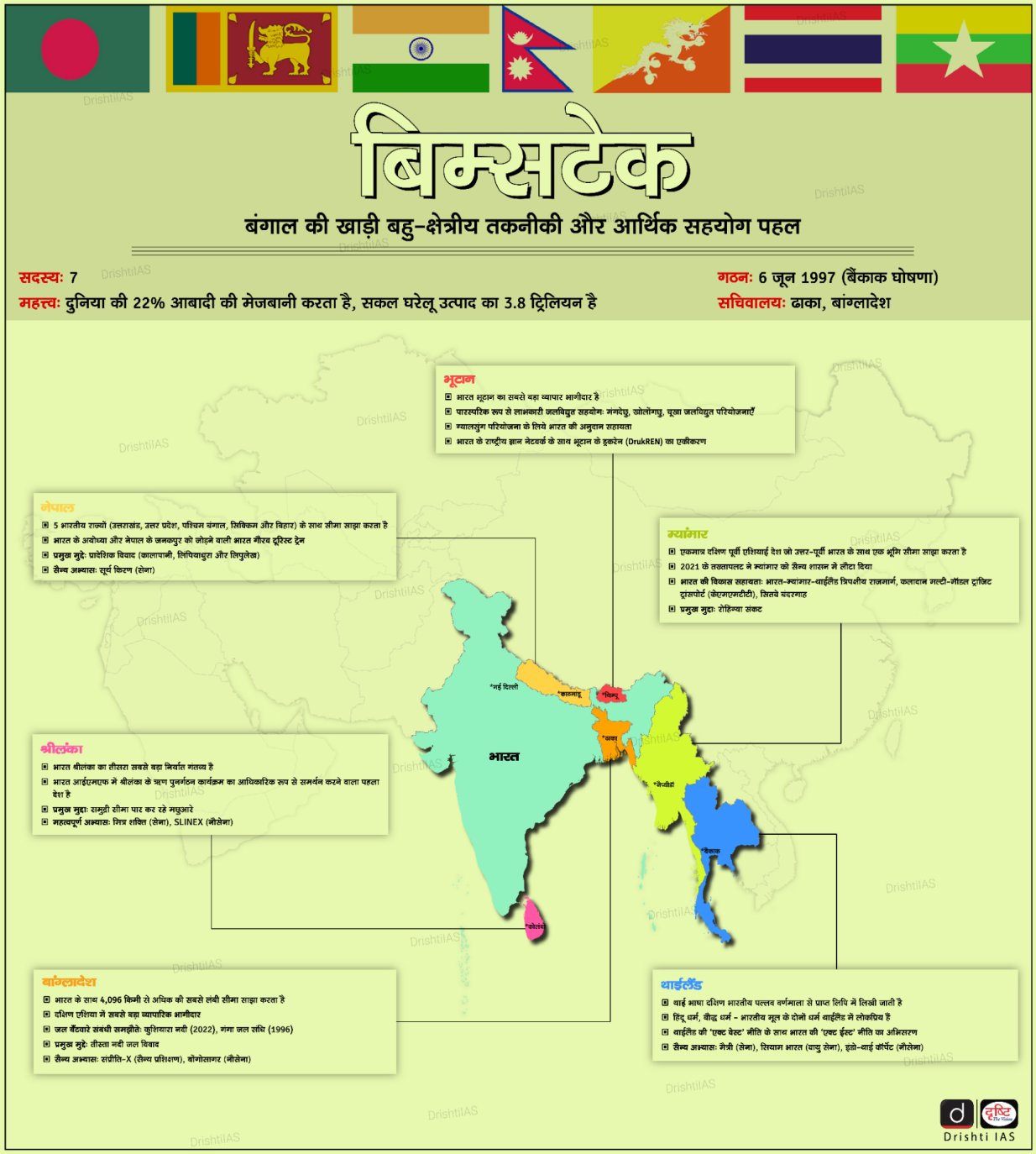

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

ट्रोपेक्स-25

भारतीय नौसेना के कैपस्टोन **थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) का 2025 संस्करण** अभ्यास **हिंद महासागर क्षेत्र (IRO)** में 25 जनवरी - 25 मार्च तक तीन महीने की अवधि में आयोजित किया जा रहा है।

- **ट्रोपेक्स:** यह भारतीय नौसेना का **द्विवार्षिक और सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जो सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल** की भागीदारी से **समुद्री खतरों** के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मज़बूत करता है।
  - **उद्देश्य:** भारतीय नौसेना के **युद्ध कौशल को मान्य करना** तथा **चीन** जैसे देशों द्वारा उत्पन्न पारंपरिक, असममित और संकर समुद्री खतरों के प्रति **एकीकृत प्रतिक्रिया** सुनिश्चित करना।
    - 360 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन, हर **समय हिंद महासागर क्षेत्र** में **7-8 नौसैनिक जहाज़ों और जासूसी जहाज़ों** को तैनात रखता है।
  - **चरण:** यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों में विभिन्न चरणों में युद्ध संचालन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन, **संयुक्त कार्य चरण तथा संयुक्त अभ्यास (एम्फेक्स)** के दौरान **लाइव हथियार फायरिंग के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करते हुए आयोजित** होता है।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन अभियान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा **लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (LF) उन्मूलन के लिये वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण (MDA)** अभियान का शुभारंभ किया गया है।

- **लिम्फेटिक फाइलेरिया** एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है "हाथी पांव" के रूप में जाना जाता है जो परजीवी फाइलेरिया कृमियों (जैसे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी) के कारण होता है तथा **संक्रमित मच्छरों** से फैलने वाला एक परजीवी रोग है।
  - यह **लिम्फोएडेमा (अंगों की सूजन) और हाइड्रोसील (अंडकोष की सूजन) जैसी शारीरिक दिव्यांगताओं** को जन्म दे सकता है।
  - **रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगजन निवारण (MMDP) सेवाएँ** (स्वच्छता, त्वचा देखभाल, और हाइड्रोसील सर्जरी) गंभीर दिव्यांगता को रोकने में मदद करती हैं।
- **MMDP अभियान: 13 राज्यों के 111 प्रभावित ज़िलों** को कवर करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक **17.5 करोड़ से अधिक लोगों को बचाना** और **लिम्फेटिक फाइलेरियासिस** को समाप्त करना है।
  - **MDA अभियान लिम्फेटिक-स्थानिक क्षेत्रों** में एंटी-फाइलेरिया दवाओं के **पर्यवेक्षित प्रशासन** को सुनिश्चित करता है, जिसमें **डबल (डायथाइलकार्बामेज़िन साइट्रेट और एल्बेंडाज़ोल) और ट्रिपल ड्रग रेज़िमेन** (इवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाज़ोल) का उपयोग किया जाता है।
  - **MDA का उद्देश्य रक्तप्रवाह** से **फाइलेरिया परजीवियों** को नष्ट करके **लिम्फेटिक संचरण** को रोकना है, जिससे मच्छरों द्वारा संचरण को रोका जा सके।
    - यह **दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं** या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिये नहीं है।
- **भारत की MDA सेवाएँ: आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)** में एकीकृत, हाइड्रोसेलेक्टोमी (**हाइड्रोसील को हटाना**) के साथ **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** और **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के तहत कवर किया गया।
  - वर्ष 2024 में, लगभग 50% हाइड्रोसील सर्जरी स्थानिक रूप से राज्यों में की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)** के कार्यकाल को तीन वर्षों के लिये अर्थात् **31 मार्च 2028** तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

- **गठन:** **NCSK अधिनियम, 1993** के तहत वर्ष **1994 में इस आयोग का गठन** किया गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वर्ष 2004 में एक **असांविधिक निकाय** बन गया।
- **संरचना:** अध्यक्ष (राज्यमंत्री श्रेणी), उपाध्यक्ष, 5 सदस्य (1 महिला सहित)।
- **अधिदेश:**
  - सफाई कर्मचारियों के **कल्याण और पुनर्वास** के लिये नीतियों की अनुशंसा करना।
  - विभिन्न योजनाओं और **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** जैसे अधिनियमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना।
  - शिकायतों और नीतिगत खामियों की जाँच करना।
  - सीवर में मृत्यु होने की दशा में **30 लाख रुपए तथा दिव्यांगता होने पर 10 से 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति** सुनिश्चित करना (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2023)।
- **कार्य:** क्षेत्र का दौरा, शिकायत निवारण, नीति समीक्षा, स्वप्रेरणा से कार्रवाई, बैठक आयोजन और मंत्रालय को सूचना देना।

सफाई कर्मचारियों के लिये योजनाएँ:

- **नमस्ते योजना:** इसका उद्देश्य सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग करना, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक किट और स्वास्थ्य बीमा **(AB-PMJAY)** प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC):** यह **सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों** के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये **रियायती ऋण और वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

WAVES 2025 और क्रिएटिव इकोनॉमी

प्रधानमंत्री ने भारत के **क्रिएटिव मीडिया और अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देने के लिये **WAVES (विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन)** की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की।

WAVES:

- WAVES **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया एवं मनोरंजन (M&E) उद्योग** के लिये आयोजित एक **वैश्विक शिखर सम्मेलन** है।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य **उद्योग जगत के नेताओं, हितधारकों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाकर चुनौतियों का समाधान करना, संभावनाओं का पता लगाना और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है,** जिससे इस क्षेत्र के भविष्य पर प्रभाव पड़े।
- शिखर सम्मेलन में **"क्रिएट इन इंडिया चैलेंज"** का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक और मीडिया अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है।

क्रिएटिव इकोनॉमी (ऑरेंज इकोनॉमी):

- क्रिएटिव इकोनॉमी एक **ज्ञान-आधारित क्षेत्र** है जिसमें **क्रिएटिव गुड्स (रचनात्मक वस्तुएँ) और सेवाओं का सृजन, उत्पादन और वितरण** शामिल है ।
  - इसमें **विज्ञापन, वास्तुकला, कला, फैशन, फिल्म, संगीत, फोटोग्राफी, प्रकाशन, अनुसंधान एवं विकास** तथा **सॉफ्टवेयर** जैसे उद्योग शामिल हैं।
- भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री **30 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की है और देश की **लगभग 8% कामकाजी आबादी को रोज़गार** देती है। वर्ष 2023 में, भारत में **100 मिलियन से अधिक कंटेंट क्रिएटर** होंगे।

भारत का मीडिया एवं मनोरंजन (M&E):

- **भारत का** मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग, जो **विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा** उद्योग है (पहला स्थान अमेरिका का है), **वर्ष 2028 तक 44.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने** का अनुमान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

MEDIA AND ENTERTAINMENT

MARKET SIZE

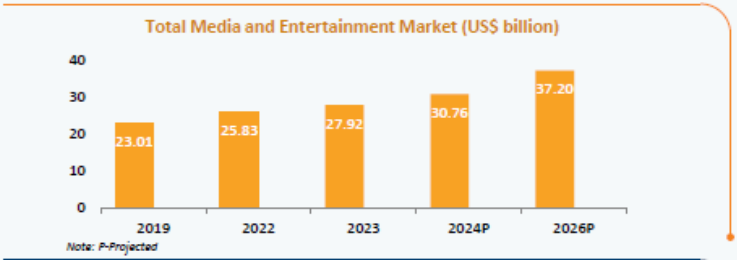

SECTOR COMPOSITION

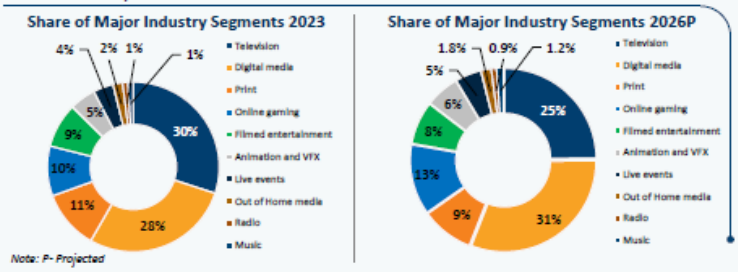

KEY TRENDS

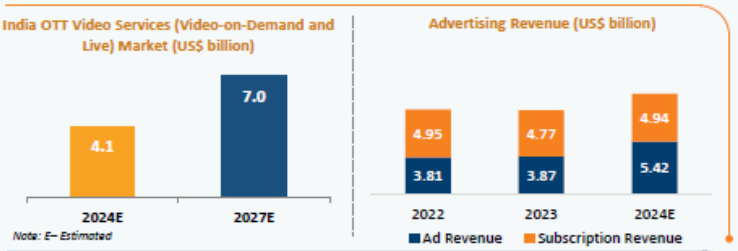

GOVERNMENT INITIATIVES

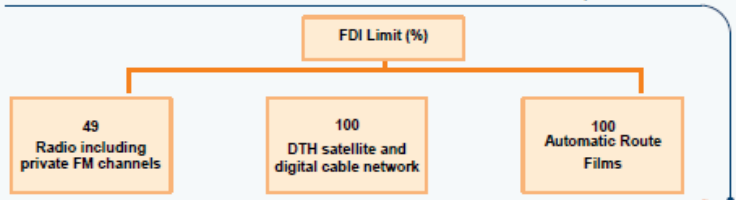

ADVANTAGE INDIA

- **Robust demand:** According to a FICCI-EY report, the advertising to GDP ratio is expected to reach 0.4% by 2025 from 0.38% in 2019. The country's entertainment and media industry is expected to see a growth of 9.7% annually in revenues to reach US$ 73.6 billion by 2027.
- **Higher Investments:** FDI inflows in the information and broadcasting sector (including print media) stood at US$ 10.99 billion between April 2000-March 2024. In the Interim budget of 2024-25 the Ministry of Information and broadcasting was allocated Rs. 4,342.55 crore (US$ 523.20 million). The Indian gaming sector has raised a total of US$ 2.8 billion from domestic and global investors, over the last five years.
- **Policy support:** On February 25, 2021, the government outlined the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. In February 2024, the Union Cabinet approved the auction of 10,523.15 megahertz (MHz) of spectrum across bands at a reserve price of Rs 96,317.65 crores (US$ 11.60 billion).
- **Attractive opportunities:** India's Animation and VFX sector is projected to grow from US$ 1.3 billion in 2023 to US$ 2.2 billion by 2026, increasing its share of the media and entertainment (M&E) industry from 5% to 6%, according to a CII GT report.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

GI-टैग चावल के निर्यात के लिये HS कोड

भारत ने **सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन किया है, तथा भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाली चावल किस्मों के लिये (Harmonised System-HS) कोड** शुरू करने वाला पहला देश बन गया है।

- **वर्ष 2025-26 के बजट** में घोषित इस संशोधन में निर्यात के लिये **HS कोड 1006-30-11 (उबला हुआ चावल)** और **1006-30-91 (सफेद चावल) शामिल हैं**।
  - HS कोड सामान्य चावल निर्यात प्रतिबंधों के दौरान भी, विशेष सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता के बिना, **GI-टैग वाले चावल के निर्बाध निर्यात** की अनुमति प्रदान करता है।
  - **HS कोड: विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)** HS कोड को प्रबंधित करता है, जिसे प्रत्येक पाँच वर्ष में संशोधित किया जाता है तथा यह छह अंकों के कोड का उपयोग करके व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिये **एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य** करता है। देश वस्तुओं को और अधिक वर्गीकृत करने के लिये HS कोड में विस्तार कर सकते हैं।
    - यह **पहचान, शुल्क और व्यापार सांख्यिकी** में मदद करता है।
  - **मान्यता प्राप्त GI चावल की किस्में: भारतीय पेटेंट कार्यालय** द्वारा नवारा, पलक्कडन मट्टा, पोक्कली, वायनाड जीरकासला और अन्य सहित चावल की 20 किस्मों को GI टैग दिया गया है।
  - **लंबित GI आवेदन: सीरागा सांबा, जम्मू और कश्मीर लाल चावल, और वाडा कोलम धान** सहित 20 चावल की किस्में को GI टैग के लिये आवेदन किया गया है।
- **WCO: वर्ष** 1952 में स्थापित, यह एक **अंतर-सरकारी निकाय** है जो दुनिया भर में सीमा शुल्क दक्षता में सुधार तथा 183 सीमा शुल्क प्रशासनों (भारत सहित) का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका वैश्विक व्यापार में 98% का हिस्सा है। इसका मुख्यालय **ब्रुसेल्स, बेल्जियम** में है।

नारी अदालत कार्यक्रम

भारत सरकार **नारी अदालत कार्यक्रम** का विस्तार करने के लिये अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

- **परिचय: मिशन शक्ति** की **'संबल'** उप-योजना के अंतर्गत **नारी अदालत,** ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये एक **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करती है, जो **बातचीत, मध्यस्थता और सुलह** के माध्यम से छोटे विवादों (जैसे, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत) को हल करती है।
- **संरचना और कार्यप्रणाली:**
  - **सदस्य:** इसमें **7 से 11 सदस्य** होते हैं जिन्हें **'न्याय सखी'** कहा जाता है, जिन्हें **ग्राम पंचायत** द्वारा नामित किया जाता है।
  - **कार्यान्वयन:** वर्ष 2023 में **असम और जम्मू-कश्मीर** में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की जाएगी, तथा अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
- **मिशन शक्ति:** इसकी दो उप-योजनाएँ हैं।
  - **संबल: वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) और नारी अदालत** सहित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **सामर्थ्य:** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), पालना, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण केंद्र सहित महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एशियाई हाथी

एशियाई हाथियों (एलिफस मैक्सिमस) पर किये गए एक अध्ययन से उनकी ध्वनि के बारे में नई जानकारी सामने आई है।

- **मुख्य निष्कर्ष:** एशियाई हाथी ध्यान आकर्षित करने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिये **तुरही, दहाड़, गड़गड़ाहट और चहचहाने** का उपयोग करते हुए संवाद करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पहले यह माना जाता था कि **तुरही मुख्य रूप से मानवीय व्यवधानों की प्रतिक्रिया है**, लेकिन नए निष्कर्षों से पता चलता है कि इसका उपयोग सामाजिक अंत:क्रियाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में किया जाता है।

- **एशियाई हाथी:**
  - **उप-प्रजातियाँ:** एशियाई हाथियों की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- **भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई।**
  - **जनसंख्या:** 13 देशों में विखंडित आबादी 50,000 से भी कम रह गई है।
    - **निवास स्थान:** घास के मैदानों, झाड़ियों, सदाबहार और पर्णपाती वनों में पाया जाता है।
    - **आकार और स्वरूप: अफ्रीकी हाथियों** से छोटे तथा तुलनात्मक रूप से छोटे कान।
  - **महत्त्व:** जंगलों की भलाई के लिये एक आवश्यक प्रजाति, हाथी भारत के प्राकृतिक विरासत पशु हैं। वे पानी की तलाश तथा वन पुनर्जनन के लिये साफ-सफाई करके अन्य प्राणियों की मदद करते हैं।

- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
- **भारत की पहल:** प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलीफेंट को पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों और उनके आवासों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - **14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी रिज़र्व स्थापित किये गए हैं** (सबसे अधिक जनसंख्या कर्नाटक में है, उसके बाद असम और केरल का स्थान है)।

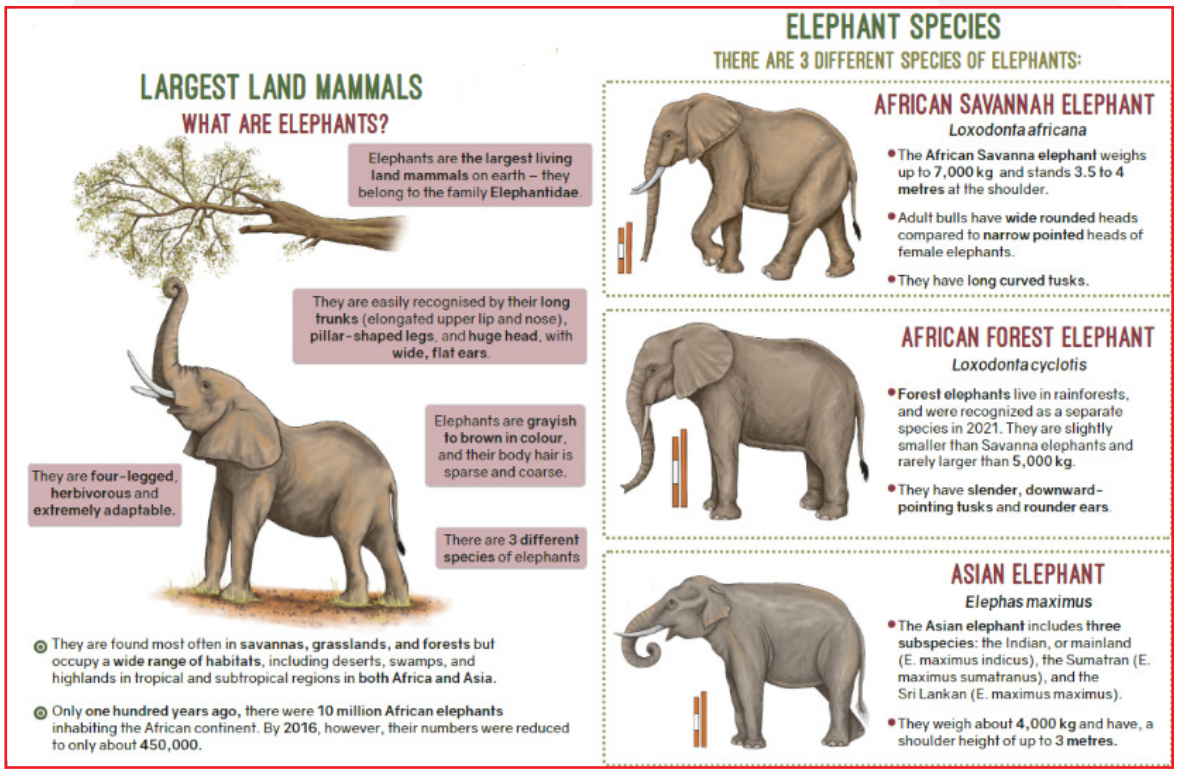

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व मिर्गी दिवस

विश्व मिर्गी दिवस (फरवरी के दूसरे सोमवार) के अवसर पर **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने देश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये।

- **राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (भारत)** 17 **नवंबर** को मनाया जाता है।

मिर्गी (एपिलेप्सी)

- **मिर्गी:** मिर्गी एक दीर्घकालिक मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, जो मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय गतिविधियों के कारण होती है। जिसके परिणामस्वरूप दौरे आते हैं, जो अनैच्छिक गति और बेहोशी के छोटे झटके होते हैं।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने इसे एक **तंत्रिका संबंधी विकार** के रूप में मान्यता दी है।
  - **कारण:** लगभग 50% मामलों में इस बीमारी का **कोई पहचान योग्य कारण नहीं होता है। हालाँकि, यह आनुवंशिकी,** मस्तिष्क की चोट, संक्रमण, स्ट्रोक, ट्यूमर से जुडी हुई है।
  - **लक्षण:** यह अलग-अलग प्रकार का होता है, कुछ लोग चेतना खो देते हैं, कुछ लोग शून्य भाव से देखते रहते हैं, जबकि कुछ को **ऐंठन** (झटकों की गति) का अनुभव होता है।
- **उपचार के विकल्प:**
  - मिर्गी के लिये **प्रथम-पंक्ति उपचार में एंटी-सीजर्स मेडिसिन शामिल हैं,** जबकि **कीटोजेनिक आहार (उच्च वसा, कम कार्बोहाइड्रेट) एंटी-सीजर्स** के लिये प्रभावी है।
  - दौरे संबंधी बीमारी को रोकने के लिये शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में **कॉरपस कॉलोसोटॉमी या दौरे से प्रभावित मस्तिष्क क्षेत्र** को हटाना शामिल है।
  - **DBS ब्रेन इम्प्लांट:** दौरे से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड युक्त एक चिकित्सा उपकरण का प्रत्यारोपण किया जाता है।
- **वैश्विक संदर्भ: विश्व में 50 मिलियन** लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जिनमें से **80% निम्न और मध्यम** आय वाले देशों में हैं।
  - **उचित निदान और समय पर उपचार से 70% मामलों** का प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे दौरे से मुक्त जीवन संभव हो सकता है।

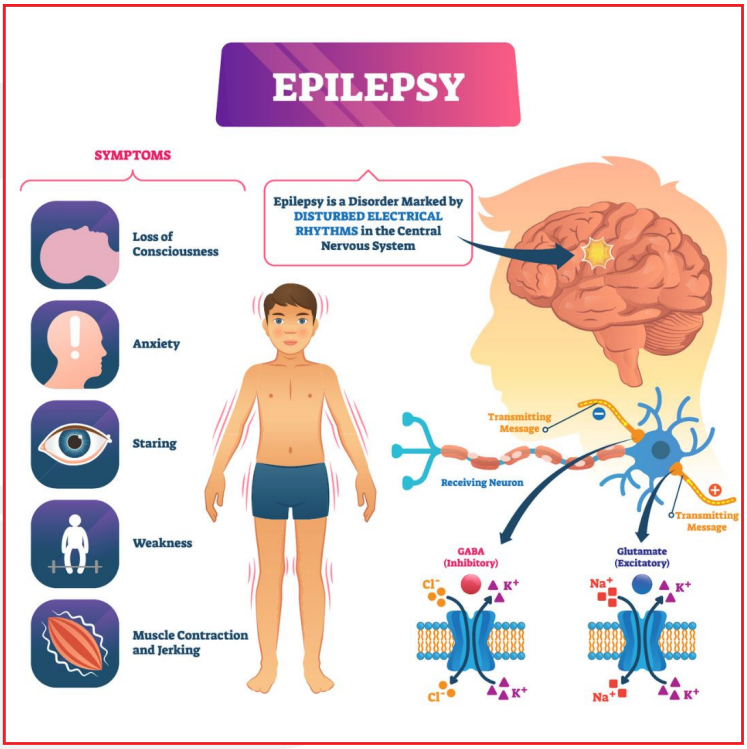

विश्वामित्री नदी और कच्छ मगरमच्छ

गुजरात सरकार ने वडोदरा की **विश्वामित्री नदी** में **मगर अथवा कच्छ मगरमच्छ** ***(Crocodylus palustris)*** की संख्या का अनुमान लगाने के लिये **मगरमच्छों की गणना** की।

- **विश्वामित्री नदी:** यह नदी गुजरात में **पावागढ़ पहाड़ियों** (**पश्चिमी घाट** का भाग) से निकलती है और **वडोदरा से होकर बहती है** तथा **खंभात की खाड़ी**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

में मिल जाती है। इसकी **सहायक नदियाँ ढाढर और खानपुर** इसमें मिलती हैं।

- इसके तटों पर स्थित अधिवास **1000 ईसा पूर्व प्राचीन** हैं, जिनमें **अंकोटक्का (अब अकोटा)** भी शामिल है, जो **गुप्त और वल्लभी शासन** के दौरान विकसित हुई थी।
- इसमें **कच्छ मगरमच्छ,** अलवणीय जल के कछुए और **मॉनिटर लिज़ार्ड** पाई जाती हैं, जो इसे शहरी नदियों के बीच पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय बनाती हैं।

- **मगर अथवा कच्छ मगरमच्छ:** ये **भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल** में पाए जाते हैं तथा पश्चिम की ओर **पूर्वी ईरान** तक इनका विस्तारण है जहाँ यह मुख्यत: नदियों, झीलों और दलदलों जैसे **अलवणीय जल क्षेत्रों** में पाए जाते हैं।
  - यह मुख्यत: **गंगा नदी बेसिन** (बिहार और झारखंड), **चंबल नदी** (राजस्थान तथा मध्य प्रदेश) और **गुजरात** सहित भारत के 15 राज्यों में पाया जाता है।
  - ये मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जीवों का भक्षण करते हैं। ये प्रजाति विवर नीडन (Hole-Nesting) करती हैं, जो शुष्क ऋतु के दौरान 25 से 30 अंडे देती हैं और इनकी ऊष्मायन अवधि 55 से 75 दिन की होती है।
  - इस प्रजाति को **आवास नाश, अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष** जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है।
- **संरक्षण:** सुभेद्य (IUCN), CITES (परिशिष्ट I), और अनुसूची I (**भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**)।

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ

भारत में मगरमच्छ की तीन विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं - मगर, खारे पानी का मगरमच्छ, और घड़ियाल- देश भर में अलग-अलग आवासों में पाए जाते हैं।

दृष्टिकोण	घड़ियाल	मगर /भारतीय मगरमच्छ	खारे पानी का मगरमच्छ
वैज्ञानिक नाम	गेवियलिस गैंगेटिकस	क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस	क्रोकोडायलस पोरोसस
वितरण: भारत	**बहुल आबादी:** राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश) **आबादी:** सोन, गंडक, हुगली, घाघरा और सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य (ओडिशा)	संपूर्ण भारत में	पूर्वी तट (ओडिशा का भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट और सुंदरवन)
वितरण: पड़ोस	भूटान और बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदी	भूटान और म्यांमार में विलुप्त	पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में
विशेष सुविधा	सभी मगरमच्छों में सबसे लंबा, लंबा और पतले मुँह वाला	अंडे देने वाले, घोंसला बनाने वाले, चौड़े और यू-आकार का मुँह	सबसे अधिक जीवित सरीसृप, नुकीला और V-आकार का मुँह
प्राकृतिक वास	ताज़े जल	ताज़े जल	खारा पानी, खारा और आर्द्रभूमि
IUCN स्थिति	CR	VU	LC
CITES स्थिति	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I
CMS स्थिति	परिशिष्ट I	-	परिशिष्ट II
WPA,1972 स्थिति	अनुसूची I	अनुसूची I	अनुसूची I
संकट	बाँध, प्रदूषण, रेत खनन	आवास नष्ट हो गए हैं	इसका खाल और पर्यावास हानि के लिये शिकार हुआ
सरकारी पहल	ओडिशा: महानदी नदी बेसिन में घड़ियाल के संरक्षण के लिये 1000 रुपए का पुरस्कार भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975	भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975 मगर संरक्षण कार्यक्रम मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट	भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975

विविध तथ्य

- **17 जून:** विश्व मगरमच्छ दिवस
- **वार्षिक सरीसृप जनगणना, 2023:** खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में मामूली वृद्धि **(भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आस-पास के क्षेत्र)**
- **ओडिशा का केंद्रपाड़ा ज़िला:** भारत का एकमात्र ज़िला जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

Drishti IAS

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि

प्रधानमंत्री ने **पंडित दीनदयाल उपाध्याय** को उनकी **पुण्यतिथि पर** श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका देहांत **11 फरवरी 1968** को हुआ था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

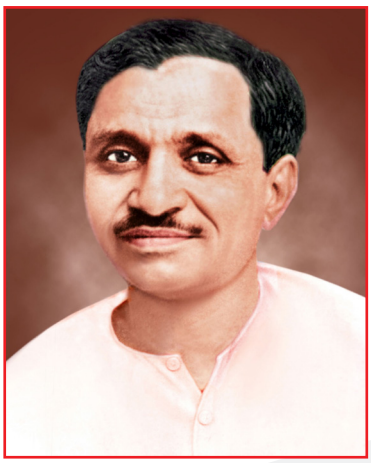

- **परिचय:** इनका जन्म **25 सितंबर 1916** को हुआ और यह भारतीय **राजनीतिज्ञ, दार्शनिक** और **RSS एवं भारतीय जनसंघ (BJS)** (भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती) के विचारक अथवा सिद्धांतकार थे।
- **योगदान:** उन्होंने **अंत्योदय** अर्थात समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और **सर्वाधिक सुविधावंचितों** की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया।
  - यह **"समग्र मानवतावाद" दर्शन** के प्रणेता थे जिसमें कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया गया।
- **मान्यता:** राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के सम्मान में **वर्ष 2014** से **25 सितंबर** को उनकी जयंती को **अंत्योदय दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
  - **वर्ष 2015** में, **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के नाम में परिवर्तन कर इसे **दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM** कर दिया गया।
  - वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में **मुगलसराय जंक्शन** का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया।

भारत-EFTA डेस्क

भारत और **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** ने आर्थिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण करने तथा **व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)** के तहत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये **भारत-EFTA डेस्क का** शुभारंभ किया।

भारत-EFTA डेस्क

- **परिचय:** यह **इन्वेस्ट इंडिया** द्वारा स्थापित एक **समर्पित निवेश सुविधा तंत्र** है, जो **EFTA** देशों के व्यवसायों के लिये **भारत में निवेश करने हेतु एकल स्रोत अथवा एकल-खिड़की मंच** के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य: भारत-EFTA डेस्क** का लक्ष्य **TEPA के उद्देश्यों को साकार करने में सहायता करना** है, जैसे:
  - **15 वर्षों** में **100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI**, जिससे भारत में **1 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार** सृजित होंगे।
  - TEPA में **बौद्धिक संपदा अधिकारों** से संबंधित प्रतिबद्धताएँ।
  - **मेक इन इंडिया** और **आत्मनिर्भर भारत** के साथ **प्रौद्योगिकी सहयोग** को सरेखित करना।
- **भारत-EFTA TEPA मार्च 2024** में हस्ताक्षरित एक **व्यापक FTA** है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

- EFTA **आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड** का अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे **स्टॉकहोम अभिसमय (1960)** के तहत स्थापित किया गया था।
- भारत EFTA का **पांचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है **(यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद)**।
- **द्वीपक्षीय व्यापार:** भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार वर्ष 2023-24 में **24 बिलियन अमरीकी डॉलर** था, जो वर्ष 2022-23 के **18.65 बिलियन अमरीकी डॉलर** से अधिक था। व्यापार अंतराल EFTA ब्लॉक के पक्ष में था।
- **प्रमुख साझेदार: स्विट्ज़रलैंड (सबसे बड़ा)**, उसके बाद **नॉर्वे**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

अन्य:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
- भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
- भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

Drishti IAS

संत गुरु रविदास की जयंती

प्रधानमंत्री ने **संत गुरु रविदास को** उनकी **648 वीं जयंती पर** श्रद्धांजलि अर्पित की, जो **माघ माह की पूर्णिमा तिथि** (जो **वर्ष 2025 में 12 फरवरी को है**) को मनाई जाती है।

संत गुरु रविदास:

- इनका जन्म **1377 ई. में सीर गोवर्धनपुर (उत्तर प्रदेश)** में हुआ। वे **भक्ति आंदोलन** के **संत, कवि और समाज सुधारक** थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **इन्हें रैदास, रोहिदास और रुहिदास** के नाम से भी जाना जाता था। वे **हाशिये पर स्थित समुदाय** से थे लेकिन उन्होंने मानवाधिकार, समानता एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर बल दिया।
- इनके **पद गुरु ग्रंथ साहिब** में शामिल हैं और **मीराबाई ने उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक** माना था।
- यह दिन **पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में व्यापक रूप से मनाया जाता है।**
  - **पंजाब का दोआब क्षेत्र** एक महत्त्वपूर्ण **रविदासिया दलित समुदाय** का स्थान है, जो **संत रविदास की शिक्षाओं** का पालन करता है।

भक्ति आंदोलन:

- यह **7 वीं और 17 वीं शताब्दी** के बीच एक **आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था**, जिसमें **व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्ति पर ज़ोर दिया गया** तथा अनुष्ठानों और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया गया।
- यह संपूर्ण भारत में फैल गया और **हिंदू धर्म, सिख धर्म एवं सूफी धर्म पर इसका प्रभाव पड़ा।**
- उल्लेखनीय भक्ति संतों में उत्तर भारत में **कबीर, गुरु नानक और मीरा बाई** एवं दक्षिण भारत में **अलवार, नयनार, रामानुज और बसव शामिल हैं।**

कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता शावकों का जन्म

मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (NP) में एक चीता ने **दो शावकों** को जन्म दिया, जिससे कुल **चीतों की संख्या 26** हो गई, जिनमें **14 शावक** शामिल हैं।

- **कूनो राष्ट्रीय उद्यान (NP) के बारे में:** कूनो राष्ट्रीय उद्यान (NP) (श्योपुर, मध्य प्रदेश) को **वर्ष 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य** के रूप में स्थापित किया गया था और **वर्ष 2018** में इसे **राष्ट्रीय उद्यान** में अपग्रेड किया गया।
  - **भूगोल:** इसमें मुख्य रूप से **शुष्क पर्णपाती वन हैं** और **चंबल** की एक प्रमुख **सहायक नदी कुनो नदी** उद्यान से होकर बहती है।
    - यह **विंध्य पर्वतमाला** में स्थित है।
  - **जीव-जंतु: तेंदुआ,** धारीदार लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, **कृष्णमृग,** सांभर हिरण, **घड़ियाल (कुनो नदी)।**
    - इसका चयन भारत में **चीता के आगमन हेतु कार्य योजना** के अंतर्गत किया गया था।
- **वनस्पति: प्राथमिक वृक्ष प्रजातियाँ करधई, खैर** और **सलाई** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तन

कोलकाता स्थित भारतीय **सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम** को औपनिवेशिक प्रतीक से मुक्त करने के उद्देश्य से इसके नाम में परिवर्तन कर इसे **विजय दुर्ग** का नाम दिया गया है। इसका नाम **महाराष्ट्र के प्राचीनतम सिंधुदुर्ग किले** के नाम पर रखा गया है, जो **छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा** था।

- इसके अतिरिक्त किले के अंदर स्थित **किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस** और **सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट** किया गया है।

फोर्ट विलियम:

- यह किला **कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है** और इसका **नाम मूलत: इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था।**
  - मूल किले का निर्माण अंग्रेज़ों ने **सर जॉन गोल्ड्सबोरो** के नेतृत्व में **वर्ष 1696** में कराया था और **1706** में इसका **निर्माण पूरा** हुआ था।
  - यह **कलकत्ता की घेराबंदी (1756) के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था** जब **सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था।**
  - **प्लासी के युद्ध (1757)** के बाद, **रॉबर्ट क्लाइव ने 1758 और 1781** के बीच इसे एक नए स्थान पर **पुनर्निर्मित** किया।
- **महत्त्व:**
  - **कलकत्ता ब्लैक होल घटना** (1756) का स्थल।
  - इसमें **1971 के भारत-पाक युद्ध** और **बांग्लादेश मुक्ति युद्ध** की कलाकृतियों वाला एक युद्ध स्मारक है।

अन्य समान नाम परिवर्तन:

- राजपथ का नाम बदलकर **कर्त्तव्य पथ** और **पोर्ट ब्लेयर** का नाम बदलकर **श्री विजय पुरम** रखा गया।
- भारतीय नौसेना ने **औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर नया प्रतीक अपनाया** (2022)।

अभ्यास साइक्लोन

भारत-मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का **तीसरा संस्करण** राजस्थान में शुरू हुआ।

अभ्यास साइक्लोन के बारे में:

- **वार्षिक अभ्यास:** भारत और मिस्र में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका अंतिम संस्करण मिस्र में (जनवरी 2024) आयोजित किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - भारत और मिस्र के बीच **सैन्य संबंधों** को मज़बूत करना।
  - **अंतर-संचालन क्षमता, संयुक्त परिचालन क्षमताओं** में वृद्धि तथा विशेष युद्ध संचालन रणनीति का आदान-प्रदान।
  - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के अनुरूप **रेगिस्तानी/अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों** में **आतंकवाद विरोधी अभियान।**

भारत और मिस्र:

- मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पर आधारित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (वर्ष 1978) के साथ भारत, **अफ्रीका में मिस्र के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक** है।
- **भारत और मिस्र** ने वर्ष 2023 में **राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग** पर आधारित **रणनीतिक साझेदारी** की स्थापना की।

भारत के साथ संयुक्त अभ्यास:

देश	अभ्यास
ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रा हिंद
बांग्लादेश	सम्प्रीति
चीन	हैंड इन हैंड
फ्राँस	शक्ति
इंडोनेशिया	गरुड़ शक्ति
कज़ाखस्तान	प्रबल दोस्त्यक
किर्गिज़स्तान	खंजर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मालदीव	एकुवेरिन
मंगोलिया	नोमडिक एलीफैंट
म्याँमार	इंबेक्स (IMBEX)
नेपाल	सूर्य किरण
ओमान	अल-नजाह
रूस	इंद्र
सेशल्स	लामितिये
श्रीलंका	मित्र शक्ति
थाईलैंड	मैत्री
ब्रिटेन	अजय वॉरियर
संयुक्त राज्य अमेरिका	युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI), 2024 में भारत **96वें** स्थान पर आ गया। यह वर्ष 2023 में **93वें स्थान** पर था।

- **CPI:** इसे गैर-सरकारी संगठन **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995** से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- इसके तहत **0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (सबसे कम भ्रष्ट)** के पैमाने का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है।
- CPI 2024 में डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में शीर्ष पर रहा, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा। भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान (135), श्रीलंका (121) और बांग्लादेश (149) की रैंकिंग सबसे खराब रही, जबकि चीन 76वें स्थान पर रहा।
  - वर्ष 2012 के बाद से **32 देशों के भ्रष्टाचार के स्तर में उल्लेखनीय** कमी आई है वहीं इसी अवधि के दौरान 148 देशों में भ्रष्टाचार या तो स्थिर रहा है या और भी बदतर हो गया है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भ्रष्टाचार से जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन के लिये निर्धारित **धन का दुरुपयोग** होने से **जलवायु कार्रवाई** के साथ **जीवाश्म ईंधन** से संबंधित नीतियों में बाधा आती है।
  - इससे **लोकतंत्र के पतन एवं अस्थिरता के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन** होता है, जिसके लिये तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है।

इंडिया एनर्जी वीक 2025

इंडिया एनर्जी वीक 2025 में, भारत ने **ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने** के उद्देश्य से कई रणनीतिक समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

- **इंडिया एनर्जी वीक: इंडिया एनर्जी वीक 2025, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** के संरक्षण में और **भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (FIPI)** द्वारा संयुक्त रूप से **नई दिल्ली** में आयोजित किया गया, इसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के 700 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए।
  - इस कार्यक्रम में **ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, स्थिरता** और **डीकार्बोनाइजेशन** प्रयासों पर ज़ोर दिया गया।
  - FIP **हाइड्रोकार्बन** क्षेत्र की संस्थाओं की एक शीर्ष सोसायटी है और यह सरकार के साथ उद्योग इंटरफेस के रूप में कार्य करती है।
- **प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर:** भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने **6 मिलियन बैरल कच्चे तेल** के आयात के लिये पेट्रोब्रास (ब्राज़ील) के साथ साझेदारी की, जिससे भारत के तेल आयात में विविधता आएगी।
  - **BPCL और इको वेव पावर (इज़राइल) मुंबई में भारत का पहला वेव एनर्जी पायलट** स्थापित करेंगे।
  - प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन को मज़बूत करने के लिये, **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL)** और **ADNOC (UAE)** ने वर्ष 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों की अवधि के लिये 1.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)** के लिये 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत-म्याँमार सीमा पर FMR

संशोधित **मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)** के तहत **भारत-म्याँमार सीमा** पर 43 नियोजित क्रॉसिंग प्वाइंटों में से 22 बॉर्डर गेट (सीमा द्वारों) को सक्रिय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन को विनियमित करना है।

- **म्याँमार के साथ भारत की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा** अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नगालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिज़ोरम (510 किमी) से होकर गुज़रती है। **1,472 किलोमीटर** की सीमा का **सीमांकन** किया जा चुका है।
- **FMR:** वर्ष 1968 में बड़े पैमाने पर बिना बाड़ वाली पूर्वोत्तर सीमा पर **जातीय और पारिवारिक संबंधों के कारण** आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिये शुरू किया गया था।
  - **वर्ष 2004 में मुक्त आवागमन की सीमा 40 किमी से घटाकर 16 किमी** कर दी गई और अब यह **10 किमी** है।
  - सीमा पर रहने वाले लोग बिना **वीजा या पासपोर्ट** के यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें **QR कोड-सक्षम सीमा पास** की आवश्यकता होती है। **बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड** किया जाता है और **नकारात्मक सूची** के विरुद्ध जाँच के लिये एक केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
  - **असम राइफल्स** सीमा पास जारी करने और प्रारंभिक सुरक्षा सत्यापन करने के लिये ज़िम्मेदार है। सीमा पास की वैधता 7 दिनों तक होती है।
- **असम राइफल्स:** भारत का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल, जिसकी स्थापना **वर्ष 1835** में हुई थी। **ब्रिटिश चाय बागानों** की रक्षा करने से लेकर **पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा** बनाए रखने और **भारत-म्याँमार सीमा की रक्षा करने** तक इसका विकास हुआ।
  - असम राइफल्स ने **भारत-चीन युद्ध (1962)** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे **'पूर्वोत्तर के प्रहरी'** और **'पहाड़ी लोगों के मित्र'** के रूप में जाना जाता है।
  - **मुख्यालय: शिलांग में असम राइफल्स महानिदेशालय।**

यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रपति ने **यूनानी दिवस (11 फरवरी)** पर **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRUM)** द्वारा आयोजित **यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** का उद्घाटन किया।

- इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय **"एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों हेतु यूनानी चिकित्सा में नवाचार- आगे की राह"** था।
- **वर्ष 1978** में स्थापित, CCRUM **आयुष मंत्रालय** के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और **यूनानी चिकित्सा** में अनुसंधान के लिये **शीर्ष सरकारी संगठन** के रूप में कार्य करता है।
- **यूनानी चिकित्सा:** यह **उपचार की परंपरागत प्रणाली** है जिसकी उत्पत्ति **ग्रीस** में हुई और इसे **अरब और फारसी विद्वानों** द्वारा लोकप्रिय बनाया गया।
  - **यह शरीर के चार द्रव्यों** अर्थात् **रक्त (दम), कफ (बलगम), पीला पित्त (सफर) और काला पित्त (सवदा)** में संतुलन की अवधारणा पर आधारित है, जिसकी **रोगों के निदान और उपचार में केंद्रीय भूमिका** है।
  - इन द्रव्यों के **संतुलन में किसी भी प्रकार का असंतुलन रोग का कारण बनता है** और उपचार का उद्देश्य विभिन्न विधियों के माध्यम से **इनमे पुनः संतुलन स्थापित करना होता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आयुष चिकित्सा पद्धति

आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं, आयुर्वेद का 5000+ वर्षों का प्रलेखित इतिहास है।

आयुर्वेद

भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है

- **संहिता काल (1000 ईसा पूर्व):** परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा
  - **चरक संहिता:** सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता
  - **सुश्रुत संहिता:** आठ विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सीय विधियाँ प्रदान करती है
- **मुख्य शाखा:**
  - **आत्रेय पुनर्वसु-** चिकित्सकों की शाखा
  - **दिवोदास धन्वंतरि -** शल्यचिकित्सकों की शाखा

आयुर्वेद की शाखाएँ

- काय चिकित्सा- चिकित्सा।
- शल्य चिकित्सा- सर्जरी।
- शालाक्य तंत्र- ईएनटी और नेत्र विज्ञान।
- बाल रोग चिकित्सा।
- अगद तंत्र- विष विज्ञान।
- भूतविद्या - मनोरोग।
- रसायन- कायाकल्प चिकित्सा और जराचिकित्सा।
- वाजीकरण तंत्र- सेक्सोलॉजी।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

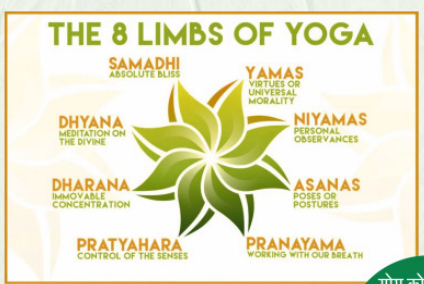

योग को सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप में योगसूत्र के रूप में प्रतिपादित किया

- **प्राकृतिक चिकित्सा:** 5 प्राकृतिक तत्वों - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की सहायता से उपचार
  - शरीर की स्व-उपचार क्षमता सिद्धांतों और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर आधारित
  - रोग-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है

यूनानी

ग्रीस में अग्रणी, अरबों द्वारा 7 सिद्धांतों के रूप में विकसित (उमूर-ए-तब्बिया)

- बुकरात (हिप्पोक्रेट्स) और जालीनूस (गैलेन) की शिक्षाओं के ढाँचे के आधार पर
  - चार ह्यूमर्स का हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत अर्थात् रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त
- WHO द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया

सिद्ध

10000 - 4000 ईसा पूर्व; सिद्धर अगस्तियार- सिद्ध चिकित्सा के जनक

- निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्जीवनात्मक और पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य देखभाल
- **4 घटक:** लैट्रो-रसायन विज्ञान, चिकित्सा अभ्यास, योग अभ्यास और बुद्धि
- 3 निदानात्मक ह्यूमर्स (मुक्कुट्टरम) और 8 महत्त्वपूर्ण परीक्षणों (एन्वागई थेरवु) पर आधारित है

आयुर्वेद के 3 गुण (त्रिदोष): वात, पित्त और कफ

सोवा रिग्पा

उत्पत्ति: भगवान बुद्ध के समय 2500 वर्ष पूर्व भारत में

- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि के हिमालयी क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा।
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (वर्ष 2010 में संशोधित) द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त।

होम्योपैथी

जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया

- जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया।
- औषधियाँ मुख्यतः प्राकृतिक पदार्थों (पौधे उत्पाद, खनिज, पशु स्रोत) से तैयार की जाती हैं।
- वर्ष 1810 में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा भारत में लाया गया; वर्ष 1948 में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
- **3 प्रमुख सिद्धांत:**
  - सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर ("सम: समम् शमयति" या "समरूपता")
  - सिंगल मेडिसिन
  - मिनिमम डोज़

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

संशोधित MIS दिशानिर्देश

सरकार ने अधिक राज्यों को MIS लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु **बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के दिशा-निर्देशों** को संशोधित किया है।

- MIS के तहत **शीघ्र खराब होने वाली ऐसी फसलों (फल, सब्जियाँ, मसाले आदि)** को समर्थन प्रदान किया जाता है जो MSP के अंतर्गत नहीं आती हैं, जिससे **अधिक उत्पादन** के कारण **कीमतों में गिरावट** के दौरान **संकटपूर्ण बिक्री** को रोका जा सकता है।
- **MIS के संशोधित प्रावधान:**
  - MIS को PM-AASHA की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।
  - पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित **बाज़ार मूल्य** में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही MIS को लागू किया जाएगा।
  - फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा **20% से बढ़ाकर 25%** कर दिया गया है।
  - राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में **बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य** के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।
  - इसके अलावा, जहाँ **उत्पादन और उपभोक्ता** राज्यों के बीच टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  - **FPO, FPC** और राज्य-नामित एजेंसियाँ बाज़ार में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिये **खरीद, भंडारण एवं परिवहन** का कार्य संभालेंगी।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट: